राजस्थान में मानवाधिकार: महिला अधिकारों के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

की

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

निर्देशक:
डॉ. अल्पना पारीक
व्याख्याता राजनीति विज्ञान

शोधार्थी :
पूजा भाटी

राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बून्दी

2015

राजस्थान में मानवाधिकारः महिला अधिकारों के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

की

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–सारांश

निर्देशकः
डॉ. अल्पना पारीक
व्याख्याता राजनीति विज्ञान

शोधार्थी :
पूजा भाटी

राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बून्दी

2015

निर्देशक प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री पूजा भाटी द्वारा प्रस्तुत **'राजस्थान में मानवाधिकारः महिला अधिकारों के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन'** शोध प्रबन्ध पूर्णतया मौलिक है तथा इसे मेरे निर्देशन में लिखा गया है। सुश्री भाटी द्वारा किया गये शोध कार्य से मैं सन्तुष्ट हूॅ तथा शोध प्रबन्ध को पीएच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत करने की अनुशंषा करती हूॅ। सुश्री पूजा ने मेरे निर्देशन में प्रतिवर्ष 200 दिन से अधिक कार्य किया है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूॅ।

(डॉ अल्पना पारीक)
व्याख्याता, राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय, जयपुर

प्रथम अध्याय

परिचयात्मक

मानवाधिकार शाब्दिक स्वरूप में मानव व अधिकार को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें मानव का तात्पर्य प्रकृति की एक प्रजाति से है, जो अन्य जीव प्रणालियों की तुलना में विवेक व बुद्धि से ओत–प्रोत है। इसमें विवेक तत्व अच्छे व बुरे की पहचान कराता है तथा बुद्धि के माध्यम से प्रकृति प्रदत्त सुविधाओं का उपयोग करता है। मानव पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग करने के तरीकों पर विचार करता है तथा अन्य जीवधारियों पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर अपने को सर्वोच्च स्थिति पर स्थापित करता है। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का श्रेष्ठतम स्वरूप में उपयोग कर अपने व्यक्तित्व का निर्णय व विकास करता है। पृथ्वी पर बहुत से जीव शक्ति के रूप में मानव की तुलना में अधिक श्रेष्ठ व विशिष्ट है परन्तु मनुष्य अपने चातुर्य के माध्यम से इन सभी जीव जन्तुओं पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर चुका है।

इसी प्रकार अधिकार व सुविधाऐं और स्थितियाँ है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रदान की गई हैं। अधिकार के उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वैचारिक संस्था की अनिवार्यता रही है क्योंकि अधिकार सभी मानवों के लिए समान रूप से प्रदत्त किए गए हैं तथा इनकी सुनिश्चित उपलब्धता बनाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता है जो अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया व सीमा निर्धारित करता है, इनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है तथा अधिकार का हनन होने पर उसके बहाली की व्यवस्था भी करता है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं और अधिकार का स्वरूप एक सीमा तक ही संभव है।

अधिकार किसी एक व्यक्ति के लिए न होकर सभी मानवों को प्रदत्त किए गए हैं, इसलिए सभी व्यक्तित्वों के उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ मानव के कर्तव्य भी आवश्यक माने गये हैं। राज्य संस्था की विधायिका अधिकारों का

स्वरूप निर्धारण करने के लिए कानून बनाती है तथा कार्यपालिका संस्था अधिकारों के क्रियान्वयन किये जाने को सुनिश्चित करती है और इसमें आने वालें अवरोधों को दूर करती है। राज्य की तीसरी संस्था न्यायपालिका किसी के अधिकारों के उल्लंघन होने पर, ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को दण्ड देती है। इस प्रकार अधिकार मिलना, उसका उपयोग सुनिश्चित होना तथा उसके उपयोग में बाधा को दण्ड देकर पुनः बहाली करना राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

मानव अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ है, जिनके फलस्वरूप मानव अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। ये अधिकार मानव होने के नाते प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का प्रयोग इसकी सार्वभौम घोषणा के साथ ही 1948 में किया गया, जिसे मूलतः अठारहवीं शताब्दी के मानव के अधिकार को पुनः प्रवर्तन कर बनाया गया। इससे पूर्व परम्परागत रूप से मानवाधिकार को अहस्तारणीय अधिकार, प्राकृतिक अधिकार आदि स्वरूपों में अभिव्यक्ति किया जाता था। मानवाधिकार के अर्थ और धारणा को दृष्टिगत रखकर इसे सैद्धान्तिक या दार्शनिक सिद्धान्त तथा उपयोगितावादी या व्यावहारिक दृष्टिकोंण परक स्वरूप में विवेचित किया जाता था।

सैद्धान्तिक या दार्शनिक दृष्टिकोंण के अन्तर्गत मानवाधिकारों की व्याख्या प्राकृतिक अधिकार सिद्धान्त, विधिजन्य अधिकार सिद्धान्त, सामाजिक कल्याण सिद्धान्त, आदर्शवादी सिद्धान्त तथा ऐतिहासिक सिद्धान्त के स्वरूप में विद्वानों द्वारा विवेचित किया गया था। उपयोगितावादी या व्यावसायिक दृष्टिकोंण के अन्तर्गत विधि द्वारा स्थापित संस्था द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों से है जो किसी देश के संविधान में वर्णित किए गए है तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रतिपादित करने व हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा मान्य स्वरूप में प्रदत्त किए गए हैं। मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित स्वरूप में सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनाकर अपने संविधान में वर्णित किए गए या बाद में संशोधन द्वारा जोड़े गये हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के 1948 के चार्टर में समाविष्ट मानवाधिकार चिरकाव्य से परम्परागत रूप में स्वीकृत, ग्रीक के नगर राज्यों में प्रचलित, इंग्लैण्ड के

मैग्ना–कोर्टा में वर्णित, फ्रांस के नागरिक अधिकारों में सम्मलित, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में सम्मिलित मानवाधिकारों को नवीन व परिमार्जित स्वरूप प्रदान किया गया है। भारत का संविधान निर्माण का कार्य उस अवधि में जारी था। अतः इन सभी अधिकारों के समावेश को भी सुनिश्चित किया गया। मानवाधिकारों की संकल्पना राजनीतिक, नैतिक स्वरूप के साथ विधिमान्य भी है। इस कारण इन मानवाधिकारों का विशेष महत्व है। मानवाधिकार वैयक्तिक व सामूहिक मंत्रों का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही राज्य की शक्तियों को भी सीमित करते हैं।

मानवाधिकारों का सार्वभौम मसौदा 10 सितम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में स्वीकृत कर अधिघोषित किया गया। इसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विनिमय दस्तावेज पारित कराकर लागू किया गया, जिसमें नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र 1966, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र–1966, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी को याचिका प्रस्तुत करने हेतु वैयक्तिक अधिकारों के लिए ऐच्छिक व पूर्वसन्धि 1966, कैदियों के साथ व्यवहार के लिए मानक नियम–1971, कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आचार संहिता–1979, किशोर अपचारिता के संबंध में न्याय प्रशासन हेतु मानक नियम 1985 लागू किए गए।

इसी क्रम में शक्ति के दुरूपयोग और अपराध के शिकार व्यक्तियों के लिए मूलभूत न्यायिक सिद्धान्तों की घोषणा 1985 में की गई। साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धान्त 1985 में प्रतिपादित किए गए एवं क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड की यातना के विरूद्ध अभिसमय–1985 भी पारित कर लागू कराया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर स्थानीय सरकार द्वारा हनन किया जाता है तो विश्व संगठन तत्परता से उन नियमों से संबंधित नियम बनाकर पारित करता है। इसके समस्त देश इन हस्ताक्षर करने से पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। विश्व स्तर पर मानव अधिकारों को लागू करने का उदेश्य समस्त सदस्य राष्ट्रों को उन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

भारत के संघीय स्वरूप में सम्प्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक देश है जिसमें शासन की व्यवस्था संसदीय प्रणाली स्वरूप में है। यह गणतंत्र देश के संविधान द्वारा शासित है जिसे स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान सभा में 26 नवम्बर 1949 को पारित होने पर 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। देश की शासन व्यवस्था संसदीय संरचना की है। देश में वर्तमान में 29 राज्य व सात केन्द्र शासित क्षेत्र है। देशभर में एकल नागरिकता प्रणाली स्थापित है जो जन्म से, दम्पति युगल में एक भारतीय होने से तथा पांच वर्ष से अधिक समय तक देश में स्थायी निवास से प्राप्त हो रही है।

देश का संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत व सामूहिक स्वरूप में भौतिक अधिकार प्रदान करता है जिनको संविधान के भाग तीन के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। इनमें समानता का अधिकार कानून, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग या जन्म स्थान जन्मस्थान के भेदभाव की दृष्टि से निषेधात्मक या भेदभाव पूर्व स्थिति लागू करने को वर्णित करता है। स्वतंत्रता का अधिकार बोलने, विचार व्यक्त करने, संगठित होने, संघ बनाने, प्रवास करने, निवास करने, कोई व्यवसाय करने के बारे में लागू किए जाते हैं। शोषण के विरूद्ध अधिकार बलपूर्वक श्रम लेने, बाल मजदूर, मानव तस्करी इत्यादि को निषेध करता है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, विश्वास स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नागरिकों को अपनी संस्कृति संरक्षित रखने, भाषायी अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा की शिक्षण संस्थायें स्थापित करने व संचालित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

इनमें सबसे बड़ा मौलिक अधिकार इन्हें लागू करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार का मिलना, उन्हें लागू करने के लिए प्रभावी तंत्र का होना तथा इनके हनन को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र की उपस्थिति सबसे बड़ा संबल है। जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन होनें की स्थिति में न्यायपालिका से अधिकारों की प्राप्ति का दावा करने का अधिकारी होता है। इसके साथ वर्ष 1976 में ब्यालीसवें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का भी उपबन्ध किया गया है। जिन्हें भाग चार (ए) में धारा 51ए के अन्तर्गत जोड़ा गया,

जिसमें नागरिकों से संविधान को मानने, उसके उच्च आदर्शों को आत्मसात् करने, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र को अपनी सेवाऐं प्रदान करने, सदाशयता विकसित करने, धार्मिक, भाषायी, क्षेत्रीय या अन्य विविधताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरी स्थान प्रदान करने से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान संविधान में किये गये है। पुरूषों व महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन या मजदूरी सुनिश्चित की गई। न्यूनतम मजदूरी की दर सुनिश्चित की गई, जिसके द्वारा मजदूरी के लिए इतनी दर देना आवश्यक किया गया। इसके अतिरिक्त 6–14 आयुवर्ग के बालक व बालिकाओं को आवश्यक व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार प्रदान करके एक जबरदस्त क्रांति लाई गई जिसके अन्तर्गत कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक सरकारी मंत्रालय, विभाग की सूचनाओं के नवीनतम उपलब्धि वेबसाइट पर सुनिश्चित की गई तथा प्रश्नकर्ता को सूचना निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के लिए तंत्र की स्थापना की गई। केन्द्र व राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयोग गठित किए गए जिनमें सूचना निर्धारित अवधि में न उपलब्ध कराने व अपूर्ण सूचना के लिए शिकायतों का प्रावधान किया गया।

1.1 मानवाधिकारों के क्रियान्वयन की समस्यायें :

देश में शासन व्यवस्था के लिए तीन अंग स्थापित है। जहां व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है, वहीं कार्यपालिका उनका कियान्वयन करती है और न्यायपालिका नियमों को संवैधानिक स्वरूप के अनुसार होने की व्याख्या करते हैं तथा मानवाधिकारों के हनन पर दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही करती है। देश में प्रचार तंत्र की सबल भूमिका है, जो सरकार के कार्यकलापों व जनता की परेशानियों का तत्परता से प्रसारण करती है। न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों को प्रसंज्ञान या स्वविवेक से मामला बनाकर प्रक्रिया आरंभ कर देती है। इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त भी मानवाधिकारों का हनन व्यापक पैमाने पर होता रहा है। यह स्थितियां इतने व्यापक स्तर पर व जघन्य स्वरूप में की जाती है कि इससे सभी मानवीय सीमायें समाप्त हो जाती हैं।

पुलिस थानों को स्पष्ट निर्देश जारी होने पर भी मामला दर्ज नहीं करने, लोगों को पुलिस स्टेशन लाकर गंभीर यातनाएं देने, महिलाओं से दुराचार करने के मामले अब लगता है कि सामान्य विषय बन गये हैं। उच्चतम न्यायालय के 7 जुलाई 2014 के निर्णय के अनुसार धार्मिक नेता कानून की अवहेलना का फतवा जारी नहीं कर सकते। जातीय पंचायत अपराधियों को चेतावनी देकर छोड़ देती है तथा पीडित व्यक्ति ऐसे मामलों को पुलिस या न्यायालय के समक्ष लाने से भी डरते हैं क्योंकि जाति या धर्म के संरक्षक उन्हें जीने नहीं देते और विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं देते हैं। इसी प्रकार सरकार का प्रशासनिक तंत्र राजनेताओं व शक्तिशाली लोगों के इशारे पर गरीबों व असहायों का शोषण करने, उनके जीवन व्यापन के साधनों पर कब्जा करने व यातना देने में भी संलग्न पाये जाते हैं। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी व विनाशकारी घटनाओं के बढ़ने के कारण विश्व समुदाय के समक्ष प्रमुख समस्या व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण की है। वर्तमान में मानवाधिकारों के संरक्षण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। चीन जैसे देश विश्व में अपने विकास का प्रचार करते हैं, वहीं अपने नागरिकों को मानवाधिकारों से पूरी तरह या आंशिक रूप से वंचित रखते हैं। इसी प्रकार कट्टर मुस्लिम राष्ट्र धर्म के नाम पर जिहाद छेड़ना और लोगों की नृशंस हत्या को पवित्र धार्मिक कार्य मानते हैं। इन देशों में महिलाओं के नागरिक अधिकार ज्यादातर पुस्तकों तक ही सीमित हैं। आतंकवादी समूह विभिन्न फतवे जारी कर नृशंस हत्या कर डालते है। इसके अतिरिक्त शिया व सुन्नी सम्प्रदाय परस्पर नरसंहार में लगे रहते है।

प्रत्येक राष्ट्र एक संप्रभुता संपन्न इकाई है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों पर हस्ताक्षर कर एक न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्था की स्थापना में सहयोग करता है, परन्तु कई बार कई राष्ट्र अपने नागरिकों को उन अधिकारों से वंचित करते है जो उन्हें मिलने आवश्यक हैं। अमेरिका जैसे विकसित व सुव्यवस्थित देश भी आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हो जाते हैं। बहुत से देश आज भुखमरी की समस्या से ग्रस्त हैं, जिनमें सोमलिया, इथोपिया मुख्य रूप से माने जाते हैं, जहां भुखमरी एक विकराल समस्या के रूप में फैली हुई है। रूबांडा व यूगोस्लाविया में गृहयुद्ध के कारण जीवन की गंभीर समस्या से लोग जूझ रहे हैं। फिलिस्तीन, सूडान

व थाईलैण्ड में गरीबी व भुखमरी के कारण बच्चों को बेचना गंभीर समस्या हो गई है।

अमेरिका में काले लोगों को नस्लभेद के कारण तथा महिलाओं को वोट का अधिकार दो शताब्दी पूर्व ही प्रदान किया गया। यही स्थिति दक्षिण अफ्रीका की रही जहां नस्लभेद की गंभीर समस्या बनी रही। इन सभी स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जिस देश में जनता को जो अधिकार मिले हैं वही उनके उत्तराधिकार हैं। भारत में 1975–77 की अवधि में संकटकाल लागू कर राजनीतिक विरोधियों को आंतरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत जेल में डाल दिया गया जिसमें ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने व जेल भेजने का कारण बताना तक आवश्यक नहीं था। ऐसी घटनाएं प्रायः विभिन्न देशों के समक्ष आती रही और सरकार ने सुरक्षा व स्थायित्व की आड़ में बहुत से राजनीतिक लोगों की गंम्भीर यातनाओं का सामना करना पड़ा।

इन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर मानवाधिकारों के बारे में प्रत्येक देश का प्रथक दृष्टिकोण रहा है। अमेरिका, इंगलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देश नागरिकों के अधिकार में कटौती या स्थगन का कोई प्रमाण दृष्टिगत नहीं होगा क्योंकि इन देशों की जनता भी अत्यन्त सजग है। खाड़ी के देश तथा गरीब देशो में प्रायः मानवाधिकार आराम से जीवन यापन तक ही माना गया है। जिस स्तर पर मानवाधिकार अमेरिका में आज विद्यमान है, वैसे अधिकारों की उपलब्धता खाड़ी व काफी अय देशों के नागरिक अपने संदर्भ में सोच तक नहीं सकते। साथ ही मानवाधिकारों का अस्तित्व में होना और उसकी सुनिश्चिता की उपलब्धता नागरिकों के लिए दिवास्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं माना जा सकता।

इसके अतिरिक्त सामान्य नागरिकों को जागरूकता के अभाव में इनकी जानकारी नहीं होने, प्रशासनिक तंत्र के परेशान करने पर कानूनी स्थिति पर संगठित होकर बहस करने व न्यायालय का द्वार खटखटाने का सामर्थ्य भारत में भी कितने लोगों के पास है। इस दृष्टि से भारत की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर है क्योंकि प्रचार माध्यम इतने सक्रिय हैं कि देश के किसी भाग में होने वाली अमानवीय घटना की तह तक पहुंच कर सम्पूर्ण विवरण जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता हैं। मानव अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी भी तभी संभव है जब

प्रचार तंत्र अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाने के लिए तत्पर है और उस पर प्रशासनिक अंकुश इतने नहीं है।

देश की न्यायपालिका की भूमिका भी सराहनीय है, जो सरकारी तंत्र को कारण बताने व उसकी सजा देने के लिए सदैव सक्रिय व निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करता है। वर्ष 2014 में सम्पन्न लोकसभा चुनाव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जहां जनता प्रशासनिक लापरवाही, दुष्कर्मों को उजागर न होने देने के प्रयास, नृशंस हत्याओं व सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओं से निपटने में सरकार की बेरूखी की स्थितियों का आंकलन कर अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्रिया भूमिका का निर्वाह करती है। सरकारी तंत्र द्वारा संवैधानिक संस्थानों के द्वारा भ्रष्टाचार के प्रकरणो के उजागर करने व सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा उनका मखौल उड़ाना, सरकारी निष्क्रियता जताना आदि स्थितियां अब सहनशीलता की सीमाएं लांघ चुकी है।

1. 2 साहित्य की समीक्षा :

प्रसिद्व फ्रांसीसी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कान्ट्रैक्ट में यह मत व्यक्त किया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परन्तु वह हर जगह जंजीरो से जकड़ा हुआ है। रूसो मानवाधिकार के प्रबल समर्थक रहे तथा फ्रांस की राजक्रान्ति के नेता के रूप में भी उनका अमूल्य योगदान रहा। देश के राजा को जनता की समस्याओं की बिल्कुल जानकारी नहीं होना और अपना जीवन विलासितापूर्ण वातावरण में बिताने के कारण जब जन आक्रोश चरम पर पहुंच गया और जनता ने राजमहल को घेर लिया तो राजा को जानकारी मिली कि गरीबी से पीड़ित जनता का आक्रोश भी राजतंत्र की जड़ें हिला सकता है।

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी 1941 को कांग्रेस के सम्बोधन में मानव अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, जिसमें चार मूलभूत स्वतंत्रताओ की घोषणा की थी, जिसमें वाक् स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, गरीबी से मुक्ति और भय से स्वतंत्रताओं को प्रतिपादित किया था। इन स्वतंत्रताओं में मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अन्तर्निहित है। इस क्रम में विश्व समुदाय को यह सन्देश दिया था कि अमेरिका ऐसे देशों को समर्थन करता है जो इन अधिकारों को पाने या

बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। अटलांटिक चार्टर (1941) में भी मानव अधिकारों एवं मूलभूत अधिकार की आवश्यकता दर्शायी गई थी। इन्हें बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सम्मिलित किया गया।

मेक्फारलेण की पुस्तक द थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स में मानव अधिकारों की पांच प्रमुख विशेषताएं प्रतिपादित की गयी, जिसमें सार्वभौमिकता अर्थात् सभी व्यक्तियों को, सभी समय पर और सभी स्थितियों में प्राप्त अधिकार है। इसमें व्यक्तिवादित की अवधारणा की व्युत्पत्ति मानव के स्वतन्त्र स्वरूप में जन्म होने की स्थिति दर्शाता है। इसमें मनुष्य को बौद्धिक प्राणी माना है, जिसमें सोचने व समझने की शक्ति है। अधिकारों की सर्वोच्चता का तात्पर्य राज्य द्वारा जन हित की स्थिति दर्शाते हुए इनका अतिक्रमण नहीं किया जाना है। अधिकारों की व्यावहारिकता का तात्पर्य उन अवसरों व सुविधाओं की सुनिश्चित उपलब्धि है जिससे मनुष्य जीवन यापन के अवसर जुटा सकें।

इन सबमें महत्वपूर्ण तत्व क्रियान्वयन के योग्य होता है क्योंकि अधिकार वही उपयुक्त है जिसकी जन सामान्य तक पहुंच सुनिश्चित हो सके और अपना संरक्षण कर सके। मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का सकारात्मक स्वरूप होने पर ही वे जनता के लिए उपयोगी हो पाते हैं और उनका उपयोग कर जनता अपने को सुरक्षित व व्यवस्थित अनुभव करती है। यदि राज्य का व्यवहार नकारात्मक रहता है तो ऐसे अधिकर केवल सैद्धान्तिक महत्व के ही रह जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कानून का उल्लंघन नहीं करने पर भी बन्दी बताया जाता है तो यह राज्य के प्रशासनिक तंत्र की हठधर्मिता ही मानी जाती है।

जीपी शर्मा, के के (2009) के मानवाधिकारः सिद्वान्त एवं व्यवहार में अधिकारों की महत्ता उनके पूर्ण उपयोग की संभाव्यता पर आधारित है क्योंकि अधिकारों का व्यवहारिक स्वरूप व उनकी सुनिश्चित उपलब्धि से ही मानव का कल्याण संभव है। अधिकारों के साथ समाज की नैतिक शक्ति भी निहित रहती है, फिर भी राज्यतंत्र द्वारा इनकी पालना व अतिक्रमण रोकने से ही इनका सही उपयोग है। अधिकारों के उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थक, गणतांत्रिक व्यवस्था वाले देश है जिनमें नागरिकों को अधिकार प्रदान कर एक पारदर्शी शासन व्यवस्था का

स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसमें प्रत्येक नागरिक यह दावा कर सकता है कि उसे सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार सुरक्षा कवच के रूप में प्रदत्त है। इसमें जीवन रक्षा, समानता, स्वतंत्रता, सम्पत्ति का अधिकार विशेष महत्व के हैं।

इसी क्रम में भाषण व प्रकाशन, सभा व सम्मेलन करने के अधिकार, धर्म व अर्न्तकरण की स्वतंत्रता का अधिकार केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। जहाँ सरकार कानून बनाकर इनको लागू करने तथा पालना के अवसर न दिए जाने पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है। इन अधिकारो का अतिक्रमण अन्य व्यक्तियों व सरकार द्वारा नहीं होना चाहिए अन्यथा अधिकार केवल नाममात्र के व दर्शनीय वस्तु बनकर रह जाते हैं। इस दृष्टि से राजनीतिक व नागरिक अधिकारों में अन्तर होता है। राजनीतिक अधिकारों का उपयोग अपने व्यक्तिगत अधिकारो में हित या निजी रूप में न होकर एक नागरिक के रूप में होता है, जो राज्य की संयुक्त शक्ति की वैध अभिव्यक्ति तथा प्रशासन में भाग लेने के स्वरूप में होता है।

मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार विश्व के लोकतांत्रिक देशों के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार व्यवहारिक महत्व नहीं रखते। स्टालिन के मत में भूखे व बेरोजगार व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। इस मत के अनुसार शोषण, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति न होना ही है। सरकार नागरिकों को अधिकार प्रदान न करके शोषण से मुक्त होना सुनिश्चित करती है। इस पद्धति में प्रत्येक नागरिक को कार्य देना व निवास व भोजन की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। यह विचारधारा अन्तिम स्वरूप में राज्य सत्ता की समाप्ति दर्शाती है, जो किसी देश में संभव नहीं हुआ तथा बोलने व सम्पत्ति का अधिकार न होने पर व्यक्ति पंगु अनुभव करता है।

इस स्वरूप में सैनिक शासन व्यवस्था व राजतंत्र भी आते हैं जिसमें नागरिक अधिकार जैसी कोई प्रणाली नहीं होती। बोलने की स्वतंत्रता व विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्णतया अभाव होता है। राजतंत्र प्रणाली के अन्तर्गत राजा व उसके सहायकों की इच्छा पर अधिकार संभव होते हैं। कुछ देशो में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और कहीं कहीं अराजक तत्व मुखर

पाए जाते हैं, जो राजतंत्र के अस्थिर होने पर अव्यवस्था का वातावरण स्थापित करने का पूरा प्रयास करते हैं। इन देशो में संविधान होना व उसमें जनता को अधिकार प्रदान करना बहुत सीमित स्वरूप में दिखाई देता है।

लवानिया एम.एम. (2007) में भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र में वैदिक युग से वर्तमान स्वरूप तक महिलाओं की स्थिति को विवेचना की है। जिसमें वैदिक काल में अध्ययन की सुविधा, महिलाओं का स्थान व परिवार में सम्मान जनक स्थान, पर्दा प्रथा का अभाव, सामाजिक, शैक्षणिक, शासन व्यवस्था में विचार विमर्श व परामर्श की स्थिति आदि का स्वरूप दर्शाता है। जो देश पर आक्रमण होने पर मुस्लिम सेना द्वारा महिलाओं व लडकियों को बलपूर्वक अपहरण, धर्म परिवर्तन व विवाह करने से समाज में विकृति आने की स्थिति को दर्शाती है।

बीसवी शताब्दी में स्वतंत्रता पूर्व काल में महिलाओं की स्थिति में सती प्रथा, बाल विवाह, संयुक्त परिवार व्यवस्था, महिलाओं के शिक्षा के प्रति परिवार की अरूचि, विधवाओं की सामाजिक समस्याओं की विवेचना की है। इसमें से बहुत सी स्थितियां स्वतंत्रता के पश्चात भी यथावत बनी रही। कुछ परिवारो में स्त्री शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन, शहरी क्षेत्रो में शिक्षा व रोजगार के अवसरों में महिलाओं की सहभागिता आरंभ हो गई थी। इक्कीसवी शताब्दी में महिलाओं के लिए प्रोत्साहन, सुविधाएॅ, उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों की उपलब्धि आदि विशेष उल्लेखनीय स्थितियां रही। साथ ही बालिका जन्म रोकने के लिए भ्रूण परीक्षण व भ्रूण हत्या जैसे कार्यो की वृद्धि से देश व समाज के लिए चिन्ताजनक स्थिति बन गयी।

पाण्डेय विमलेश कुमार (सं.) 2009 में भारतीय संस्कृति एवं मानवाधिकार में विक्रम भारद्वाज के लेख ह्यूमन राइटस, वूमन इन इस्लाम'– एन इन्टरफेस में दर्शाया है कि सामाजिक विधायन में भारतीय महिलांए विश्व में काफी अग्रणी है परन्तु सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप में पुरूषों से प्रारम्भ से ही पीछे हैं। महिलायें कार्य व अन्य क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण व्यवहार से ग्रसित रहती है जिनमें भारतीय मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अधिक चिन्ताजनक है। इस्लाम धर्म के अनुसार महिलाओं का पुरूषों के समान स्तर है तथा जीवन में समान सहयोगी

स्वरूप प्राप्त है। राज्य संस्था की ओर से उसे कानून की दृष्टि में समानता प्राप्त है। तथा समान कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है।

महिलाओं को इस्लाम में सैद्धान्तिक स्वरूप में अधिकार व अधिकारिता प्रदान की गई है किन्तु इतने संरक्षणों के पश्चात भी इस्लाम जगत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इसका कारण सैद्धान्तिक व व्यवहार स्वरूप में बहुत अन्तर होना है। इसमें विवाहित युगल में पुरूष द्वारा तीन बार तलाक कहने से पारिवारिक संबंध विच्छेद मान लिया जाता है तथा महिला व उसके बच्चों का जीवन अस्थिर हो जाता है। इस अस्थिरता से महिला की स्थिति सदैव भयावह बनी रहती है और समाज में शोषण का खुला ताण्डव आरंभ हो जाता है। ऐसी महिला से विवाह करने वाला उसका शोषण अधिक करता है और कभी भी छोड़ सकता है।

जोशी आर.पी. सं. (2003) मानव अधिकार एवं कर्तव्य में यह मत व्यक्त किया कया है कि राज्य का तात्पर्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। इस क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है वह उसके नागरिक होते हैं। एक राज्य की एक सरकार होती है जो समस्त उत्तरदायित्व वहन करते हुए शासन का संचालन करती है। राज्य के लिए संप्रभुता एक आवश्यक तत्व है। राज्य की उत्पति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने पृथक–पृथक सिद्वान्तों की विवेचना की है, जिसके अनुसार दैवीय सिद्धान्त राज्य को दैवीय शक्ति की देन मानता है, जिसमें राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और जनता को राज्य की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। राजा ही ईश्वर के आदेश जारी करता है।

राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्वान्त के प्रवर्तक शक्ति को केन्द्रीय स्थिति मानते है क्योंकि राज्य का अस्तित्व शक्ति के बराबर ही होता है। यदि राजा व उसकी सेना की शक्ति क्षीण हो चुकी है तो उस राज्य का अस्तित्व कभी भी समाप्त हो सकता है। इस पद्धति में नागरिकों को राज्य का आज्ञा पालन करना आवश्यक माना गया है और जनता को कोई अधिकार नहीं प्रदान किए जाते थे। राज्य की उत्पत्ति का मानववादी सिद्वान्त वंश परम्परा से शासन का स्वरूप निर्धारित

करता था जिसमें पितृवादी व्यवस्था के अन्तर्गत राजा का पुत्र शासक बनता था तथा मातृवादी सिद्वान्त में महिला राजा की पुत्री शासन की उत्तराधिकारी होती थी।

राज्य की उत्पति का सामाजिक समझौतावादी सिद्वान्त व्यक्तियों के मध्य आपसी समझौते से राज्य बनाने व जनता के अधिकारों को प्रदान करने की स्थिति दर्शायी गयी है। इसमें जनता ने अपनी सुरक्षा व शान्ति व्यवस्था के लिए शक्तिशाली व बुद्धिमान व्यक्ति को राजा बनाया जिसें राज्य संचालन व जनता का हित साधने की क्षमता विद्यमान होनी आवश्यक थी। विकासवादी सिद्वान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति क्रमिक विकास के माध्यम से हुई है। इसमें अलग अलग काल में प्रथक कारक प्रभावी रहे। इसमें प्रमुख तत्व प्राकृतिक, सामाजिक इच्छाएं, राजतत्व, धर्म, शक्ति, आर्थिक क्रियाएं व राजनीतिक चेतना प्रमुख तत्व रहे है।

मौर्य शैलेन्द्र (2007) राजस्थान में महिला विकास में राजस्थान राज्य को राजे–रजवाड़े का प्रदेश बताया गया है जिसमें कि प्राचीनतम सभ्यताओं के धनी होने के साथ साथ उष्ण जलवायु के प्रदेश के रूप में बताया गया है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जो देश के 10.41 प्रतिशत भू भाग पर स्थापित है तथा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य आठवें स्थान पर है। विकास के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के निम्न स्तर, पुरूष प्रधान समाज, सामन्ती प्रथाओं व मूल्यों, जातीय आधार पर गठित सामाजिक ध्रुवीकरण, अशिक्षा व दरिद्रता के कारण कठिन स्थितियो वाला राज्य माना जाता है।

सामन्तवादी शासन व्यवस्था के चलते राजस्थान की गणना पिछड़े राज्यों में की जाती है जिसमें निरन्तर पड़ने वाले अकाल, कम वर्षा व कठिन भौगोलिक स्थितियों के कारण राजस्थान विकट परिस्थितियो से ग्रस्त राज्य रहा है। सामन्तवाद व जातिवाद का सबसे अधिक प्रभाव प्रदेश की महिलाओं पर पड़ा हैं। राजस्थान थार के विशाल मरूस्थल में स्थित है फिर भी यहां की जनसंख्या का घनत्व अन्य मरूष्णीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। विपरीत भौगोलिक परिस्थिति में निवास करते हुए भी प्रदेश के नागरिक मरूप्रदेशों में निरन्तर निवास करते रहे हैं।

महिला विकास की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जहां बालिकाओं को अनचाहा बोझ समझा जाता है। राज्य में 2001 की जनगणना के

अनुसार लिंगानुपात 922 महिलायें प्रति एक हजार पुरूष था तथा 0–6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 883 बालिकाएं प्रति हजार बच्चे था। इसी प्रकार महिला साक्षरता 43.85 प्रतिशत था जो देश के राज्यो व केन्द्रशासित प्रदेशों में 30वें स्थान पर था। इसके अतिरिक्त महिला शिशु मृत्यु दर, हीमोग्लोबीन की कमी आदि कारणो से महिला विकास की धीमी प्रगति की ओर अग्रसर होना दर्शाता है। महिलाओ में विकास की धीमी गति के कारण सामाजिक व आर्थिक अधिक है जिसमें निम्न व मध्यम वर्ग में शिक्षा व जागरूकता का नितान्त अभाव रहा है।

यादव डी.एस (2012) में भारत में मानव अधिकार में महिला अधिकारों के हनन में कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के विरूद्व हिंसात्मक अपराध, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार व यौन उत्पीड़न, महिलाओं को समान कार्य के लिए कम वेतन देना, सतीप्रथा का प्रचलन को प्रमुख कारण बताया है। इन सभी स्थितियों के निवारण के लिए कानून बनाए गए हैं, उत्पीड़नकर्ता को कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं की समस्यायें पारिवारिक व सामाजिक हैं जिनके निवारण के लिए महिलाओं में जागरूकता तथा संयुक्त रूप से समस्या निवारण के प्रयास करने आवश्यक हैं। संगठित शक्ति के अभाव में महिलाओं की समस्या यथावत रहेगी और उन्हें विभिन्न यातनाओं से निरन्तर गुजरना पड़ेगा।

जो महिलाएं अपने हितों के प्रति जागरूक हैं, वे सभी सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। अब ऐसे कई उदाहरण समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आते हैं जहां कन्या के बाल विवाह के विरूद्व प्रशासन को गोपनीय शिकायत भेजी गयी और उस समस्या से मुक्ति दिलाने के साथ सभी पक्षों को सजा भोगनी पडी। दहेज व अशिष्टता आदि के कारण लडकी ने विवाह से मना कर वर पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह स्थिति दर्शाती है कि जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं, सरकार व प्रशासन उनकी सहायता के लिए आगे आता है और समस्या का निराकरण भी करता है। संगठित स्वरूप में ऐसे कार्यो का दायित्व महिला स्वयंसेवी संगठन भी निभाते हैं।

चतुर्वेदी ललित (2011) ने मानवाधिकार एवं कर्तव्य नामक पुस्तक में स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर,1948 को मानव अधिकारों की

सार्वजनिक घोषणा की थी। इसी श्रृंखला में द्वितीय सार्वजनिक घोषणा 1968 में अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष घोषित करने थी । वियना सम्मेलन में 1966 में मानव अधिकार के दो प्रतिज्ञा पत्रों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया, जिसमें प्रथम प्रतिज्ञा पत्र का सम्बन्ध नागरिकों के सामाजिक, सांस्कृतिक व नागरिक अधिकारों के बारे में था, इन्हें महासभा ने क्रमशः 3 जनवरी 1976 व 23 मार्च 1976 को लागू कर दिया गया। प्रतिज्ञा पत्रों के अनुच्छेदों में पारिभाषित स्थितियों के प्रमुख अधिकार निम्न प्रकार हैं :

(1) प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।

(2) व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा करने का अधिकार हैं।

(3) किसी व्यक्ति से बलपूर्वक बन्धुआ मजदूरी लेना निषिद्ध है तथा कर्ज के एवज में ब्याज नहीं चुकाने की स्थिति में बन्धुआ मजदूरी भी प्रतिबंधित की गई है।

(4) अपराधी मानकर किसी व्यक्ति को शारीरिक यातना दिए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है जो पुलिस स्टेशनों पर भी लागू होता है।

(5) सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं।

(6) कोई भी प्रवासी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने देश वापिस आने का अधिकार रखता है, जब तक उस व्यक्ति ने प्रवासी देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है।

(7) प्रत्येक व्यक्ति को लिंग,जाति,वर्ण–धर्म आदि भेदभाव के बिना सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्राप्त हैं।

(8) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त हैं तथा कोई भी शिक्षण संस्था लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश से मना नहीं कर सकता है।

(9) बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है तथा इसकी व्यवस्था करना माता–पिता का दायित्व है।

(10) प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा ले सकता है तथा उसे प्रवेश से रोकना वर्जित है।

बच्चों की रक्षा तथा शारीरिक व मानसिक विकास के लिये यूनीसेफ नामक संस्था गठित की गई है जो विभिन्न देशों में बच्चो की भुखमरी, गरीबी आदि से मुकाबला करने में सहायता प्रदान कर रही है। इसी प्रकार मानव अधिकारों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एमनेस्टी इन्टरनेशनल संस्था का गठन किया गया है, जो युद्बबन्दियों को यातना देने, नस्लभेद के शिकार लोगों को सहायता प्रदान करने व धार्मिक आधार पर यातना रोकने के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। इन सभी स्थितियों के उपरान्त भी प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था व मानव अधिकारों को प्रदान करने या उनका हनन होने पर केवल सुझाव या सहयोग ही प्रदान कर सकता है।

चतुर्वेदी अरूण व लोढा संजय ने (2006) (सं.) भारत में मानव अधिकार विषय पुस्तक में सुरेन्द्रनाथ कौशिक का लेख ''भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकारः सिद्वान्त एवं व्यवहार'' में दर्शाया है कि समान अधिकार के अनुसार विवाह संबंध स्त्री व पुरूष दोनों की सहमति पर आधारित है तथा स्त्री की सहमति के बिना विवाह अवैध माना जाता है और यही स्थिति विवाह विच्छेद, पर भी लागू होती है। 1966 में संयुक्त राष्ट्र के मानवधिकारों में महिलाओं के मानवाधिकारों का पृथक व स्पष्ट विवेचन किया गया है। इसके अन्तर्गत गर्भवती महिला को मृत्युदंड देने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। महिलाओं को सवैतनिक प्रसूति अवकाश व सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की गई है।

महिला अधिकारों की सुरक्षा हेतु 1979 में आयोजित कन्वेंशन ऑन दी एलिमिनिशन आफ ऑल फार्म्स आफ डिस्क्रिमिनेशन एगेन्स्ट वीमन (सीडा) में महिला अधिकारों के लिए विधिक प्रावधान दिये गए थे। विश्व के सभी सदस्य देशों ने महिला अधिकारों की सहमति प्रदान की। बहुत से विकासशील देश महिला मानवाधिकारों के प्रति परम्परागत सोच में परिवर्तन नहीं कर सके। वे देश धर्म,

संस्कृति व स्थानीय परिवेश को दृष्टिगत रखकर ही महिला मानवाधिकारों की व्याख्या करते हैं। धर्म व संस्कृति की आड़ में अनुदारवादी व कट्टरपंथी तत्वों ने महिला मानवाधिकारों के सार्वभौमिक स्वरूप को अत्यन्त विकृत कर डाला है। नए कानून बनाकर महिलाओं के मानवाधिकारों के कियान्वयन में अनेकों बाधाएं उत्पन्न कर दी है।

महिलाओं के निजी व सार्वजनिक जीवन क्षेत्र में कृत्रिम बाधाएं उत्पन्न करके पुरूष वर्ग का वर्चस्व कायम करने का प्रयास किया गया है। जिन देशों में धर्म विरोध को राजधर्म घोषित किया वहीं महिलाओं का शोषण व उत्पीड़न बढ़ा है। भारत, पाकिस्तान व बांग्ला देश में संयुक्त रूप से मुस्लिम समुदाय की संख्या हिन्दुओं के पश्चात दूसरे स्थान पर है तथा मुस्लिम महिलाएँ अब विशाल समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इक्कीसवीं सदी में प्रवेश के पश्चात की मुस्लिम महिलाएँ मध्ययुगीन धार्मिक कानूनो, रूढ़ियों व परम्पराओं से जकड़ी हुई है। परिवार, समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सकिय योगदान के पश्चात भी इसकी स्थिति बहुत दयनीय है।

तुलनात्मक दृष्टि से भारत की मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान व बांग्लादेश की तुलना में अधिक स्वतंत्र है। मुस्लिम महिलाएं भी उक्त महिलाओं की भांति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र है। भारतीय मुस्लिम महिलाओ को भी आम नागरिकों के समान कानून के समक्ष समानता का अधिकार है तथा धार्मिक कानूनों के विरूद्ध वे न्यायपालिका की शरण ले सकती है। शाहबानो प्रकरण में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ऐतिहासिक निर्णय दिया था परन्तु कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय ने उसे मानने से इन्कार कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू नहीं किया।

जब भी कोई उत्पीड़ित मुस्लिम महिला न्याय व्यवस्था की शरण लेती है तो कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी उसके विरूद्व संगठित मुहिम आरंभ कर देते हैं और शरीयत आधारित कानून की प्राथमिकता का प्रश्न खड़ा कर देते हैं। मुस्लिम महिला के बाल विवाह पर न्यायालय की शरण लेने पर कट्टरपंथी चेतावनी देते हैं कि 1929 का बालविवाह अधिनियम मुस्लिम समुदाय पर लागू नहीं किया जा सकता।

न्याय व्यवस्था की शरण लेने पर पीड़ित मुस्लिम महिला को न्याय अवश्य मिलता है परन्तु कट्टरपंथी मुस्लिम समाज शरीयत विरोधी करार देकर उसे मुस्लिम समाज से बहिष्कृत कर देते हैं।

पाकिस्तान के 1973 के संविधान द्वारा इस्लाम को राष्ट्र धर्म घोषित करने के पश्चात महिलाओं के अधिकारों का व्यापक रूप से परिसीमन कर दिया गया। यह संविधान जनरल जिया उल हक के सैनिक शासन में लागू किया गया था। यद्यपि संविधान में पाकिस्तानी महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार है परन्तु शरीयत कानून की बाध्यता के कारण उनका स्तर द्वितीय श्रेणी के नागरिकों का कर दिया गया। पाकिस्तान में 2001 की महिला ग्रामीण साक्षरता दर केवल बीस प्रतिशत है जबकि कुल साक्षर महिलाओं का प्रतिशत 32.6 है। अफगान संकट काल में पाकिस्तान के कबीलाई प्रान्त सरहदी सूबा व बलूचिस्तान में कट्टरपंथी तालिबानी संस्कृति विकसित हुई।

इस संस्कृति से प्रभावित कट्टरपंथियो ने महिलाओ के विरूद्ध अभियान तेज कर दिया। धार्मिक नेतृत्व में महिलाओं के विरूद्व अनेक फतवे जारी कर दिये। महिलाओं को विशिष्ट इस्लामिक ड्रेस कोड के अनुपालना हेतु बाध्य किया गया। अगस्त, 2001 में पाकिस्तान की शीर्ष इस्लामी सलाहकार संस्था कौंसिल आफ इस्लामिक आइडियोलोजी ने महिलाओं को निर्देश दिए कि वे इलाज के लिए पुरुष चिकित्सक के पास न जाकर महिला चिकित्सक से ही इलाज करायें। इसी प्रकार वस्त्र सिलवाने के लिए महिला दर्जी के पास ही जाये। महिला दर्जी व महिला डॉक्टर की कमी के कारण उन्हें पुरुषों से ही ये काम करवाने होते हैं।

महिला मानवाधिकार संगठनो ने काउसिंगल ऑफ इस्लामिक आइडियोलोजी के दकियानूसी सुझावों की तीव्र भर्त्सना की। महिलाओं को नौकरी छोडकर घर परिवार के कार्यो तक सीमित रहने को बाध्य किया गया। कट्टरपंथी तत्वों ने गरीब महिलाओं को प्रलोभन देकर आतंकवादी गुटों में भर्ती किया तथा इस्लाम की खातिर आत्मघाती दस्तों में भर्ती होकर कुर्बानी के लिए प्रेरित किया। कबीलाई क्षेत्रों में महिलाओं पर इस्लामी कानून के अतिरिक्त कठोर कबीलाई कानून लागू है जिनके कारण उनका दोहरा शोषण होता है। सिंध प्रान्त के ग्रामीण

इलाकों में महिलाओं को सामन्त वर्ग द्वारा बंधुआ श्रमिक बनाकर यौन शोषण के साथ अन्य यातनाएं भी दी जाती है।

महिलाओं की खरीद फरोख्त सामान की भांति खुली मण्डियो में की जाती है। इन्टरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की उपाध्यक्ष शाहीन बर्नी के अनुसार एक महिला की कीमत पचास हजार से लेकर दो लाख रूपये तक होती है। पाकिस्तान के कबीलाई सूबों में इस्लामी कानून के अतिरिक्त बर्बर व अमानवीय कानून लागू है। इस प्रथा के अनुसार पुरुष व्याभिचार की दोषी महिला की परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए कत्ल कर सकता है। बहन बेटियों को बदचलनी के आरोप में कत्ल कर दिया जाता है। किसी लड़की के स्वेच्छा से वर चुनने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष असमां जहांगीर के कारोबार जैसी अमानवीय परम्परा पर समाप्ति के लिए लगातार दबाव डालने पर अप्रेल, 2000 में जनरल मुशर्रफ की सैन्य सरकार ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया परन्तु आदेश के बाद भी यह प्रथा निरन्तर जारी रही तथा पंजाब जैसे विकसित प्रान्त में भी सक्रिय है। प्रधान मंत्री बेनजीर भुट्टो द्वारा 1990 के दशक में महिला अधिकारों की रक्षा के लिए की गई घोषणाएं लागू नहीं की गई। पाकिस्तान में जनता से चुनी सरकार के प्रधानमंत्री भी सैन्य संगठनों व मुस्लिम कट्टरपंथियों से विरोध किये बिना शासन न चला सके।

जाखड़, दिलीप (2008) ने मानवाधिकार और पुलिस संगठन शीर्षक की पुस्तक में मानवाधिकारों पर पुलिस की भूमिका में समस्या की विवेचना करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भारत में राज्यों की पुलिस के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भारत– तिब्बत सीमा पुलिस आदि का संपर्क जनता से होता है। कुछ पुलिस संगठनों का कार्य अपराध नियंत्रण के मामलों से तथा कुछ का कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित होता है। मानवाधिकार संगठनों और प्रेस द्वारा पुलिस संगठनों पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगाए जाते रहे हैं तथा कई बार न्यायालय में भी इन आरोपों की सत्यता स्वीकार की जाती है।

सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा राज्यों की पुलिस को आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर तथा पंजाब में दायित्व सौंपे गये। साथ ही उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों जैसे पूर्वोतर राज्यों, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ आदि के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दायित्व दिया जाता है। इन सभी पुलिस संगठनों को समन्वित रूप से कार्य करना होता है जिससे उपद्रव रोकने के साथ अपना जीवन भी सुरक्षित रख सके। सभी पुलिस संगठन पुलिस अधिनियम 1861 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्य करते है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पुलिस संगठन के लिये विशेष अधिनियम व नियम प्रभावी हैं। सीमा सुरक्षा बल के अधिकार, दायित्व व अनुशासनात्मक कार्यवाही के दायित्व निश्चित हैं।

राज्य के पुलिस नियम अपेक्षाकृत उदार है परन्तु ये मानवाधिकार की धारणा के अनुरूप संशोधित नहीं किए गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उच्चतम न्यायालय, एमनेस्टी इदन्टरनेशनल, मानवाधिकार समिति, पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने मानवाधिकार समिति, पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज, पीपुल्स यूनियन फॉर डैमोक्रेटिक राइटस ने मानवाधिकार हनन की अनेक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इनमें पुलिस बलों द्वारा किये गये मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई विवरण दर्शाये गए। इस बारे में नियमित प्रशिक्षण, सेमीनार आदि के माध्यम से जागरूकता बढाई जाती है तथा राज्यों में मानवाधिकार प्रकोष्ठ भी स्थापित किये गए हैं। प्रायः अशान्त व दंगाग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न पुलिस संगठनो की तैनाती की जाती है जिसकी उन्हें कोई पृष्ठभूमि या दंगे का कारण आदि नहीं बताया जाता।

भारतीय संविधान में जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार व अन्य अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बन्दीकरण के विरूद्ध संरक्षण अपराधों में दोष सिद्दि विषयक संरक्षण आदि प्रमुख है। वहीं पुलिस बलों को निवारक निरोध जैसे प्रावधानो के अन्तर्गत कार्य करना होता है। इनमें सशस्त्र निरोध शक्तियां अधिनियम 1958, अंशान्त क्षेत्र में सेना के नान कमीशन अफसर या उच्चाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे उसने संज्ञेय अपराध किया हो अथवा न किया हो। उक्त अधिकारी व्यवस्था

बनाए रखने के लिए चेतावनी देकर बल प्रयोग कर सकता है और गोली चलाकर मार भी सकता हैं।

आतंकवादी व विध्वंसकारी गतिविधि निरोध अधिनियम 1985 में आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर प्रावधान किये गए हैं, इसमें अभियुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, अभियुक्त को स्वयं को निर्दोष बताने पर रिहा न किया जाना, पुलिस द्वारा व्यक्ति के विध्वसंकारी गतिविधि में शामिल होने की जांच के लिए रोकना आदि शामिल है। इस इससे संसद के द्वारा समाप्त कर दिया गया क्योंकि प्रावधानो का लाभ उठाकर कई गंभीर ज्यादतियां प्रकाश में आई थी। इसी प्रकार मानवाधिकार आयोग को सेना द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। आयोग को किसी जेल का निरीक्षण करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है।

मिश्रा महेन्द्र कुमार (2008) ने भारत में मानव अधिकार विषयक प्रकाशन में शिक्षण कार्यक्रम में मानवाधिकार को सम्मिलित करने की आवश्यकता दर्शाई है। इसमें शिक्षा के लक्ष्य मानव की आवश्यकताओं व रूचियों के अनुभव बनाने पर जोर दिया गया है। शिक्षा द्वारा बालक के व्यक्तित्व के विकास व जीविकोपार्जन की क्षमता उत्पन्न करनी आवश्यक है। साथ ही उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन विकसित करने की क्षमता के साथ मानवीय समस्याओं का आंकलन कर उनका निराकरण की दक्षता विकसित करना भी है। इसमें वैज्ञानिक मानवाधिकारी शिक्षा जहां आनन्दपूर्ण, साहसिक व स्वतंत्र खोज से संबंधित है साथ ही गंभीर व सच्चे अर्थो में मानव कल्याण से युक्त है।

मानववादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मबोध को जाग्रत करना, बुद्धि के विकास में उन्मुख होना, उच्चतम मानवीय मूल्यों को विकसित करना, सम्पूर्ण योग्यताओं व क्षमताओं को विकसित करना तथा स्वतंत्र विवेकपूर्ण एवं सन्तुलित व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। मानवाधिकार पाठ्यक्रम द्वारा बालक की सृजनात्मक व रचनात्मक शक्तियों को विकसित करना भी अपेक्षित है। इस माध्यम से बालकों की तर्कशक्ति, बुद्धि व विवेक का विकास होना भी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

प्रसाद राजेन्द्र (2005) ने मानव अधिकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुये कहा है कि सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रों, आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कई बार सैनिक, अर्द्धसैनिक व पुलिस बलों को गंभीर स्थितियों का सामना करते हुए राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटना होता है। इन स्थितियों में सुरक्षा संगठनो के साथ स्थानीय लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है और घुसपैठियों से मोर्चा लेने व सफाया करने के लिए घरों की तलाशी व अचानक गोलीबारी भी करनी पड़ती है। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात घुसपैठियों का पता लगाना, उन्हें मारना या पकड़ना रहता है। घुसपैठिये प्रायः आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और अपने को सुरक्षित रखने के लिए झाडियों, जंगलों व घरो में घुसकर मोर्चा लेते हैं।

इन कठिन व संकटकारी स्थितियो में सबसे महत्वपूर्ण दायित्व सैन्य संगठनों का यह रहता है कि इन घुसपैठियो, उपद्रवी व आतंकवादियों से मोर्चा लिया जावे और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करते हुए उन्हें मार दिया जावे। कई बार इसमें स्थानीय निवासियों की जान भी जोखिम में पड़ जाती है और सुरक्षा बल इस स्थिति से मुकाबला करने में अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। ऐसी स्थितियों में मानवाधिकारों की स्थिति बड़ी पेचीदा बन जाती है, परन्तु देश हित में कठोर निर्णय भी लेने पडते हैं और शीघ्रता से स्थिति को नियंत्रण में लाना आवश्यक हो जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी घुसपैठ की घटनाएं प्रायः घटती रहती है और उससे सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोग भी मारे जाते हैं।

ऐसी स्थिति में देश में स्थित कई व्यक्ति या संगठन मानव अधिकारों की दुहाई देकर सेना पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हैं और सेना को वापिस बुलाने तक की मांग कर बैठते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र व अंशान्त क्षेत्र में घुसपैठ की घटनाएं प्रायः जारी रहती है। जिसका कारण उन स्थानों की भौगोलिक स्थितियां होती है जिनका लाभ उठाकर घुसपैठ कर देना आसान हो जाता है। कई बार पड़ौसी देश की सेना अचानक गोलीबारी आरंभ कर आतंकवादीयों व घुसपैठियों की सहायता प्रदान करके उनका काम आसान कर देती है। ऐसे तत्व किसी के घर में घुसकर मोर्चा बना लेते हैं और घर के लोग न तो उनकी उपस्थिति के बारे में सूचित कर सकते हैं और न रक्षा के लिए सुरक्षा बलों से निवेदन कर पाते है।

आंध्रप्रदेश व छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रायः जनजाति के लोगों का सहयोग प्राप्त कर उन्हें मोहरा बना देते हैं और सुरक्षा बलों द्वारा उनकी मृत्यु होने पर माओवादी बचकर निकल जाते हैं। स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी होने से लोग सुरक्षा बलों के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं क्योंकि मार्ग में सुरंग निकाल कर या सुरक्षित स्थलों से मोर्चा लेकर बड़ी जनहानि करने में सफल हो जाते हैं। इन सभी घटनाओ में निर्दोष लोगों की मृत्यु होने पर सुरक्षा बलों का मनोबल कम करने के लिए कई संगठन उल्टे सीधे आरोप लगा डालते हैं जिससे स्थानीय लोग सैन्य बलों के विरूद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उपद्रवी तत्व भी लाभ उठाने का प्रयास करते पाए जाते हैं।

इस प्रकार मानवाधिकार शान्ति व व्यवस्था पूर्ण वातावरण में ही प्रभावी रह पाते हैं। आतंकवादियों द्वारा विभिन्न भीड़ वाले क्षेत्रों में बम रखकर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी जाती है ओर कई बार कई स्थानों पर एक साथ बमबारी कराकर आतंकवादी दल देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। इस स्थिति में मारे गए लोगों को सम्बन्धित राज्य सरकार मुआवजा देती है, जो उस स्थिति की भरपाई तो नहीं कर सकती परन्तु कुछ सहायता प्रदान कर परिवार को सम्बल प्रदान करती है। इन सभी स्थितियों में बहुत से मानवाधिकारों का हनन हो जाता है परन्तु इन स्थितियों को गंभीर आपदा ही माना जा सकता है।

अवस्थी सुधा (2003) ने महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार में कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 14,19 व 21 के अन्तर्गत रिट याचिका दायर की गई जिसमें महिला अधिकारों का अतिक्रमण आम बात हो गई है। लिंग व न्याय के बारे में अधिकाधिक जागरूकता व बल दिये जाने पर अतिक्रमणों को रोकने के प्रयास भी बढ़ रहे हैं। साथ ही लैंगिक उत्पीड़न के प्रति जनआक्रोश भी बढ़ रहा है। इस दृष्टि से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं व गैर सरकारी संगठनों ने सामूहिक कार्यवाही के लिए याचिका दायर की थी। इसका उद्देश्य समाजमूलक मतिभ्रम की ओर ध्यान केन्द्रित करना तथा समानता की सही परिकल्पना हेतु उपयुक्त उपाय ढूंढने में सहायता देना था।

याचिका को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सभी कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न रोकने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें महिलायें निर्भीक होकर कार्यस्थल पर कार्य कर सके। इस याचिका की पृष्ठभूमि राजस्थान के एक गांव में सामाजिक कार्यकर्ता महिला के साथ हुआ तथा कथित सामूहिक बलात्कार था। इस घटना से उन खतरों का आभास मिलता है जिनका कामकाजी महिलाओं को सामना करना पड़ता है और पुरूष वर्ग की उस चरित्रहीनता का पता लगता है जो लैंगिक उत्पीड़न की निम्नता से उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति में विधायी प्रावधानों के अभाव में सही दिशा निर्देश प्राप्त करना अपेक्षित था जिससे महिला कामकाजी वर्ग निश्चिन्त होकर अपना कार्य जारी रख सकें और महिला वर्ग को इस बारे में सुस्पष्ट सन्देश पहुंच सके।

उच्चतम न्यायालय ने याचिका की सूचना राजस्थान राज्य व भारत संघ को दी तथा भारत संघ की ओर से विद्वान महासालिसिटर ने इस गंभीर सामाजिक समस्या का उचित हल ढूंढने में सापेक्ष सहयोग प्रदान किया। प्रकरण में सुश्री मीनाक्षी अरोडा, नैना कपूर के अतिरिक्त श्री एफएम नरीमन न्यायाधीश के रूप में उपस्थित हुए। सुनवाई के पश्चात उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना के लिए सरकार ने सुस्पष्ट आदेश जारी किए, जिससे महिलाओं का उत्पीड़न कार्यस्थल पर रोकने में सापेक्ष सहायता मिली। जारी निर्देश के अन्तर्गत शाब्दिक या शारीरिक भाषा द्वारा दुर्भावना व्यक्त करने को भी अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया और इन आदेशों को प्रत्येक सरकारी वेबसाइट व कार्यालय को रखने के निर्देश भी प्रदान किये गए।

गहलोत एन.एस. 2004 ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था : दशा व दिशा में नारी शोषण व उत्पीड़न में राजस्थान में घटित ऐसी घटनाओं को रेखाकिंत किया है। राजस्थान पुलिस में दर्ज 1996, 1997 व 1998 में क्रमशः 8113, 8832 व 9659 मामले महिला अत्याचार व शोषण से सम्बन्धित होना दर्शाया, जो निरन्तर वृद्धि की स्थिति दर्शातें हैं। राष्टीय स्तर पर महिला अत्याचार, बलात्कार व उत्पीड़न में राजस्थान का छठा स्थान होना समस्या की तीव्र गंभीरता की ओर संकेत करता है तथा पुलिस व्यवस्था की निष्क्रियता की ओर भी इशारा करता है। नारी उत्पीड़न के

ये आंकड़ें एक छोटा सत्य ही प्रकट कर सके क्योंकि पीड़ित महिलाओं का बड़ा वर्ग अशिक्षा, गरीबी व असंगठित होने से पुलिस स्टेशन जाने का साहस नहीं जुटा पाता।

अधिकांश पीड़ित महिलायें जीवन भर लोकलाज व मर्यादा की चादर ओढ़ कर बैठी रहती है। बलात्कार से पीड़ित, उत्पीड़न से आतंकित ये महिलाएँ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा पाती। ऐसे शर्मनाक प्रकरणों के बारे में अपनी माँ या पति तक से चर्चा नहीं कर पाती, क्योंकि उसे स्वयं की व परिवार की बदनामी का डर रहता है। शर्म, संकोच, भय तथा दहशत से नारी उत्पीड़न के अधिकांश मामले दर्ज नहीं हो पाते। ऐसी घटनायें प्रायः समाचार पत्रों व अन्य प्रचार साधनों के माध्यम से प्रकट होने पर ही ज्ञात होते हैं जिससे जन सामान्य अपना आक्रोश विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त करता है। प्रायः यौन उत्पीड़न के मामले कुछ समय में सामान्य हो जाते हैं और कानूनी कार्यवाही मन्दगति से जारी रहती है।

महिलायें अपने जीवन व परिवार के जीवन में भेद नहीं करती– जो सभी धर्मो वर्गो व जातियों के संदर्भ में सत्य है। कानून पुत्री, पुरूष व महिला को समान स्थान प्रदान करता है परन्तु व्यावहारिक स्वरूप में जाति, पितृ सत्तात्मक परिवार संस्था, धार्मिक परम्पराएं और सत्तावादी सामाजिक मूल्यों का प्रभाव बहुत व्यापक स्तर तक विद्यमान रहता है। महिलाओं की पुरूषों पर निर्भरता होनें के कारण भी उनके उत्पीड़न की शुरूआत होती है। महिला की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक व व्यवसायिक व राजनयिक स्थिति जितनी अच्छी होती है उसकी पारिवारिक व सामाजिक स्थिति उतनी ही सुदृढ़ होती है।

कन्या रूप से ही महिला में यह भावना भर दी जाती है कि वह अकेली सुरक्षित नहीं है और हर स्थल पर उसे आश्रय की आवश्यकता है। इस कारण उसका चिन्तन व मनन कभी स्वतंत्र नहीं बन पाता। वे सदैव दासता की बेड़ियों में अपना जीवन व्यतीत करती है। एशियन इण्डिया मैन आफ अमेरिका सर्वेक्षण के अनुसार 20 से 25 प्रतिशत महिलाएं अपने घरो में यातना के रूप में कड़े परिश्रम से दुःखी रहती है। भारत में पुलिस अभिरक्षा में विभिन्न शारीरिक व मानसिक

यातनाएं दी जाती है। अखिल बंग महिला समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1986 में 25 महिलाओ को नक्सली समझकर गिरफ्तार किया गया और ऐसे प्रमाण न मिलने पर उन्हें नंगा कर घसीटा गया व लोहे की सलाखों से दागा गया।

माथुर कृष्ण मोहन (2007) ने स्वातन्त्रयोतर भारत में मानवाधिकार नामक पुस्तक में इस प्रश्न की व्याख्या करते हुये बताया कि भारत की 2001 की जनसंख्या में 0–14 आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत 39.90 प्रतिशत हैं। जिसमें से 69.84 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 1997 की रिपोर्ट के अनुसार 6–14 की आयु वर्ग के 6.30 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं तथा 6.20 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। सोलह वर्ष से कम आयु के एक तिहाई बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं जिनमें से कई बच्चे ऐसे उद्योगों में कार्य करते है जिनमें प्रयुक्त पदार्थो से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देश में 1988 में गरीबी रेखा से नीचे 29.2 प्रतिशत परिवार आते हैं तथा 25 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार है तथा 43.8 प्रतिशत बच्चो में कुपोषण की समस्या व्याप्त हैं।

विद्यालय जाने से पूर्व आयु वर्ग के 56 प्रतिशत बच्चे एवं 56 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं पोषक तत्वों की कमी से ग्रसित पाये गये हैं। लगभग 40 करोड़ लोग घेंघा की बीमारी से ग्रसित है तथा 22 लाख बच्चे बौनेपन से ग्रसित है। लगभग 66 लाख बच्चे सामान्य किस्म की विकलांगता के शिकार है। आयोडीन की कमी के कारण प्रति वर्ष लगभग 90 हजार बच्चे जन्म या कुछ समय पश्चात् ही मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। लगभग 60 हजार बच्चे प्रतिवर्ष विटामिन ए की कमी के कारण अन्धें हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 30 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वजन की स्थिति में जन्म लेते हैं। वर्ष 1996 में 8.30 लाख बच्चे एड्स के शिकार पाये गए तथा एड्स से मरने वाले 15 लाख लोगो में से साढ़े तीन लाख बच्चे 15 वर्ष से कम आयु के थे।

बच्चों के सुकुमार बचपन की रक्षा के लिए स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार तथा सहभागिता का अधिकार मिलना आवश्यक है तथा इनकी प्राप्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। बच्चों के लिए

संवैधानिक, कानूनी और संघीय वचनबद्वता के उपरान्त भी सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। अतः इन समस्याओ में प्रमुख रूप से बच्चों से भावनात्मक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार व उत्पीड़न लैंगिग दुर्व्यवहार व शोषण, मौलिक न्यूनतम आवश्यकताओं का अतुष्टीकरण, एकाकी व सामाजिक पारस्परिक संबंधों का अभाव तथा मानवाधिकारों का हनन विशेष महत्वपूर्ण है।

महाराष्ट्र लीगल कमेटी की सदस्य एवं पत्रकार शीला बसे ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया कि देश के कारागृहों में सोलह वर्ष की आयु से कम के बच्चे सजा भुगत रहे हैं जिन्हें मुक्त कराकर किशोर घर, बालगृहों में भेजा जावे। इस आदेश की पालना में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर समस्त कारागारों से सूचना एकत्रित कराई गई। बच्चों को पृथक कारागृह अर्थात किशोर सदन आदि में पहुंचाया गया। यह भी पाया गया कि बच्चों के लिए संचालित संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन राज्यों के नाम पर पैसे इकट्ठे कर अन्य कार्यो में उपयोग करते हैं जिसे निरन्तर रोका जाना आवश्यक है

खण्डेला मानचंद (1990) ने महिला सशक्तिकरण में दर्शाया है कि स्त्री पुरूष समानता को लेकर पश्चिमी देशों में वीमैन लिव नामक आन्दोलन का महिलाओं द्वारा ही विरोध किया जाने लगा क्योंकि इस आन्दोलन से प्रभावित महिलाओं का पहनावा, शरीर प्रदर्शन की होड़, सिगरेट व शराब का सेवन, नाईट क्लबों में व्यसन, बच्चों से बढ़ती दूरियां, परिवारों का विघटन अकेलेपन की पीड़ा, काम के दोहरे भार, एड्स जैसी बीमारियों का विस्तार, विवाह के प्रति घटते आकर्षण द्वारा समाज के प्रति योगदान घटने लगा। नारी स्वतंत्रता के नाम पर उन्हें अकेलापन, भटकाव मिला। पश्चिमी देशों की महिलाओं का झुकाव अब परिवार, योग, सादगी और धर्म की ओर बढ़ने लगा है।

भारत में महिलाओं के लैंगीय संवेदीकरण व समानता के प्रश्न पर जबरदस्त आन्दोलन चला रखा है। इसलिये बिन्दी, मांग का सिन्दूर, मंगलसूत्र जैसे गहनों को पुरूष के दासता का प्रतीक मानकर उन्हें नकारने का आह्वान किया जाता है। पुरूषों से खाना बनवाने, बच्चों को खिलाने, घर में झाडू लगाने की अपेक्षाएं की जा रही है। बलात्कार की शिकार अविवाहित व सन्तानहीन महिलाओं

से हीनभावना त्यागकर उनके संगठनों से जुडने की अपेक्षा की जा रही है। नाम के पहले कुमारी या श्रीमती लगाने, पति के नाम को अपनाने, स्कूल में बच्चों के नाम के साथ पिता का नाम लिखवाने आदि की पुरूष प्रधान स्थिति मानकर नकारने को कहा जाता है।

ये स्थितियां महिला सशक्तिकरण के प्रतीक न बनकर समाज में विद्रोह की भावना फैलाने की कोशिश मात्र है। यह निर्विवाद सत्य है कि पुरूष प्रधान समाज में नारी उत्पीडित, उपेक्षित, असहाय व कमजोर स्थिति में है। साथ ही उसके किसी भी प्रकार के विकास, को पुरूष सहज रूप में सहन नहीं कर सकता है। पुरूष मानसिकता हर हालत में नारी से कुछ प्रभावी, शक्तिवान व प्रचारित होने की होती है। ये स्थितियां दो लिंगों के बीच परस्पर टकराव, दुर्भावना, वैमनस्य जैसी स्थिति को सृजित करने की ओर उकसाती हैं। शारीरिक दृष्टि से महिला का शरीर कोमल व सरल होता है। इसीलिए सभी शारीरिक खेलों की प्रतिस्पर्धा में पुरूषों व महिलाओं की पृथक टीम बनाई जाती है।

महिला शारीरिक दशा में एक सामान्य पुरूष से कमजोर होती है इसी लिए वह अंधकार, एकान्त व भीडभाड़ वाले वातावरण से बचने का प्रयास करती है इसी दृष्टि से महिला में भावनात्मक दृढ़ता व लड़ने के लिए जूड़ो कराटे व योग का प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा हीन भावना को त्यागने की सलाह दी जाती है। जो महिलाएं शैक्षणिक व व्यावसायिक क्षेत्र में शिखर की ओर अग्रसर हो जाती है, उनमें दृढ़ता व आत्मविश्वास जाग्रत होने से नेतृत्व की भावना स्वतः जाग्रत होने लगती है। इसके विपरीत पति के ऊपर आर्थिक रूप से आश्रित महिला में आत्मनिर्भरता की भावना प्रायः कम विकसित हो पाती है। ऐसे वातावरण में भी कई महिलाएं अपनी अग्रणी भूमिका को बनाने में सफल हो जाती है।

महिलाओं के पिछड़ेपन तथा पुरूष के प्रति छोटा समझने के कारण धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक परम्पराओं से ओतप्रोत होते हैं। अशिक्षा व अज्ञान के कारण प्राचीन परम्पराओं व रीति रिवाजों को तोड़ पाना सामान्यतया महिला के लिए कठिन होता है। महिलाओं के सशक्तीकरण के नाम पर नगर पालिकाओं व पंचायती राज संस्थाओ में कानूनी रूप से तीस प्रतिशत आरक्षण देने पर महिलायें

उन पदों पर आसीन हो जाती है परन्तु उनके पति या रिश्तेदार उनके दायित्वों का निर्वाह करते हैं। इसे एक संक्रमण काल भी कह सकते हैं क्योंकि पुरूष भी विभिन्न पदों पर पहुंचकर अन्य लोगों की सहायता से कार्य संचालन करते है। उनमें बहुत सी बातें समझने की क्षमता न होने से हीन भावना आ जाती है, इसलिए शिक्षा व रोजगार के अवसरों से विसंगति दूर होना संभव है।

लाम्बा एस.सी (2001) ने मानवाधिकार और पिछड़ा वर्ग में दर्शाया है कि समाज में महिलाओं को अर्धागिंनी, बैटरहाफ, गृहलक्ष्मी, वित्तमंत्री आदि आदर सूचक शब्दों से सम्बोधित किया जाता है किन्तु पितृसत्तात्मक समाज में दोहरे मानदण्ड अपनाए जाते हैं और सामान्य स्वरूप में समाज में उनकी स्थिति पिछड़ी हुई है। आपराधिक न्याय प्रशासन में महिलाएं पीड़ित, गवाह व अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत होती है। विभिन्न नारी आन्दोलन के प्रभाव से महिलाओ में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। पुलिस अधिकारियों को महिला मामलो में तीन मोर्चो से लगने वाले बलों को सन्तुलित करना पड़ता है।

पुलिस को महिला संगठनों पर सख्ती वाले कानूनों, आन्दोलनकारियों के प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण तथा मानवाधिकार के बढ़ते प्रभाव से समुचित व्यवहार करना होता है। पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं के उत्पीडन, पर्याप्त सुरक्षा का अभाव तथा महिला पुलिस के अभाव में पूछताछ को प्रचार माध्यमों द्वारा प्रसारित करने से प्रशासन व जनता में तीव्र प्रतिक्रिया होती है। प्रायः महिलाओं के प्रति हिंसात्मक अपराध दर्ज किए जाते हैं जिनमें बलात्कार, लैंगिक शोषण शारीरिक हिंसा, अपहरण, प्रलोभन, मौखिक दबाव आदि स्थितियां मुख्य होती है महिलाओं की हत्या के पीछे अवैध संबंध होना पाया जाता है।

घरेलू हिंसा में पति द्वारा पत्नी का उत्पीडन, विधवा से धोखाधड़ी व अन्य अपराध मुख्य कारण पाए जाते हैं। सामाजिक अपराध में कन्या भ्रूण हत्या, लडकी के जन्म होने पर मार देना या फैंक देना, लडकियों से छेड़छाड़ व वधू को दहेज व अन्य कारणो से प्रताड़ना आदि। ये सभी अपराध मिश्रित स्वरूप के होते हैं जहां कुछ घटनाएं वास्तव में घटित होती है और कुछ को केवल परेशान या बदला लेने के लिये किया जाता है। इनमें बहुत सी महिलाएं हत्या के आरोप में गिरफ्तार की

जाती है। कुछ महिलाएं डकैती गिरोह के समूह में शामिल होती है और पकड़े जाने पर उन पर न्यायिक प्रक्रिया आरंभ की जाती है। पुलिस द्वारा इन महिला अभियुक्तों से निपटना कठिन कार्य होता है क्योंकि ये अपराधी महिलाएं पुलिस पर विभिन्न प्रकार के झूठे आरोप लगाकर मामलों की दिशा बदलने का प्रयास करती है।

1.3 शोध प्रबन्ध के उद्देश्य :

देश में साक्षरता की वृद्धि, मानव अधिकारों के संबंध में जागरूकता तथा प्रचार माध्यमों द्वारा विभिन्न प्रकार के मानवाधिकारों के हनन के प्रसार द्वारा घटना की जानकारी शीघ्रता से प्राप्त होने लगी है। इन प्रकरणों में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने की बाध्यता से कुछ कार्यवाही होने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम मामले प्रकाश में आ पाते हैं और जो मामले उजागर होते हैं उनमें मानवाधिकारों के अत्यधिक उल्लंघन व बर्बरतापूर्ण कृत्यों की जानकारी मिलने से जनता में आक्रोश व्याप्त होता है। इसी क्रम में जातीय पंचायतों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बेतुके निर्णयों द्वारा कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

प्रभावित व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं के समक्ष गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और उन्हें न्यायालय में जाने व मामला दर्ज कराने पर अनेक प्रकार की चेतावनी व जाति से निष्कासन के भय दिखाए जाते हैं। इन सभी स्थितियो में पीड़ितों को न्याय दिला पाना बहुत दुष्कर कार्य होता है। कहीं प्रभावशाली व्यक्तियों या उनके बच्चों के आपराधिक कृत्य में शामिल होने पर पीड़ित पक्ष को केस न करने जैसी चेतावनी या लालच दिए जाते हैं। इस प्रकार सरकार व प्रशासन को स्थिति की गंभीरता देखकर तत्परता से कार्यवाही करनी आवश्यक हो जाती है। मानवाधिकार हनन की घटनाएं केवल प्रकाशित व प्रकरण दर्ज कराने तक ही ज्ञात होते हैं जिनमें से सत्य या असत्य होना निर्णय से ही ज्ञात होता है।

बहुत से मानवाधिकार हनन के प्रकरण सरकारी तंत्र से संबंधित होते हैं जिनमें अधिकारियों या कर्मचारियों के दोष का पता चलने पर कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया आरंभ की जाती है। इन प्रकरणों में महिलाओं के प्रति सामूहिक बलात्कार, उत्पीड़न, थाने व जेल में शारीरिक शोषण की घटनाएं प्रकाश में आने पर उग्र रूप धारण कर लेती है। सामाजिक व आर्थिक स्थिति के मानवाधिकार हनन के मामले

दहेज, उत्पीडन आदि से संबंधित होते हैं, जो कई मामलो में व्यक्तियों को फंसाने या धन हड़पने के उद्देश्य से किए जाते हैं। ऐसे मामलों में विधिक सलाह देना व मामले को जटिल व गंभीर बनाना स्थितियों पर निर्भर करता है।

इन सभी स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार, महिला अधिकारों के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन विषय के अन्तर्गत शोध प्रबंध कार्य आरंभ करने के पूर्व उदृदेश्य निर्धारित किए गए, जिनका महिलाओं के अधिकारों को केन्द्रित कर निर्धारण किया गया है। इनमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों के संबंध में किये गए प्रयास, भारत सरकार द्वारा कानून बनाने व उन्हे क्रियान्वित करने में सरकारी तंत्र की भूमिका सहित विभिन्न पहलुओं का समावेश करते हुए निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य निर्धारित किये गऐ हैं –

(1) मानवाधिकारों के बारे में राजस्थान राज्य की महिलाओं की जागरूकता और उनके अधिकारों पर प्रतिबंध या उल्लंघन होने की स्थिति में सरकार, प्रशासन व न्यायपालिका द्वारा किये गये प्रावधानों की समीक्षा।

(2) महिलाओं के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किये गए उपाय तथा इन व्यवस्थाओ में शिथिलता व उल्लंघन की स्थितियो की समीक्षा व समस्याओं के निराकरण के उपाय।

(3) राज्य के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश को प्रभावित करने वाले कारण तथा उनके प्रभावी निराकरण के उपायों की समीक्षा एवं विश्लेषण करना।

(4) महिला अधिकारों के उल्लंघन के कारण उत्पन्न समस्याओं पर चिन्तन व समाधान के प्रभावी उपायों की समीक्षा,

(5) महिला अधिकारों के उल्लंघन होने पर महिला संगठनों व स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका की समीक्षा,

(6) राजस्थान की महिलाओं को मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने व उल्लंघन होने पर प्रभावी भूमिका का सुझाव व समीक्षा।

1.4 शोध प्रबंध की परिकल्पना :

राजस्थान में भौगोलिक व प्राकृतिक कारणों से अकाल की स्थिति व पानी की कमी से जन जीवन अत्यन्त कठिन है तथा निर्धन वर्ग पर इसका प्रभाव भी अधिक पड़ता है। इसके साथ ही महिला शिक्षा व मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के अभाव में जन सामान्य विशेषकर महिलाओं को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्राचीन सामन्ती पृष्ठभूमि व प्रशासनिक तंत्र से दूरी को बनाए रखने से व्यक्ति सरकार से प्राप्त सुविधाओ की जानकारी भी नहीं रखते। इस कारण जनसंख्या विशेष कर ग्रामीण जनता और इनमें भी महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण पर्याप्त जानकारी नहीं होना भी बड़ी समस्या है।

राजस्थान में 75.11 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का तीन चौथाई है। इसके साथ ही महिला साक्षरता में राजस्थान देश के राज्यो व केन्द्र शासित प्रदेशो में अन्तिम पायदान पर है। इन स्थितियों के कारण महिलाओं को मानव अधिकारों की जानकारी होना तथा उनके उल्लंघन होने पर अपनाए जाने वाले उपायों की जानकारी अधिकांश महिला वर्ग को नहीं है। इन स्थितियो में महिलाओं के शोषण, बलात्कार व बर्बरतम कृत्यों की जानकारी प्रसारण माध्यमों से ही प्राप्त होती है तथा उन स्थितियों में जन सामान्य की प्रतिक्रिया, रोष को दृष्टिगत रखकर सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों पर निर्भर करता है।

शोध प्रबंध आरंभ करने के पूर्व विषय के संबंध में कुछ परिकल्पनाएँ तैयार की गई थी, जिसको शोध प्रबंध में अध्ययन व विश्लेषण किया गया। राजस्थान के पिछड़ेपन, सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य व मरूस्थलीय क्षेत्र मे जनसंख्या घनत्व कम होने से संचार व संवाद की ही समस्याएं विशेष रूप से व्याप्त हैं। ऐसी स्थितियो में मानवाधिकार के क्षेत्र में महिला वर्ग की स्थिति और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा के उपाय के विषय में निम्न परिकल्पनाएं की गई, जिनके आधार पर अध्ययन व विश्लेषण किया गया है। शोध प्रबन्ध की मुख्य परिकल्पनाएँ निम्नलिखित हैं :

(1) महिलाओं के मानवाधिकार परिवार, समाज व शक्तिशाली वर्ग की कृपा पर निर्भर करते हैं जो कभी भी महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध करने से नहीं चूकते। ऐसे लोग महिलाओं को न्याय प्राप्त करने के मार्ग में भी बाधक होते हैं।

(2) महिलाओं के प्रति समाज के सोच में बदलाव नहीं आया है और एक बड़ा वर्ग महिलाओं को उपयोग की वस्तु मानता है। ऐसे वातावरण में उनके मानवाधिकार सुरक्षित रह पाना संदिग्ध ही रहता है।

(3) बहुत सी जातीय पंचायतें व धर्मगुरू महिलाओं के शारीरिक, मानसिक उत्पीडन को गंभीर अपराध नहीं मानकर आपराधिक चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। पीडित महिलाएं व उनके परिजन न्याय मांगने के लिए पुलिस व न्याय तंत्र की शरण लेने से भी घबराते हैं।

(4) साक्षरता व जागरूकता के अभाव में महिलाएं व उनके परिजन मानवाधिकारों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों की जानकारी नहीं होने से निरन्तर पीड़ित रहते हैं तथा उनके प्रति उत्पीड़न को सामान्य स्थिति व भाग्य की नियति मानकर सहते हैं।

(5) गर्भ में कन्या भ्रूण होने पर गर्भ समापन की कार्यवाही के लिए महिला को बाध्य किया जाता है तथा कन्या जन्म होने पर उसे मारने या फैंकने की साजिश भी की जाती है।

शोध प्रबन्ध में उपरोक्त परिकल्पनाओं का विश्लेषण करने परिकल्पनाओं को जांचकर निष्कर्ष निकाले गए हैं। वर्तमान समाज में महिला संगठन व स्वयं सेवी संस्थाएं उनकी मदद के लिए तत्पर रहती है तथा प्रचारतंत्र प्रत्येक घटना की तह तक जाकर पूरे तथ्य समाज व देश के सामने प्रस्तुत करता है। जनता की भीषण प्रतिक्रिया व रोष को देखकर सरकार तत्परता से कार्यवाही कर दोषियों का पता लगाने, गिरफ्तार करने व सजा दिलाने की कार्यवाही भी करती है। प्रचार माध्यमों की सक्रिय व सार्थक भूमिका से महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों की जानकारी होने पर प्रबल जनमत उग्र प्रदर्शन करके पीडित को न्याय दिलाने की कार्यवाही भी करता है।

1.3 शोध प्रबन्ध की प्रविधि :

वर्तमान शोध प्रबन्ध के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पक्ष परस्पर सम्बद्ध हैं जिनमें सैद्धान्तिक पक्ष मानवाधिकारों के बारे में विभिन्न दार्शनिकों व चिन्तकों के विचार, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के सम्बन्ध में समय–समय पर लिये गये निर्णय, जिनको हस्ताक्षरकर्ता देशों के संविधान में संशोधन कर अधिनियम बनाकर लागू किया जाता है। भारत सरकार व राज्य सरकारों से अपने अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में अधिनियम विधायी संस्था से अनुमोदन या अधिनियम बनाकर लागू किया तथा क्रियान्वयन क्षेत्र के लिए सुस्पष्ट नियम बताए हैं। व्यावहारिक पक्ष में लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता व उसके हनन पर पुलिस में शिकायत दर्ज करना व न्यायतंत्र द्वारा नियमों के प्रावधान के अनुसार दोषियों को सजा देना तथा सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना शामिल है।

शोध प्रबंध के सुव्यवस्थित अध्ययन, समीक्षा व विश्लेषण के लिए द्वितीय स्त्रोत के रूप में संसद व विधानसभा द्वारा पारित अध्धिनियम सरकार के प्रशासनिक तंत्र व न्यायपालिका की भूमिका के संबंध में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित किया गया। भारत सरकार के मानवाधिकार आयोग तथा राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अधिनियम, गठन के आदेश, कार्य प्रणाली, वर्षवार प्रगति की सूचना संबंधित स्त्रोतों से प्राप्त की गई है। इन संस्थाओं की आवश्यकता, उपयोगिता व मानवाधिकार संरक्षित करने में भूमिका की समीक्षा या विवेचना की गयी हे। ये संवैधानिक संस्थाएं केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विधायिका में पारित अधिनियम के अन्तर्गत गठित की जाती है एवं कार्य संचालन करती हैं।

महिलाओं के मानवाधिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय महिला आयोग व राजस्थान राज्य महिला आयोग के गठन हेतु पारित अधिनियम, गठन, कार्यप्रणाली आदि की सूचनाएं द्वितीयक स्त्रोत के रूप में ली गई। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त के गठन की कार्यप्रणाली की जानकारी द्वितीयक स्त्रोतों से एकत्र की गई। साथ ही राज्य सरकार द्वारा पुलिस स्टेशन पर उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की गई है। न्यायपालिका में मानवाधिकार के लिए प्रथक

अदालतें गठित की गई है, जिनमें दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही की प्रक्रिया की जानकारी भी द्वितीयक क्षेत्र से प्राप्त की गई।

प्राथमिक स्त्रोत के रूप में मानवाधिकार हनन की समाचार पत्रों व अन्य प्रसार माध्यमों से प्रसारित सूचनाएं, उनकी प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही व न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों में महत्वपूर्ण प्रकरणों की सूचना भी एकत्रित की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिकाएं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों के बारे में दिये गये निर्णय की सूचना भी एकत्रित की गई। मानवाधिकार से संबंधित संस्थाओं की कार्य प्रणाली व प्रगति की सूचना भी एकत्रित की गई तथा पुलिस में दर्ज कराये गए मानवाधिकार हनन के निवारण की प्रगति संबंधी सूचना एकत्रित की। राजस्थान राज्य महिला आयोग न्यायालयो में प्रतीक्षारत पीड़ित व अभियुक्तों के विचार जानकर सूचनाएं एकत्रित की।

समस्त द्वितीयक व प्राथमिक स्त्रोत से उपलब्ध समस्त सूचना के तारतम्य स्थापित कर व्यवस्थित रूप से रखकर पूरी सूचना का अध्ययन व विश्लेषण कर शोध प्रबंध में उपयोग किया गया। मानवाधिकार हनन के बारे में पीड़ित पक्ष व अभियुक्तों के विचारों को भी व्यवस्थित रूप में रखकर शोध प्रबंध में उपयोग किया गया। द्वितीयक स्त्रोतों से एकत्रित समस्त जानकारी का उपयोग करते समय उसका संदर्भ अंकित किया गया जिससे शोध प्रबन्ध में किये गए तथ्यों की प्रमाणिकता स्थापित हो। प्रगति प्रतिवेदनों व अन्य सूचनाओं को तुलनात्मक अध्ययन स्वरूप में स्त्रोत सहित प्रस्तुत किया गया है। व्यक्तिगत सम्पर्क से प्राप्त विचारों को उपयुक्त स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है।

1.6 अध्ययन क्षेत्र :

शोध प्रबन्ध का अध्ययन क्षेत्र राजस्थान राज्य है, जिसमें मानवाधिकार संबंधी सामान्य प्रकरण व महिला अधिकारों को विशेष सन्दर्भ के अध्ययन क्षेत्र बताया गया है। मानवाधिकारों का उद्गम भारत के संविधान, सुयंक्त राष्ट्र संघ चार्टर में मानवाधिकार संबंधी प्रकरण को लेने से उनके उद्गम, स्त्रोत व पृष्ठभूमि की जानकारी भी ली गई है। राजस्थान राज्य भारत संघ का प्रदेश है जो देश के कुल भाग का 10.41 क्षेत्र में विस्तृत होने से देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रशासनिक

दृष्टि से राज्य में 07 संभाग, 33 जिले, 192 उपखण्ड 182 नगरपालिकाएं, 244 तहसील, 248 पंचायत समितियां, 9177 ग्राम पंचायतें व 44672 गांव हैं। डूंगरपुर व बांसवाडा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिले हैं।

राजस्थान का 61 प्रतिशत क्षेत्र विशाल थार मरूस्थलीय भाग है, जो पश्चिम में स्थित है और अरावली पर्वतमाला मरूस्थल के प्रभाव को शेष क्षेत्र में बढ़ने से रोकती है। मरूस्थलीय क्षेत्र में राज्य की 39 प्रतिशत जनता निवास करती है तथा क्षष 39 प्रतिशत भाग पहाड़ी, पठारी व मैदानी है जिसमें 61 प्रतिशत जनता केन्द्रित है। राज्य के चार जिले– गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाडमेर पाकिस्तान की सीमा से जुड़े क्षेत्र हैं। यह अर्न्तराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लम्बी है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 38401 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान का 11.22 प्रतिशत है परन्तु इसमें जनसंख्या का घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है, जबकि राजस्थान का जनसंख्या का घनत्व 201 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

❖❖❖

द्वितीय अध्याय

मानवाधिकार का अवधारणात्मक विवेचन

मानवाधिकार की अवधारणा राज्य के व्यवस्थित स्वरूप अस्तित्व में आने के पश्चात्वर्ती काल से जुड़ी है। इसमें मानव व राज्य का सम्बन्ध परस्पर अन्योन्याश्रित स्वरूप में है। मानव का अस्तित्व राज्य से पूर्व काल से है परन्तु प्रमुख अर्हता जनसंख्या है, जिसके लिए राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मानव उस राज्य के नागरिक कहलाते हैं और राज्य उन्हें नागरिक होने के नाते कुछ अधिकार या शक्तियां प्रदान करता है। अधिकार एक प्रकार की शक्ति है जो किसी सम्प्रभु राज्य संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य के बिना अधिकार का कोई औचित्य या प्रासंगिकता नहीं रहती।

अधिकार मानव जीवन की ऐसी अवस्थिति है, जिनके प्राप्त होने पर मानव अपने दैनिक जीवन के समस्त कार्य निर्बाध रूप से जारी रख सकता है। उसे अपने परिवार के पालन पोषण, संस्कृति व सम्पदा का संरक्षण यहां तक जीवित रहने की सुविधा प्राप्त रहती है। अठारहवीं शताब्दी में परंपरागत रूप में मानव अधिकार को ऐसे अधिकार के रूप में माना जाता था, जो अहस्तारणीय थे तथा राज्य द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किये गए थे इन्हें प्राकृतिक अधिकार या मानव को प्रदत्त अधिकार कहा जाता था। मानवाधिकार के अर्थ व व्याख्या को दृष्टिगत रखकर मुख्य रूप से जो दो दृष्टिकोण प्रचलित थे, जिन्हें सैद्वान्तिक या दार्शनिक दृष्टिकोण तथा उपयोगितावादी या व्यावहारिक दृष्टिकोण में विभक्त किया गया था।

सैद्वान्तिक या दार्शनिक दृष्टिकोण के प्रणेता विचारक मानव अधिकारों को पांच सिद्धान्त स्वीकार करते हैं, जिनमें प्राकृतिक अधिकार सिद्धान्त की अवधारणा व्यापक एवं अन्तर्निष्ठात्मक स्थिति से सम्बद्ध है। इस सिद्वान्त के प्रणेता जॉन लॉक, थामस हॉब्स, स्पिनोजा और रेने डिस्कार्ट्स रहे। इनके अतिरिक्त जीन जेक्स रूसो, मॉण्टेस्क्यू तथा वालटेयर का भी इस विचारधारा में विशिष्ट योगदान रहा है। इन विद्वानों के अनुसार मानव होने के नाते प्राकृतिक रूप में जीवन जीने का अधिकार, सम्पत्ति रखने का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति इन

अधिकारों को राज्य द्वारा प्राप्त करता है ओर समाज इन अधिकारों की उपस्थिति को स्वीकार करता है।

विधिजन्य अधिकार के प्रणेता विचारक राज्य द्वारा विधिक स्वरूप में इन अधिकारों को नागरिकों को प्रदान किया है तथा इसका उल्लंघन करना संभव नहीं है तथा ऐसी स्थिति में विधिमान्य संस्था इन्हें प्रदान करने को सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार सामाजिक कल्याण सिद्धान्त, आदर्शवादी सिद्धान्त व ऐतिहासिक सिद्धान्त के प्रणेता विचारक प्रथक–प्रथक व्याख्या करते हुए इन्हें मुख्य रूप से नागरिकों को राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं। इनमें अधिकार का प्राप्त होना, उसका उपयोग करना तथा उपयोग के किसी बाधक तत्व के विरूद्व शिकायत कर राज्य से इन अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करना प्रासंगिक हैं।

उपयोगितावादी या व्यावहारिक दृष्टिकोण के प्रणेता विचारक मानव अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या होने की आवश्यकता दर्शाते हैं। भारतीय संविधान में इन अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में संविधान के भाग तीन में दर्शाया गया है। इन अधिकारों को नागरिकों को प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार के प्रशासन क्षेत्र की है तथा उल्लंघन होने पर न्यायालय इनको प्रदान करने में बाधक तत्वों को सजा देने की आज्ञा जारी करता है। भारत का संविधान संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में चार्टर द्वारा प्रदान करने के स्वरूप मानवाधिकारों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। यही व्यवस्था विश्व के अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों में भी लागू है।

मानव अधिकारों की अवधारणा राज्य संस्था के अस्तित्व में आने के साथ ही जुड़ी हुई थी परन्तु उनका सुस्पष्ट स्वरूप में उल्लेख नहीं होना था। पहले जब राज्य का स्थायित्व सीमित अवधि के लिए ही होता था क्योंकि युद्ध के कारण राज्य का भौगोलिक क्षेत्र परिवर्तित होता रहता था और उसके निवासी विजित राजा के नागरिक बन जाते थे। स्थायी व बड़े राज्यों के समय में ऐसी स्थितियां कम ही आती थी। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में दो विश्व युद्धों के दौरान विशाल, जनहानि, लोगों को यातनाएं, विध्वंसक गतिविधियों और युद्व के दुष्परिणामों से मुक्ति पाने के लिए ही द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई जिसमें

युद्ध रोकना विश्व समुदाय का मुख्य उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात् भी युद्ध की विभीषिका से पूरी तरह राहत नहीं मिली। परन्तु विश्व समुदाय के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1948 को पारित चार्टर में मुख्यतः उन स्थितियों के स्थाई निर्धारण का स्वरूप सोचा गया जिनकी द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर विध्वंसक गतिविधियां हुई थी तथा सेना व भूमि पर नियंत्रण अतिरिक्त मानव समूह को प्रदत्त त्रासदी के स्थाई रूप से सोचने तथा उन यातनापूर्ण घटनाओं के स्थायी निदान के प्रयास आरंभ कर दिए। जिस अमरीकी सैनिक के विमान से जापान के द्वीपों पर बम गिराए थे। उसकी स्वयं की स्थिति विक्षिप्त व्यक्ति जैसी रही।

जर्मन सेना ने विजित क्षेत्र के लोगों को लोमहर्षक यातनाएं दी थी उनसे विश्व समुदाय दहल गया था। इन कारणों से विश्व के सभी देश स्थायी शान्ति के लिए व्यवस्थायें करने पर सहमत थे और मानवाधिकारों की घोषणा उन सभी युद्ध की विभीषिकाओं का परिणाम थी। विश्व संस्था और देश युद्ध के दुष्प्रभावों को रोकने में सफल नहीं हुए परन्तु ऐसे उपाय अवश्य किए गए जिससे संघर्ष को रोकने के लिए सार्थक प्रयास किये। वर्तमान में विश्व के सभी देशों के मानवाधिकार समान रूप से प्राप्त नहीं है परन्तु हस्ताक्षरकर्ता देशों ने उन्हें अपने स्वरूप में लागू करने के प्रयास अवश्य किये हैं।

विचारधारा की दृष्टि से सैनिक शासन वाले देश तथा मार्क्सवादी विचारधारा के देश इस मानवाधिकार की व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने के पक्षधर नहीं है। सैनिक शासन प्रायः प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पलटकर स्थापित किया जाता है, जहां विद्रोह करने वाले लोगों व इस प्रकार की आशंका होने पर लोगों को मार दिया जाता है।

ऐसी स्थिति में मानवाधिकार सीमित स्वरूप में विद्यमान रहते है। ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है। इसी प्रकार की स्थितियां इस्लामिक व्यवस्था पर आधारित शासन तन्त्र की होती है, जहां धर्मगुरू शरीयत के आशय निकाल कर विभिन्न फरमान जारी करते हैं और लोगों से उनका कठोर रूप से पालन करने का निर्दोष भी देते हैं।

अवहेलना करने पर ऐसे लोगों को मृत्युदण्ड भी दिया जाता है, जिसके विरूद्ध कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता।

मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार विश्व के तथाकथित लोकतांत्रिक देशों के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार या मानवाधिकार कोई भी व्यावहारिक महत्व नहीं रखते। इस विचारधारा के अनुसार भूखे व बेरोजगार व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब शोषण, बेरोजगारी व भूख से स्थाई रूप से मुक्ति मिले। इस विचारधारा के अनुसार लोगों को यह दर्शाया जाता है कि भूख व बेरोजगारी से मुक्ति मिल गई ओर उनका शोषण समाप्त हो गया है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया जा रहा है और भोजन प्रदान किया जाता है। इस व्यवस्था में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लुप्त रहती है तथा व्यवस्था के विरूद्ध आवाज उठाते ही व्यक्ति या समूह को जेल में डाल दिया जाता है।

इसके विपरीत प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में मानवाधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किए जाते हैं तथा उनके हनन को रोकने के लिए प्रशासनिक व न्याय तंत्र व्यवस्थित रूप से कार्य करता हैं। ऐसी व्यवस्था में प्रचारतंत्र पर कोई रोक नहीं लगाई जाती और समस्या की जड़ तक पहुंचकर पूरा प्रसंग प्रसारित किया जाता है। प्रचार माध्यम वर्तमान में इतने सक्रिय व विकसित हैं कि विश्व के किसी भाग में घटित स्थिति की जानकारी शीघ्रता से विश्व समुदाय तक पहुंच जाती है। यह विचारधारा का अन्तर स्वाभाविक है तथा मार्क्सवादी विचारधारा या सैनिक शासन के देश भी स्थायित्व आने पर कुछ अधिकार प्रदान करते रहते हैं विश्व भर की स्थितियां विभिन्न प्रतिबंधों के उपरान्त भी ऐसे देशों में पहुंचती है तथा जनता कुछ बदलाव की अपेक्षा करती है।

प्रत्येक देश अपनी शासन व्यवस्था को सबसे उपयुक्त मानता है किन्तु जहां शासन व जनता विचारधारा स्वरूप में एकमत होते हैं, वहां मानवाधिकार मुखरित होते प्रतीत होते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के सबसे तीव्र प्रवर्तक चीन में काफी तरक्की की है, जो विश्वभर में अपनी वस्तुओं को सस्ता बनाकर भेजता है परन्तु वहां का व्यक्ति विश्व के देशों में निकलकर भी अपने देश की समस्याओं का वर्णन

नहीं कर सकता। पश्चिमी देशों में नागरिक अधिकार व खुशहाली देखकर वे लोग आश्चर्य करते हैं परन्तु चर्चा करने में प्रायः केतराते हैं क्योंकि वे लोग प्रायः डरे व सहमे रहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण से चीन के प्रयास सराहनीय हैं परन्तु लिंग असन्तुलन की व्यापक समस्या एक बच्चे को पैदा करने के अधिकार के कारण हुई है।

इन सभी स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार एक सुसभ्य समाज की अवधारणा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति व व्यक्ति समूह को उत्पीड़न व यातनाओं से मुक्त जीवन यापन का अधिकार है। मानवाधिकारों की अवधारणा बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए है तथा सामान्य अर्थ में इसका तात्पर्य उन अधिकारों से है, जो मानव जाति के विकास के लिए मूलभूत है तथा मानव होने के नाते प्रदान किए गए हैं। मानव द्वारा मौलिक तथा असंक्राम्य अधिकारों को सामान्यतः मानव अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार मानव के अस्तित्व से ही उससे संबंधित है और जन्म के समय से ही प्राप्त हो जाते हैं। मन, वाणी और कर्म की स्वतंत्रता मानव वर्ग का प्राथमिक अधिकार है। इन अधिकारों के अभाव में मानव घुटन सी महसूस करता है तथा उसकी सोचने व विचार करने की शक्ति क्षीण होने लगती है।

विश्व का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसने मानव अधिकारों का हनन नहीं किया हो। द्वितीय विश्व युद्ध में दो तानाशाही तंत्रों ने जबरदस्त नरसंहार किया। इस अवधि में साठ लाख यहूदियों को मार डाला गया। अमेरिका ने भी जापान के दो द्वीपों नागासाकी व हीरोशिमा पर अणुबम बरसाए जिससे भी भीषण जनहानि और समीपवर्ती वातावरण पर गंभीर व दूरगामी परिणाम पड़ा। वर्तमान में विश्व में आतंकवादी व विनाशकारी घटनाओं के बढ़ने के कारण विश्व समुदय के सामने भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। संयुक्त राष्ट संघ द्वारा 1945–2004 को मानवाधिकार दशक घोषित किये जाने की अवधि में कई देशों में भीषण नरसंहार हुआ।

वर्तमान विश्व समुदाय में जिस प्रकार एक मानव दूसरे मनुष्यों के अधिकारों के हनन में संकोच नहीं करता, उससे गंभीर समस्याएं होती जा रही है। मानव अधिकारों के निरन्तर हनन के पीछे मानव का गिरता हुआ व्यक्तित्व एवं

नैतिक स्तर है। समृद्वि बढ़ने के साथ मानव अपने अधिकारों के उपयोग के साथ दूसरे के अधिकारों का हनन करने में कोई संकोच नहीं करता तथा कर्तव्यों के प्रति कोई विचार करने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं करता। मानवाधिकार हनन की घटनाएं समाज की सुख व शान्ति को नष्ट करने पर तुली है और सरकारी तंत्र भी मूक दर्शक होकर उन्हें देखता रहता है। इस प्रकार की घटनाएं विश्वव्यापी है परन्तु कुछ क्षेत्रों में गम्भीर समस्या की स्थिति बनने लगी है।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संस्थागत प्रयत्नों के उपरांत भी विश्व में मानवाधिकार की स्थिति सन्तोषजनक नहीं मानी जा सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या मानव अधिकारों से वंचित है। मानव जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवित रहने का है परन्तु विश्व में आज भी लगभग 80–90 करोड़ भुखमरी की समस्या से जूझ रहे हैं तथा वे देश व विश्व संस्था कोई स्थाई हल निकालने की ओर प्रयास नहीं कर रही। सोमालिया में भुखमरी, इथोपिया में अकाल, सूडान, फिलीस्तीन व कई अफ्रीकी देशों में भुखमरी व कई विकासशील देशों में गरीबी, यूगोस्लाविया में गृह युद्व तथा ईराक व टर्की में आतंककारी संगठनों का युद्ध जारी रहने से विश्व समुदाय के समक्ष तेल संकट बढ़ने की आशंका है।[1]

2.1 भारत में मानवाधिकार :

भारत का संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत स्वरूपों व सामूहिक स्वरूप में कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया है और जिनको न्यायालय भी संरक्षण प्रदान करता है। इन मौलिक अधिकारों में प्रथम समानता का अधिकार है, जिसके अन्तर्गत कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान माना गया है जिसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान का कोई भेद नहीं रखा जा सकता। इसके अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने में वर्णित योग्यता व अनुभव के अतिरिक्त किसी प्रकार का भेदभाव को वर्जित माना गया है।

समानता के अधिकार के क्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कुछ स्थितियों में महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह नागरिकों को समानता के अधिकार का उल्लंघन है। यह आरक्षण उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा व रोजगार क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य इन वर्गों को विरासत में मिले निम्न स्तर को समाज की मुख्य धारा में लाना है और इस स्थिति को समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार नगरीय संस्थाओं व पंचायत प्रणाली के तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति, जनजाति के अतिरिक्त महिलाओं को तीस प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। जो अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य श्रेणी में महिलाओं का आरक्षण उसी सीमा तक स्वीकार करता है और इससे आरक्षण में वृद्धि नहीं होगी।

दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का है जिसमें बोलने, विचारों की अभिव्यक्ति, समूह में एकत्रित होने, संगठन या संघ बनाने, किसी स्थान पर कार्य या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस श्रेणी में देश की सुरक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ अपवाद है जिनका पालन करना आवश्यक है। बोलने या विचारों की अभिव्यक्ति से समाज में घृणा फैलाना धार्मिक, वर्गगत नस्लीय आदि कारणों से किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना या दुर्व्यवहार करना स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है। किसी पुस्तक, कहानी लेख आदि के माध्यम से किसी वर्ग का या धर्म के प्रति घृणा फैलाना व उन्माद सृजित करना भी वर्जित किया गया है।

स्वतंत्रता के अधिकार में आन्तरिक व बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हुए मौलिक अधिकार के भाग नहीं रखे गए हैं। इसी कारण किसी देश या समाज के प्रति दुर्भावना या दुराचरण को भी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से पृथक रखा गया है। इसी प्रकार सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित धारा 144 लगाकर चार व्यक्तियों से अधिक लोगों को एक स्थान पर जमा नहीं होने देना इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसी प्रकार नैतिकता की सीमा लांघने वाली अभिव्यक्ति व व्यवहार स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसी प्रकार

सुरक्षा व दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार की श्रेणी का भाग नहीं बन सकता।

तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरूद्ध अधिकार है जिसमें सभी प्रकार का बलपूर्वक श्रम लेना, बाल श्रम तथा मानव तस्करी को छोड़कर मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। देश में अंग्रेंजों राजे रजवाड़ों व सामान्तशाही में लोगों से बेगार लेने की प्रथा थी तथा ऐसे लोग इस व्यवस्था को विरूद्ध कुछ बोल पाने में असमर्थ है। सबल व निर्धन के स्वरूप में बेगार प्रथा स्वतंत्रता के पश्चात भी जारी रही। बच्चों के लिए श्रम कार्य 14 वर्ष की आयु तक प्रतिबंधित है परन्तु बहुत से उद्योग व व्यवसाय क्षेत्र बच्चों को कार्य पर लगाकर कम मजदूरी में कार्य सम्पादित करा लेते हैं। बहुत से विकसित देश बाल श्रम कराने वाले देशों की उत्पादित वस्तुएं नहीं खरीदते इसलिए प्रत्येक देश को इन सभी व्यवसायों के प्रति जागरूक रहना पडता है।

सरकार ने कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करदी है जिसे मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रतिवर्ष बढा दिया जाता है। इस न्यूनतम मजदूरी की निर्धारित दर से कम देना वर्जित है और इसकी जानकारी होने या शिकायत होने पर सही पाए जाने पर नियोक्ता को सजा दी जा सकती है। प्रायः होटल उद्योग धंधो, ढाबों, साइकिल रिपेयर जैसे कार्यो में बालको को रोजगार दिया जाता है जिससे नियोक्ता को कम मजदूरी देनी पडती है। बहुत से उद्योग जहां बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडता है, उनकी सजा अधिक होती है। पटाखे बनाने की फैक्ट्री में जीवन का खतरा रहता है जहां बच्चों को कार्य पर लगाया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रो में बहुत से सामाजिक, सांस्कृतिक व दुर्घटना, आर्थिक कारणो से ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। इसमें व्यक्ति की बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु भोज, बच्चो का लड़की का विवाह इनमें साहूकार महंगी दर पर ऋण प्रदान करते हैं। इन लोगों को बैंको से ऋण नहीं मिलता तथा इसके लिए खेत या मकान गिरवी रखना होता है। कई बार रोजगार कार्यालय में अनुदान व ऋण से भैंस, टयूब वैल आदि साधन मिल जाते हैं जो गरीबी रेखा से

नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही देय होता है। साहूकार किसी वस्तु को गिरवी रखने के पश्चात भी ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देता है जो दस प्रतिशत प्रति माह तक होती है। इसमें यह व्यवस्था भी है कि यदि परिवार का सदस्य साहूकार के घर मुफ्त में कार्य करे तो ऋण माफ हो जाता है और केवल मूलधन ही चुकाना पड़ता है।

इस प्रकार बेगार, बाल श्रम के अतिरिक्त मानव तस्करी एक बड़ा व्यवसाय बनता जा रहा है। जहां लड़कियों व महिलाओं को पकड़कर वेश्यावृति, नौकरी या अन्य कार्यो के लिए बेच देते हैं। इसी प्रकार मजदूरी के लिए खाड़ी देशों में ठेकेदार लोगों का पासपोर्ट व यात्रा पत्र बनवाकर ले जाते हैं तथा सभी पत्र, दस्तावेज अपने पास रखकर इनसे अधिक समय काम लेते हैं और कम मजदूरी देते हैं। ऐसे लोग अन्य किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र भी होगे तथा आठ–दस मजदूरों को एक कमरे में रखकर इनको घर भेजने के लिए थोड़ा धन देते हैं जिससे ऐसे व्यक्ति इन ठेकेदारो के साथ जुडे रहे। इन कारणो की जानकारी व यातनाओं की जानकारी सरकार को नहीं मिलने या कोई गंभीर शिकायत नहीं होने तक ऐसी स्थितियो की और ध्यान नहीं दिया जाता।

इन स्थितियो के अतिरिक्त कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जहां गरीब परिवार के मुखिया की आकस्मिक या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कम आयु के लड़के व लड़कियो को छोटे या घरेलू कार्य करना आवश्यक हो जाता है परन्तु नियोक्ता इसका शोषण करते हैं और बाल मजदूरी प्रतिप्रतिबंधित होने पर भी कम मजदूरी में काम कराते हैं। यह एक विपरीत सामाजिक स्थिति है क्योंकि देश में ऐसे परिवारो के जीवन की सुरक्षा व जीवन यापन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होती। इस प्रकार के बच्चों के कार्य पर रखने पर नियोक्ता उनकी मजदूरी का लाभ उठाते हैं और सुरक्षा के बदले यह विपरीत स्थिति बन जाती है जिसे स्वीकार करना गरीब परिवार की एक मजबूरी बन जाती है।

चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने, धर्म में आस्था रखने, धार्मिक संस्था से जुडने धर्म का प्रचार करने, धर्म कार्य के लिए निस्वार्थ एवं मुफ्त सेवाएं देने का भी अधिकार

है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश होने के कारण सभी नागरिकों को किसी धर्म को अपनाने, उसमें आस्था रखने और अन्य लोगों की उस धर्म से जोड़ने के लिए कार्यवाही करना भी शामिल है। यह अधिकार धर्म के प्रति आस्था रखने, धर्म का प्रचार करने व नागरिकों को उस धर्म से जोड़ने की स्वतंत्रता प्रदान करता है किन्तु किसी प्रलोभन, नौकरी या अन्य सुविधाएं देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना अपराध की श्रेणी में आता है।

स्वतंत्रता से पूर्व मुस्लिम साम्राज्य काल में महिलाओं व लड़कियों का बलपूर्वक अपहरण कर उनका धर्म परिवर्तन करने व विचार करना व्यापक पैमाने पर किया गया था। आक्रामक भारत में अपनी सेना लेकर आए थे परन्तु यहां बसने के कारण जबरन या प्रलोभन के आधार पर व्यापक पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया था। इसी प्रकार रोजगार देने व सेना में भर्ती के लिए भी धर्म परिवर्तन किया जाता था। भारत के पाकिस्तान व बांग्लादेश के विभाजन के पश्चात भी बड़ी संख्या में मुस्लिम जनसंख्या का होना इसी जबरन धर्म परिवर्तन का परिणाम था। इसी प्रकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी देश में व्यापार करने के लिए आई थी, उसने भी व्यापक धर्म परिवर्तन किया।

आज उत्तर पूर्व के राज्यो में ईसाई जनसंख्या साठ से नब्बे प्रतिशत तक होना यही दर्शाता है, जिसमें मिशनरियों की सहायता से शिक्षा व प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तन किया गया। देश के आदिवासियों व गरीब परिवारो का व्यापक पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया तथा अंग्रेजो के जाने के पश्चात एक बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय भारतीय परिवारो का धर्म परिवर्तन कराकर बढाया गया। इतना अवश्य रहा कि इन लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबरदस्ती न करके प्रलोभन के माध्यम से अपनाया गया। अब नागरिकों को आस्था के अनुसार धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और इस कारण ईसाई मिशनरियां अपना कार्य निरन्तर जारी रखे हुए है।

संविधान में वर्णित पांचवां मौलिक अधिकारी सभी नागरिक समूह को संस्कृति, भाषा, लिपि अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने व उन्हें

संचालित करने की छूट प्रदान की है। इस क्रम में यह उल्लेखनीय है कि देश में ब्रिटिश काल में अंग्रेजी का प्रचलन उच्च व शिष्ट वर्ग में कराने से आज इस भाषा की महत्ता बढ़ी है। प्रायः उच्च शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा व राज्य कार्य की भाषा अंग्रेजी होने से कई भाषा भाषियों को एतराज नहीं है परन्तु राष्ट्र भाषा के सपने हिन्दी को स्वीकार करने की जिद सी बन गई है।

यह निर्विवाद सत्य है कि अंग्रेजी का महत्व पश्चिमी देशों में अधिक है और उन देशों में जाने, रहने, अध्ययन करने का रोजगार करने के लिए अंग्रेजी को व उस देश की भाषा का लिखना, पढना व बोलना आवश्यक है। क्षेत्रीय भाषा भाषियों के प्रतिशोध के कारण केन्द्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी, अंग्रेजी के साथ क्षैत्रीय भाषा को भी जोड़ा गया है। विगत लोकसभा चुनाव में कई पार्टियों को हिन्दी में पोस्टर छपवाने पड़े जिससे हिन्दी भाषी भी उन्हें अपना वोट प्रदान करें।

भारत में बहुत सी भाषायें व बोलियां है तथा एक भाषा की बोली कुछ दूरी के अन्तराल से ही परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए अपनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उसके प्रणेता पुस्तक छपवाना, लेख आदि प्रकाशित कराना व फिल्म अन्य प्रान्तों को भेजना, सांस्कृतिक दलों को विभिन्न राज्यों व विदेश भेजना उपयुक्त व आवश्यक मानते हैं जिससे उस भाषा का प्रचार प्रसार होता रहे। धार्मिक व भाषायी आजादी के कारण प्रत्येक शहर में मिशनरियों द्वारा संचालित संस्थाओं के अतिरिक्त विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रसार का वातावरण बना रखा है और इससे उन्हें अधिक संख्या में विद्यार्थी मिलते हैं।

मुस्लिम भाषा की शिक्षा के लिए मदरसे स्थापित करने की व्यवस्थाएं है जिसमें अधिकांश सरकार द्वारा सहायता से संचालित है। उच्च स्तर पर कालेज व विश्वविद्यालय भी मुस्लिम नाम से स्थापित है। विगत वर्षो में आतंकवाद की समस्या में वृद्धि होने, कुछ आशंकायें बढ़ गई है, पाकिस्तान में मदरसों में यह पाया गया कि इनें घर से परेशान छात्र अध्ययन करते हैं जिन्हें आतंकवादियो ने विधिवत प्रशिक्षण देकर व भारत व पश्चिमी देशों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भेजना आरंभ किया। ऐसी घटनाएं तेजी से फैल रही है इस कारण मदरसों की गतिविधि पर दृष्टि रखना आवश्यक है क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पर सरकार

से मिलने वाली राशि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य गतिविधियो में व्यय नहीं की जावे।

छठा मौलिक अधिकार सभी पांचों मौलिक अधिकारों के पालन व लागू करने में आने वाली बाधाओं व अवरोधों को रोकने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकार मिलना और उनकी रक्षा होना महत्वपूर्ण है जिनकी पालना में बाधा आने पर प्रशासनिक तंत्र का उत्तरदायित्व निर्धारण होता है और न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की उपलब्धि व सुरक्षा बनाए रखनी आवश्यक है। न्यायालय जिला से देश स्तर का इन प्रकरणो पर सुनकर निर्णय देते हैं तथा मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र को समुचित निर्देश देते हैं। इस दृष्टि से उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर बहुत ही वैधानिक स्थितियों को सुनिश्चित करने के समय– समय पर निर्देश दिये गए।

इस दृष्टि से किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार करने पर उसे कारण बताना आवश्यक है तथा चौबीस घंटे से अधिक समय तक न्यायालय से प्राप्त आदेश के बिना रखना अपराध है। मानवीय अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस स्टेशन पर गंभीर पिटाई से अपंग व मृत्यु होने पर इसे अपराध मानकर पुलिसकर्मी के विरूद्ध मामला चलाया जाता है। किसी महिला को अपराध के जुर्म में गिरफ्तार करने पर महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति में तलाशी या रिपोर्ट बनाई जाती है। किसी महिला को अपराध में गिरफ्तार करने पर शारीरिक या मानसिक यातना, दुष्कृत्य आदि की सूचना प्रसारित होने पर पुलिस कर्मियों को सजा दी जाती है।

अभियुक्त को हथकड़ी नहीं लगाने व शारीरिक दण्ड देने जैसे निर्ममता जघन्य कृत भी वर्जित हैं, जिनकी जानकारी मिलने या मृत्यु होने पर ही पुलिस बल की समस्या बढती है। ये समस्त स्थिति के मानवाधिकार के अन्तर्गत प्रदान की गई है। भूख से थाने में मृत्यु होने पर पुलिस दल को सजा देने का भी प्रावधान है। इन मानवाधिकारों के कारण पुलिस कर्मी भी पुलिस स्टेशन पर अपनी भूमिका जागरूक रहकर व्यवस्थित रूप से करते हैं। जेल में यातना देने के विरूद्ध भी नियम बनाए गये हैं जिसमें अवैध सामग्री जेल में पहुंचाने व कैदी की मृत्यु की घटनाएं ही

उजागर हो पाती है। इन सूचनाओं में भी प्रचार तंत्र की महती भूमिका रहती है जो खबरे जुटाकर पुलिस को असमंजस में डाल देते हैं।

सम्पत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रखकर साधारण अधिकार बना दिया है। फिर भी यह सुनिश्चत किया गया है कि अल्पसंख्यकों की संख्या स्थापित करने व प्रशासन का शिक्षा प्रदान करने के अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सम्पत्ति के अधिकार की मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक साधारण अधिकार रखने की ही संवैधानिक परिवर्तन नहीं आता है। केवल अधिकार रखना इसकी अधिग्रहण की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर किया गया है। इसके उपरान्त भी व्यक्ति या संस्था को भूमि खरीदने, भवन बनाने की स्वतंत्रता यथावत जारी है।[2]

2.2 मौलिक कर्तव्य

संविधान के बयालीसवें संशोधन के माध्यम से 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को नागरिकों की पालना के लिए जोड़ा गया। संविधान के भाग चार–क में अनुच्छेद 51क के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को रखा गया जिनमें नागरिकों से अन्य बातों के अतिरिक्त संविधान को स्वीकार करने और उसमें वर्णित निर्देशों की पालना करने के साथ उच्च आदर्शो को स्वीकार करने व पालन करने की आवश्यकता दर्शाई गई है। जिन्होने नागरिकों को स्वतंत्रता आंदोलन में सही रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसमें देश की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित माना गया।

इसके साथ ही धार्मिक व भाषाई मतभेद भुलाकर देश के लिए समान भाईचारे की भावना जागृत करने तथा क्षेत्रीय व अन्य विविधताओं में बंटने के बदले एकजुट होकर कार्य करने की अपेक्षा दर्शाई गई है। यह व्यवस्था देश में आपातकाल जारी होने की अवधि में पारित किया गया था जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य देश को विखण्डित करने वाली शक्तियों से सावधान रहने व एकजुटता का परिचय देना आवश्यक माना गया था। यह व्यवस्था विश्व के प्रजातांत्रिक देशों

में लागू है जिसके अन्तर्गत आवश्यकता पडने पर देश की ओर से युद्ध में भाग लेने पर व विघटनकारी शक्तियों को निष्क्रिय करना मुख्य उद्देश्य माना गया था।[3]

2.3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व

संविधान में वर्णित नीति–निर्देशक तत्व कानूनी मान्यता नहीं रखते है परन्तु देश के मौलिक शासन व्यवस्था के लिए उपयोगी माने गये हैं। देश के सभी राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि इन सिद्धान्तों को जनहित में कानून बनाकर लागू करें। इनमें राज्यों को विभिन्न दायित्व सौंपे गये हैं जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करें। राज्यों को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिनसे पुरूषों व महिलाओं को जीवन निर्वाह के साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करें। जितने राज्य अपनी आर्थिक क्षमता व विकास की दृष्टि से संभव कर सकें। इसमें कार्य का अधिकार शिक्षा का अधिकार व बेरोजगारी की स्थिति में समुचित सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन, बीमार, अपंग और ऐसी स्थितियों के व्यक्तियों को सुचारू रूप से जीवन यापन करने की व्यवस्था करें। राज्य का यह भी दायित्व है कि मजदूरों को जीवन निर्वाह योग मजदूरी सुनिश्चित करें। कार्यस्थल पर मानवीय स्थितियां उपलब्ध करावें जिसमें सभी आवश्यक मानवीय सुविधाएं सुनिश्चित करना आवश्यक माना गया है।[4] मजदूरों के उन्नत जीवन स्तर जुटाने के लिए प्रयास करने तथा मजदूरों की उद्योगों के प्रंबध में भागीदारी भी सुनिश्चित रहे। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का यह दायित्व है कि नीतियों को इस प्रकार निर्देशित करे जिससे स्वामित्व नियंत्रण व्यवस्था को समुदाय के सभी भौतिक संसाधनों को समान हित स्थापित करने के साथ यह भी सुनिश्चित करें कि धन व उत्पादन के साधनों का किन्ही क्षेत्रों या वर्गो तक केन्द्रीकरण न बने।

बच्चों के स्वस्थ जीवन बिताने के लिए आवश्यक सुविधाओं का सृजन करे तथा 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जावे। इसके साथ–साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व समाज के अन्य पिछडे वर्गो को शिक्षा व आर्थिक हित सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित कराई

जावे। गांवों में पंचायत क्षेत्र संगठित करने, कार्यपालिका व न्यायपालिका के दायित्व पृथक संचालित करने, पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की जावे। राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण, समान अवसरों के आधार पर न्यायिक व्यवस्था का विस्तार करने, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने, पर्यावरण संरक्षण व सुधार, वन व वन्य जीवों की रक्षा करने के उपाय किये जायें।

भारत में आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा को बढ़ावा देने, देशों के मध्य सम्माननीय संबंध बनाने, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने, संधियों को लागू करने तथा अर्न्तराष्ट्रीय विषयों को भारत सरकार के माध्यम से लागू किया जा चुका है। वर्ष 2008 में शिक्षा का अधिकार प्रदान कर बच्चों से यह अपेक्षा की गई कि 6 से 14 वर्ष की आयु में विद्यालय में अध्ययन जारी रखे। कल्याणकारी कार्य व ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम इस दिशा में सार्थक प्रयास हैं।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत सम्मिलित विषय केन्द्रीय सरकार की पहल पर योजनाएं बनाकर व विधेयक के रूप में स्वीकृत कर क्रियान्वित किये गए। सभी राज्यों के समान संसाधनो की समस्या होने ओर केन्द्र सरकार द्वारा सुझाए गए कार्यो व योजनाओ में धन की कमी दर्शाकर क्रियान्वित करने में रूचि नहीं होने से अधिकांश कार्य केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओ के अन्तर्गत स्वीकृत किये गए जिसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान रखने पर केन्द्रीय अंशदान स्वीकृत करने की व्यवस्था की जाती है। बच्चों में कुपोषण रोकने के लिए मध्यान्ह भोजन तथा गर्भवती महिला एवं प्रसूता को पोषाहार के कार्यक्रम से जोड़ना इसी दिशा में सार्थक प्रयास है।[4]

2.4 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में अधिनियम पारित कराकर लागू किया गया जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय सूचना आयोग व राज्यों में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय व राज्य सरकार को सभी मंत्रालयों व विभागों में सूचना आयुक्त नामित किया गया जिन्हें किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र व फीस संलग्न कर सूचना 15 दिन में उपलब्ध कराने

की बाध्यता की गई। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य के निगमो व इकाईयों से सूचना उपलब्ध कराने की बाध्यता रखी गई। सभी गैर सरकारी संगठन, निकाय व स्वयंसेवी संगठन, जो भारत सरकार या राज्य सरकार से किसी प्रकार की सहातया प्राप्त करते हैं, उन्हें भी सूचना उपलब्ध कराने की बाध्यता की गई।

आरंभ में सभी सरकारी संस्थान व विभाग सूचना उपलब्ध कराने में शिथिलता बरतते थे वरना केन्द्रीय व राज्य सूचना आयोग ने इन सभी संस्थाओं को सूचना उपलब्ध कराने को आवश्यक कर दिया और समय पर सूचना न देने वाले अधिकारियों पर वित्तीय दण्ड देने की व्यवस्था की। अब सभी मंत्रालयों व विभागों की नवीनतम सूचना उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है और शेष सूचना मांगे जाने पर समयबद्व कार्यवाही के लिए निर्देश दिए जाने लगे। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को भी सूचना उपलब्ध कराये जाने की अनिर्वायता के निर्देश दिए। सूचना के अधिकार के माध्यम से जन साधारण में जागरूकता आई और वे भी अपने उपयोग की सूचना मांगने लगे।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत स्कूल व विश्वविद्यालयों में परीक्षा पुस्तिकाएं दिखाने का प्रावधान किया गया जिससे छात्र मूल्यांकन के संबंध में आश्वस्त हो सके। इसी प्रकार विश्वविद्यालयो व व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश प्रकिया को भी पारदर्शी बनाया गया जिससे किसी छात्र को नियम विरूद्व स्थान न पाने पर उस प्रकरण पर संतोषजनक उत्तर देना आवश्यक किया गया। इस प्रकार पूरा प्रशासनिक तंत्र सजग होकर कार्य करने लगा क्योंकि किसी गलती या अनदेखी पर संबंधित अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर दण्ड का प्रावधान भी किया गया। इस अधिकार के माध्यम से जनता में यह विश्वास बैठ गया कि प्रशासन उनके न्यायिक व उचित मांगों की अनदेखी नहीं कर सकता।[5]

2.5 मानवाधिकार एवं भारतीय संदर्भ :

मानवाधिकार के सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 से निरन्तर अधिकारो में उन स्थितियों को जोड़ा जहां मानवाधिकार का हनन व्यापक रूप से होता रहा। इन सभी स्थितियों के उपरान्त भी विश्व भर में मानवाधिकारों का स्तर पृथक–पृथक

रहा है। इसमें विकसित प्रजातांत्रिक देशों में मानवाधिकारों को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया तथा उन देशों की जनता भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। इसके साथ ही सत्य है कि अमेरिका जैसे विकसित व मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले देश में कोई भी व्यक्ति या छात्र तक हथियारों का इस्तेमाल कर निर्भय रूप से हत्याएं कर देता है। इन्हें सामान्य स्वरूप में मानवीय विकृति या मानव अधिकारों का दुरूपयोग ही कहा जा सकता है। अमेरिका में एक राजनीतिक व आर्थिक शक्ति के रूप में विभिन्न देशों में अपनी सेना भेज कर प्रभुसत्ता स्थापित करने का प्रयास भी किया, जिसमें नाटो देश उसका साथ देते रहे।

अमेरिका ने वियतनाम, खाड़ी के देशों, अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजने के द्वारा अपने आर्थिक एवं राजनैतिक हितों को ही प्राथमिकता थी। इसी के साथ सोवियत संघ को आर्थिक व राजनीतिक शक्ति को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन बनाकर सोवियत संघ को खंडित करने में सफलता पाई, जहां उसका उद्देश्य अपना एकछत्र प्रभुत्व स्थापित करना रही। खाड़ी के देशों में अपनी दखल बनाए रखने के पीछे उसके व्यापारिक हित निहित है जिनके लिए इन देशों का बिखराव बनाए रखना ही आवश्यक मानता है। भारत में अपना अस्तिव स्थापित रखने के लिए सोवियत संघ से सहयोग बनाए रखा जिसमें भारत के हितों के लिए सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति इस्तेमाल करने के बदले भारत के आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया।

मानवाधिकार एक सम्प्रभु राष्ट्र में ही फल फूल सकते हैं जिसके लिए देश आर्थिक, राजनीतिक विचारधारा परक मजबूती बनाए रख सके। विश्व राजनीति के प्रभाव में भारत के राजनीतिक नेतृत्व में सुरक्षा व संरचनात्मक स्वरूप में आत्मनिर्भर नहीं होने दिया और विदेशों से घटिया स्तर के शस्त्रास्त्र खरीदने जारी रखे जिससे देश आत्मनिर्भर नहीं हो सका ओर सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत नहीं बन पाया। विगत वर्षो में उजागर होने वाले भ्रष्टाचार व राजनीतिक मजबूरियों ने देश को सृदृढ़ नहीं बनने दिया, क्योंकि मिली जुली सरकारें देश हित के स्थान पर परस्पर सौदेबाजी के मामलो में व्याप्त रही। आज देश के भीतर उग्रवादियों के सशक्त

स्वरूप के सामने भारत सरकार जैसी अक्षमता दिखाते हुए उन पर काबू नहीं कर पा रही है।

देश के आन्तरिक स्वरूप में उत्तर पूर्व के सातों राज्य, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड व बिहार तक जो तत्व सक्रिय हैं उनके रहते मानव अधिकारों की सुरक्षा केवल उपहास का विषय बन रही है। ऐसी स्थिति में बाहरी शक्तियों का सामना करना, उनके आतंकवादी व विध्वंसक कृत्यों को नष्ट कर पाना गंभीर समस्या बन रहा है। इन गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों को सुनिश्चित कर पाना तथा नागरिकों के जीने के अधिकार को बनाए रखना दुष्कर कार्य है। आज आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या के रूप में सामने है परन्तु देश की आन्तरिक विस्फोटक गतिविधियों को नियंत्रित करना एवं सुव्यवस्थित रूप से नष्ट करना बहुत बड़ी चुनौती है परन्तु उस पर काबू पाना भी आवश्यक है।

इस पृष्ठभूमि में भारत के मानव अधिकारों के विशिष्ट तत्वों की विवेचना करना भी आवश्यक है, जो सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक स्वरूप में महत्वपूर्ण होने के साथ विचारधारा परक महत्व लिये हुए है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी प्राप्त कर पाना बड़ा दुष्कर कार्य था परन्तु सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे सिद्वान्तों के बल पर निहत्थे लोगों ने स्वतंत्रता अर्जित की, यह एक महान उपलब्धि है। जिसकी विश्व भर में प्रशंसा की गई। यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता के साथ देश को विभाजन की त्रासदी को भी झेलना पड़ा तथा जो नफरत व घृणा का वातावरण उत्पन्न हुआ उसके चलते कालातंर में देश को चीन के अलावा पाकिस्तान से दो युद्ध भी करने पड़े।[6]

2.5.1 गांधीवादी विचारधारा

जॉन वॉन वाण्डुरेट ने हिंसा पर विजय में यह विचार व्यक्त किया हैं कि गांधीजी ने किसी निश्चित राजनीतिक विचारधारा का अनुसरण नहीं किया, फिर भी राजनीतिक सिद्धान्त के राजनीति के व्यावहारिक क्षेत्र में उनका कार्य अत्यन्त महत्व का है। उनका योगदान सामाजिक व राजनीतिक विधि के विकास की दिशा में नहीं है परन्तु राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में पृथक स्वरूप को दर्शाता है जो

विनम्रतापूर्वक यह विचार व्यक्त करते हैं। उन्होनें दैनिक जीवन और समस्याओं पर सत्य को लागू करने का प्रयास किया है। उनके सिद्धान्त अत्यन्त विवेकपूर्ण, आध्यात्मिक तथा तत्व मीमांसा से संबंधित होने के उपरान्त भी राजनीति सिद्वान्त के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं।

गांधीजी के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक व राजनीतिक विचारों के मूल्य संस्थागत युक्तियों को प्रस्तावित करने में नहीं है किन्तु उन लोगों के लिए स्पष्ट नैतिक लक्ष्यों का प्रावधान करने में निहित है जिन्हें साकार करने की वे अपेक्षा करते हैं। आचार्य जे.बी.कृपलानी ने अपनी पुस्तक गांधीयन थॅाट में लिखा है कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है, जिनके नाम से उन्हें क्रियान्वित किया जाए। वह एक व्यावहारिक सुधारक रहे हैं। इन सभी युक्तियों के उपरांत भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों पर प्रस्तुत किये गए उनके विचार गांधीवाद की सामग्री का सृजन करते हैं। गांधीजी ने जिन आस्थाओं को आधार बनाकर देश को स्वतंत्रता दिलवाई वह राजनीति सिद्धांत में अनूठा क्षेत्र है।

गांधीजी का जॉन रस्किन की पुस्तक 'अन्टू द लास्ट' से तीन बातें सीखी जिनमें प्रथम–एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है तथा वही अर्थव्यवस्था अच्छी है जिससे सबको लाभ हो। द्वितीय–आजीविका का प्रत्येक कार्य अच्छा है तथा सभी व्यक्तियों को अपने कार्य से आजीविका अर्जित करने का समान अधिकार प्राप्त है तथा तीसरा–शारीरिक श्रम ही वास्तविक जीवन है तथा किसान व श्रमिक का वास्तविक जीवन है। गांधीजी ने रस्किन की विचारधारा के आधार पर सर्वोदय के सिद्धान्त व शारीरिक रूप के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उन्होने बुद्धि की अपेक्षा चरित्र पर अधिक बल दिया तथा आत्मिक बल को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया।

अमरीकन अराजकतावादी हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक ऑन द डयूटी ऑफ सिविल डिस ओपीनियन्स के माध्यम से असहयोग, सविनय अवज्ञा के सिद्धान्तों को गांधीजी ने प्रतिपादित किया। गांधीजी ने इस विचारधारा को इस स्वरूप में बताया कि जनहित करने वाले व्यक्ति व संस्थाओं से अत्यधिक सहयोग लिया जावे परन्तु ऐसे व्यक्ति या संस्थायें अहित के कार्य करे तो उनसे पूरा असहयोग किया जावे।

थोरो ने अमरीकी दासप्रथा का विरोध किया तथा उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रयास भी किए। गांधीजी ने थोरो से असहयोग, अहिंसक निष्क्रिय प्रतिकार, अनैतिक कानूनों का विरोध जैसे विचार ग्रहण किए तथा वे कम से कम शासन करने वाली सरकार को सर्वोच्च मानते थे।

गांधी पर टायल्सटॉय की विचारधारा का भी प्रभाव पडा तथा उनकी रचनाएं 'गोस्पता इन ब्रीफ, वाट टू डू और 'किंगडम आफ गॉड इज विदिन यू' का अध्ययन किया और यह अभिव्यक्त किया कि इन पुस्तकों के अध्ययन से उनके सशंय और नास्तिकता दूर हो गई तथा अहिंसा के प्रति उनकी आस्था दृढ़ हो गई। गांधीजी ने अत्याचार व अन्याय का शान्तिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध करने का तरीका सीखा। इन तीनों विचारकों के साहित्य का अध्ययन करके गांधीजी ने ब्रिटिश साम्राज्य की गलत नीतियों का खुलकर प्रतिकार किया जिसमें बहुत से नेताओं व समर्थकों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

गांधीजी की राज्य संस्था के प्रति विचारधारा अराजकतावादी विचारकों से मिलती जुलती रही तथा आदर्शवादी व्यवस्था में राज्य के किसी स्वरूप को स्वीकार न करने की स्थिति दर्शाती है। उनके विचार में राज्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है तथा राज्य संगठित हिंसा का प्रतीक है। उनके मत में सत्ता व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घातक है, जिसे वे आत्महीन संस्था बताते थे। वे राज्य को लोक कल्याण का सार्थक ओर सक्षम माध्यम मानने से भी इन्कार करते थे। साथ ही राज्य की अनियंत्रित, असीमित और अक्षुण्य सत्ता का समर्थन करना मानव की सभ्यता के नैतिक आधार का खुला आक्रमण है। वे राज्य की निरंकुश प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को भी स्वीकार नहीं करते थे।

गांधीजी की राज्य के कानूनों का सम्मान करते थे परन्तु उच्चतम कानून मनुष्य की अन्तरात्मा के कानून को मानते थे। उनके मत में राज्य के प्रति सापेक्ष शक्ति अराजकता के खतरे को निमंत्रण देती है। वे राज्य को एक साधन मानते थे परन्तु साध्य रूप में उसे स्वीकार किए जाने के विरूद्ध थे। उनकें विचार में राज्य व्यक्ति के लिए है परन्तु व्यक्ति राज्य के लिए न होकर समाज के लिए है। वे राज्य की सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पक्षधर थे क्योंकि केन्द्रीय शासन प्रणाली में कुछ लोग

राज्य की सत्ता को केन्द्रित कर लेते हैं। उन्होनें राज्यविहीन अहिंसात्मक आदर्शवादी समाज की कल्पना की थे, जिसमें राज्यरहित समाजवादी लोकतंत्र, स्वशासी एवं सत्याग्रही गांवों का संघ हो।

गांधीजी ने 1925 में स्वराज्य की कल्पना भारत की ऐसी सरकार से की है, जो स्त्री, पुरूष में किसी भेदभाव के बिना ऐसी वयस्क जनता के बहुमत से बनी हो, जो राज्य को अपना कम देते हैं और अपने नाम मतदाता सूची में स्वयं दर्ज करवाते हों। वे आशा करते थे स्वराज्य देश के कुछ लोगों के साम्राज्य से न आकर तब स्थापित होगा जब सभी व्यक्ति इतने सामर्थ्य वान हो जो सत्ता का दुरूपयोग होने पर सत्ताधारियों का विरोध कर सकें। इसमें जनता इतनी शिक्षित होनी चाहिए जो सत्ता का सन्तुलन व नियंत्रण कर सके। अंग्रेजों के भारत छोड़कर चले जाने को गांधीजी ने स्वरूप प्राप्ति का अंन्तिम ध्येय स्वीकार नहीं किया। वे चाहते थे कि साधारण ग्राम वासी भी यह चेतना विकसित कर सकें कि वे देश के निर्माता है और अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य का संचालन कर रहे हैं।

उनके मत में स्वराज्य संसद या विधान सभा में निहित न होकर जनता में ही निहित है। जनता सांसदों को अपना प्रतिनिधि चुनती हैं जिससे वे अपनी प्रतिनिधि जनता की भावनाओं व समस्याओं के निराकरण करने का कार्य करें। वे जनता में जागरूकता स्थापित करने। जनता यदि संसद व विधानसभाओं से पारित ऐसे कानून स्वीकार करने से इन्कार करती है जो उनकी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करते और ऐसे कानूनो के प्रति सविनय अवज्ञा द्वारा विरोध करते हैं, तो प्रशासन व पुलिसतंत्र जनभावनाओं को कुचल नहीं सकते। निर्वाचित सांसद व विधायक यह मानने लगते है कि एक बार चुने जाने पर उन्हें पांच वर्ष बाद उसी जनता के समक्ष जाना पड़ेगा।

जनतांत्रिक व्यवस्था के विकृत स्वरूप में जनप्रतिनिधि धर्म, जाति, भाषा संबंधी भावनाएं भड़काकर जनता का वोट पाने में सफल हो जाते थे और पांच वर्ष तक अपनी जनता की समस्या व परेशानियों की जानकारी के लिए उनसे मिलने व समस्याएं सुनने तक को तैयार नहीं थे। ऐसे लोगों को जनता ने हटा कर अन्य व्यक्ति को चुना जो उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहे। शासन की अन्तिम

सत्ता जनता के हाथो में निहित रहती है तथा शासन के प्रति उत्तरदायी है। इसी भावना को अंगीकार करने वाले जन प्रतिनिधि ही चुने जाने लगे हैं। लोक शक्ति में जन जागृति, जनता में आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति सुदृढ होती है।

गांधीजी ब्रिटेन, रूस या इटली की शासन प्रणाली की नकल करने के विरूद्ध थे और अपने देश की शासन पद्वति अपनी प्रतिभा के अनुसार निर्मित करने के पक्षधर थे। उनका विचार था कि भारत के प्रशासन की नीति किसी पश्चिमी देश या विकसित देश से होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी प्रशासन प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जो जन भावनाओं का अधिकाधिक कल्याण कर सके। इसलिए देश की शासन पद्वति किसी विशेष सिद्धान्त पर आधारित न रहकर अपनी प्रतिभा के आधार पर विकसित करनी चाहिए। इस दृष्टि से उन्होनें रामराज्य की संकल्पना प्रतिपादित की जो शुद्ध नैतिक सत्ता पर आधारित शासन व्यवस्था है। उन्होनें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की संकल्पना की तथा बहुमत का शासन सीमित अर्थ में ही स्वीकार किया। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना एक आवश्यक कार्य है जिसे बहुमत के अधिकारो से दबाया या नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में विचारो व कार्यो की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरा प्रश्रय मिलना नितान्त आवश्यक है। इस कारण बहुमत को अल्पमत पर अपने अधिकार थोपनें का कोई औचित्य नहीं है तथा वे ऐसे किसी विचार के समर्थक नहीं हो सकते। उन्होने अपनी कल्पना का स्थान निर्धन व्यक्तियों की स्वतंत्रता या स्वरूप में रखा है इसलिए आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं निर्धन व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिऐ जिससे वह व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन यापन जारी रख सके।

उनके विचार में बहुमत के माध्यम से गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग व समाज के उपेक्षित वर्ग को भी अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए जो इस दिशा में निर्णय कर सके। उनके विचार में स्वराज्य में कोई नाम, धर्म, नस्ल, भाषा आदि को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। स्वराज्य जितना धनी, सम्पन्न व सत्तायुक्त वाले हितों से प्रथक रखा जाना चाहिए अन्यथा समान स्थितियों में बहुमत का आधार ऐसे संवेदनशील विषयों को कभी साथ रखकर नहीं सोचना चाहिए, इससे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

गांधीजी की विचारधारा में मानव अधिकार व कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है तथा अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों को वरीयता दी। वे देश के प्रत्येक व्यक्ति के विचार और अभिव्यक्ति, संगठन, धर्म व अन्तःकरण की स्वतंत्रता समता का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार के साथ न्याय व विधिक उपचारों की उपलब्धता के पक्षधर थे। उनके विचार में मानवाधिकार व्यक्ति को उसके व्यक्तिव का सर्वागींण विकास करने व परिपूर्णता अर्जित करने के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करते हैं। उन्होनें मानवाधिकार समाज में रहकर, उसके भाग के रूप में प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया।

उनके विचार से मनुष्य की सामाजिक प्रकृति ही उसे अन्य प्राणियों से पृथक करती है इसलिए स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है तथा आत्मनिर्भरता उसका कर्तव्य है। उनकी विचारधारा के अन्तर्गत केवल धृष्ट व्यक्ति ही अपने को आत्मकेन्द्रित व सबसे मुक्त बना सकते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं को सरकार व समाज में बता सकता है क्योंकि राज्य व सरकार के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं मानता। अधिकार के साथ कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक हैं तथा अधिकारों की सुनिश्चित प्राप्ति के लिए कर्तव्य को महत्व देना व उसका पालन करना ही मानव धर्म है। अधिकारों का वास्तविक स्त्रोत कर्तव्य ही है जिनके पालन करने से अधिकार सुनिश्चित हो जाते हैं।

गांधीजी व्यक्ति के कल्याण के लिए तथा समाज के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध स्वीकार करते हैं परन्तु अन्य प्रतिबन्ध लगाने के पक्षधर नहीं थे। वे कर्तव्यों को अधिकार प्राप्ति का स्त्रोत नहीं मानते। साथ ही व्यक्ति के ऊपर कर्तव्य आरोपित करने का अधिकार भी प्रदान नहीं करते। अहिंसक लोकतंत्र में उन्होने राज्य द्वारा अधिकारों को मान्यता दिया जाना आवश्यक माना तथा कर्तव्य पालन को व्यक्ति के समर्थन की पूर्ण शर्त मानते हैं। उनकी दृष्टि में अधिकार की कल्पना स्वतन्त्रता विहीन स्वतंत्रता और नियंत्रणों की मर्यादित व्यवस्था है। उन्होनें कर्म को कर्तव्य व फल को अधिकार माना तथा आचरण व व्यवहार में अधिकारों व कर्तव्यों के मध्य सन्तुलन बनाए रखने की आवश्यकता भी दर्शायी।[7]

2.5.2 दलित परिप्रेक्ष्य :

भारतीय समाज में दलित वर्ग शताब्दियों से शोषण का शिकार रहा है तथा उनके उद्धार के लिए कई दशकों से लोगों की आवाजें उठती रही है। इसी क्रम में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, जस्टिस एम.जी.रानाडे, स्वामी विवेकानन्द, श्री नारायण गुरूस्वामी, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी एवं डा. भीमराव अम्बेडकर ने उनके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उत्थान के लिए विचार व्यक्त किए जिससे इन वर्गो को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। इस संबंध में ज्योतिबा फुले व डा.अम्बेडकर ने इनकी समस्याओं पर सार्थक दृष्टिकोण अपनाने के लिए संविधान में प्रावधान भी किए जिन्हें आरंभ में दस वर्षो के लिए जोड़ा था परन्तु बाद में इसे संविधान सांशोधनों के द्वारा निरन्तर कर दिया।

महात्मा ज्योति राव फुले दलितों के मसीहा, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक हिन्दू विधवाओं के उद्धारक व अन्धविश्वास के कट्टर विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। उनका महाराष्ट्र में कट्टरपंथी ब्राहमणों के जबरदस्त विरोध के बाद भी अपनी विचारधारा पर दृढ़ रहे। महात्मा गांधी ने उन्हें वास्तविक महात्मा तथा वीर सावरकर ने क्रान्तिकारी समाज सुधारक कहा था। वे पूना के निर्धन व दलित कृषक थे और उनके पितामह के फूलों के व्यापार करने के कारण उनका फुलों परिवार कहलाया। उन्हें मिशनरी स्कूल में प्रवेश दिलाया गया जहां उनका मस्तिष्क जाति भेद के विरूद्ध आन्दोलित हो उठा। 1827 में जन्में व 1847 में मिशनरी शिक्षा पूरी करने के बाद फुले समाज सुधार आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने लगे।

ज्योति बा फुले के समाज सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की तथा 1890 में उनका निधन हो गया। वर्ष 1873 में स्थापित इस संस्था के माध्यम से उन्होनें समाज में व्याप्त भेदभाव व ब्राहमण प्रभुता को खुली चुनौती दी थी तथा 1843 में दलितों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। स्त्री शिक्षा के कार्य में कट्टरपंथी ब्राहमणों ने अनेक बाधाएं डाली किन्तु उन्होनें छात्राओं के लिए पाठ्य सामग्री, भोजन, वस्त्र व यातायात प्रबंध सहित सभी बाधाएं दूर करने का प्रयास किया जिससे छात्राएं निरन्तर अपनी शिक्षा जारी रख सके। महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा समिति की स्थापना की जिसके

माध्यम से कई छात्रा विद्यालय खोले गए। इसी क्रम में दलित व अछूत छात्र छात्राओं के लिए महिला शिक्षा समिति के माध्यम से कई विद्यालय स्थापित किए।

ज्योति बा फुले जाति प्रथा व अस्पृश्यता के विरोधी थे तथा एक ऐसे समाज की रचना के लिए प्रयासरत थे जहां दलितों को सभी मानवीय अधिकार प्राप्त हों। वे दलितों में शिक्षा के माध्यम से ऐसी जागरूकता विकसित करना चाहते थे जिससे वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके और उन्हें अर्जित कर सके और समाज में मानवीय आधार पर सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके। उनकी यह मान्यता थी कि सदियों से दलितों के प्रति होने वाला दुर्व्यवहार समाप्त होना चाहिए जिससे वे अपना सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थान बना सके। उनके विचार में दलितों का शोषण करना धर्म और देश प्रेम नहीं हो सकता। उनको अस्पृश्य व दलित बताकर अपमान करना एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिसको समाप्त किया जाना आवश्यक है।

डा. भीमराव अम्बेडकर दलितों के उत्थान में अभूतपूर्व योगदान के माध्यम से उनके मसीहा बन गए। उनका जन्म 1891 में महु छावनी मध्यप्रदेश में महार परिवार में हुआ था तथा एक क्रान्तिकारी विद्रोही के रूप में वे जनता के सामने आए। उनके विचारों पर गौतम बुद्ध, सन्त कबीर व ज्योति बा फुले का प्रभाव पड़ा तथा जीवन में धर्म व आध्यात्मिकता के महत्व को स्वीकार किया। बुद्ध के चिंतन से उन्हें वेदों व स्मृतियों में प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था व सामाजिक असमानता की पृष्ठभूमि को समझा। उन्होने कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद व आर्थिक नियतिवाद का भी अध्ययन किया परन्तु बुद्ध के प्रभाव के कारण वे उनसे अधिक प्रभावित नहीं हुए।

कबीर के प्रभाव से वे व्यक्ति पूजा, धार्मिक अन्धविश्वास और कर्मकाण्ड की प्रतिगामी विचाारधारा से प्रभावित हुए। साथ ही ज्योति बा फुले के विचारों का अध्ययन करने के बाद उन्होने मनुस्मृति की कटु आलोचना की। स्त्रियों व दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा व जागरूकता पर बल दिया। सवर्णो द्वारा दलितों के प्रति दुर्व्यवहार व अस्पृश्यता के विरूद्ध दलितों को संगठित किया क्योंकि इसके बिना वे जातिवादी समाज में अपनी विचारधारा को सबल व सार्थक रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते। उन्होनें बताया कि दलित समाज के लिए जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उन्हें

अन्य कोई वर्ग नहीं प्रदान कर सकता इसके उपरान्त भी उनका तिरस्कार किया जाता है।

अम्बेडकर ने आरोप लगाया कि वैदिक संहिताओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्ग द्वारा दलितों के प्रति किए जाने वाले अन्याय व अत्याचारों के विरूद्ध शूद्रों के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसबे बाद में शूद्रों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का समर्थन किया गया है। उन्होनें यह भी आरोप लगाया कि सवर्णो ने शुद्र वर्ग के लोगों को शिक्षा व शस्त्र रखने के अधिकार से इसलिए वंचित किया गया जिससे उन पर किए जाने वाले अन्याय के प्रतिकार करने में सदैव अक्षम रहे। अम्बेडकर की मान्यता थी कि ऋग्वेद, शतपथ ग्रंथ, तैतिरीय ब्राह्मण ग्रंथो में ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य वर्णो का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि शूद्र आरम्भ में कोई पृथक वर्ण नहीं था। डा. अम्बेडकर इसे क्षत्रिय वर्ग की एक शाखा मानते हैं तथा शूद्र वर्ग की उत्पति ब्राह्मण व क्षत्रियों के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप हुई।

अम्बेडकर के विचारों में ब्राह्मण व क्षत्रियों के संघर्ष के कारण ब्राह्मणों ने शूद्र क्षत्रियों का उपनयन संस्कार कराना बन्द कर दिया, जिसके कारण शूद्र धर्म–कर्म में सबसे नीचे स्थापित किये गए तथा ब्राह्मणों ने उन्हें अनेक धार्मिक व सामाजिक अधिकारो से वंचित कर दिया। इस कारण शूद्रों की वर्ण व्यवस्था में हीन स्थिति मूल स्वरूप के कारण नहीं है अपितु मनु और याज्ञवल्य जैसे संहिताकारों के जानबूझकर किए गए प्रयासों के कारण है जिसका कोई स्वाभाविक आधार नहीं है। वे मनुस्मृति को ही दलितों के प्रति सारे अन्याय की जड़ मानते थे जिसने सब प्रकार के शोषण व दासता की स्थिति में पहुंचाया।

उनके मत में एक न्यायमुक्त सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें शूद्र माने जाने वाले लोगों को समाज में भेदभाव समाप्त कर सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके। जाति प्रथा की जड़ें समाज में बहुत प्राचीन है परन्तु वर्तमान स्थिति में नैतिक, सामाजिक व राजनीतिक संदर्भ में इस प्रथा की कोई उपयोगिता नहीं है। यह प्रथा जन्म पर आधारित है और शूद्र जाति में जन्म लेने से जीवन भर के लिए अछूत व अस्पृश्यता के दंश से ग्रसित रहता है। यह व्यवस्था अनैतिक, अन्यायकारी

और निन्दनीय, जो ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्रदान कर उनके ज्ञान, जीवन की पवित्रता, शुद्ध आचरण और श्रेष्ठ रहन सहन के कारण प्राप्त हुआ होगा।

ब्राह्मणों ने धार्मिक कार्यो, कर्मकाण्डो और पूजा पाठ पर एकाधिकार करके समाज में अपनी उच्च स्थिति बनाए रखी। यह व्यवस्था हिन्दू समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करती रही। डा. अम्बेडकर के विचार में अस्पृश्यता हिन्दू समाज के लिए अनैतिक, कलंक व अभिशाप है। वस्तुतः हिन्दू समाज में यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो कुछ भी पाप की श्रेणी में नहीं आता। इसकी जड़े वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा में निहित है जिसके लिए ब्राह्मण समाज का प्रभुत्व निश्चित रूप से उत्तरदायी हे। ब्राह्मणों द्वारा रहन– सहन, खान–पान, आचार–व्यवहार की निर्धारित व्यवस्था के उल्लंघन करने वालों को सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर का घोषित कर दिया जाता रहा। साथ ही समाज के अन्य लोगों से संबंध रखने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता था।

इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से हेय कहलाने वाले व्यक्ति अस्पृश्य कहलाने लगे। समय के साथ इन तीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को सवर्णो ने अस्पृश्य मान लिया और तबसे यह प्रथा निरन्तर जारी है। इसलिए उन्होंनें भारतीय संविधान में अस्पृश्यता हटाने के लिए भी कार्य किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में दलितों की दयनीय स्थिति को दूर करने के लिए सामाजिक व कानूनी व्यवस्था अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में घोर अपमान व अमानवीय व्यवहार सहन किया, जिसकी मानसिक वेदना ने उन्हें दलित समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का संबल प्रदान किया। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए मूलभूत सामाजिक मान्यताओं और परम्परागत स्वरूप में मौलिक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता दर्शायी।

अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंनें वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन के लिए कई सुझाव दिए, जिसके अन्तर्गत मन्दिर में पुजारी पद पर वंश परम्परा से नियुक्ति नहीं करने, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा उत्तीर्ण व्यक्तियों को पुजारी का कार्य सौपना चाहिए जिसके लिए हिन्दू धर्म के सभी जातियों को योग्य माना जाना चाहिए। पुजारी को सरकारी कर्मचारी माना जावे और मन्दिरो में आवश्यकतानुसार

पद भरे जावे। अस्पृश्यता निवारण के लिए जाति प्रथा के स्वरूप में भी मौलिक परिवर्तन किया जाना चाहिए। उनके मन में परिवार जाति प्रथा का मूल आधार है। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अर्न्तजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

हिन्दू समाज को सामाजिक समानता का धर्म बनाना आवश्यक है जिससे इसमें व्याप्त सभी बुराईयां दूर हो सकें। अन्तर्जातीय विवाह व्यवस्था से जाति प्रथा सदैव के लिए समाप्त हो जावेगी और अस्पृश्यता जैसी बुराई समाज में सदैव के लिए समाप्त हो जायेगी और अस्पश्यता जैसी बुराई समाज में नहीं देखी जायेगी। इस व्यवस्था के लिए धर्मशास्त्रों को दोषी मानकर उन्होने कहा कि सभी स्त्री पुरूषों को धर्म शास्त्रों से मुक्त कर एक समान सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी। उन्होनें दलितो को संगठित व शिक्षित होने पर विशेष महत्व दिया। इससे उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा और प्राचीन दासता से मुक्त हो सकेंगे। इसके लिए उन्होने बहिष्कृत हितकारिणी सभा और इण्डिपेन्डैन्ट लेबर पार्टी का गठन करके दलितों को अपने सम्मानजनक स्थान के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।

अम्बेडकर के विचार में दलितों का संगठित होने का तात्पर्य यह है कि बच्चों को शिक्षित बनाये, रहन–सहन व खानपान की आदतों में सुधार करे। साथ ही अपनी हीन भावनाओं को समाप्त करे तथा समस्त कार्यो में अन्य दलितों का यथासंभव सहयोग करे। इन भावनाओं के माध्यम से वे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकेंगे। अपने को समाज में स्थापित करने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना होगा, जो सदियो से झेल रहे दुर्व्यवहार को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। उनका विचार था कि इसमें सबसे आवश्यक कार्य शिक्षा है, जिससे उनके सभी मार्ग प्रशस्त होने में सहायता मिलेगी।

वर्ष 1935 के ब्रिटिश कालीन आदेश के अनुसार विधान मण्डलों में मुसलमानों, सिक्खों व ईसाईयों के जनसंख्या के आधार पर विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की थी। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत डा. अम्बेडकर ने दलित वर्गो को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने का अनुरोध किया था। इसमें अन्य

धर्मो की भांति दलित को प्रतिनिधि के रूप में भेजने का अधिकार इस वर्ग के लिए मांगा गया था। इस प्रस्ताव पर महात्मा गांधी से भी अम्बेडकर का मतभेद हो गया क्योंकि विधानमण्डलो में हिन्दुओं का निर्वाचन से प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, जिसमें दलितों के लिए कोई पृथक व्यवस्था नहीं थी। अम्बेडकर ने लन्दन के गोलमेज सम्मेलन में भी इसी बात पर जोर दिया। ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक पंचाट की घोषणा में दलितों का प्रतिनिधित्व भी स्वीकार कर लिया।

महात्मा गांधी इस व्यवस्था से सहमत नहीं थे इसलिए उन्होनें इस व्यवस्था के विरूद्ध आमरण अनशन आरंभ कर दिया। इस पर अम्बेडकर ने अन्य नेताओं की सलाह पर दलित वर्गो के पृथक निर्वाचन मण्डल की मांग को मांग कर गांधीजी के साथ पूना पैक्ट पर समझौता किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान सभा में अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियो व अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद व विधान सभाओं में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कराने में सफलता प्राप्त की तथा इन वर्गो को सरकारी सेवाओ में भी आनुपातिक आरक्षण प्रदान करवाया, जिसे संविधान में दस वर्षो के लिए रखा गया था परन्तु बाद में इसे बढ़ाकर वर्तमान तक जारी कर दिया।

अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, छात्रावासो में निशुल्क सुविधाएं भी प्रदान की गई तथा पश्चातवर्ती काल में उच्च व व्यावसायिक शिक्षा में भी इन वर्गो को प्रवेश में आरक्षण प्रदान दिया जाने लगा। राजकीय सेवाओ व उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों को भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। इस व्यवसाय से सभी वर्गो के आरक्षण मिलने से बहुत लाभ मिला जिससे इनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान में भी सहायता मिली। सेवाओं में आरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक प्रकरण पर यह निर्णय दिया था कि आरक्षण के लाभ से क्रीमीलेयर में आने वाले परिवारो का भविष्य में आरक्षण समाप्त कर उस वर्ग के अन्य लोगों को लाभान्वित किया जावे परन्तु सरकार राजनीतिक कारणों से इस निर्णय को लागू करने को स्थगित रखा।

इसके साथ ही सरकार ने अधिनियम के माध्यम से अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया, जिसके कारण अस्पृश्यता की श्रेणी में आने वाले वर्गो को

बहुत संबल प्राप्त हुआ। इन सभी सुधारों के साथ कानूनी प्रावधानों के साथ सामाजिक भावनाएं बदलने में अधिक समय लगाता है। इसका कारण समाज में व्याप्त मानसिकता है, जिसे समय व विकास के साथ ही बदला जा सकता है। आरक्षण के प्रभाव से सभी पिछड़े वर्गो को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के साथ राजनीतिक संगठन की प्राप्त हुआ, जिसके अन्तर्गत घोषित लोकसभा व विधानसभा स्थानों पर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं इसके साथ इन कार्यो के अनारक्षित स्थानो पर भी चुनाव लडने में कोई रोक नहीं है।

2.5.3 मानवाधिकार एवं भारतीय संस्कृतिः

भारतीय संस्कृति में अधिकार की संकल्पना न होकर कर्म की रही है इसके साथ ही समाज में न्याय एवं दण्ड की एकरूपता भी विद्यमान थी। इसके अन्तर्गत समय का कोई वर्ग द्वारा शास्त्र विहित कर्तव्य के विरूद्ध आचरण करने पर दण्ड के विधान की प्रक्रिया भी निर्धारित थी। सदियों तक विदेशी शासन के साये में रहते हुए भी भारतीय संस्कृति मानव मूल्यों व मानवाधिकार की पोषक थी तथा स्वयं को बचाए रखने में कुछ सीमा तक सक्षम रही। भारतीय संस्कृति के ह्रास का बड़ा कारण मुस्लिम आक्रामको के सैनिकों द्वारा महिलाओं व लड़कियों के जबरन उठाकर ले जाने, धर्म परिवर्तन कर विवाह करने तथा बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती के लिए लोगों का धर्म परिवर्तन करता रहा।

मुस्लिम सम्राट द्वारा विजित क्षेत्रों में निरीह जनता के मुस्लिम धर्म प्रणाली अपनाने व धार्मिक स्थलों के विध्वंस की पीड़ा उस जन समुदाय को करनी पड़ी जो सत्ता व सेना के समक्ष पूरी तरह असहाय थे। ऐसी विरूद्ध स्थिति में लोगों के जीवन के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण अधिकार, मुस्लिम सेना की इच्छा पर निर्भर थे। ये स्थितियां इसलिए उत्पन्न हुई कि छोटे–छोटे राज्य परस्पर युद्ध व घृणा से ग्रसित थे जिन्हें जनता की चिन्ता न होकर अपने अहंकार को बनाए रखने की चिन्ता थी। मानवाधिकार एक सुदृढ एवं संरक्षित देश का शासन ही प्रदान कर सकता है और यही स्थिति आज भी बहुत से देशों के साथ घटनाक्रम का भाग बनी हुई है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में धर्म की अवधारणा में ही व्यापक मानवीय सामाजिक व्यवस्था के रूप में मानवाधिकारों पर विचार किया गया था। प्राचीन भारत को धर्म का धार्मिक व नैतिक विधान था तथा राज्य का व्यवहार ही दण्ड विधान को नियंत्रित करता था। शासन भी सामान्य नागरिक की भांति कानून के प्रति उत्तरदायी होता था तथा विधि के समक्ष समानता द्वारा राज्य व्यवस्था संचालित किया जाता था। राज्य के लिए आवश्यक जनसंख्या, निश्चित भूखण्ड, सुदृढ शासन व्यवस्था व सार्वभौम सरकार जो बाहरी नियंत्रणों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके स्थान पर कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के सात आवश्यक अंग माने जो स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड व मित्र है।

राजा परम्पराओं व प्रथाओं का सम्मान करता था तथा वेद, वेदान्त आदि में राज्य व जनता कानून की दृष्टि से समान माने गए हैं। जैन आचार मीमांसा के अनुसार सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति व सम्यक समाधि सदगुण विकास के माध्यम है। यह मीमांसा स्पष्ट करती है कि सदगुण, व्यक्ति समाज और विश्व की मंगल कामना के सूत्र है। श्रीमद् भागवत गीता मानव के लिए अपने कर्तव्यों के पालन का संदेश देती है। जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थकर महावीर स्वामी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल दिया। सम्राट अशोक का दर्शन दया, मानवता, करूणा प्रेम व अन्य मानवीय सिद्धान्तों पर आधारित था।

प्राचीन भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र वर्ग कर्मो के आधार पर बनाये गए थे। इस व्यवस्था का चिन्तन कर्म व्यवस्था के आधार पर मान्य था क्योंकि यही चार प्रमुख कर्म समाज के लोगो के क्षेत्र थे। कालान्तर में वर्ण व्यवस्था वर्ग आधारित न होकर जन्म आधारित होने से इस व्यवस्था की आलोचना की जाने लगी जिससे ब्राह्मणवाद की गलत सोच तक कहा गया। संभवतः यही एक स्थिति मानी जा सकती है जब मानवाधिकारो का उल्लंघन आरंभ हो गया था। इसका कारण सर्वत्र सफाई एक इच्छित या कार्यक्षमता के अनुसार करना और एक उस कर्म को मजबूरी में करने के लिए बाध्य होना ही उन स्थितियों को सृजित करता है जहां मानवाधिकार का हनन कहा जा सकता है।

इस स्थिति के परिणामस्वरूप समाज शोषक व शोषित के वृहद वर्गो में विभक्त हो गया। ऐसी स्थिति में महात्मा बुद्ध ने धार्मिक टकराव व असंतोष की स्थिति को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म को मानव धर्म के रूप में प्रतिपादित किया। मध्यकालीन भारत में भी मानवाधिकार की उपस्थिति किसी न किसी स्वरूप में बनी रही। मुगलकालीन भारत में अकबर व जहांगीर की न्यायप्रियता प्रसिद्ध रही है। अकबर के धार्मिक नीति और 'दीन इलाही' के माध्यम से जनता को धार्मिक सहिष्णुता की प्रेरणा थी। इसी अवधि में भक्ति आन्दोलन का उद्देश्य लोगों में धार्मिक भेदभाव मिटाकर प्रेम व सहयोग की भावना बनाए रखना था।

आधुनिक भारत में पुरानी सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरू व महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारको ने मानव गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त संघर्ष किया। विश्व के सुधारवादी आन्दोलनो से प्रभावित होकर भारतीय नेताओं ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट तथा कराची प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस अधिवेशन में मानवाधिकारो के लिए आवाज उठायी। भारत के संविधान में अंकित मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक न्याय की स्थापना तथा बियालीसवें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य इस दिशा में सकारात्मक प्रयास थे।

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत शोषण के विरूद्ध संघर्ष किया गया जो मानवाधिकार व मानवता के लिए किया गया प्रयास था। स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी मानव समाज के विकास लिए सुव्यवस्थित प्रयास था। कई सदियों से आजाद देश के समक्ष सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक राजनीतिक वातावरण निर्माण करना सबसे आवश्यक कार्य था। संविधान लागू होने व उसमें वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में देश की बहुसंख्यक जनता को जानकारी मिलने और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं आरक्षण प्राप्त करने की दिशा में होड़ लगने लगी। यह स्थिति आज भी यथावत जारी है जबकि अशिक्षित जनता को भी इन सभी अधिकारों व सुविधाओं की जानकारी नहीं थी।

पश्चिमी देश प्रायः मानवाधिकार के प्रणेता होने का दावा करते हैं परंतु मानवाधिकार हनन में सर्वाधिक नृशंस भूमिका इन्हीं देशों की रही है। सर्वप्रथम बमों का निर्माण पश्चिमी देशों द्वारा ही किया गया तथा नए अस्त्र शस्त्र विकसित कर विजय अभियान के लिए कम विकसित देशों में साम्राज्य स्थापित किया गया। उद्योगों में मशीनीकरण करके। मानव को बेरोजगार बनाया गया तथा बड़े उद्योग लगाकर सामान्य कुटीर व पारिवारिक उद्योग में हजारों लगे लोगों की जीविका समाप्त कर दी। इसका एकमात्र उद्देश्य भारत से कच्चा माल खरीदकर इंग्लैण्ड की मिलों में निर्माण कर उपनिवेशों में बेचकर भरपूर लाभ कमाया जावे। भारत में व्यापार कम्पनी के रूप में आए व्यक्तियों के सूमह ने अपना साम्राज्य स्थापित कर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया।

वर्ष 1857 के स्वतंत्रता आन्दोलन की पृष्ठभूमि यह थी कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कमजोर होते मुगल साम्राज्य के अधीन राजे रजवाडों से संधि कर के धन वसूलना आरंभ कर दिया। समझौते में ऐसी शर्ते रखी गई कि संबंधित राज्य ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार करता है। इस संधि को माध्यम बनाकर अंग्रेजो ने अपनी सेना राज्य में रखी जिसका खर्च राजा से वसूलने लगे। राज्यों में अंग्रेज रैजीडैन्ट या एजेन्ट लगाकर उनसे आन्तरिक व यहां तक कि पारिवारिक मामलों में भी दखल देने लगे। 1857 में झांसी की रानी को युद्ध करने के लिए मजबूर होना पडा क्योंकि रानी के पति के निधन पर बालक को राज्याधिकार सौंपने के अंग्रेजों ने अस्वीकार कर अपने अधीन लेने के आदेश जारी कर दिए।

झांसी की रानी की मदद के लिए कई राजा भी सेना लेकर आगे बढ़े लेकिन अंग्रेजो ने किले के रक्षकों को रिश्वत देकर द्वार खुलवा कर सेना सहित भीतर प्रवेश किया। झांसी की रानी के किले की प्राचीर से घोडे सहित छलांग लगा कर युद्ध के लिए बढ़ना पडा जिससे सेना व्यवस्थित न रह सकने से हार गई। इससे राजस्थान की कई छावनियो में भी भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिन पर विजय पाने के लिए राजाओ को बाध्य किया गया। अंग्रेज किसानो से कच्चा माल पहले सोना या चांदी बेचकर खरीदते थे उस पर नियंत्रण स्थापित कर किसानो पर

लगान में सारा अनाज तक ले जाते और किसान मजबूर होकर उनके कृत्यों को देखता रहा।

सैनिक विद्रोह समाप्त होने पर ब्रिटिश शासन पूरे देश में स्थापित हो गया तथा राजे रजवाड़े सन्धियों के माध्यम से अंग्रेज शासन के अधीन रहे। अंग्रेज अफसर भारतीयो को भद्दी नस्लीय गालियां देते तथा किसी छोटी सी बात पर गंभीर यातनाएं देते। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता तथा उसकी सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहती। ब्रिटिश काल में ठिकानों पर उच्च श्रेणी में रेल यात्रा करने वाले भारतीय को अंग्रेज के आने पर उतार दिया जाता, जिसकी सुनवाई कहीं नहीं होती थी। सभी उत्तरदायी पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति की जाती थी। पहले व दूसरे विश्व युद्ध में भारत के राजे रजवाड़े में धन व सेना उपलब्ध कराई और कुछ राजा स्वयं युद्ध लड़ने गए परन्तु अंग्रेज इन बातों का कोई अहसान न मानकर उन्हें गंदी गालियां देकर मजाक उडाते।[10]

भारतीय संस्कृति और सभ्यता में मानवीय अधिकारों की अवधारणा भारत में वैदिक काल से ही पुष्पित वं पल्लवित होती रही है। भारत को वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व बन्धुत्व, शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व और सम्भूय समुत्थान जैसे उदात्त आदर्शो का सन्देश देकर भारतीय अधिकारों एवं सम्मान को प्रतिष्ठापित करने में सदैव सफल रहा। भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार मानव की अस्मिता का कवच व ढाल, विश्व शान्ति व विश्व कल्याण के मूल मंत्र है। मानवाधिकारों के मानवता रूपी वृक्ष का खाद व पानी माना गया, जिससे वृक्ष का पोषण होता रहा।

मानव अधिकारों को स्वयं जगत नियन्ता ईश्वर ने सूर्यदेव की प्रखर किरणों को लेकर मानव प्रकृति में इस स्वरूप में पिरोया जिसे कोई मानवीय शक्ति नष्ट नहीं कर सकी। मानव जगत के उद्‌भव एवं विकास की कहानी का सारभूत तत्व मानवाधिकारों के प्रसार का सन्देश है। यह पावन अधिकार व कर्तव्य है, जिसे कौटिल्य ने कार्य की संज्ञा से अभिहित किया। धर्म, राष्ट्र और वंश तीनों समाज के संघटक तत्व हैं, जिन्हें सहत्रबुद्धि ने भी स्वीकार किया, जिन्होंने कार्य की प्रतिष्ठा की अनिवार्य मानते हुए भूमिनिष्ठा व राष्ट्रनिष्ठा का विकास माना है। वे हिन्दू

समाज के लिए धर्मक्रान्ति की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं परन्तु धर्म के नाम पर कर्मकाण्ड के ढकोसले को स्वीकार नहीं करते।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में दासता का स्वरूप पाश्चात्य देशों से बिल्कुल भिन्न था। ऐरियल ने मेगस्थनीज कृत इण्डिका के आधार पर लिखा है कि ''सब भारतीय स्वतंत्र हैं तथा उनमें से एक भी दास नहीं है। भारतीय विदेशियों को भी दास नहीं बताते, इसलिए अपने देशवासियों को दास बताने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।'' मेंगस्थनीज के दास भाव के नहीं पकड़ पाने का कारण यह रहा होगा कि प्राचीन भारत में दासों के साथ किए जाने वाला व्यवहार मानवीय था, जिसकी प्रकृति स्वामी और भक्त जैसी रही होगी, जो उनके मानवाधिकारों का सजीव उदाहरण है। मानव के समग्र विकास में मानवाधिकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा इनकी अनुपस्थिति में मानव के विकास की संकल्पना भी नहीं की जा सकती।

मानवाधिकारों का विकास पूरब व पश्चिम पृष्ठभूमि में पृथक–पृथक धरातल पर हुआ तथा उनके संदर्भ भी एक दूसरे से बिलकुल भिन्न रहे। मानवाधिकार का पाश्चात्य स्वरूप अधिकार प्रधान है, जबकि भारतीय संस्कृति में यह सदैव कर्तव्य प्रधान रहा। इनमें सामंजस्य की स्थिति उत्पत्ति का माध्यम रहा तथा संपूर्ण संसार में मानवाधिकार की उत्पत्ति धार्मिक शिक्षा से हुई है। धर्म व दर्शन भारतीय संस्कृति के प्राण वायु हैं इसलिए उनकी प्रकृति भी धर्म व दर्शन के साथ जुड़ी हुई है। पश्चिम में चर्च को पादरियो में दीर्घ काल तक राजनीतिक व सामाजिक वातावरण पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। हिन्दू, बौद्व व जैन धर्म का विकास कर्तव्य प्रधान मानवाधिकारों के स्वरूप में हुआ।

गांधीजी की अभिव्यक्ति के अनुसार उन्होने अपनी अशिक्षित किन्तु बुद्धिमान माता से सीखा कि उचित कर्तव्य निभाने के पश्चात ही यथोचित अधिकार प्राप्त होते हैं। मानव को जीने का अधिकार इसलिए प्राप्त है कि वो सभी मानवों के जीने के कर्तव्य का निर्वाह करता है। डा. नगेन्द्रसिंह ने अपनी पुस्तक इन्टरनेशनल लॉ में लिखा है कि ''मानव अधिकार के चार दृष्टिकोण होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण की उत्पत्ति राष्ट्रीय दायरे में ही होती है, जबकि अर्न्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण महान व गंभीर है। इनमें मानवीय अधिकारों को पृथक नहीं किया जा सकता है और न ही

राष्ट्रीय सीमाओं में सीमित किया जा सकता है। तीसरा दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि मानवाधिकार शान्तिकाल में ही प्राप्त होते हैं। चौथा द्दष्टिकोण युद्ध कालीन मानवाधिकारों से है जिनकी जानकारी प्रायः बाद में ही पता लगती है।

मानव विकास के अधिकार के बिना मानवाधिकार अधूरे रहते हैं, तथा जो विधिशास्त्री मानव विकास की अनदेखी करते हैं, उनका चिन्तन सतही व खोखला होता है। समाज का आधार साझी नैतिकता से होता है जो एक सम्पूर्ण विचार नहीं है। जहां जो वर्ग समाज में प्रबल होता है वहां की नैतिकता उस वर्ग के हितों और श्रेष्ठता की भावना उस सामाजिक वर्ग के अनुरूप उपजती है। इन स्थितियों में मानवाधिकार मानव जाति के वर्ग विशेष के अधिकार हैं, जो प्रबल वर्ग में ही समाहित होती है। इन कारणों से नैतिकता व मानवाधिकार की पृथक–पृथक अवधारणाएं है। मानवाधिकार प्रकृति में निहित अधिकार है, जिनके अभाव में मनुष्य की आध्यात्मिक व अन्य सामाजिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है।

मानवाधिकार का आधार मानव की उस आकांक्षा में निहित है, जो ऐसे जीवन की चाह रखती है जहां मानव को सुरक्षा व प्रतिष्ठा प्राप्त हो। मानवाधिकारों के कभी–कभी मूलभूत अधिकारों अथवा प्राकृतिक अधिकारों के स्वरूप में भी अभिनिर्धारित किया जाता है। मूलभूत अधिकार संविधान में प्रदत्त होते हैं, जिनका आधार विधि सम्मत है, जबकि प्राकृतिक अधिकार ऐसे कानून या सांस्कृतिक रीतिरिवाजों के हैं जो पूरे देश पर लागू होते हैं। भारतीय संस्कृति में सार्वभौमिकता व समानता की बौद्धिक अवधारणाएं निहित है जो भारत की परम्परागत धरोहर व विरासत का प्रतिरूप है। भारतीय परम्परा विश्वास, सम्मान व सामाजिक संरचना में सर्वव्याप्त है जिसकी प्रकृति कर्तव्य पर आधारित है।

मानवाधिकार भारतीय मनीषियों के अन्तःकरण में सदैव विद्यमान रहे हैं जिन्हें भारतीय चिन्तको ने अनवरत चिन्तन करके भारतीय संस्कृति को सहिष्णुता, अहिंसा, मैत्रीभाव, समानता मानव सम्मान, मानवीय गरिमा एवं स्वतंत्रता से ओत–प्रोत रखा हैं। वैदिक कालीन विचारों के अनुसार सत्य एक है जिसका विद्धान पृथक–पृथक स्वरूप में वर्णन करते हैं एवं श्रेष्ठ व सकारात्मक विचार प्रत्येक दिशा से आते हैं। ऋग्वेद भ्रातृत्व के अनुसार मनुष्य की समानता, प्रतिष्ठा, भ्रातृत्व व सभी की सुख

शान्ति में निहित है। जैन व बौद्ध धर्म के सिद्वान्तों में अहिंसा, प्रेम, करूणा सभी के प्रति मैत्री भाव निहित है। महात्मा बुद्ध के सिद्वान्त मानवाधिकारों की मूल चेतना को अभिव्यक्त करते हैं कि किसी जीव की हत्या न करें, अपने दासों पर अत्याचार नहीं करे, सदाचार किसी बलिदान से अधिक अर्थपूर्ण है, इसमें अधिक ऐश्वर्य में नहीं रहे कि बन्धुत्व भाव ही समाप्त हो जावे, शरीर के उपवास के स्थान पर भावनाओं को नियंत्रित रखें।

भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रत्येक किया प्रतिकिया को जन्म देती है। इसी प्रकार शोषक व निरंकुश शासन विद्रोह व क्रान्ति को जन्म देता है। संम्राट अशोक ने युद्ध विरोधी दृष्टिकोण अपनाकर मानवता को नई दिशा प्रदान की। यह भावना एक सक्षम राष्ट्र की भावना ही हो सकती है, जो थोपे जाने पर युद्ध अवश्य करे परन्तु उसे टालने का भरसक प्रयास करे। जैन धर्म की चेतना अधिक संवेदनशील है जिसमें मानव के साथ अन्य जीवों को जीवन का अधिकार स्वीकार किया गया है। चार्वाक ऋषि के अनुसार मानव के शरीर, मुख व अन्य अंग एक समान हैं, इसलिए वर्ण व जाति का भेद करना अस्वाभाविक है।

प्राचीन भारत की अहिंसा, सहिष्णुता, सहअस्तित्व व सम्मान की भावनाएं मध्य काल में भी जारी रही परन्तु यहां इस्लामिक संस्कृति का भी प्रभाव पडा, जिसके अनुसार मानव प्रकृति से सम्पूर्ण प्राणी है और मानवाधिकार उसका विशिष्ट गुण है। पैगम्बर साहब के अनुसार कभी किसी से विश्वासघात या द्रोह नहीं करे। किसी बच्चे या स्त्री की हत्या न करे। यह खुदा व पैगम्बर के मध्य दिशा निर्देश स्वरूप समझौता है। इस्लाम मनुष्य को उसके सम्पूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्वरूप में देखता है। सम्पन्न लोगों को कम भाग्यशाली लोगों के प्रति न्याय व उपासना का भाव रखना चाहिए। अकबर ने धर्म के आधार पर भेदभाव न करके हिन्दुओं को तीर्थकर की छूट प्रदान की।

अकबर ने सदियों से प्रचलित दासता पर अंकुश लगाया और सभी लोगों को अपना धर्मपालन की स्वतंत्रता प्रदान की। मध्ययुगीन भक्ति परम्परा मे सभी हिन्दू–मुस्लिम कवियो ने धार्मिक गीत सिखाए जो आज तक प्रचलित हैं। दक्षिण भारत में संत अलंकार संत व उत्तर भारत में ख्वाजा मोइनुदीन चिश्ती पूरे समाज में धर्मगुरू

के रूप में स्वीकार थे। महाराष्ट्र के तुकाराम व नामदेव, बंगाल के चण्डीदास, जयदेव व विद्यापति के मानवतावादी कविताएं लिखी। रामानन्द के शिष्य कबीर ने जाति व्यवस्था को सशक्त चुनौती दी। साथ ही कर्मकाण्ड व अंधविश्वास पर भी तीखा प्रहार किया। गुरूनानक भी हिन्दू मुस्लिम एकता के रूप में जनता में विख्यात हुए।

आधुनिक विचारकों ने मानवतावाद को नई दिशा प्रदान की जिसमें बड़ा योगदान अंग्रेज साम्राज्य का रहा जिन्होनें सविनय अवज्ञा आन्दोलन, अहिंसक आंदोलन व स्वतंत्रता की मांग करने पर बर्बर अत्याचार किए। इसके अतिरिक्त प्रसिद्व विचारक आइंस्टीन के मत व्यक्त किया था कि दुनिया में रहने के लिए सबसे खतरनाक स्थान है, इसलिए नहीं कि यहां पापी लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं परन्तु इसलिए कि इन पापियों का कोई विरोध नहीं करता। आतंकवाद के नाम पर निरीह लोगों की हत्या कर देश को अस्थिर करने की कार्यवाही के लिए नई प्रणालियां विकसित करनी आवश्यक हो गई है जिससे ऐसे तत्वों की कार्यवाही पर नियंत्रण लगाया जा सके। भारत के लिए आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तानी सेना की आतंकवादियों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है।

बालविवाह, सतीप्रथा, दलितों के प्रति अत्याचार, लडकियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं वर्तमान समाज के नृशंस उदाहरण है जिनके लिए कड़े कानून बनाने के पश्चात भी इन समस्याओ को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका है। इसके साथ–साथ जातीय पंचायतों के विभिन्न फैसले मानवाधिकार के लिए घातक सिद्व हो रहे हैं। जहां संबंधित राज्य सरकार इन पंचायतों की गतिविधि रोक पाने में विभिन्न कारणो से असमंजस की स्थिति में पड़ी है और पीड़ित व्यक्ति व परिवार न्यायालय में मुकदमे करने तक से घबराते हैं। उनका गांव में रहना मुश्किल कर दिया जायेगा। ये जातीय पंचायतें बलात्कार जैसी घटनाओं के कर्ताओं को चेतावनी देकर छोड़ देती है।

इस स्थिति में मानवाधिकार की बातें केवल कानून पास करने तक ही सीमित नहीं होकर पीड़ित लोगों को संबंध प्रदान करने के लिए समाज, प्रचार माध्यम, स्वयंसेवी संगठन सार्थक भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। ऐसे मामलो में मुख्य समस्या पीडित परिवार द्वारा पुलिस में रिपोर्ट व न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पुरे परिवार की सुरक्षा और सभी प्रभावित व्यक्तियों पर जब तक कठोर कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक मानवाधिकार केवल साज–सज्जा का ही अलंकरण बन सकते हैं। मानवीय गरिमा जब तक सबसे दलित व पिछडे तबका का अस्त्र नहीं बनती, केवल अलंकरण युक्त मानव अधिकार कारगर होना संभव नहीं है।

संदर्भ सूची

1. पाण्डेय अजय कुमार (2009) भारतीय संस्कृति एवं मानवाधिकार, डा. पी0के0 पाण्डेय का संकलन, पृ0 1– 3
2. भारत सरकार (2010) इण्डिया, 2010, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ0 26–27.
3. भारत सरकार (2010) इण्डिया 2010, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ0 27.

4 वही ,, ,, पृ0 27.

5 भारत सरकार (2005) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

6 जान बॉन बाण्ड रेट – कान्केस्ट ऑफ वायलैन्स, पृ0 189

7 जोशी आर.पी. (सं.) 2003,मानव अधिकार एवं कर्तव्य, पृ0 61–71.

8 नेर्मा जी.पी. एवं शर्मा के. के. (2009) मानवाधिकार, सिद्वान्त एवं व्यवहार,पृ0 33–39

9 सिंह कविता (2009) बी.के. पाण्डेय की सम्पादित भारतीय संस्कृति एवं मानवाधिकार, पृ0 15–20.

10 श्रीवास्तव कुलदीप कुमार (2009), बी.के. पाण्डेय की सम्पादित भारतीय संस्कृति एवं मानवाधिकार, पृ0 34–36.

11 पाठक महेन्द्र (2009) बी.के. पाण्डेय की सम्पादित भारतीय संस्कृति एवं मानवाधिकार, पृ0 42– 47

❖❖❖

तृतीय अध्याय

राजस्थान की विशिष्ट स्थितियाँ : महिला अधिकार

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.41 प्रतिशत है। राज्य की भौगोलिक आकृति विषम चतुष्कोण की है। राज्य की कुल स्थानीय सीमा 5920 किलोमीटर लम्बी है, जिसमें से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लम्बी है, जो सीमावर्ती जिले गंगानगर में 210 किलोमीटर, बीकानेर में 168 किलोमीटर, जैसलमेर में 464 किलोमीटर तथा बाड़मेर में 228 किलोमीटर लम्बी है। राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति 25°3° उत्तरी अंक्षाश से 30°12° उत्तरी अक्षांश तथा 69°30° पूर्वी देशान्तर से 78° 17° पूर्वी देशान्तर के मध्य है। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लम्बाई 826 किलोमीटर है जिसका विस्तार गंगानगर के कोवा गांव से बासंवाड़ा के बोरकुण्ड गांव तक है। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर है जिसका विस्तार पश्चिम में जैसलमेर की सम तलसील के कटरा गांव से लेकर पूर्व में धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तट सीमा के सिवाना गांव तक है।[1]

राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सात संभाग व तैतीस जिले है। इसमें अजमेर संभाग में चार जिले– अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा व नागौर है। भरतपुर संभाग में चार जिले– भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाईमाधोपुर सम्मिलित है। बीकानेर संभाग में चार जिले – बीकानेर, चुरू, गंगानगर व हनुमानगढ़ आदि है तथा जयपुर संभाग में पांच जिले – जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू व दौसा सम्मिलित है। जोधपुर संभाग में छः जिले–जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर व जैसलमेर हैं। कोटा संभाग में चार जिले–कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़, चित्तौड़गढ़ सम्मिलित है तथा उदयपुर संभाग में छः जिले–उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बासंवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ हैं। प्रतापगढ़ जिले का गठन 2008 में चित्तौड़ की तीन तहसीलें–प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, उदयपुर जिले की धरियावद तथा बांसवाड़ा जिलों की पीपलातंबर तहसीलों को मिला कर बनाया गया है।[2]

3.1 जनसंख्या

राजस्थान का जिलेवार भौगोलिक क्षेत्रफल व जनसंख्या का विवरण 2011 की जनगणना के अनुसार सारिणी 3.1 में दर्शाया गया है जिसमें क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत वितरण कुल क्षेत्रफल व जनसंख्या से दर्शाने का उदेश्य क्षेत्र विस्तार व जनसंख्या का केन्द्रीकरण दर्शाया गया है।

सारिणी 3.1

राजस्थान का जिलेवार क्षेत्रफल व जनसंख्या का वितरण–2011

क्र. सं.	जिला	क्षेत्रफल		जनसंख्या 2011			
		वर्ग कि.मी.	कुल से प्रतिशत	पुरूष	महिला	कुल	योग से प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	8481	2.82	1325911	1259002	2584913	3.77
2	अलवर	8380	2.48	1938929	1733070	3671999	5.35
3	बांसवाड़ा	4510	1.32	908755	889439	1798194	2.62
4	बारां	6992	2.1	635495	588426	1223921	1.78
5	बाड़मेर	28387	8.29	1370494	1233959	2604453	3.80
6	भरतपुर	5066	1.48	1357896	1191225	2549121	3.71
7	भीलवाड़ा	10455	3.05	1224483	1185976	2410459	3.51
8	बीकानेर	27244	7.96	1243916	1123829	2367745	3.45
9	बूंदी	5776	1.68	579385	534340	1113725	1.62
10	चित्तौड़गढ़	8005	2.34	784054	760338	1544392	2.25
11	चुरू	16830	4.92	1053375	987797	2041172	2.97
12	दौसा	3432	1.00	859821	777405	1637226	2.39
13	धौलपुर	3033	0.89	654344	552949	1207293	1.76
14	डूंगरपुर	3770	1.10	698069	690837	1388906	2.02
15	गंगानगर	10978	3.20	1043730	925790	1969520	2.87
16	हनुमानगढ़	9656	2.82	933660	845990	1779650	2.59
17	जयपुर	11142	3.25	3490787	3173184	6663971	9.71
18	जैसलमेर	38401	11.22	363346	308662	672008	0.98
19	जालौर	10640	3.11	937918	892233	1830151	2.67
20	झालावाड़	6219	1.82	725667	685660	1411327	2.06
21	झुंझुनू	5928	1.73	109390	1042268	2139658	3.12
22	जोधपुर	22850	6.68	1924326	1761355	3685681	5.37
23	करौली	5524	1.61	784943	673516	1458459	2.13
24	कोटा	5217	1.52	1023153	927338	1950491	2.84
25	नागौर	17718	5.18	1688760	1610474	3309234	4.82
26	पाली	12387	3.62	1025895	1012638	2038533	2.97
27	प्रतापगढ़	4118	1.20	437950	430281	868231	1.27
28	राजसमन्द	3860	1.12	582670	575613	1158283	1.69
29	सवाईमाधोपुर	4498	1.31	706558	631556	1338114	1.95
30	सीकर	7732	2.26	1377120	1300617	2677737	3.90
31	सिरोही	5136	1.50	535115	502070	1037185	1.51
32	टोंक	7194	2.10	729390	692321	1421711	2.07
33	उदयपुर	12680	3.71	1566781	1500768	3067549	4.47
	राजस्थान	**342239**	**100**	**35620086**	**33000926**	**68621012**	**100.00**

स्रोतः जनगणना 2011, भारत, राजस्थान राज्य

क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का आंकलन करने पर यह परिलक्षित होगा कि राज्य का धौलपुर जिला केवल 0.89 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित है। इसी प्रकार जैसलमेर जिला 11.22 प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है। जनसंख्या का केन्द्रीयकरण सर्वाधिक 9.71 प्रतिशत जयपुर जिले में तथा 0.98 प्रतिशत जैसलमेर में है। राजस्थान राज्य का पश्चिमी भाग विशाल थार मरूस्थल है जो 12 जिलों में फैला है जहां कुल 11045 का 61 प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलत है जिसमें राज्य की 39 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। प्रदेश के शेष 21 जिलों पहाड़ी, पठारी व मैदानी क्षेत्र है जिसका भौगोलिक क्षेत्र 39 प्रतिशत है और जनसंख्या राज्य की 61 प्रतिशत है। अरावली पर्वतमाला राज्य के दक्षिण से उत्तर तक फैली है जिसका पश्चिमी भाग मरूस्थल है।[3]

अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है जो राजस्थान के मरूस्थल के प्रसार को आगे बढ़ने से रोकती है। इसी कारण प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र मरूथल के प्रसार से सुरक्षित है। पश्चिमी भाग मरूस्थल होने के साथ न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र है जिसका प्रमुख कारण कम वर्षा होना है तथा भूजल स्त्रोत भी काफी गहरे है। प्रदेश का जनसंख्या का घनत्व, लिंग अनुपात व दस वर्षीय वृद्धि दर की तुलनात्मक स्थिति सारिणी संख्या 3.2 में दर्शायी गई है।

सारिणी 3.2
राजस्थान का जिलेवार जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात व दस वर्षीय वृद्धि दर 2001–2011

क्र. सं.	जिला	जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि. मी.)		जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति पुरुष पर महिलाऐं		दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर	
		2001	2011	2001	2011	1991–11	2001–11
	1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	257	305	931	950	26.17	18.66
2	अलवर	357	438	886	894	0.31	22.75
3	बांसवाड़ा	315	399	974	979	29.62	26.58
4	बारां	146	175	909	926	26.08	19.82
5	बाड़मेर	69	92	892	900	36.90	32.55
6	भरतपुर	415	503	854	877	27.22	21.39
7	भीलवाड़ा	193	230	962	969	26.39	19.27
8	बीकानेर	63	78	896	903	37.71	24.48
9	बूंदी	167	193	907	922	24.98	15.7
10	चित्तौड़गढ़	166	193	966	970	20.44	16.09
11	चुरू	123	148	948	938	23.51	20.35
12	दौसा	384	476	899	904	32.40	23.75
13	धौलपुर	324	398	827	845	31.19	22.78
14	डूंगरपुर	294	368	1022	990	26.65	25.39
15	गंगानगर	163	179	873	887	27.59	10.06
16	हनुमानगढ़	157	184	894	906	24.39	17.24
17	जयपुर	471	598	897	909	35.06	26.91
18	जैसलमेर	13	17	821	849	47.52	32.22
19	जालौर	136	172	964	951	26.81	26.31
20	झालावाड़	190	227	926	945	23.34	19.51
21	झुंझुनू	323	361	946	950	20.93	11.81
22	जोधपुर	126	161	907	915	34.04	27.69
23	करौली	219	264	855	858	30.41	20.94
24	कोटा	301	374	896	906	28.52	24.34
25	नागौर	157	187	947	948	29.38	19.25
26	पाली	147	165	981	987	22.46	11.99
27	प्रतापगढ़	172	211	969	982	27.61	22.84
28	राजसमन्द	256	302	1000	988	19.96	17.89
29	सवाईमाधोपुर	248	297	889	894	27.55	19.79
30	सीकर	296	346	951	944	24.14	17.04
31	सिरोही	166	202	943	938	30.13	21.86
32	टोंक	168	198	934	949	24.27	17.33
33	उदयपुर	196	242	969	958	27.09	23.63
	राजस्थान	**165**	**201**	**921**	**926**	**28.41**	**21.44**

स्त्रोत – भारत की जनगणना (2011) राजस्थान राज्य

जनसंख्या का घनत्व संबंधित जिले में जनसंख्या के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें तुलनात्मक दस वर्षीय वृद्धि की प्रवृत्ति का सूचक है। इस दृष्टि से जयपुर जिला अधिकरण जनसंख्या का घनत्व वाला क्षेत्र है जहां दस वर्षों में जनसंख्या 471 से 598 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर की स्थिति दर्शाती है। इस वृद्धि का मुख्य कारण जयपुर राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि होना जन्म की बढ़ती प्रवृति न होकर राजधानी क्षेत्र में बसने का प्रमुख कारण है। राज्य के जयपुर व कोटा ऐसे जिले हैं जहां नगरीय जनसंख्या जिले की आधी से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 19 जिलों में जनसंख्या का घनत्व राज्य औसत 201 से अधिक है। दूसरी ओर जैसलमेर जिले का जनसंख्या जिले का जनसंख्या का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक तथा प्रजनन के कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल मजदूर जीविका उपार्जन के लिए शहरों में जाकर कार्य करते की है, जिससे शहरी गन्दी बस्तियों की संख्या में वृद्धि होती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति शहर में मकान बनाना या किराए का स्थान लेना उनकी क्षमता के बाहर है। ग्रामीण लोग रिक्शा चालक, दुपहिया वाहन के अतिरिक्त उद्योग धंधों, व्यापार, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में काम करते हैं। गांवों से पलायन की प्रवृत्ति उस क्षेत्र की विशेष प्रवृत्ति का धोतक है। अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर यह पलायन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है। राज्य का जनसंख्या का घनत्व देश की 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की तुलना में राज्य की जनसंख्या का घनत्व अभी तुलनात्म्क दृष्टि से कम है, जिसका कारण मरूस्थलीय क्षेत्र में स्थिति होने से तुलनात्मक अन्तर स्पष्ट है।

जनसंख्या लिंग अनुपात सामाजिक व्यवस्था में सन्तुलन स्थापित करने का एक कारक है जिसमें पुरूष जनसंख्या से महिला जनसंख्या की तुलनात्मक स्थिति का आंकलन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में पुत्र का महत्व होना तथा पुत्री के विवाह में दहेज आदि की समस्या के कारण भ्रूण परीक्षण कराकर कन्या भ्रूण हत्या

तक के मामले होने से अनुपात में विषमता होना एक चिन्ताजनक विषय है। राजस्थान में लिंग अनुपात वृद्धि दर्शाता है तथा छः जिलों में लिंग अनुपात औसत से भी नीचे होना तथा बाईस जिलों में 950 से कम लिंग अनुपात होना चिन्ता का विषय है। राष्ट्रीय स्थिति 933 व 940 परिमाप की ओर संकेत करती, जहां 0.6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात 883 कन्याऐं प्रति हजार है।

इसी प्रकार दसवर्षीय जनसंख्या की वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि की तुलना में अधिक रही है जो दर्शाता है कि यहॉ पर जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सार्थक नहीं रहे। 1971–1981 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 24.66 प्रतिशत थी जबकि राजस्थान में दर 32.97 प्रतिशत थी। 1981–91 के दशक में भारत व राजस्थान की स्थिति क्रमशः 23,87 व 28.44 प्रतिशत, 1991–2001 में 21.52 व 28.41 प्रतिशत तथा 2001–2011 के दशक में दर 17.64 प 21.44 प्रतिशत रही। वैसे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक है जिसे 10 प्रतिशत तक लाना सामाजिक व आर्थिक कारणों से आवश्यक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। इस स्थित का प्रभाव भूमि की वहन क्षमता तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को दृष्टिगत रखकर बहुत असंतुलित स्थिति दर्शायी गई है।[4] उपरोक्त स्थिति राजस्थान के सामाजिक ढांचे की सांमती पृष्ठभूमि का परिचायक है।

विकास का माध्यम साक्षरता को एक कारक के रूप में माना जाता है जिसके शत–प्रतिशत या 90 प्रतिशत से अधिक होना दर्शाता है कि देश का जन सामान्य अपने व देश के हित के प्रति जागरूक है। राजस्थान की तुलनात्मक स्थिति देश के अन्य राज्य की तुलना में निम्न स्तर पर है जबकि भारत का साक्षरता स्तर भी काफी नीचे है। राजस्थान की जिला वार साक्षरता दर 2001 व 2011 में सारिणी 3.3 में अंकित है।

सारणी 3.3
राजस्थान जिलेवार साक्षरता दर 2001 व 2011

क्र. सं.	जिला	साक्षरता दर 2001 (प्रतिशत में)			साक्षरता दर 2011 (प्रतिशत में)		
		कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
	1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	64.88	79.39	48.9	70.46	83.93	56.42
2	अलवर	61.74	78.08	43.3	71.68	85.08	56.18
3	बांसवाड़ा	45.54	61.5	29.22	57.2	70.8	43.47
4	बारां	59.5	75.78	41.56	67.38	81.23	52.48
5	बाड़मेर	58.99	72.76	43.45	57.49	72.32	41.03
6	भरतपुर	63.58	80.54	43.56	71.16	85.7	54.63
7	भीलवाड़ा	50.71	67.37	33.43	62.71	77.16	47.93
8	बीकानेर	57.36	70.65	42.45	65.92	76.9	53.77
9	बूंदी	55.57	71.68	37.79	62.31	76.52	47.00
10	चित्तौड़गढ़	53.99	71.54	35.99	62.51	77.74	46.98
11	चुरू	67.59	80.26	54.36	67.46	79.95	54.25
12	दौसा	61.81	79.37	42.25	69.17	84.54	52.33
13	धौलपुर	60.13	75.09	41.84	70.14	82.53	55.45
14	डूंगरपुर	48.57	66.04	31.77	60.78	74.66	46.98
15	गंगानगर	64.74	75.53	52.44	70.25	79.33	60.07
16	हनुमानगढ़	63.05	75.18	49.56	68.37	78.82	56.91
17	जयपुर	69.9	82.8	55.52	76.44	87.27	64.63
18	जैसलमेर	50.97	66.26	32.05	58.04	73.09	40.23
19	जालौर	46.49	64.72	27.8	55.58	71.83	38.73
20	झालावाड़	57.32	73.31	40.02	62.13	76.47	47.06
21	झुंझुनू	73.04	86.09	59.51	74.72	87.88	61.15
22	जोधपुर	56.67	72.96	38.64	67.09	80.46	52.57
23	करौली	63.4	79.54	44.43	67.34	82.96	49.18
24	कोटा	73.52	85.23	60.43	77.48	87.63	66.32
25	नागौर	57.28	74.1	39.67	64.08	78.9	48.63
26	पाली	54.39	72.2	36.48	63.23	78.16	48.35
27	प्रतापगढ़	48.25	64.27	32.77	56.3	70.13	42.4
28	राजसमन्द	55.73	74.05	37.68	63.93	79.52	48.44
29	सवाईमाधोपुर	56.67	75.74	35.17	66.19	82.72	47.8
30	सीकर	70.47	84.34	56.11	72.98	86.66	58.76
31	सिरोही	53.94	69.89	37.15	56.02	71.09	40.12
32	टोंक	51.97	70.52	32.15	62.46	78.27	46.01
33	उदयपुर	59.77	74.66	44.49	62.74	75.91	49.1
	राजस्थान	60.41	75.7	43.85	67.06	80.51	52.66

स्रोत – जनसंख्या (2011) राजस्थान

साक्षरता की जिलेवार तुलनात्मक स्थिति पर दर्शाती है कि भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत साक्षरता केन्द्र स्थापित करने व 6–14 आयुवर्ग के लिए अनिवार्य शिक्षा करने के उपरान्त भी राजस्थान की स्थिति देश में सबसे दयनीय है। 2001 में राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश में राजस्थान का स्थान 29वां था जो 2011 में अन्तिम स्तर पर पहुंच गया है। 2001 की साक्षरता का औसत पुरूष 75.06, महिला 53.67 तथा व्यक्ति 64.83 था जो 2011 में बढ़कर पुरूष 82.14, महिला 65.46 व व्यक्ति 74.04 तक पहुंचा है। अभी भी भारत सम्पूर्ण साक्षरता स्तर तक पहुंचने में बहुत पीछे है। इसमें केरल राज्य सबसे अग्रणी है। जहां पुरूष साक्षरता 96.02, महिला साक्षरता 91.98 तथा व्यक्ति साक्षरता 93.71 प्रतिशत है। साक्षरता का आंकलन सात वर्ष से नीचे की जनसंख्या को छोड़कर किया जाता है।[5]

भारत वर्ष का दुर्भाग्य कहे या इसे भारतीय सामाजिक व्यवस्था की विडम्बना आज भी हमारे यहाँ नारी को समान स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है।

3.2 वर्षा, कृषि व सिंचाई

राजस्थान में चम्बल को छोड़कर कोई बारहमासी नदी नहीं है तथा चम्बल नदी भी मध्यप्रदेश से निकलकर प्रदेश के दक्षिणी भाग से गुजरती हई उत्तरप्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान की जनसंख्या संबंधी सभी आवश्यकताऐं वर्षा जल से ही पूरी होती है। अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत नहरों से कुछ जिलों में सिंचाई सुविधा सृजित की गई है। राज्य की वर्षा पर निर्भरता के कारण प्रायः अकाल की आशंका बनी रहती है, जिससे फसलें नष्ट होने से किसानों की स्थिति बदत्तर हो जाती है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा पर आधारित एक फसली क्षेत्र है,

जाहं अच्छी व समय पर वर्षा से भरपूर फसल प्राप्त होती है और मानसून की असफलता रहने, देर से वर्षा आरंभ होने, मानसून की समय पूर्व वापसी, वर्षा चक्र में परिवर्तन आदि से किसानों की अकसर फसलें नष्ट हो जाती है।

बार–बार पड़ने वाले अकाल ने यहाँ से स्वाधीन जन इच्छा को निरन्तर किसी न किसी प्रकार की पुनः गुलामी की ओर सदैव धकेला है। असामान्य वर्षा व अकाल सूखे की स्थिति के कारण परिवारों की भौतिक आवश्यकताऐं पूरी नहीं हो पाती जिससे किसानों को ऋण आदि लेकर जीविका निर्वाह करनी पड़ती है।

इन परिस्थितियों के कारण प्राणी को प्राणी न समझकर बेगार का एक उपकरण माना जाता है व समाज की आधी से अधिक आबादी वाली स्त्रियों को सामाजिक कुरीतियों पर कुर्बान के योग्य समझा जाता है।

▤⎙▤⎙🗁 ☐&♐✂&☪♎ ☐✂&&☪

राज्य के प्रत्येक जिले की आर्थिक सामान्य वर्षा का आंकलन विगत 50 वर्षों में वर्षवार वर्षा के आधार पर किया जाता है, जिसे संबंधित जिले की वर्षा का सामान्य प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है और वार्षिक वर्षा का औसत इसी आधार पर ज्ञात किया जाता है। सामान्य वर्षा में जिले वार स्थिति में बहुत परिवर्तन क्योंकि पश्चिमी मरू क्षेत्र में न्यूनतम सामान्य वर्षा 18.55 सेन्टीमीटर जैसलमेर जिले की है जबकि अधिकतम सामान्य वर्षा 95.03 सेन्टीमीटर बांसवाड़ा में आंकी गई है। राजस्थान की औसत सामान्य वर्षा 57.51 सेन्टीमीटर है। जिलेवार औसत सामन्य वर्षा व 2005 से 2009 तक हुई वास्तविक वर्षा की स्थिति सारिणी 3.4 में दर्शायी गई है–

सारिणी 3.4
राजस्थान की जिलेवार सामान्य वर्षा
व वास्तविक वर्षा 2005–2009(सेन्टीमीटर में)

क्र. सं.	जिला	सामान्य वार्षिक वर्षा		वास्तविक वर्षा			
		2001	2005	2006	2007	2008	2009
	1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	60.18	49.00	45.50	39.93	46.68	26.00
2	अलवर	65.73	72.53	52.09	60.35	94.95	51.15
3	बांसवाड़ा	95.03	79.15	180.57	127.85	56.19	72.93
4	बारां	87.38	83.91	82.98	65.66	92.29	69.39
5	बाड़मेर	26.57	18.23	64.69	26.98	29.94	19.35
6	भरतपुर	66.39	67.17	40.40	48.70	78.80	60.11
7	भीलवाड़ा	68.32	55.33	83.54	53.38	59.48	38.07
8	बीकानेर	24.30	29.68	19.27	28.33	34.73	20.87
9	बूंदी	77.34	58.87	61.92	60.89	64.19	42.32
10	चित्तौड़गढ़	84.15	80.85	125.02	74.22	81.59	57.67
11	चुरू	35.47	35.50	29.72	40.52	50.60	26.65
12	दौसा	56.10	65.96	43.88	55.45	86.10	42.46
13	धौलपुर	74.45	64.09	40.19	47.63	104.05	48.77
14	डूंगरपुर	72.89	53.11	140.45	76.85	46.39	73.33
15	गंगानगर	22.64	18.68	20.46	32.92	31.04	20.40
16	हनुमानगढ़	27.35	29.07	28.27	43.09	38.53	23.54
17	जयपुर	56.38	55.52	36.00	45.68	66.74	30.37
18	जैसलमेर	18.55	16.84	28.36	25.67	22.58	10.36
19	जालौर	37.00	44.48	85.35	40.79	37.55	18.44
20	झालावाड़	84.43	67.53	135.89	70.21	72.07	73.80
21	झुंझुनू	40.51	51.96	42.54	48.83	63.37	29.17
22	जोधपुर	31.37	29.61	25.65	28.86	34.67	13.93
23	करौली	67.07	61.10	42.58	55.57	100.75	54.07
24	कोटा	73.24	61.19	95.72	70.53	81.40	58.32
25	नागौर	31.17	38.75	26.70	31.93	46.45	18.91
26	पाली	42.44	44.52	66.61	58.53	38.74	28.03
27	प्रतापगढ़	84.49	81.19	125.36	74.54	78.14	89.63
28	राजसमन्द	56.78	77.60	79.40	61.59	44.44	42.11
29	सवाईमाधोपुर	87.34	81.41	50.04	57.84	73.84	48.40
30	सीकर	44.03	45.01	37.54	41.44	61.81	24.09
31	सिरोही	59.12	82.05	152.96	82.93	50.60	43.70
32	टोंक	66.83	56.38	43.06	55.28	58.28	34.84
33	उदयपुर	64.50	82.55	127.24	64.26	62.78	58.94
	राजस्थान	57.51	56.53	70.87	55.93	60.48	42.26

स्त्रोतः राजस्व मण्डल (भू–अभिलेख) राजस्थान, 2013

जिलेवार वास्तविक वर्षा की पांच वर्ष की सूचना के अनुसार सामान्य वर्षा से एक या दो वर्ष अधिक वर्षा हुई है, जिसका कोई रूझान सभी जिले में एक समान नहीं देखा गया। सामान्य से दो वर्ष से कम बहुत कम वर्षा हुई तथा एक वर्ष सामान्य से कुछ कम या अधिक होने का रूझान देखा गया। ये स्थितियाँ पूरे राज्य में एक समान प्रवृत्ति नहीं दर्शाने से प्रायः कुछ जिले अकाल से ग्रस्त हो जाते हैं। कई बार पूरे राज्य में सामान्य से बहुत कम वर्षा होने से पूरे प्रदेशों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण एक सी प्रकृति नहीं होने से कुछ जिलों में सामान्य से अधिक व कुछ जिलों में सामान्य से कम वर्षा की प्रवृत्ति पाई जाती है। अकाल का आंकलन फसल के नष्ट होने के आंकलन पर निर्भर करता है।

निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 50 प्रतिशत तक फसल की क्षति को किसान की करने की क्षमता के अन्तर्गत माना गया है। 50 से 75 प्रतिशत व 75 से शत प्रतिशत क्षति होने की स्थिति में अकाल राहत कार्य किये जाते हैं जो दूसरे वर्ष वर्षा पूर्व तक जारी रहते हैं जिसमें प्रत्येक प्रमाणित जिलों के लिए तय सीमा निर्धारित की जाती है, जिन्हें रोजगार पर लगाया जाना होता है। कार्य करने वाले व्यक्तियों को मजदूरी अनाज व नकद एक निर्धारित अनुसार में मिलती है, जिससे परिवार को भोजन व आवश्यक वस्तुऐं जुटाने की सुविधा मिल सके। किसानों को खाद व बीज के लिए प्रदान किये ऋण की एक वर्ष बाद चुकाने की छूट मिल जाती है। अधिक गंभीर स्थिति में पशुओं की केन्द्रों में रखकर चारा उपलब्ध कराया जाता है। यह व्यवस्था प्रायः गायों के लिए की जाती है, जिससे उनको सुरक्षित रखा जा सके।[6]

3.2.2 भू–उपयोग

भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है, जिसके उपयोग की श्रेणियाँ पूरे देश में एक समान निर्धारित की गई हैं, जिससे सूचना एकत्रित

करने व आंकलन करने में सुविधाऐं है। इस नौ श्रेणी के वर्गीकरण वन के अन्तर्गत भूमि, आबादी, सुविधाओं आदि के अन्तर्गत होने से दृष्टि हेतु आंकलन एवं भूमि जिसे गैर कृषि कार्यों हेतु प्रयुक्त भूमि भी कहा जाता है। तीसरी श्रेणी में बंजर व कृषि अयोग्य भूमि, तथा चौथी व पांचवी श्रेणियों क्रमशः चारागाह व गोचर भूमि, वृक्षों के अन्तर्गत भूमि आती है। छठीं श्रेणी में कृषि योग्य इस पर भूमि, सातवीं श्रेणी में पुरानी पड़त भूमि जो पांच वर्ष से अधिक समय उपयुक्त रहती है। आठवी श्रेणी में वर्तमान में पड़त भूमि तथा नवी श्रेणी में बोया गया शुद्ध क्षेत्र आता है। बोये गए क्षेत्र में एक फसली व एक से अधिक फसलों में प्रयुक्त भूमि को पृथक से दर्शाया जाता है।

पर्यावरण की दृष्टि से वनों से सघन आच्छादित क्षेत्र 33 प्रतिशत भू भाग पर होना आवश्यक है जिससे पर्यावरण सन्तुलन बनाने में सहायता मिलती है तथा कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक नमी सुनिश्चित रहती है। वनों की उपज व वन्य जीवों की उपस्थिति से रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र 60 प्रतिशत क्षेत्र तक सीमित रहना आवश्यक है, जिससे भूमि उपचार करके अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान में इन दोनों स्थितियों का अभाव है जिससे वर्षा भी प्रभावित होती है और अकाल की आशंका बनी रहती है। शेष 7 प्रतिशत क्षेत्र आबादी सड़कें, पुर्व के रेल मार्ग, बांध उधोग धंधों के लिए सुरक्षित रखना आदर्श भूमि उपयोग माना जाता है। राजस्थान में जिलेवार भूमि उपयोग की स्थिति सारिणी 3.5 में दर्शायी गई है।

सारिणी 3.5
राजस्थान में जिले वार भू–उपयोग की स्थिति 2008–09

क्र. सं.	जिला	कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र	वन	अन्य कार्यों में प्रयुक्त	बंजर भूमि	स्थायी चारागाह	वृक्षारोपण क्षेत्र
	1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	842352	56364	51645	87297	28266	285
2	अलवर	783315	79574	45952	83684	24156	154
3	बांसवाड़ा	453612	81200	10861	52086	11968	115
4	बारां	699461	216618	316684	33327	35593	155
5	बाड़मेर	2817332	32091	73190	125107	202462	50
6	भरतपुर	506731	33645	29966	21541	7720	180
7	भीलवाड़ा	1050673	79436	67680	144497	120937	177
8	बीकानेर	3041189	91600	300095	14	50953	33
9	बूंदी	581938	142413	40491	48743	24255	142
10	चित्तौड़गढ़	750761	120136	41241	73232	73702	2295
11	चुरू	1385898	6616	65199	648	37688	18
12	दौसा	341406	24803	20297	17600	26022	518
13	धौलपुर	300913	27133	16381	58439	17854	376
14	डूंगरपुर	385593	62204	22973	71409	34553	1437
15	गंगानगर	1093352	60517	69134	1911	140	4733
16	हनुमानगढ़	970359	18439	56445	150	3728	14
17	जयपुर	1105519	82272	79185	55002	76915	781
18	जैसलमेर	389154	44577	247733	255161	104071	90
19	जालौर	1056602	22063	40822	82379	47432	27
20	झालावाड़	632235	124817	27357	34277	48350	3134
21	झुंझुनू	591536	39680	22321	15460	39470	55
22	जोधपुर	2256405	6996	80252	145371	121928	108
23	करौली	504301	172509	23260	48425	30822	340
24	कोटा	521324	125379	30869	36108	14320	316
25	नागौर	1763821	18463	89930	55480	71211	19
26	पाली	1233079	86536	58480	139370	91137	199
27	प्रतापगढ़	411736	120773	11342	28007	22486	229
28	राजसमन्द	452938	24774	23331	103968	57189	0
29	सवाईमाधोपुर	497947	80046	28214	39128	24581	577
30	सीकर	774244	61112	34791	18073	40529	88
31	सिरोही	517947	155461	25382	74790	33305	82
32	टोंक	717958	27506	48528	27285	41871	131
33	उदयपुर	1388255	396651	155027	317101	83186	826
	राजस्थान	**34269886**	**2727944**	**1970056**	**2295082**	**1698800**	**17684**

क्र. सं.	जिला	बेस्टलैण्ड	पुरानी पडत भूमि	वर्तमान पड़त भूमि	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	दोहरा कृषि क्षेत्र	कृषि संधारण प्रतिशत
	1	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	अजमेर	71478	42546	31898	422573	708434	116.76
2	अलवर	7752	22498	15496	504049	305139	160.54
3	बांसवाड़ा	24643	32712	6657	223370	93094	141.68
4	बारां	15165	19673	8845	338401	211587	162.53
5	बाड़मेर	201442	304418	200865	1677707	91733	105.94
6	भरतपुर	3007	8745	7070	394884	167091	142.31
7	भीलवाड़ा	135081	62914	49477	394974	125392	131.75
8	बीकानेर	645083	232838	117198	1603375	180627	111.26
9	बूंदी	29146	26423	12615	257670	155776	160.46
10	चित्तौड़गढ़	100588	20288	12798	306481	185823	160.63
11	चुरू	10987	42711	56860	1165171	293599	125.19
12	दौसा	7162	12436	10546	222022	128767	158.00
13	धौलपुर	8743	9459	13189	149299	58540	133.21
14	डूंगरपुर	21275	33011	8008	130723	27345	120.92
15	गंगानगर	36903	94931	68380	756703	335127	144.29
16	हनुमानगढ़	3337	26323	43834	818089	418510	151.16
17	जयपुर	37434	68426	52578	652926	309627	147.42
18	जैसलमेर	2424703	97010	47059	618750	108806	117.58
19	जालौर	34806	90516	86203	652354	160481	124.60
20	झालावाड़	45004	17555	5983	325758	222895	168.42
21	झुंझुनू	6671	24250	22330	421299	233688	155.47
22	जोधपुर	14904	363391	238810	1284645	135058	110.51
23	करौली	12995	10656	8390	196904	109567	155.64
24	कोटा	23011	11784	8519	271018	164292	160.62
25	नागौर	15326	86867	163131	1263394	196890	115.58
26	पाली	42103	118714	101596	594944	49582	108.33
27	प्रतापगढ़	39320	11225	4557	173797	98223	156.52
28	राजसमन्द	118768	24062	10510	90336	19535	121.62
29	सवाईमाधोपुर	12670	17416	16611	278705	92902	133.33
30	सीकर	9581	43233	43980	522857	220109	142.10
31	सिरोही	10436	33941	34108	146442	45849	131.31
32	टोंक	44468	30993	36654	460522	123143	126.74
33	उदयपुर	121853	61608	20731	231272	72214	131.22
	राजस्थान	**4335845**	**2107572**	**1565481**	**17551414**	**52199854**	**129.74**

स्त्रोतः राजस्व मण्डल (भू–अभिलेख) राजस्थान

भूमि उपयोग के उल्लेखनीय कारणों में 7.96 प्रतिशत भागों में वन स्थित है जो भू–अभिलेख में वास्तविक वन क्षेत्र की स्थिति को दर्शाते हैं जबकि आदर्श स्थिति के अनुसार 9.55 प्रतिशत क्षेत्र वनों के लिए सुरक्षित रखा गया है। यह स्थित दर्शाती है कि राज्य में 547191 हेक्टेयर वन क्षेत्र विभिन्न प्रकार के अवैध रूप से अन्य कार्यों के अन्तर्गत प्रयुक्त किया जाता है और वन विभाग इस क्षेत्र को कानूनी मान्यता होने पर भी सुरक्षित नहीं रख सका है। यह क्षेत्र कुल विधिक वन क्षेत्र का 16.73 प्रतिशत है। आबादी व संस्थागत उपयोग के अन्तर्गत 5.75 प्रतिशत क्षेत्र है। राज्य के बंजर क्षेत्र 6.70 प्रतिशत है जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं चारागाह क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.96 प्रतिशत है, जिसमें से विकसित चारागाह नगण्य है और यह भूमि अनुपयुक्त स्थिति में पड़ी रहती है अथवा किसी प्रभावी व्यक्ति के नियंत्रण में बना रहता है।

वृक्ष समूह के अन्तर्गत क्षेत्र के जल 0.05 प्रतिशत है जो दर्शाता है कि वृक्षारोपण के प्रयास प्रति वर्ष निष्फल रहते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष चार या पांच करोड़ पौधे लगाए जाते हैं जो सुरक्षा व पानी के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। वेस्टलैण्ड क्षेत्र प्रदेश में 12.05 है जो भूमि अक्सर हाथ इसे पुनः कृषि योग्य बना सकता है। बेस्टलैण्ड में परिवर्तित भूमि का उपचार बहुत महंगा होता है जिसे सामान्य कृषक वहन कर पाने में असमर्थ होता है। राज्य में 6.15 प्रतिशत कृषि भूमि पांच वर्ष से अधिक समय से पड़त रूप में रहने से कृषि हेतु अनुपयुक्त हो गई है पर इस भूमि पर स्थायित्व किसानों का है। वर्तमान पड़त कृषि भूमि 4.57 प्रतिशत है, जिसे आंशिक उर्वरा शक्ति घटने से बोये गए क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की जा सकी है। कई बार कृषक उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए एक वर्ष खेती नहीं करते परन्तु ऐसी भूमि प्रायः कम उपजाऊ होती है।

3.2.3 कृषि

राज्य में वर्ष 2008—09 में 51.21 प्रतिशत क्षेत्र में बुवाई की गई तथा कृषि 129.74 प्रतिशत रही। कृषकों के स्वामित्व में 61.93 प्रतिशत कृषि भूमि है परन्तु 6.15 प्रतिशत पुरानी पड़त भूमि व 4.57 प्रतिशत वर्तमान पड़त भूमि होने से बुवाई का क्षेत्र पर रहा है। राज्य में कृषि सघनता 129.74 प्रतिशत है जिसका तात्पर्य यह है कि 29.74 प्रतिशत क्षेत्र में दो फसलें प्राप्त की गई। भूमि उपयोग की दृष्टि से दो जिलों की स्थिति विशिष्ट स्वरूप की बनी है। चुरू जिले में 91.26 प्रतिशत कृषि क्षेत्र हो गया है, जिसमें से 84.07 प्रतिशत क्षेत्र में फसलें उगाई गई व क्षेत्र भूमि पड़त के अन्तर्गत सम्मिलित है। कृषि क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होने से अन्य भू—उपयोग के अन्तर्गत भूमि नगण्य रही।

चुरू से विपरीत स्थिति उदयपुर जिले की है, जिसमें केवल 22.59 प्रतिशत कृषि क्षेत्र है तथा 16.66 प्रतिशत क्षेत्र में है फसलें उगाई गई। उदयपुर जिले में पहाड़ों व पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण यह स्थिति बनी है। इस प्रकार भूमि उपयोग की विविधता के अन्तर्गत कुछ स्थानों पर वन, चरागाह, आदि कार्यों के लिए बहुत नगण्य भूमि उपलब्ध है जिसका कारण टीलों को समतल करके या ढलान में ही फसलें उगायी जाती है।

कृषि क्षेत्र अधिकांशतया कृषिकों के नियंत्रण की भूमि ही मानी जाती है तथा बहुत सीमित क्षेत्र संस्थाओं व सरकार के अधीन होता है जो कृषि कार्य की श्रेणी में वर्गीकृत है। कृषि क्षेत्र भू स्वामिवों के जीवन यापन के साधन के रूप में माना जाता है, जिसका विवरण कृषकों के मध्य होने के कारण एक कृषि इकाई के क्षेत्र कहा जाता है जो किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व में होता है।[7]

कृषि भूमि के मालिक के कृषक कहा जाता है तथा कृषि भूमि सीमा के द्वारा किसानों का श्रेणी निर्धारण किया गया है जिसके अन्तर्गत एक हेक्टर से कम भूमि के कृषक को सीमान्त कृषक कहा जाता है तथा एक हेक्टर व अधिक तथा दो हेक्टेयर के कम भूमि के कृषक को सीमान्त कृषक कहा जाता है तथा एक हेक्टर व अधिक तथा दो हेक्टर के कम भूमि के स्वामी को लघु कृषक की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अर्ध मध्यम कृषक की श्रेणी में दो हेक्टर से अधिक व चार हेक्टर से कम भूमि के स्वामी वर्गीकृत कियाऐं हैं तथा मध्यम कृषक की श्रेणी में चार हेक्टर से 10 हेक्टयर तक के कृषक आते हैं। वृहद कृषक 10 हेक्टर से अधिक भूमि के स्थायी कहलाते हें। इससे की कियान्वयन के अनुसार जिलेवार प्रत्येक श्रेणी के किसानों की संख्या व उनके स्वामित्व में कृषि भूमि का विवरण सारिणी 3.6 में दर्शाया गया है।

सारिणी 3.6
जिलेवार कृषकों की श्रेणीवार संख्या व कृषि जोत 2005–2006

(कृषि जोत संख्या में व क्षेत्र हेक्टर में)

क्र. सं.		सीमान्त कृषक (एक हेक्टर से कम)		लघु कृषक (1–2 हेक्टर)		अर्द्ध मध्यम कृषक (2–4 हेक्टर)	
	जिला	संख्या	कृषि भूमि	संख्या	कृषि भूमि	संख्या	कृषि भूमि
	1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	115773	49867.37	50743	73232	40945	114867
2	अलवर	178693	90282	87793	123347	55191	152796
3	बांसवाड़ा	129706	57060	43167	60723	26564	72690
4	बारां	53090	27135	38904	56383	34759	96067
5	बाड़मेर	8743	4828	15393	23700	39279	117757
6	भरतपुर	136905	65346	58197	83124	41201	114765
7	भीलवाड़ा	119994	64116	81785	115702	60942	169042
8	बीकानेर	3071	1705	7699	11413	29357	89253
9	बूंदी	53376	27809	35733	51597	28462	79238
10	चित्तौड़गढ़	105730	56495	74155	104859	54722	151939
11	चुरू	6038	3648	17885	27214	48015	142067
12	दौसा	51230	24745	30428	42977	23447	56934
13	धौलपुर	59307	32487	26235	36953	16354	45350
14	डूंगरपुर	96800	37202	30648	43936	22070	60761
15	गंगानगर	1721	1062	6454	9561	20114	60255
16	हनुमानगढ़	15152	8803	27024	39399	46396	136127
17	जयपुर	102848	52229	73769	104873	68817	195168
18	जैसलमेर	1357	1003	3438	5661	7900	24002
19	जालौर	13996	8534	25885	38899	41859	119934
20	झालावाड़	57819	30540	423414	61381	37304	105649
21	झुंझुनू	52374	36122	68809	98086	58852	162533
22	जोधपुर	22136	12431	29735	44679	51335	149061
23	करौली	73773	34065	33283	46511	2115	59105
24	कोटा	23462	15346	26115	38074	25739	73156
25	नागौर	29954	16997	53537	80926	85312	24735194
26	पाली	61389	32397	49581	72202	46595	130012
27	राजसमन्द	83560	35735	31975	45089	20327	55665
28	सवाईमाधोपुर	68163	30410	37427	52558	29705	83578
29	सीकर	65941	38466	76860	110045	72892	202738
30	सिरोही	28713	15176	19632	28205	15560	43382
31	टोंक	58731	29186	41897	60164	41524	118138
32	उदयपुर	168554	75132	74526	103823	47715	131309
	राजस्थान	2073094	1016367	1321126	1895062	1260369	3569694
	प्रतिशत कृषक क्षेत्र	**33.51**	**4.85**	**21.35**	**9.05**	**20.37**	**17.05**

क्र. सं.	जिला	मध्यम कृषक (4–10 हैक्टर)		वृहद कृषक (10 हेक्टर से अधिक)		योग	
		संख्या	कृषि भूमि	संख्या	कृषि भूमि	संख्या	कृषि भूमि
	1	8	9	10	11	12	13
1	अजमेर	26198	157142.85	6355	98951.16	240014	494060.66
2	अलवर	23094	130721.61	1889	26157.86	346660	523304.27
3	बांसवाड़ा	9817	55308.98	719	10275.14	209973	256056.92
4	बारां	20258	119003.50	2849	39446.83	149860	338036.31
5	बाड़मेर	84466	558108.49	75498	1557521.81	223379	2261915.54
6	भरतपुर	20308	116577.77	1805	24465.62	258416	404378.59
7	भीलवाड़ा	28808	166252.09	3586	53669.09	295115	568781.36
8	बीकानेर	92566	596512.41	59923	1113499.79	192616	1812383.51
9	बूंदी	14581	85120.93	1569	23124.96	133721	266889.92
10	चित्तौड़गढ़	28788	167724.71	3604	51798.01	266999	532821.92
11	चुरू	77716	497705.62	36787	596402.50	186441	1267036.85
12	दौसा	13342	78512.26	2173	36763.29	120620	248931.36
13	धौलपुर	6696	37580.93	623	9002.75	119215	161373.57
14	डूंगरपुर	7728	42359.31	484	13438.30	157730	197696.08
15	गंगानगर	55771	353998.04	22601	366950.82	106661	791826.48
16	हनुमानगढ़	60703	381747.26	20390	312239.26	169665	878316.93
17	जयपुर	43049	257677.61	10242	161921.37	298725	771869.16
18	जैसलमेर	37106	235865.65	22423	490159.68	72224	756491.67
19	जालौर	47889	302892.35	20382	329047.35	150011	799307.69
20	झालावाड़	22335	131131.60	2972	40982.98	162844	369684.57
21	झुंझुनू	24307	135893.15	1878	25405.04	216220	458039.40
22	जोधपुर	784384	480031.97	54655	1069460.88	232245	1755664.63
23	करौली	10422	60272.18	1311	18981.70	139904	218935.19
24	कोटा	18402	109214.52	2712	39324.23	10430	275115.19
25	नागौर	93514	584441.42	34429	541331.99	296746	1471048.59
26	पाली	36891	228414.99	17118	319667.24	211574	782693.74
27	राजसमन्द	8764	49947.43	1129	18982.27	145755	205388.14
28	सवाईमाधोपुर	17215	100199.32	2508	35969.02	155018	302714.89
29	सीकर	36134	205394.89	3398	46168.75	253225	602813.82
30	सिरोही	10632	65045.17	3070	48248.15	77607	200057.23
31	टोंक	32153	195459.21	7245	106178.77	181550	509125.89
32	उदयपुर	19226	109741.73	2298	36221.60	312319	456232.42
	राजस्थान	1103263	6796009.95	428625	7661858.21	6186482	20938991.36
प्रतिशत कृषक क्षेत्र		17.83	32.46	6.93	36.59	.100	.100

स्रोतः कृषि गणना विभाग राजस्थान

नोट– 2005–06 में कृषि सर्वेक्षण के समय प्रतापगढ़ जिला अस्तित्व में नहीं था।

किसानों के खेत के आकार संबंधी जिलेवार स्थिति से यह ज्ञात होता है कि कृषि जोत का औसत आकार जैसलमेर जिले में 10.47 हेक्टर तथा बाड़मेर में 10.13 हैक्टर है। इस कारण मरूस्थलीय जिलों में जोत का आकार अधिक है परन्तु वर्षा की कमी व कुओं का जलस्तर बहुत नींचा होने से सिंचाई के साधन कम है। इसके विपरीत छोटी औसत जोत प्रायः पहाड़ी, पठारी व मैदानी जिलों में है। जिसमें सबसे छोटी औसत जोत 1.22 हेक्टर बांसवाड़ा जिले में, 1.25 हेक्टर डूंगरपुर जिले में है जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। राज्य की औसत जोत का आकार 3.38 हैक्अर जबकि 2 हेक्टर से कम औसत जोत वाले जिले अलवर 1.51 हेक्टर, 1.56 हेक्टर भरतपुर, 1.92 हेक्टर भीलवाड़ा, 1.35 हैक्टर धौलपुर, 1.56 हेक्टर जबकि 1.41 हेक्टर करौली, 1.95 हेक्टर सवाई माधोपुर व 1.46 हेक्टर उदयपुर जिले में है। राज्य की कृषकों की संख्या व क्षेत्र के आधार पर निम्न स्थितियाँ बनती हैं[8]–

(1) राज्य में सीमान्त कृषक कुल किसानों का 33.51 प्रतिशत है, जिनसे स्वामित्व में के बल 4.85 प्रतिशत कृषि भूमि है। इनकी औसत कृषि जोत का आकार 0.49 हेक्टर है।

(2) राजस्थान में लघुकृषक 21.35 प्रतिशत है, जिनके पास कुल कृषि भूमि का 9.05 प्रतिशत है तथा इनकी औसत कृषि जोत का आकार 1.42 हेक्टर है।

(3) अर्ध मध्यम कृषकों का प्रतिशत 20.37 है जो 17.05 प्रतिशत कृषि भूमि के स्वामी है, इनकी औसत जोत का आकार 2.83 हेक्टर है।

(4) मध्यम कृषक कुल किसानों के 17.83 प्रतिशत है, जो 32.46 प्रतिशत कृषि भूमि के स्वामी है, इनकी औसत जोत का आकार 6.16 हेक्टर है।

(5) बड़े किसान राज्य में 6.93 प्रतिशत है जो 36.59 प्रतिशत कृषि भूमि के अधिकार में रखते हैं। इनकी औसत कृषि जोत का आकार 17.87 हेक्टर है।

(6) राज्य में लघु व सीमान्त कृषक, जिनके स्वामित्व में दो हेक्टर से कम कृषि भूमि है, 54.86 प्रतिशत है, जिनके पास 13.90 प्रतिशत कृषि भूमि है। ये

किसान गरीब है तथा परिवार का भरण–पोषण के लिए कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करके जीविका चलाते हैं।

(7) राज्य में दो हेक्टर से अधिक भूमि के स्वामी 45.14 प्रतिशत है, जिसके पास कुल कृषि भूमि का 86.10 प्रतिशत है। ये जोत प्रायः सम्मान श्रेणी के कृषक है तथा पानी की सुविधा जुटाकर दो फसलें उगा लेते हैं।

गांव की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है इनमें से 54.86 प्रतिशत कृषक गरीब है जो प्रायः व्यापारी से अपनी आवश्यकता के लिए ऋण लेते हैं जिसके लिए खेतों की गिरवी रखते हैं। परिवार के एक व्यक्ति को ऋण देने वाले के पास काम करना पड़ता है जिससे ब्याज नहीं देना पड़े तथा यह कम जरूरी रहता है क्योंकि ऐसे किसान कर्ज नहीं चुका पाते हैं। सबसे अधिक मानवाधिकार से पीड़ित इस वर्ग के पुरूष व महिलाऐं हैं जो कर्जदार होने से सभी प्रकार से व्यापारी के बंधन में रहते हैं। ऐसी यातनाएं सहना और आवाज़ नहीं निकाल पाना इनकी मजबूरी है। लघु व सीमान्त कृषक व कृषि श्रमिक प्रायः धनी व सम्पन्न लोगों के बन्धुआ मजदूर जैसे होते हैं और मानव अधिकारों का हनन होना सामान्य स्थिति है।

कृषि भूमि के लिए सिंचाई सुविधा जुटाने के लिए अन्तराज्यीय समझौते द्वारा नहरों से जल सुविधा जुटाई गई परन्तु अभी भी अधिकांश सिंचाई भूमिगत स्त्रोतों से ही की जाती है। राजस्थान में जिलेवार विभिन्न स्त्रोतों से शुद्ध क्षेत्र की स्थिति 2008–09 की सारिणी 3.7 में दर्शायी गई है, जिसमें सिंचाई का शुद्ध क्षेत्र प्रत्येक स्त्रोत द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें सिंचाई के स्त्रोत नहरें, टांके, कुंए व अन्य स्त्रोत दर्शाए गए है जो प्रायः एनीकट के रूप में जलग्रह व प्रभावी के अन्तर्गत बनाए गए हैं। इनका उदेश्य समीपवर्ती क्षेत्र के कुओं का जल स्तर बढ़ता रहता है। परन्तु निरन्तर गिरते जल स्तर से वह स्थिति बहुत उपयोगी नहीं है।

सारिणी 3.7
राजस्थान में जिलेवार विभिन्न स्त्रोतों से सिंचाई के शुद्ध क्षेत्र की स्थिति 2008–09

क्र. सं.	वर्ष / जिला	नहर	टांका / तालाब	कुएं	अन्य स्रोत	शुद्ध सिंचाई क्षेत्र
	1	2	3	4	5	6
	2004–05	1457471	82407	4266653	73416	5879947
	2005–06	1705767	76740	4426605	84834	6293946
	2006–07	1703284	130791	4580694	80976	6495745
	2007–08	1687753	101724	4572049	82534	6444060
	2008–09	1583116	30565	4558657	72710	6245048
1	अजमेर	345	295	45608	1358	47606
2	अलवर	1666	51	453055	8	454780
3	बांसवाड़ा	56025	1728	14852	10660	83265
4	बारां	67018	5585	213744	14361	300708
5	बाड़मेर	117	0	129879	390	130386
6	भरतपुर	2768	0	33654	0	333422
7	भीलवाड़ा	6797	3599	108146	941	119483
8	बीकानेर	156806	4	90608	0	247418
9	बूंदी	103134	744	95646	7022	206546
10	चित्तौड़गढ़	9846	973	178292	1586	190697
11	चुरू	481	0	66622	0	67103
12	दौसा	729	0	160586	0	161315
13	धौलपुर	5660	88	101910	55	107713
14	डूंगरपुर	4724	145	13173	1316	19358
15	गंगानगर	569409	0	1746	0	571155
16	हनुमानगढ़	354820	0	9321	8	364149
17	जयपुर	802	15	294910	0	295727
18	जैसलमेर	71683	0	34488	10	106181
19	जालौर	97	2	238528	0	238627
20	झालावाड़	11907	2087	205992	1570	221556
21	झुंझुनू	0	0	216080	0	216080
22	जोधपुर	0	0	214222	896	215118
23	करौली	3406	2932	114627	5307	126272
24	कोटा	126409	347	109245	2418	238419
25	नागौर	0	0	249667	4	249671
26	पाली	0	1145	81929	0	83074
27	प्रतापगढ़	10190	471	70283	0	80944
28	राजसमन्द	0	0	22893	4	22897
29	सवाईमाधोपुर	7914	2304	170554	12343	193115
30	सीकर	0	0	233299	0	233299
31	सिरोही	0	785	75235	250	76276
32	टोंक	9870	2827	158102	12022	182821
33	उदयपुर	493	4438	54761	181	59873
	योग	1583116	30565	4558657	72710	6245048

स्त्रोतः राजस्व मण्डल (भू अभिलेख) राजस्थान

राजस्थान में कृषि का शुद्ध बोया गया क्षेत्र व शुद्ध सिंचाई क्षमता के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्य में 35.58 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में शुद्ध बुवाई की गई। इससे 25.35 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध रही। इस क्षेत्र में दो के क्षेत्र उत्पादन का उपयोग इसी स्तर का पर नही गया। राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से 25.35 क्षेत्र में नहरों द्वारा 0.49 प्रतिशत क्षेत्र में टांके या तालाब से सिंचाई सुनिश्चित प्राप्त की गई। कुओं से 73 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त की गई। शेष 1.16 प्रतिशत क्षेत्र एनीकट आदि से सिंचित किया गया। फसल प्राप्त करने के लिए कुओं से प्रतिवर्ष वर्षा से जलस्तर की वृद्धि के तीन गुना तक जल निकासी से पूरा प्रदेश अतिदोहन का कारण बनकर डार्क जोन में पहुंच गया है।

राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में महिलाएँ :

राजस्थान में आज भी दलितों की स्थिति असामान्य है वहाँ औरतों के मानवाधिकारों की कोई कद्र नहीं है। उन्हें दो तरह का उत्पीड़न सहना पड़ता है। पहला औरत होने का व दूसरा दलित होने का।

राष्ट्रीय दलित महिला संगठन की नेता कुमुद पावटेट ने अपनी पुस्तक "माई स्टोरी इन संस्कृत" में राजस्थान की दलित महिलाओं को पानी लेने नहीं दिया जाता, सरकारी नल में सबसे पीछे लाईन में खड़ा किया जाता है।

राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले कि औरतों को आज भी दो तरह का चुड़ा पहनाया जाता है, एक पति के नाम पर और दूसरा गांव के ठाकुर के नाम पर। यहाँ दलित औरतें व लड़कियाँ अभी भी दलित वर्ग की सरकारी दुकानों से अगड़ी जातिया, अनाज, दाल, चीनी आदि नहीं लेती।

सम्पूर्ण प्रदेश का ग्रामीण परिवेश दर्शाता है कि अर्द्ध शताब्दी के बीत जाने के बाद भी राजस्थान की नारी स्वाधीनता समानता के प्रभाव से दूर है। कहने को तो राज्य में विकास की गंगा बहती है लेकिन सामाजिक सुरक्षा का खतरा आज भी है।

किसानों की फसलों के लिए पानी उपयोग में लेना आवश्यक है जिससे फसल प्राप्त कर सके परन्तु पानी उपलब्ध रहने के लिए प्रतिवर्ष या दो वर्ष में कुओं व ट्यूब वैल को औसत आधे से दो मीटर गहरा करना पड़ता है जिससे फसलों को पानी मिल सके। केन्द्रीय भूजल मण्डल व राज्य भूजल विभाग की निरन्तर चेतावनी के उपरान्त भी राज्य वैकल्पिक व्यवस्था करने में असमर्थ है। इस स्थिति में भूमिगत जलस्त्रोत खारे पानी में बदलने या सूख जाने की आशंका है। सामान्यतया कुए या ट्यूब वेल से जल लेना मध्यम या बड़े किसानों के लिए ही संभव है। गरीब किसान नहरी क्षेत्रों में सिंचाई कर लेता है अन्यथा उसकी अधिकांश भूमि एक फसल व घटती उर्वरा शक्ति की है, जिससे सीमान्त व मध्यम किसान तक दो हेक्टर भूमि से कोई सार्थकता प्राप्त नहीं कर पाते हैं।[9]

3.3 शिक्षा :

भारत सरकार द्वारा 6–14 वर्ष के छात्र–छात्राओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार करने व प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के उदेश्य से सभी राज्यों को इस आयुवर्ग के छात्र–छात्राओं को विद्यालय लाने की अनिवार्यता की गई है। शिक्षा के प्रसार के लिए प्राथमिक विद्यालय 1.6 किलोमीटर की पूरी तक सुनिश्चित करने से शिक्षा के प्रसार में सहायता मिली है। राजस्थान में विषम भौगोलिक स्थिति के कारण प्राथमिक विद्यालय के मानदण्ड पूरे कर पाना संभव नहीं हो सका। जैसलमेर व बाड़मेर जिले में 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक गांव होने से चार–पांच घर जल स्त्रोतों के समीप बसे ओटो से यह सुविधा नहीं जुटाई जा सकी, फिर भी सभी संभव गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए जहां तीन छात्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

महिलाओं के प्रति हिंसाः

महिला सशक्तिकरण की योजनाएँ आयोगों के बावजूद भी लिंग आधारित भेदभाव व शोषण हमारे समाज में व्याप्त है।

बलात्कार को महिला को सजा देने व बदला लेने का तरीका माना जाता है। महिलाओं के साथ बढ़ते घरेलू हिंसा के प्रकरणों से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य घरेलू स्तर पर हिंसा या प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करना है। घरेलू हिंसा में चार प्रकार की हिंसा को प्रमुखतया सम्मिलित किया गया है जिसमें शारीरिक, लैंगिक, मौखिक व भावनात्मक, दुर्व्यवहार तथा आर्थिक बल प्रयोग है।

1. शारीरिक धमकियों में ऐसे दुर्व्यवहार आते है जिससे शारीरिक पीड़ा पहुंचती है।
2. लैंगिक हिंसा में अश्लील साहित्य अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना आदि।
3. मौंखिक दुर्व्व्हार के अन्तर्गत चरित्र या आचरण पर कलंक लगाना, दहेज लाने हेतु अपमान, पुरूष संतान न होने के लिए अपमान आदि।
4. आर्थिक दुर्व्व्हार के अन्तर्गत पालन–पोषण के लिए धन न देना, खाना, दवाईयाँ कपड़े उपलब्ध न करवाना आदि।

उच्च प्राथमिक विद्यालय तक जानने के लिए छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराने, बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा, पुस्तकें, यूनिफार्म आदि निःशुल्क उपलब्ध कराने पर भी प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका है। शिक्षण संस्थाओं में प्राथमिक विद्यालय एक से पांच कक्षा तक, अधिकांश उच्च प्राथमिक विद्यालय एक से आठ कक्षा तक कार्यरत है। इसी प्रकार उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 6 से 10 या 6 से 12 कक्षा तक अध्ययन की सुविधा है। इस स्थिति के दृष्टि रखकर राज्य में प्राथमिक विद्यालयें की संख्या, शिक्षकों का जिलेवार विवरण सारिणी 3.8 में दर्शाया गया है।

सारिणी 3.8

प्राथमिक विद्यालय की संख्या नामांकन व अध्यापक 2009—10

क्र. सं.	जिला	प्राथमिक विद्यालय की संख्या	छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र विद्यालय अनुपात	शिक्षक संख्या	छात्र शिक्षक अनुपात
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजमेर	1346	135467	114502	249969	186	4562	55
2	अलवर	2036	125417	108822	234239	115	5058	46
3	बांसवाड़ा	2398	89179	80866	170045	71	4589	37
4	बारां	841	33134	30941	64075	76	1996	32
5	बाड़मेर	3378	120951	99431	220382	65	6351	35
6	भरतपुर	1429	98061	82276	180337	126	4434	41
7	भीलवाड़ा	2139	82032	62494	144526	68	4599	31
8	बीकानेर	1524	96077	80040	176117	115	3563	49
9	बूंदी	1040	41771	34974	76745	74	2242	34
10	चित्तौड़गढ़	1302	41908	33785	75693	58	2526	30
11	चुरू	843	55357	44852	100209	119	1983	50
12	दौसा	1078	66857	57703	124560	115	2296	54
13	धौलपुर	786	55183	46220	101403	129	2071	49
14	डूंगरपुर	1850	74775	66942	141717	77	4792	30
15	गंगानगर	1411	74326	56692	131018	93	2954	44
16	हनुमानगढ़	585	47105	46556	93661	160	1475	63
17	जयपुर	2609	208508	180249	388757	149	6512	60
18	जैसलमेर	1017	29246	21503	50749	50	1619	31
19	जालौर	1646	76985	59131	136116	83	2872	47
20	झालावाड़	1035	50953	44088	95041	92	2011	47
21	झुंझुनू	1169	49153	43035	92188	39	2791	33
22	जोधपुर	2737	143474	127246	270720	99	7186	38
23	करौली	1174	59598	50807	110405	94	3082	36
24	कोटा	721	46173	40009	86182	119	2167	40
25	नागौर	2517	261391	203313	464704	185	8043	58
26	पाली	1164	64126	48290	112416	97	2780	40
27	प्रतापगढ़	891	32736	28980	61716	69	917	67
28	राजसमन्द	1149	43259	37520	80779	70	2231	36
29	सवाईमाधोपुर	1044	62077	50421	112498	108	2739	41
30	सीकर	1490	116413	106136	222549	149	3547	63
31	सिरोही	845	45753	29849	75602	89	1793	42
32	टोंक	1077	48684	41878	90562	84	2684	34
33	उदयपुर	3275	147995	127879	275874	84	9961	28
	राजस्थान	49546	2724124	2287430	5011554	101	113639	44

स्त्रोत : प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के कारण कुछ जिलों में शिक्षा के प्रति संरक्षकों व छात्र–छात्राओं की रूचि से यह स्पष्ट है कि प्रति विद्यालय छात्र संख्या जैसलमेर में 50 छात्र–छात्राओं से लेकर अजमेर जिले में अधिकतम 186 नामांकन प्रति विद्यालय है। इसमें छात्र–छात्राओं का अनुपात 1000 छात्रों पर 840 छात्राओं का है, जो दर्शाता है कि छात्राओं के नामांकन के प्रति जागरूकता व प्रेरणा देने की आवश्यकता है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी गरीब परिवारों में बालिकाओं को धरेलू कार्य में लगाकर परिवार की जीविका बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में माता–पिता के काम पर जाने व बालिकाओं छोटे बच्चों व पशुओं की देखभाल का दायित्व अधिक उपयोगी माना जाता है। अध्यापको द्वारा छात्राओं के साथ अनैतिक कृत्यों के कारण कई परिवार बालिकाओं को विद्यालय भेजना उपयुक्त नहीं मानते। इसलिए शिक्षकों के व्यवहार ठीक रखने व परिवारों को बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।[10]

उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के स्तर की जिलेवार स्थिति सारिणी 3.9 में दी गई है जिसमें विद्यालय, नामांकन व अध्यापक संख्या के साथ विद्यालय नामांकन अनुपात व शिक्षक छात्र अनुपात की जानकारी मिलती है। प्राथमिक विद्यालय की तुलना में उच्च प्राथमिक विद्यालय की घर से दूरी एक कारण है जिसमें बालिकाओं के माता–पिता अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार नहीं है। प्राथमिक शिक्षा की तुलना में उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्राओं के कम प्रवेश की स्थिति भी चिन्ता का विषय है जो शिक्षा के प्रति बालिकाओं के प्रवेश को अवरूद्ध करता है।

सारिणी 3.9

जिलेवार उच्च प्राथमिक विद्यालय, नामांकन व शिक्षकों का विवरण 2009–10

			नामांकन 6–8 कक्षा					
क्र. सं.	जिला	उप प्राथमिक विद्यालय	छात्र	छात्राऐं	योग	प्रति विद्यालय औसत नामांकन	अध्यापक संख्या	छात्र–छात्रा अध्यापक अनुपात
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजमेर	1464	107473	93827	201300	137	8185	25
2	अलवर	2397	207331	172232	379563	158	14664	26
3	बांसवाड़ा	762	79165	65290	144455	190	4979	29
4	बारां	666	56522	46751	103273	155	3677	28
5	बाड़मेर	1526	130153	95091	225244	148	6158	37
6	भरतपुर	1386	133576	107829	241405	174	8759	28
7	भीलवाड़ा	1333	106793	90163	196956	148	7667	26
8	बीकानेर	1068	114742	87590	202332	189	6995	29
9	बूंदी	679	57495	45806	103301	152	4271	24
10	चित्तौड़गढ़	967	69822	60784	130606	135	4956	26
11	चुरू	1048	91828	90530	182358	174	6029	30
12	दौसा	867	83441	73479	156920	181	5264	30
13	धौलपुर	640	72163	54236	126399	197	4314	29
14	डूंगरपुर	719	58868	50890	109758	153	4450	25
15	गंगानगर	1234	76623	68722	145345	118	6103	24
16	हनुमानगढ़	1081	124914	114009	238923	221	6269	38
17	जयपुर	2428	202445	195824	398269	164	16854	24
18	जैसलमेर	467	38394	26027	64421	138	2282	28
19	जालौर	1078	130592	86498	217090	201	4947	44
20	झालावाड़	926	81956	66966	148922	161	7812	19
21	झुंझुनू	968	60594	56079	106673	120	6059	19
22	जोधपुर	2564	170909	142357	313266	122	7544	41
23	करौली	783	72787	56331	129118	165	4699	27
24	कोटा	965	79288	71985	151273	157	6404	24
25	नागौर	2644	196308	155271	351579	133	14716	24
26	पाली	1408	121466	105499	226965	161	7561	30
27	प्रतापगढ़	390	57576	56633	114208	292	1349	85
28	राजसमन्द	827	54174	48633	102807	126	3709	28
29	सवाईमाधोपुर	706	64312	50978	115290	163	4514	25
30	सीकर	1887	181469	159726	341195	181	10038	34
31	सिरोही	451	70806	48740	119564	265	1566	76
32	टोंक	944	74477	61476	135953	144	5999	23
33	उदयपुर	1616	156926	133954	290880	180	10766	27
	राजस्थान	38889	3375393	2840206	6215611	160	219555	28

स्त्रोतः प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर

उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति एक हजार छात्रों पर छात्राओं का नामांकन 841 है जो प्राथमिक शिक्षा के समान ही है किन्तु विद्यालय छात्र–छात्रा नामांकन 118 से 292 के मध्य है जो विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की बढ़ती स्थिति या विद्यालयों की कम संख्या होना दर्शाता है। इसी प्रकार अध्यापक छात्र अनुपात 19 से 44 के मध्य है किन्तु प्रतापगढ़ व सिरोही जिलों में यह अनुपात 85 व 76 है, जो विद्यालयों की कमियों को दर्शाता है। इन दोनों जिलों में घटती जनसंख्या क्रमशः 8.26 व 20.13 प्रतिशत है। कुछ जिलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राऐं बढ़ रहे हैं जो उनकी जनसंख्या का परिचायक है। सम्पूर्ण साक्षरता व शिक्षा के अधिकार के कारण स्कूल जाने वाले आयुवर्ग के छात्र–छात्राओं के विद्यालय लाने के प्रयास से साक्षरता दर में वृद्धि होना बताया गया है।

शिक्षण संस्थाओं में अभिभावक छात्र–छात्राओं को इस विश्वास पर भेजते हैं कि शिक्षक उन्हें शिक्षा प्रदान करने के साथ शुद्ध आचरण व नैतिक शिक्षा भी प्रदान करेंगे। किन्तु समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के उत्पीड़न के साथ बलात्कार जैसे दुष्कृत्य तक प्रकाश में आते हैं। ऐसे मामलों में विधिक प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। जिनके पुत्र या पुत्री गंभीर पिटाई के कारण विकलांग हो जाते हैं उनके छात्र–छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ शिक्षकों की मानसिकता दर्शाता है। अनैतिक कृत्यों से शिक्षा जगत के साथ प्रशासनिक तंत्र की भी बदनामी होती है व ऐसे शिक्षक विद्यालयों में नियुक्त करने व उनकी शुद्ध मानसिकता की अनदेखी गंभीर अपराध होती है जिससे प्रमाणित छात्राऐं सामान्य जीवन नहीं बिना पाती।[11]

3.4 चिकित्साः

चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है तथा ऐसी व्यवस्थाऐं सर्व–सुलभ होना विकसित समाज की स्थिति मानी जाती है। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाऐं स्थापित कर दी गई हैं तथा सरकारी सेवाओं के साथ निजी क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाऐं भी कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाऐं प्रायः नगण्य है और गंभीर रूप से बीमार होने पर रोगी को परिजन शहर लाकर उपचार कराते हैं। गरीब परिवारों के साथ धन की समस्या रहने से नीम हकिमों से उपचार कराया जाता है या रोगी की ईश्वर के नाम पर समस्या भोगने के लिए छोड़ दिया जाता है। सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा व दवाऐं मिलती है परन्तु डाक्टर व अन्य अधीनस्थ उनसे धन वसूलने में लगे रहते हैं।राजस्थान में 2010 में चिकित्सा संस्थाओं की स्थिति सारिणी 3.10 में दर्शायी गई है।

सारिणी 3.10

राजस्थान में जिलेवार चिकित्सा संस्थाऐं 2010

क्र. सं.	जिला	चिकित्–सालय	औष–धालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	एड पोस्ट	उप स्वास्थ्य केन्द्र	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	9	12	11	7	45	1	290	375
2	अलवर	4	5	24	4	72	0	576	685
3	बांसवाड़ा	2	6	13	1	43	0	401	466
4	बारां	1	2	9	0	36	0	206	254
5	बाड़मेर	3	3	14	3	60	0	546	629
6	भरतपुर	4	4	13	3	57	0	396	477
7	भीलवाड़ा	3	7	16	2	64	1	415	508
8	बीकानेर	7	11	10	4	41	0	383	456
9	बूंदी	2	3	7	3	26	1	177	219
10	चित्तौड़गढ़	2	3	14	3	39	0	300	361
11	चुरू	5	5	10	5	63	1	377	466
12	दौसा	1	1	8	3	28	0	237	278
13	धौलपुर	1	3	6	2	22	0	195	229
14	डूंगरपुर	3	5	7	0	38	0	318	371
15	गंगानगर	1	5	11	1	42	0	350	410
16	हनुमानगढ़	2	2	9	4	38	0	285	340
17	जयपुर	20	39	18	17	97	2	525	718
18	जैसलमेर	2	5	6	1	14	0	137	165
19	जालौर	2	2	8	4	52	0	394	462
20	झालावाड़	2	3	14	3	30	0	274	326
21	झुंझुनू	3	6	13	10	70	1	444	547
22	जोधपुर	13	14	15	4	69	5	579	699
23	करौली	1	3	7	1	25	0	256	293
24	कोटा	5	11	9	1	29	0	161	216
25	नागौर	5	3	17	7	87	1	678	798
26	पाली	3	5	15	11	66	0	432	532
27	प्रतापगढ़	1	3	5	0	22	0	174	205
28	राजसमन्द	2	1	7	0	37	0	219	266
29	सवाईमाधोपुर	3	2	4	2	23	0	228	262
30	सीकर	1	6	17	9	68	0	536	637
31	सिरोही	2	3	6	1	22	0	191	225
32	टोंक	3	6	7	2	45	0	250	313
33	उदयपुर	9	10	18	0	71	0	557	665
	राजस्थान	127	199	368	118	1541	13	11487	13853

स्त्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर

अस्पतालों में डाक्टरों के साथ विशेषज्ञ सेवाऐं भी उपलब्ध रहती हैं तथा औषधालयों में रोगी के उपचार दवाऐं निःशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की सेवाऐं उपलब्ध रहती है परन्तु एड पोस्ट व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। इन चिकित्सा सेवाओं पर सहायक चिकित्सा कर्मी सामान्य बीमारियों की दवाऐं भी उपलब्ध करा देती हैं तथा गंभीर रोगियों को निकटतम स्वास्थ्य सेवा को समर्पित कर देते है। राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टर व सहयोगियों की भूमिका मानवीय दृष्टिकोंण के अनुसार नहीं रहती।

चिकित्सा केन्दों पर रोगी इस आशा के साथ जाते हैं कि उनकी बीमारी की जानकारी करके समुचित उपचार की व्यवस्था की जावेगी परन्तु रोगियों के तत्काल आवश्यक सेवाऐं उपलब्ध नहीं कराने, मरीजों व परिजनों से दुर्व्यवहार करने तथा कई मामलों में रोगी के साथ अनैतिक कृत्यों की जानकारी भी समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है। ये सभी स्थिति मानवीय दृष्टिकोंण के उपयुक्त नहीं होती और चिकित्सा कर्मियों की गिरती मानसिकता का परिचय देती है। चिकित्सा कार्य में उदासीनता लापरवाही आदि से गंभीर रोगियों की स्थिति बिगड़ने लगती है और कई बार रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। चिकित्सक इसे अधिक कार्यभार बताते हैं जबकि रोगी के सहयोगी इसे चिकित्सकों की लापरवाही मानते है।[12]

3.5 विद्युतीकरणः

विधुतीकरण वर्तमान में आवश्यक सुविधा के अन्तर्गत आता है जिसमें घरेलू आवश्यकता के अतिरिक्त उद्योग धंधों, कृषि, सिंचाई, जल प्रदाय आदि सेवाओं के लिए आवश्यक है। राजस्थान में जल विद्युत उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं व कुछ सीमा तक नदियों से होता है। इसके अतिरिक्त ताप विद्युत, अणु उर्जा के अतिरिक्त गैस, सौर व पवन उर्जा केन्द्रों से विद्युत प्राप्त होती है। राज्य की

आवश्यकता की आधी विद्युत केन्द्रीय स्रोतों द्वारा जुटाई जाती है। विद्युत की मांग सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती है परन्तु ऊर्जा के उत्पादन के सीमित साधन होने से सदैव राज्य में विद्युत की समस्या बनी रहती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को आठ घंटे विद्युत उपलब्धता के सरकारी आश्वासनों के भी पूरा करने में कठिनाई आती है।

राजस्थान में पानी व बिजली की कमी के कारण बड़े उद्योग स्थापित करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए प्रदेश के विकास में औद्योगीकरण का अपेक्षित योगदान नहीं मिल पाता। किसी सरकार विभिन्न औद्योगिक केन्द्र स्थापित कर उद्योग लगाने के लिए अधमियों को प्रोत्साहित करती है। कई बार राजनैतिक व शीर्ष सरकारी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों जैसी सुविधाऐं उपलब्ध कराने की बातें की जाती है परन्तु विद्युत की उपलब्धता पूरी कर पाना और चौबीस घंटे शहरों व गांवों को बिजली उपलब्ध कराना अभी तक संभव नहीं हो सका है। ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति अभी भी सन्तोषजनक नहीं है जहां राज्य के बहुत से गांव विद्युतकरण सुविधा से नहीं जुड़ सके हैं राज्य के जिलेवार विद्युतीकृत गांव व विद्युतीकरण की प्रतीक्षा में गांवों का विवरण सारिणी 3.11 में दर्शाया गया है।

सारिणी 3.11

जिलेवार ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति वर्ष 2007–10

			विद्युतीकृत किए गए गांव				
क्र. सं.	जिला	कुल गांवों की संख्या	2007	2008	2009	2010	शेष बचे गांव
	1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	1111	1029	1029	1030	1029	82
2	अलवर	2054	1948	1957	1960	1960	94
3	बांसवाड़ा	1513	988	988	1070	1164	349
4	बारां	1221	1018	1018	1043	1066	155
5	बाड़मेर	2460	1268	1269	1269	1281	1179
6	भरतपुर	1524	1323	1316	1316	1394	130
7	भीलवाड़ा	1834	1693	1693	1693	1693	141
8	बीकानेर	919	657	767	778	779	140
9	बूंदी	873	808	821	828	828	45
10	चित्तौड़गढ़	1730	1249	1249	1259	1326	404
11	चुरू	899	949	850	850	850	49
12	दौसा	1109	1047	1051	1051	1051	58
13	धौलपुर	819	551	658	658	704	115
14	डूंगरपुर	976	826	854	854	854	122
15	गंगानगर	3018	2749	2775	2808	2896	122
16	हनुमानगढ़	1907	1661	1671	1696	1754	153
17	जयपुर	2180	2166	2074	2085	2096	84
18	जैसलमेर	799	474	560	562	562	237
19	जालौर	801	676	706	706	706	95
20	झालावाड़	1606	1344	1520	1521	1521	85
21	झुंझुनू	927	855	855	855	855	72
22	जोधपुर	1838	1062	1062	1062	1062	776
23	करौली	888	649	689	724	735	153
24	कोटा	874	848	841	841	841	33
25	नागौर	1589	1455	1455	1458	1480	109
26	पाली	1030	928	928	928	942	88
27	प्रतापगढ़	1003	734	734	740	780	223
28	राजसमन्द	1050	996	996	996	973	77
29	सवाईमाधोपुर	814	665	668	695	711	103
30	सीकर	1167	985	986	986	986	181
31	सिरोही	477	462	462	462	462	15
32	टोंक	1183	955	918	922	984	199
33	उदयपुर	2479	1882	1891	1958	2086	393
	राजस्थान	44672	36773	37314	37664	38411	6261

स्रोतः ऊर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान की 75 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है, जिनके लिए विद्युतीकरण सुविधा में प्रगति धीमी है तथा 14 प्रतिशत गांव अभी भी विद्युत सुविधा से वंचित है। सबसे अधिक 1179 गांव बाड़मेर जिले में विद्युतीकरण से वंचित है, जिसके पश्चात् 773 गांव जोधपुर जिले के हैं जहां विद्युत सुविधा का लाभ मिल पाना शेष है। यह निश्चित है कि गांवों के व्यक्ति शहर जैसी सुविधाऐं एक शताब्दी तक भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे परन्तु विद्युतीकरण करके इन गांवों को भी सुविधा प्रदान की जा सकती है चाहे यहां आठ घंटे भी बिजली नहीं मिले। लगभग छः हजार से अधिक गांव विद्युत सुविधा से वंचित है और इन गांवों में सिंचाई के लिए कुएं का पानी संभव हो तो इन्हें जनरेटर की सहायता से खेत तक पहुंचाना काफी महंगा रहता है। जनरेटर से पेयजल व सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करना महंगा कार्य है और किसान इस कारण खेती से कम आय जुटा पाते हैं।[13]

3.6 पेयजल व्यवस्थाः

प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है किन्तु स्वतंत्रता के 67 वर्ष पूरे होने के पश्चात् भी राजस्थान के बहुत से गांवों में निवासियों को शुद्ध जल नहीं मिल पाता। राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में खारा पानी है जिसे ग्रामीण जनता तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार बहुत से स्थानों पर फ्लोराइड़ तत्व निर्धारित सीमा से बहुत अधिक होने से शारीरिक विकास व दन्त क्षय की समस्याऐं आज भी समाप्त नहीं हुई है। शहरी क्षेत्रों में उपलब्धता स्त्रोतों से पानी उपलब्ध कराया जाता है परन्तु गांवों में अधिकांश भागों में पानी की गुणवत्ता की जांच तक नहीं की जाती और प्रदूषित जल पीने के लिए वहां के निवासी बाध्य है। राज्य में जिलेवार पेयजल स्त्रोत से कम उपलब्धता को सारिणी 3.12 में दर्शाया गया है।

सारिणी 3.12
राजस्थान में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था जिलेवार व स्रोतवार 2004

क्र. सं.	जिला	कुल गांवों की संख्या	पाइप व पंप व टेंक व्यवस्था	हैण्ड पम्प योजना	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	परम्परागत स्रोत	डिग्गी व अन्य	योग	शेष बचे गांव
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	1111	114	503	347	14	47	1025	86
2	अलवर	2054	252	1440	84	52	126	1954	100
3	बांसवाड़ा	1513	49	1358	32	32	0	1471	42
4	बारां	1221	58	1006	25	0	0	1089	132
5	बाड़मेर	2460	246	18	1668	1	0	1933	527
6	भरतपुर	1524	156	735	367	0	106	1364	160
7	भीलवाड़ा	1834	161	1157	338	37	0	1693	141
8	बीकानेर	919	353	9	277	23	138	800	119
9	बूंदी	873	73	726	40	0	0	839	34
10	चित्तौड़गढ़	1730	122	1408	22	0	0	1552	178
11	चुरू	899	126	0	319	27	382	845	53
12	दौसा	1109	115	809	101	0	0	1025	84
13	धौलपुर	819	26	704	35	21	0	786	33
14	डूंगरपुर	976	107	688	48	11	0	854	122
15	गंगानगर	3018	122	230	2189	0	286	2827	191
16	हनुमानगढ़	1907	139	461	815	0	353	1768	139
17	जयपुर	2180	635	1231	211	0	0	2077	103
18	जैसलमेर	799	86	105	396	0	13	600	199
19	जालौर	801	94	0	590	13	0	697	104
20	झालावाड़	1606	86	1062	329	0	0	1477	129
21	झुंझुनू	927	327	63	140	324	0	855	72
22	जोधपुर	1838	473	9	576	0	0	1058	780
23	करौली	888	110	462	99	0	84	755	133
24	कोटा	874	46	693	73	0	0	812	62
25	नागौर	1589	516	54	653	48	209	1480	109
26	पाली	1030	168	236	352	29	151	936	94
27	प्रतापगढ़	1003	53	736	26	0	0	815	188
28	राजसमन्द	1050	143	782	48	0	0	973	77
29	सवाईमाधोपुर	814	44	545	69	0	61	719	95
30	सीकर	1167	189	239	59	499	0	986	181
31	सिरोही	477	85	230	60	0	80	455	22
32	टोंक	1183	40	783	136	8	65	1032	151
33	उदयपुर	2479	202	1871	99	6	0	2178	301
	राजस्थान	44672	5516	20353	10623	1146	2101	39739	4933

स्रोतः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान

पेयजल उपलब्ध कराने में कई स्थितियों को सुनिश्चित करना पड़ता है, जिसमें पाइप लाइन डलवाकर जल स्त्रोत से पानी उपलब्ध कराया जाता है तथा कुछ स्थानों पर स्त्रोत से एक स्थान पर टेंक बनाकर नल लगा दिए जाते हैं जिससे ग्रामवासी वहां से जल भरकर ले जा सकें। हैण्डपंप योजना प्रायः मैदानी क्षेत्रों, पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में उपयुक्त है जहां पाइप जमीन में डालकर हैण्ड पंप लगाना संभव है। मरूस्थलीय क्षेत्रों में केवल चट्‌ानी स्थलों पर हैण्डपंप लग सकता है तथा रेत में पानी का स्त्रोत बहुत गहराई पर होने व पानी के चट्‌टानों में रेत जमा होने से हैण्डपंप कार्य नहीं कर पाते। समीप जल प्रदाय योजना से एक उपयुक्त जल स्त्रोत से कई गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाता है, जहां बड़े गांवों में पाइप लगाकर घरों तक पानी पहुंचाया जाता है और कम जनसंख्या वाले गांवों में पंप व टेंक से पानी दिया जाता है।

परम्परागत जल स्त्रोत गांव के कुए व बावड़ियों होती है जिनमें सैंकड़ों वर्षों से पानी का उपयोग किया जाता है और अन्य उपयुक्त स्त्रोत नहीं लेने से इसी व्यवस्था पर ग्रामीण जनसंख्या को निर्भर करना पड़ता है। डिग्गी उन स्थानों पर बनाइ्र जाती है जहां नहरों से पानी इस स्थानों में भर दिया जाता है और ग्रामवासी पीने व अन्य उपयोग के लिए पानी ले जाते हैं। कुछ डिग्गियां पक्की व ढकी हुई होती है, जिनमें पानी शुद्ध बना रहता है और नहर की अगली पारी से डिगी को भर दिया जाता है। इससे ग्रामवासी पानी ले जाते हैं। कुछ खुली डिग्गियां भी बनी है जहां धूल उड़ती हुई पानी में मिल जाती है और गांव के पशु भी इन्हीं स्थानों पर पानी पीते व गन्दगी फैलाते हैं।

पेयजल सुविधा से वंचित गांवों में कुओं, तालाबों, टांकों से पानी लाया जाता है जिसकी शुद्धता संदिग्ध रहती है। राज्य के 4933 गांव पेयजल सुविधाओं के इसलिए वंचित है कि समीपवर्ती क्षेत्र में कोई कार्य स्त्रोत नहीं होता जहां से पानी साल भर सिंचता रहे। मरूथलीय क्षेत्र में लोग भूमिगत टांके बनाते ये जिसमें पक्की

छत को साफ पानी पेयजल कार्य हेतु संचित किया जाता था। कुछ स्थानों पर बावड़ियां भी बनाई गई थी जिससे यात्री व ग्रामवासी शुद्ध जल पी सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध होने से इन टांकों व बावड़ियों को उपेक्षित कर दिया जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़ी हैं या नष्ट हो गई। कृषि कार्य हेतु अन्धाधुन्ध ट्यूबबैल खोदने से क्षेत्र का जलस्तर नीचे गिर गया है और अधिक जल निकासी से इन क्षेत्रों के खारे पानी में बदलने या सूख जाने की आशंका बढ़ गई है।

अभी भी लगभग आधी ग्रामीण जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, कही कहीं फ्लोराइड़ तत्व 13 पार्टस पर मिलियन (पी.पी.एन) तक पाये जाते हैं जबकि 1.5 पी.पी.एम. तक है फ्लोराइड़ तत्व हानिकारक होते हैं। फ्लोराइड़ तत्वों की अधिक मात्रा होने से लोगों में कूबड़ापन व दन्तक्षय जैसी बीमारियां बढ़ती जाती हैं। इस सभी समस्याओं के उपरान्त भी राज्य सरकार जनता को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। मरूस्थलीय क्षेत्रों में जोधपुर व बाड़मेर के क्रमशः 380 तथा 527 गांव पेयजल सुविधा से वंचित है। बाड़मेर में पेयजल समस्या के कारण चार से 10 परिवार एक स्थान पर निवास करते हैं क्योंकि उपलब्ध जल अधिक परिवारों की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता। इसलिए एक गांव का क्षेत्र 50 से 200 वर्ग किलोमीटर तक है जहां चार–पांच घर दूर–दूर पर बसे हैं। यहां बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा जुटा पाना दुष्कर कार्य है।

कुछ नहरी व बांध के समीपवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य की जनता भूमिगत जलस्त्रोतों पर ही निर्भर रहती है। प्रदेश में मानव जनसंख्या जितना ही पशुधन है, जिनके लिए भी पेयजल जुटाना आवश्यक होता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार शहरी–क्षेत्रों के लिए सौ लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता मानी गई है और इसी आधार पर पेयजल योजनाएं बनाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि तथा शहरों में बाहरी बसावट बदलने से पेयजल स्त्रोत पर्याप्त जुटा

नहीं पाते। ग्रामीण क्षेत्रों का मानदण्ड 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है। यह मनुष्य के अतिरिक्त पशु भी जल का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं।[14]

3.7 सड़क सुविधाः

सड़क सुविधा वर्तमान में एक आवश्यक सेवा बन गई है, जिसके माध्यम से गांव की उत्पादित वस्तुऐं शहर जाकर किसान स्वयं बेच सकते हैं तथा आवश्यक वस्तुऐं खरीदकर लाते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन के उत्पाद दैनिक रूप से बेचने की सुविधा मिल जाने से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होती है। इसके साथ ग्रामवासी मजदूरी के लिए प्रतिदिन जाकर वापस लौट आते हैं। जो गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं वहां से समीपवर्ती सड़क मार्ग तक वस्तुऐं लाने ले जाने में बैलगाड़ी या उंटगाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। भवन निर्माण के लिए आवश्यक वस्तुऐं लाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सड़क सुविधा युक्त गांवों के जीवन में आधारभूत परिवर्तन आता है, जिसे सभी ग्रामवासी अनुभव करते हैं।

सड़कों के संबंध में भारत सरकार के एक हजार जनसंख्या तक के गांवों की सड़क सुविधा से प्राथमिकता से जोड़ने हेतु राज्यों को धन भी उपलब्ध कराया परन्तु सड़क की लागत अधिक होने व राजस्थान के गांवों की दूरी अधिक होने होने से एक गांव को सड़क से जोड़ने की लागत अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आती है। इसके साथ मरूस्थलीय क्षेत्रों में सड़क का आधार कार्य अधिक मजबूत करना पड़ता है। जिससे बरसात में ये सुरक्षित रहे। राजस्थान में 2010 तक सड़कों से जुड़े गांवों की सूचना जिलेवार सारिणी 3.13 में दर्शायी गई है।

सारिणी 3.13
राजस्थान में जिलेवार सड़कों से जुड़े गांवों की स्थिति 2010

क्र. सं.	जिला	गांवों की संख्या	सड़कों से जुड़े गांवों का विवरण कुल				
			डामर की सड़कें (बी.टी.)	धातु की सड़कें (डब्ल्यू बी. एम.)	कंकरीट सड़कें	सड़क से जुड़े गांव	शेष गांव
	1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	1111	902	1	88	991	120
2	अलवर	2054	1672	0	77	1749	305
3	बांसवाड़ा	1513	1291	0	0	1291	222
4	बारां	1221	687	17	3	707	514
5	बाड़मेर	2460	1802	9	9	1820	640
6	भरतपुर	1524	1131	2	23	1156	368
7	भीलवाड़ा	1834	1220	1	39	1260	574
8	बीकानेर	919	732	1	27	760	159
9	बूंदी	873	634	0	37	671	202
10	चित्तौड़गढ़	1730	957	4	62	1023	707
11	चुरू	899	824	0	9	883	66
12	दौसा	1109	785	1	67	853	256
13	धौलपुर	819	658	3	16	677	142
14	डूंगरपुर	976	810	0	0	810	166
15	गंगानगर	3018	1944	0	158	2102	916
16	हनुमानगढ़	1907	1098	0	48	1146	761
17	जयपुर	2180	1738	5	103	1846	334
18	जैसलमेर	799	474	0	11	485	314
19	जालौर	801	675	0	17	692	109
20	झालावाड़	1606	912	1	256	1169	437
21	झुंझुनू	927	840	2	7	849	78
22	जोधपुर	1838	1027	0	20	1047	797
23	करौली	888	621	9	60	690	198
24	कोटा	874	603	0	48	651	223
25	नागौर	1589	1430	0	22	1452	137
26	पाली	1030	887	0	35	922	108
27	प्रतापगढ़	1003	674	0	7	681	322
28	राजसमन्द	1050	761	0	45	806	244
29	सवाईमाधोपुर	814	572	5	38	615	199
30	सीकर	1167	956	0	16	972	195
31	सिरोही	477	395	0	31	426	51
32	टोंक	1183	680	0	0	680	503
33	उदयपुर	2479	1775	0	12	1787	692
	राजस्थान	44672	32167	61	1391	33619	11053

स्त्रोतः सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान के वर्ष 2010 तक राज्य के 24.74 प्रतिशत गांव सड़क सुविधा से वंचित है तथा 3.11 प्रतिशत गांव कंकरीट सड़क से जुड़े हैं, जिस पर डामर किया जाना शेष है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुछ गांव सड़क सुविधा से जुड़े हैं, जो इस सूचना के अन्तर्गत नहीं आने तथा इस योजना से कुछ गांव लाभान्वित हुए हैं। इससे कुल 4350 किलोमीटर सड़कें बनवाई गई तथा एक गांव जोड़ने में औसत 10 किलोमीटर की दूरी होने पर करीब 435 गांव सड़क सुविधा से जुड़ गए हैं। इसके उपरान्त भी अभी बड़ी संख्या में गांव सड़क सुविधा से वंचित है। एक बड़े गांव को सड़क से जोड़ने पर मार्ग के गांव की सड़क सुविधा से स्वतः जुंड़ जाते हैं।[15]

3.8 मानवाधिकार सम्बन्धी मामलेः

विकास के क्रम में शहर व गांव दो भिन्न–भिन्न इकाइयां है और इन क्षेत्रों को नागरिक सुविधाऐं कराने के पृथक–पृथक मानदण्ड रहे हैं। राजस्थान के सभी शहर नागरिक सुविधाओं से युक्त है तथा शहर की जनसंख्या के अनुसार इनमें विभिन्न प्रकार की सुविधाऐं प्रदान की गई है। शहरों की संख्या 184 है जबकि गांवों की कुल संख्या 44672 है। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी नागरिक सुविधाऐं प्रदान करना सरकार का दायित्व है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में अपेक्षित है। यह निश्चित रूप से सत्य है कि सभी गाँवों में समस्या नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा पाना सरकार के सीमित साधनों से क्रमबद्व रूप से संभव है। परन्तु इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी आवश्यक है ताकि सभी गांवों को वांछित सुविधाऐं प्रदान की जा सके।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 67 वर्ष पश्चात् भी विद्यालय, चिकित्सा सेवाऐं, बिजली, पानी व सड़क जैसी आवश्यक सुविधाऐं नहीं जुट पाना राज्य सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव को दर्शाती है। सभी मानव चाहे वे गांव या महानगर में निवास

करते हों, उन्हें आवश्यक सेवाऐं व सुविधाऐं प्रदान करना सरकार का दायित्व है, यह उनका अधिकार भी है। यदि यह नागरिकों को उपलब्ध नही होता है तो यह राज्य के प्रशानिक प्रबंधन की कमी है। साक्षरता के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि के उपयोग के पश्चात् भी राज्य सरकार सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से महिला शिक्षा में अन्तिम पायदान पर रहना सरकार की संकुचित मानसिकता व अर्कमण्य स्थिति की श्रेणी में आता है। कुल साक्षरता वाले राज्यों भी राज्य का स्थान 33वां है जिससे नीचे अरूणाचल प्रदेश व बिहार है।

इसी प्रकार राजस्थान में मानवाधिकार हनन के मामले सामान्य रूप से तथा महिला मानवाधिकार हनन के मामले विशेष रूप से बढ़े हैं जो कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति को दर्शाता है। यह निश्चित रूप से माना जाता है कि सरकार प्रत्येक महिला या बालिका को पुलिस संरक्षण प्रदान नहीं कर सकती परन्तु मानवाधिकार हनन में महिलाओं के मामलों को निश्चित रूप से कम करना आवश्यक है। राज्य की कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का आंकलन इसी स्थिति से किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़े जाते ही किसी मंत्री या राजनेता का टेलीफोन पहुंचता है की अमुक व्यक्ति उनका आदमी है। इस स्थिति से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मंत्री या राजनेता के संरक्षण में कार्य करते हैं। इसी क्रम में जेल में बंद दोषी कैदियों को सभी सुविधाऐं व मोबाईल उपलब्ध कराए जाते हैं जो जेल कर्मियों के सहयोग के बिना संभव हो नही सकता कि कानून व्यवस्था की स्थिति गिरती है जो राज्य का प्रशासन व राजनेता निश्चित रूप से अडचनें उत्पन्न करते हैं। प्रशासन के सामने अपने कार्य निर्वसन के पहले अपने अस्तित्व का प्रश्न उपस्थित हो जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप पूरे देश की समस्या है परन्तु राजस्थान में यह विशेष रूप से प्रभावी है क्योंकि अपराधों की वृद्धि होना दर स्पष्ट संकेत देता है। प्रशासन के दायित्व निर्वहन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह राजनीतिक

शीर्ष वर्ग की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है वे अराजक तत्वों को आश्रय देना जारी रखते हैं। आम आदमी को स्वच्छ प्रशासन पाना एक चुनौती से कम नही है।

महिला उत्पीड़न, हिंसा, सामूहिक बलात्कार के प्रकरण प्रचार तंत्र के माध्यम से ही उजागर होते हैं और अधिकांश मामलों में इतने घृणित व क्रूर कृत्य किए जाते हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्रदानकर्ता भी पीछे हट जाते हैं परन्तु ऐसे लोगों को पकड़कर कर सजा दिलाने के मध्य कई अड़चनें आती हैं। कई बार गवाहों व पीड़ित को डरा धमकाकर मामले को शान्त करने का प्रयास किया जाता है। इनमें केवल गंभीर मामले ही, आगे बढ़ पाते हैं और पीड़ित के न केवल मौलिक अधिकारों का हनन होता रहता है, बल्कि कई बार अपराध के विरूद्ध की गयी कार्यवाही से भी पीछे हट जाते है। कई आपराधिक कृत्यों में राजनेता व मंत्री नामजद किए जाते हैं तो आरंभ में इसे राजनीतिक षडयंत्र कहकर ठण्डा करने का प्रयास किया जाता है परन्तु प्रचारतंत्र पीड़ित पक्ष के निरन्तर दबाव बनाने पर ही शाक्तिशाली लोग जेल पहुंच जाते हैं।

राजस्थान में आज भी सामंती सोच विद्यमान है। उच्च्य प्रशासनिक पदों पर उच्च्य जातियों के अधिकारीगण स्थित है। साक्षरता के बावजूद जन चेतना का अभाव देखा जाता है लोगों के बीच बेहतर सहयोग का वातावरण विकसित नहीं हो सका है।

प्रदेश की राजनीति में जातिवाद व भ्रष्टाचार व्याप्त है, प्रशासन में पारदर्शिता की कमी रही है, कानून का शासन होने के बावजूद भी वह समाज की जड़ता को तोड़ने में सफल नहीं हो सका। सारी राजनीति संस्कृति स्वार्थों से जुड़ी है। राजनीति में बराबर नैतिक गिरावट आ रही है। इसी वजह से महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी अपेक्षित है वे भी असुरक्षित है इन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में जीना पड़ता है।

इन स्थितियों से यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक तंत्र के राजनीतिक दबावों का अत्यधिक सामना करना पड़ता है और मानवाधिकार के मामले शक्तिशाली राजनीतिक वर्ग व प्रशासन के मध्य उलझ जाते हैं। सामान्यतया महिलाओं के प्रति होने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न, शोषण व दृष्कृत्य सीमित मामले ही प्रकाश में आते हैं। जो मामले प्रकाश में आ जाते हैं उन पर प्रशासनिक तंत्र को कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है और अपराधियों को पकड़ना भी पड़ता है। कई मामलों में वरिष्ठ नौकरशाह पुलिस व आपतंत्र के समक्ष उपस्थित होने के स्थान पर लुप्त हो जाते हैं और यथासंभव बचने का प्रयास करते हैं।

ऐसे मामलों में पीड़ित महिला असहाय बनकर रह जाती है तथा उच्च पदों पर स्थित व्यक्ति दुराचरण करके बचते रहते हैं, जिसका तात्पर्य केवल यही हैं कि उन्हें न्याय के समक्ष लाने से बचाया जाता है। आपराधिक कृत्यों में पीड़ित महिला जिस पश्चाताप, बदनामी, आदि स्थितियों से गुजरने के लिए बाधा होती है, उसके प्रति किए गए दुष्कृत्य वापस नहीं हो सकते। उसे केवल यह सांत्वना मिलती है कि अपराध करने वाला व्यक्ति सजा भोग रहा है। यदि अपराधी प्रभावशाली है और कानून से बच सकने में सक्षम है तो पीड़िता की आत्मग्लानि इतनी तीव्रतम स्थिति में पहुंच जाती है जहां जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसी पीड़ित महिला की भावनाओं की अभिव्यक्त करना भी दुष्कर कार्य है।

महिला उत्पीड़न के मामलों में प्रकाश में आए प्रकरण ही ज्ञातव्य होते हैं जिसको पढ़कर व सुनकर सम्य समान दंग रह जाता है। इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि ऐसे दुष्कृत्यों को रोक पाने में सरकार का प्रशासनिक तंत्र का निष्फल रहना राजनीतिक प्रबंधन का दोष है, जिसको एकमात्र जनमत ही हटा सकता है। जातीय पंचायतों के गैर कानूनी आदेशों को यदि सरकार रोकने की स्थिति में नहीं है तो यह अराजकता का सूचक है और सरकार का पूरी तरह निष्क्रिय रहना दर्शाता है। यह सत्य है कि कई मामले केवल बदनाम करने की दृष्टि से ही बनाए जाते हैं परन्तु सरकार के प्रशासनिक तंत्र की उसे तत्परता से

झूंठा साबित करके सजा दिलाने का कार्य भी प्रशासनिकता का है जो कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

प्राचीन संस्कृति की भावना के अनुरूप हमारी व्यवस्था में नारियों को विभिन्न अधिकारों, कानूनों व व्यवस्थाओं से संरक्षण प्रदान किया है लेकिन फिर भी महिलाओं की प्ररिस्थिति ठीक नहीं रही है यही स्थिति राजस्थान में महिलाओं की रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने महिलाओं को 5 मानवाधिकार दिए हैं :–

- महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध पर अभिसमय।
- राजनैतिक अधिकार।
- विवाह की न्यूनतम आयु विवाह का आवश्यक पंजीकरण पर अभिसमय।
- विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर अभिसमय।
- विदेशों में अप्रवासी अकेली महिलाओं की सुरक्षा पर अभिसमय।

इसी प्रकार महात्मा गांधी ने कहा था ”स्त्री को अबला कहना उसका अपमान है। यदि शक्ति का अर्थ पशुबल और बाहुबल से है तो मानना होगा कि पुरुष में यह बल अधिक है परन्तु यदि शक्ति से तात्पर्य नैतिक शक्ति से है तो निश्चय ही स्त्री पुरूष से श्रेष्ठ ठहरती है” मगर यथार्थ में सब कुछ उलटा है। राजस्थान के प्रसंग में सच्चाई यह है कि सामूहिक बलात्कार, निर्वस्त्र करके घुमाना, निर्मम हत्याएँ अन्य कुकृत्यों की घटनाएँ आम बात है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की रोकथाम हेतु भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354, 363, 376, 509 आदि में है इसके अलावा राजस्थान में दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1978, सती प्रथा निवारण 1987 आदि कानून विधमान है तब भी कानून की उचित पालना के अभाव में अपराध में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

कन्या भ्रूण हत्या/कन्या वधः

महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और लड़कियों के साथ बढ़ती घटनाओं से समाज ने सुविधाजनक रास्ता अपनाया है कि उसे जन्म ही न दिया जाए तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी न देना पड़ेगा दहेज न झुकेगा सिर लड़के वालों के सामने।

यही कारण है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात घट रहा है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक क्षेत्र विशेष में आज भी कन्या होते ही मार डालने की प्रथा हैं इस जिले के राजपूत बाहुल्य क्षेत्र में सैंकड़ों वर्षों से कन्या वध की कुप्रथा चली आ रही हैं पीथला, रणधा, बईया देवड़ा, चेलक सती आदि करीब एक दर्जन से भी अधिक गांवों में नवजात कन्याओं की हत्या का सिलसिला आज भी जारी है। क्योंकि लड़की के हाथ पीले करने के लिए तीन से चार लाख मामूली रकम है यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़े है व इसीलिए पशुपालन ही रोजगार के साधन है।

लेकिन सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व जिले की विकास योजनाओं तथा परिस्थितियों के कारण यहाँ अब बदलाव आया है व कन्या बध कम हुआ है। लेकिन लिंग परीक्षण के द्वारा गर्भस्थ कन्या शिशु की हत्या के मामले में बढ़े है। गरीब किसान से लेकर भूमिहीन मजदूर तक कर्ज लेकर लिंग परीक्षण को आतुर रहते है। भ्रूण हत्याओं का एक कारण तेजी बढ़ता औधोगिकरण और आर्थिक विकास है।

इन सभी स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण हर स्थिति में करना आवश्यक है। लड़की या महिला समान की प्रतिष्ठित सदस्य है और उसे अपने कार्य से बाहर निकलना पड़ता है। यदि सड़क बसें, व शहर या गांव महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है तो प्रशासनिक तंत्र का रहना या नहीं रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए मानवाधिकार व महिलाओं के अधिकारों को प्रश्रय प्रदान करना ही प्रशासन का दायित्व है, जिसमें किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप अराजक तत्वों को आश्रय देता है और बड़े अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करता है।[16]

संदर्भ सूची

1. चौहान तेजसिंह (2002) राजस्थान का भूगोल पृ0 1–3
2. राजस्थान सरकार (2008) परमेश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट राजस्व विभाग
3. भारत सरकार (2011) भारत की जनगणना (2011), राजस्थान राज्य
4. भारत की जनगणना (2011) में राजस्थान की स्थिति
5. भारत सरकार (2011) जनगणना राजस्थान
6. राजस्व मण्डल (भू अभिलेख) विभाग के प्रतिवेदन 2010
7. राजस्व मण्डल (भू–अभिलेख) विभाग का प्रतिवेदन 2010 का
8. कृषि गणना विभाग का सर्वेक्षण (2005–06) का विश्लेषण
9. राजस्व एवं मण्डल (भू अभि लेख) विभाग का प्रतिवेदन 2010 का विश्लेषण
10. प्रारंभिक शिक्षा के निदेशालय का प्रतिवेदन 2010
11. उपरोक्त
12. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रतिवेदन 2010
13. उर्जा विभाग राजस्थान का प्रतिवेदन 2010
14. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का प्रतिवेदन 2010
15. सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रतिवेदन 2010
16. समाचार पत्रों के विश्लेषण 2013

❖❖❖

चतुर्थ अध्याय

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग : संगठन एवं भूमिका

मानवाधिकार सभ्य समाज की आधारशिला है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजबूत होने के साथ–साथ मानव अधिकारों को भी पूर्ण सम्मान देना आवश्यक हो गया है। मानव मात्र को अधिकार उसके जन्म से ही प्राप्त होते हैं तथा मानव के सर्वांगीण विकास के लिए इनकी रक्षा करना आवश्यक है। अधिकारों से मानव को अलग करने से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। ये मानव के जन्मसिद्ध अधिकार है, जिन्हें पृथक करने से मानव का सर्वांगीण विकास ही रूक जाता है। समाज व राज्य मानव अधिकारों को संरक्षित रखकर ही अपनी सफल दुनिया का निर्वाह कर सकते हैं। इन अधिकारों के पीछे कार्यपालिका का संरक्षण व न्यायपालिका की शक्ति निहित है जो इनके उल्लंघन होने पर मानव को सुरक्षा व संरक्षा प्रदान करती है।

भारतीय संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की व्यवस्था कर उन्हें पांच श्रेणियों में विभक्त किया गया हैं। इन मूल अधिकारों के अन्तर्गत जीवन का अधिकार, यातना के विरूद्ध अधिकार, दासता के विरूद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार तथा विचार, अन्तरात्मा व धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अन्तर्गत संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। दूसरी श्रेणी में राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए है जिनमें अपनी राय बनाने का अधिकार, शांतिपूर्ण समूह का संगठन बनाने का अधिकार, समान विचारधारा के लोगों द्वारा मिलाकर संघ बनाने का अधिकार तथा निर्वाचन में बिना किसी लिंग, जाति व धर्म के भेद के आधार पर मतदान करके लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।

तीसरी श्रेणी में आर्थिक अधिकार वर्गीकृत है, जिनके अन्तर्गत किसी भी व्यवसाय को चुनने व करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार व समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, न्यायपूर्ण कार्यदशा का अधिकार तथा श्रमजीवी

संघ बनाने का अधिकार प्रदान किए गए है। इनके अन्तर्गत देश के किसी भाग में कार्य का, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सामाजिक अधिकार के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा पाने का अधिकार, उचित जीवन स्तर का अधिकार, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार तथा प्रत्येक व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है जिसके अन्तर्गत 6–14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी है।

पांचवी श्रेणी में सांस्कृतिक अधिकार में प्राप्त है, जिसके अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यों में सम्मिलित होने का अधिकार, वैज्ञानिक प्रगति का लाभ उठाने का अधिकार वैज्ञानिक, कलात्मक व साहित्यिक रचना करने सृजन या आविष्कार के संरक्षण लाभ उठाने के अधिकार प्राप्त है। ये सभी मानवाधिकार भारत के संविधान में वर्णित है और देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है। इनका उल्लंघन किए जाने पर शिकायत दर्ज करने व न्यायापालिका में अधिकार हननकर्ता को विरूद्ध दोषसिद्ध कर सजा देने का अधिकार भी प्रदान किया गया है जिससे इनका अतिक्रमण व उत्पीड़न रोका जा सके।[1]

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने समय–समय पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की रोकने के लिए अनुमोदित चार्टर पर सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों में लागू करने की हमारे द्वारा प्रतिबद्धता दर्शायी गई है तथा देश में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए कठोर प्रावधान व संशोधन किए गए जिनके अनुसार महिलाओं के अधिकार विकास का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण के अधिकार भी जोड़े गए हैं। साथ ही अपराधों के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें गंभीर अपराधों से हानि पर क्षतिपूर्ति का अधिकार जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की क्षूतिपूर्ति को भी मानवाधिकार का स्वरूप प्रदान करने का प्रभाव किया गया है।

भारत में 2005 में प्रदत्त सूचना के अधिकार ने राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर क्रांति लाई तथा इससे प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, बोर्ड, निगम तथा सरकार

से सहायता प्राप्त करने वाले सभी संस्थानों को इस अधिकार के अन्तर्गत लाया गया है। भूख, कुपोषण के लिए सरकार की ओर से समुचित एवं सन्तोषजनक व्यवस्था करने के साथ रोजगार के अवसर जुटाने को भी मौलिक अधिकारों में जोड़े जाने का दबाब बढ़ाना आरंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारन्टी प्रदान की गयी हैं जिसमें निवेदन करने के 15 दिन में सरपंच व प्रशासन को व्यक्ति या व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना आवश्यक है अन्यथा उसे कार्य प्रदान न कर पाने की अवधि में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना आवश्यक है।

विश्व स्तर पर मानवाधिकार जनतांत्रिक व स्थिर शासन वाले देशों में ही सुनिश्चित है। सैनिक शासन या राजतंत्र की व्यवस्था में मानवाधिकार केवल नाममात्र के हैं जहां नागरिकों का जीवन सुरक्षित नहीं होता है। इस्लामिक देशों में शासन तंत्र के ऊपर इस्लाम के धर्मगुरूओं के फतवे सर्वोच्च कानून बन जाते हैं जिनकी पालना में मानवाधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भारत में भी कई जातीय संगठन/पंचायतें अपने कानून चलाती रही हैं, जिसके चलते कई बार मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियॉ उत्पन्न होती रहती है। पीड़ित पक्ष व परिवारजन इन पंचायतों के निर्णय या उत्पीड़न के विरूद्ध पुलिस में केस दर्ज कराने व न्यायालय जाने पर उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं और उन्हें जाति बिरादरी से बाहर तक कर दिया जाता हैं। कई बार सरकारें तक ऐसी स्थितियों पर आंख मूंद लेती हैं।

इस सभी स्थितियों व परिस्थितयों के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार अत्यन्त जटिल अवधारणा बन गई है तथा इसकी विषयवस्तु को लेकर विद्वानों के विचारों में भिन्नता व्याप्त है। इन सबके उपरान्त भी भारत में मानवाधिकारों को लेकर सार्थक प्रयास किए गए हैं। प्रशासन व न्यायतंत्र उन्हीं मामलों पर विचार करता है जो उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। यद्यपि कतिपय मामलों में न्यायपालिका स्वप्रेरणा से भी, अन्यथा प्रचारतंत्र के माध्यम से प्रकट मामलों पर कार्यवाही आरंभ कर देती है, इस कारण मानवाधिकारों के बारे में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा व जनविश्वास में

वृद्धि हुई है। इस कारण प्रशासन तंत्र कानून व्यवस्था सुचारू रखने का प्रयत्न करता है और मानवाधिकार हनन के प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही करने का प्रयास करता है। इस क्षेत्र में प्रचार तंत्र, स्वयंसेवी संगठन व प्रबुद्ध जनों की पहल सराहनीय है जो किसी मानवाधिकार हनन के मामले पर अवाज उठाकर सरकार को तत्काल कार्यवाही के लिए बाध्य कर देते हैं।[2]

4.1 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एवं स्वरूपः

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम–1993 के अध्याय 5 की धारा 21 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के निर्देश प्रदान किए गये, जिसके माध्यम से संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों व अन्य कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जा सके तथा इनके अतिक्रमण के विरूद्ध पुलिस व न्यायालय में सूचना की जा सके। अधिनियम की धारा 41 में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार गठन की अधिसूचना जारी कर इसके विभाग व संचालन विधि निर्धारित करेगी। राजस्थान सरकार की मानवाधिकारों के प्रतिबद्धता व संवेदनशीलता का आंकलन इसी स्थिति से लगाया जा सकता है कि सात वर्ष पश्चात् राज्य मानवाधिकार के गठन करने का निर्णय जनवरी 1999 में लिया गया।

राज्य सरकार में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी, 1999 को दी जिसमें आयोग के अध्यक्ष, चार सदस्य, एक सचिव, एक पुलिस महानिरीक्षक अनुसंधान कार्य हेतु पदस्थापित करने की व्यवस्था की गयी। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री, विधानसभा में विपक्ष नेता के सम्मिलित करने की व्यवस्था है। यह समिति अध्यक्ष व सदस्यों के नामों की सिफिारिश राज्यपाल को करती है, जो इन अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त दो निवर्तमान न्यायाधीश व दो सदस्य मानवाधिकार के मामलों के पूर्वविद् व्यक्तियों में से चयनित किया जाने की व्यवस्था है।

आयोग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया जाने की व्यवस्था है तथा उपसचिव, सहायक पंजीयक व अन्य सहायककर्मी लगाने की व्यवस्था की गई है। अनुसंधान कार्य के लिए पुलिस महानिरीक्षका स्तर के अधिकारी को लगाने की भी व्यवस्था है। आयोग आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी की सेवायें ले सकता है। आयोग की प्रथम अध्यक्ष सुश्री कान्ता भटनागर ने 23 मार्च 2000 को कार्यभार ग्रहण किया तथा 11 अगस्त 2000 तक पद पर रही। यह पद 6 माह तक खाली रहा तथा 16 फरवरी 2001 को न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद अध्यक्ष बने। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन में पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिनके कार्यकलापों में कोई राजकीय हस्तक्षेप नहीं किया जाता।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय राज्य सरकार द्वारा जयपुर रखा गया है, जहां आयोग के लिए शासन सचिवालय, जयपुर में स्थान उपलब्ध कराया गया है। इसमें अध्यक्ष व सदस्यों के कक्ष, मीटिंग कक्ष व सचिव के कक्ष के आन्तरिक स्टाफ के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। सामान्यतया आयोग की बैठकें निर्धारित कार्यालय में ही सम्पादित की जाती है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष के विवेक के अनुसार आवश्यकता व औचित्य मानकर आयोग की बैठकें राजस्थान में किसी भी स्थान पर आयोजित की जा सकती है, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति किन्हीं विशेष प्रकरण की आवश्यकता व संवेदनशीलता को दृष्टिगत करते हुए अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है।[3]

4.1.1 आयोग की कार्य प्रणाली

सामान्यतया आयोग की बैठकें शनिवार व रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर आयोजित की जाती है फिर भी अध्यक्ष स्वप्रेरणा से अथवा एक या अधिक सदस्यों के अनुरोध पर किसी अत्यावश्यक प्रकरण पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता हैं। आयोग के सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका का निर्वहन भी करते हैं तथा आयोग की सभी बैठकों में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष के निर्देश पर अन्य अधिकारियों को भी

बैठक में भाग लेने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण अध्यक्ष की अनुमति के अनुसार किया जाता है, जिसके आदेश सदस्य द्वारा जरूरी किए जाते हैं और इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाती है।

आयोग की प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची सचिव द्वारा तैयार करने के पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त की जाती है तथा आयोग के सचिवालय द्वारा आवश्यक टिप्पणियां तैयार कराई जाती हैं। ऐसी टिप्पणियां प्रायः स्वतः पूर्ण होती है, जिस पर अन्य सन्दर्भों की आवश्कता नहीं होनी चाहिए और सदस्यगण इस कार्यसूची व संलग्न टिप्पणी से पूर्व सन्तुष्टी अनुभव करें। कार्यसूची में सम्मिलित प्रकरणों से सन्दर्भित समस्त पत्रावलियां सन्दर्भ के लिए सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कार्यसूची के प्रत्येक प्रकरण की पूर्व जानकारी अध्यक्ष व सदस्यों के विचारार्थ उपस्थित रहे और समुचित निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की सहमति से लिए जा सकें।

कार्य सूची के समस्त पत्रादि सभा आयोजन से दो दिन पूर्व सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने का दायित्व आयोग के सचिव का है। आयोग की बैठक आयोजन के दो दिन के भीतर बैठक के लिए गए निर्णयों का कार्यवाही प्रतिवेदन सचिव द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् सभी संबंधियों को जारी किया जाता है तथा निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है। आयोग किसी ऐसे प्रकरण के विचारविमर्श के लिए ले सकता है जिसे कार्य सूची के सम्मिलित नहीं किया गया हो। इसके लिए बैठक की कार्यसूची में अन्तिम प्रकरण के रूप में यह उल्लेख किया जाता है कि अध्यक्ष को निर्देश या सदस्यों के अनुरोध पर किसी भी अन्य प्रकरण को विचारार्थ सम्मिलित किया जा सकता है।

4.1.2 परिवादों के निस्तारण व स्वप्रेरणा कार्यवाही की प्रक्रिया

आयोग को परिवाद हिन्दी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भाषा में आवेदित किया जा सकता है। आयोग में परिवाद प्रेषित करने के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। परिवाद का प्रकरण पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिए जिससे उसे ग्रहण करने की स्थिति का आंकलन किया जा

सके। यदि आयोग आवेदित प्रकरण को विचार करने योग्य मानता है तो उसके बारे में अतिरिक्त सूचना प्रेषित करने के लिए परिवादी को लिखकर सूचना मंगाता है। अभिकथनों के समर्थन में आवश्यकता के अनुसार शपथ पत्र की मांग भी कर सकता है। परिवाद पूरी प्रक्रिया से गुजरता है तथा आवश्यक पत्रादि व सूचना होने पर उसको स्वीकार करने की स्थिति पर विचार किया जाता है।

आयोग में प्राप्त होने वाले समस्त प्रकरणों पर आयोग के सचिवालय में इसकी स्वीकार्यता पर विचार किया जाता है तथा ऐसे परिवाद जो आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते उन्हें आरम्भ में ही निरस्त कर दिया जाता है। इसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिघोषणा में वर्णित विषय ही विचार योग्य माने गए हैं। इसके अतिरिक्त अपूर्व विवरण व अस्पष्ट प्रकरण भी आरंभ में ही निरस्त कर लिए जाते हैं। ऐसे विषय जो आयोग सामान्यतया विचारणार्थ स्वीकार नहीं करता अथवा स्वीकार्य नहीं होते उनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

1. अस्पष्ट नाम व पते से भेजे गए प्रकरण, बिना नाम के भेजे गए समस्या प्रकरण तथा छद्म नाम या अपस्थानीय नाम पते से भेजे गए समस्त प्रकरण निरस्त कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार अकारण किसी व्यक्ति को परेशान करने वाले प्रकरण भी आयोग के विचारार्थ स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

2. मानवाधिकार शिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 36 (1) में वर्णित प्रकरण आयोग के अनुसार किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लम्बित है।[4]

3. अधिनियम की धारा 36 (2) के अधीन वर्णित आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्य का किया जाना अभिकार्य है। एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विषय की जांच नहीं करेगा।"[5]

4. सिविल विवाद से संबंधित प्रकरण यथा सम्पत्ति का अधिकार, संविदागत बाध्यता इत्यादि।

5. सेवा संबंधी मामले, श्रम व औद्योगिक विवाद सम्बन्धी समस्या प्रकरण।

6. किसी लोक सेवक को छोड़कर सामान्य जन पर लगे आरोप।

7. ऐसे प्रकरण जिनके अभिकथनों से मानवाधिकारों के किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण संबंधी प्रकरण नहीं बनता हो।

8. ऐसे समस्त प्रकरण जो किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो।

9. ऐसे समस्या प्रकरण जहां किसी न्यायिक अधिमत या आयोग के विनिश्चय के अन्तर्गत आने वाले हों।

10. ऐसे परिवार जो किसी प्राधिकारी के प्रेषित किए गए हो और उनकी प्रति आयोग को प्रस्तुत की गई हो।

11. ऐसे समस्त प्रकरण जो आयोग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हों।

उपरोक्त सभी श्रेणियों के प्रकरणों को निरस्त करने के लिए सहायक रजिस्ट्रार की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होती है तथा निरस्त करने का काल भी अंकित करना आवश्यक है।

4.1.3 परिवादों के संबंध में कार्य प्रक्रियाः

आयोग के सचिवालय में प्राप्त समस्त प्रकरण जो निरस्त नहीं किए गए है, उन्हें विधिखण्ड का अनुभाग अधिकारी की छंटाई करता है और जांच के लिए संबंधित सहायक रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करता है। आयोग में प्राप्त ऐसे परिवाद एवं सूचनाऐं जिन पर अविलम्ब कार्यकारी किया जाना अपेक्षित होता है उन्हें रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है जो ऐसे समस्त प्रकरणों पर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने की व्यवस्था करता है। आयोग में प्राप्त ऐसे परिवाद जो हिन्दी था अंग्रेजी के अतिरिक्त भाषा में प्राप्त हुए, उनका हिन्दी अनुवाद कराकर विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। जांच में विचार करने योग्य प्रकरणों के

ग्रहण करने योग्य परिवादों का निवारण प्रारूप 'क अंकित किया जाता है, जिस पर आगामी कार्यवाही के बारे में विवरण अंकित किया जाता है।

जिन परिवादी को ग्रहण करने योग्य नहीं मानकर निरस्त कर दिया है उनको प्रारूप ख में अंकित किया जाता है। इस व्यवस्था से आयोग में प्राप्त समस्त प्रकरणों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे भविष्य में प्राप्त होने वाले पत्राचार का समुचित व सन्तोष जनक उत्तर दिया जा सके। ग्रहण करने योग्य सभी परिवादी का पंजीबद्व रूप से वर्गीकरण किया जाता है, जिससे भविष्य में प्राप्त सन्दर्भ को आसानी से ढूंढकर प्रकरण के स्तर की जानकारी परिवादी को दी जा सके। इस प्रकार की प्रणाली से आयोग की कार्यवाही में वृद्धि होती है। परनतु इस प्रकार पारदर्शिता रखी जाती है। जिससे प्रकरण की जानकारी अविलम्ब उपलब्ध कराई जा सके।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में प्रकरणों के वर्गीकरण की प्रणाली अध्यक्ष की अनुमति से अपनाई जाती है और आगामी समस्त प्रक्रिया निर्धारित क्षेणी के अन्तर्गत की जाती है। आयोग में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में परिवाद प्राप्त होते है, जिसमें परिवादकर्ता एक निर्धारित समय के अन्तराल से प्रस्तुत परिवाद के संबंध में प्रगति की अपेक्षा रखता है। ऐसे समस्त व्यक्तियों को आयोग से सन्तोषजनक सूचना मिलने से उसे इस बात की सन्तुष्टि होती है कि प्रकरण को किस कारण से निरस्त किया गया अथवा विचारार्थ स्वीकार किया गया। प्रकरण के स्तर के बारे में सूचना उपलब्ध कराना आयोग की गरिमा में वृद्धि करता है और जनता में विश्वास बढ़ता है।

4.2 **परिवादों का रजिस्ट्रीकरण** :

जिन परिवादों के ग्रहण करने योग्य नहीं माना जाता और उन पर आयोग में कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाता है, ऐसे सभी परिवादों का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। इसके आयोग में विकसित प्रणाली के अनुसार जिला कोड़, रजिस्ट्रीकरण का वर्ष, प्रकरण की संख्या, आयोग में प्राप्त होने पर डायरी रजिस्टर में अंकित क्रमांक सहित निर्धारित वर्गीकरण श्रेणी में अंकित क्रमांक दिया जाता है।

क्रमवार प्रविष्टि के लिए विधि खण्ड में एक सामान्य रजिस्टर रखा जाता है। जांच पूर्ण होने के पश्चात् सामान्य रजिस्टर में प्रविविष्ट की जाती है तथा जिला कोड़ के साथ परिवाद के लिए समुदेशित प्रकरण क्रमांक लाल स्याही से अंकित किया जाता है। इसके पश्चात् जांच रिपोर्ट में दिए गए स्थान के भी प्रविष्ट किया जाता है।

प्रत्येक परिवाद से संबंधित अभिलेख पृथक से, सम्यक रूप से सूचीबद्ध करने के पश्चात् प्रकरण की पृथक पत्रावली तैयार की जाती है। इसके पश्चात् प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचीकरण अनुभाग को भेजा जाता है। इस प्रकार वर्णित प्रक्रिया से रजिस्ट्रीकृत समस्त परिवाद यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक स्थिति में आयोग में प्राप्त दिनांक से सात दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। आयोग में प्रस्तुत किए जाने की पूववर्ती कार्यवाही आयोग के सचिवालय में पृथक–पृथक स्तर पर की जाती है तथा केवल ग्रहण करने योग्य प्रकरण की रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् आयोग के समक्ष विचारार्थ रखे जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत आ जाते हैं। सात दिन की अवधि का निर्धारण इस दृष्टि से किया गया है कि प्रकरण पर समस्त वांछित कार्यवाही पूरी करने के पश्चात् ही परिवाद सचिव के समक्ष आयोग में प्रस्तुत किए जाने हेतु रखा जाता है।[8]

4.2.1 न्यायापीठों का गठनः

अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश से विचारणीय परिवादों के निस्तारण के एकल न्यायपीठ, खण्ड न्यायपीठ अथवा पूर्व न्यायपीठ के गठन का प्रावधान किया गया है। सामान्य स्तर के परिवाद एकल न्यायपीठ के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें संबंधित न्यायधीश प्रकरण के अन्तर्गत अंकित विषयों पर संबंधित पक्षों की सुनवाई के पश्चात् अपना निर्णय देते हैं। परिवादों के वर्गीकरण के अनुसार इन्हें संबंधित न्यायालय की सुनवाई हेतु आवेदित किया जाता है तथा परिवाद पर निर्णय के पश्चात् इसे पूर्ण मानकर संबंधित रिकार्ड में अंकित कर दिया जाता है तथा पत्रावली को सुरक्षित रखने के लिए विधि प्रकोष्ठ को भेज दिया जाता है।

अन्तवर्णित विवाधको के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को खण्डपीठ या आयोग की पूर्णपीठ के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक माने जाने पर इसे अध्यक्ष के विचारार्थ एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार प्रकरण की खण्डपीठ या पूर्वपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक प्रकरण के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी वर्गीकरण के अनुसार सचिव प्रत्येक प्रकरण को संवेदित न्यायपीठ को भेज देते हैं जहां निर्णय के पश्चात् पत्रावली भी सचिव के माध्यम से विधि प्रकोष्ठ को भेज दी जाती है। केवल खण्डपीठ, बृहतर खण्डपीठ या पूर्वपीठ में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरण की अध्ययन को प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार संबंधित पीठ के लिए प्रेषित कर दिया जाता है।

इस दृष्टि से ऐसे प्रकरण जो वर्गीकरण के साथ एक से अधिक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं तथा ऐसे प्रकरण जिनका महत्व मानवाधिकारों के व्यापक स्वरूप या प्रक्रिया से संबंधित होना है व सभी प्रकरण अध्यक्ष सूची की अनुमति सें वर्गीकृत माने जाते हैं और संबंधित खण्डपीठ में इन पर विचार व निर्णय किया जाता है। अधिकांश प्रकरण एकल न्यायपीठ में विचार योग्य होते हैं जिनके समस्या श्रेणी के वर्गीकरण के अनुसार संबंधित न्यायपीठ को भेजा जाता है। जो प्रकरण खण्डपीठ के विचारार्थ रखे जाते हैं उनके लिए निर्धारित समय या प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण किया जाता है। पूर्वपीठ में विचारार्थ प्रकरण अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाते हैं।

एकल न्यायपीठ के निर्णय के विरूद्ध पुर्नविचार याचिका खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तथा खण्डपीठ के निर्णय के विरूद्ध पुनः विचार याचिका पूर्ण पीठ के समक्ष प्रस्तुत की जाती है जिससे निर्णय कर पुर्नविचार करना संभव नहीं होता है। प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब तब होता है जब आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के पद किन्हीं कारणों से रिक्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में पदेन अध्यक्ष की अनुमति से एकलपीठ या खण्डपीठ के प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं परन्तु सीमित संख्या के कारण पूर्वपीठ में विचार करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष व सदस्यों की पीठ ही दायित्वों का निर्वाह करती है।[9]

4.2.2 वाद सूची तैयार करना

परिवादों की सूची विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत तैयार की जाती है जो शीर्ष कार्य प्रक्रिया निर्धारण के अन्तर्गत आयोग के सचिव द्वारा अध्यक्ष की स्वीकृति से निर्धारित किए जाते हैं। इसके अन्तर्गत ग्रहण करने योग्य प्रकरण तथा ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण प्रथक प्रथक श्रेणीबद्व किए जाते हैं। ऐसे प्रकरणों पर न्यायपीठ निर्णय लेती है। इसमें ग्रहण करने योग्य प्रकरणों पर आगामी कार्यवाही आरम्भ की जाती है तथा ऐसे प्रकरण जो परिवाद के अन्तर्गत ग्रहण करने योग्य नहीं माने जाते हैं उन्हें न्यायपीठ ही निरस्त करती है। अतः आयोग के समक्ष आने वाले सभी प्रकरणों पर न्यायपीठ में ही समुचित निर्णय लिया जाता है।

ग्रहण करने योग्य प्रकरणों में यदि सूचना या रिपोर्ट मांगने की आवश्यकता होती है तो संबंधित परिवाद कर्ता या अन्य पक्ष से रिपोर्ट मांगना आवश्यक माना जाता है। यह सूचना या रिपोर्ट मंगाने के लिए संबंधित पक्ष को सम्मन भेजा जाता है जिसमें नियत दिनांक तक सूचना या रिपोर्ट भेजने के निर्णय प्रदान किए जाते हैं। यदि वाद की गंभीरता को दृष्टिगत रखकर न्यायपीठ द्वारा अन्तरिम या अन्तर्वर्ती आदेश जारी करना आवश्यक माना जाता है तो उसके लिए न्यायपीठ के निर्देशानुसार आदेश जारी कर वांछित सूचना तिथीप्ति मंगाई जाती है और प्रकरण में दिए गए आदेश की पालनार्थ ही भेजा जाता है।

ऐसे परिवाद जिन पर संबंधित न्यायपीठ ने सुनवाई पूरी कर ली है उसे अन्तिम निपटारे के लिए दिए गए आदेश की अनुपालना की कार्यवाही करने की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए आयोग में कार्यरत महानिरीक्षक पुर्नविक्षा से वर्गीकरण कराई जाती है और उसकी रिपोर्ट संबंधित खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। ऐसे प्रकरण जो अनुपालना की प्रतीक्षा में है, उन पर अनुपालना कराकर न्यायपीठ के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार एकल न्यायपीठ व खण्डपीठ के निर्णय के विरूद्ध पुर्नरावलोकन आवेदन की ग्राहयता पर अध्यक्ष द्वारा विचार करने के पश्चात् ही संबंधित पीठ के विचारार्थ प्रकरण को प्रस्तुत किया जाता है।[10]

4.2.3 प्रकरणों की प्रविष्ठि करना:

प्रत्येक प्रकरण को अध्यक्ष द्वारा निर्देशित प्रणाली के अन्तर्गत वर्गीकृत करके पृथक–पृथक न्यायपीठ की सूची में विचारार्थ सम्मिलित किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक न्यायपीठ के लिए निर्देशित श्रेणी के परिवाद निर्धारित संख्या में एक तारीख में लगाए जाते हैं। उन प्रकरणों की पत्रावलियां संबंधित न्यायपीठ को निर्धारित तिथि के दो दिन पूर्व परिचालित किया जाता है। इस तरीके से न्यायपीठ में प्रकरणों की प्रारंभिक कार्यवाही पूर्व में ही विचार कर ली जाती है जिससे अधिकांश प्रकरण निर्धारित तिथि के निस्तारित किए जा सकें। एक बार प्रचलन में आने पर पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है तथा न्यायपीठों को प्रक्रिया संचालन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती।[11]

4.2.4 प्रारंभिक विचार और प्रक्रम

संबंधित न्यायपीठ में परिवाद पर विचार करने के पश्चात् आरंभ में ही खारिज कर दिए जाने पर उक्त आदेश प्रारूप 'च' में परिवाद को संसूचित किया जाता है और प्रकरण को समाप्त हुआ मान लिया जाता है। मानवाधिकार आयोग की कार्य प्रणाली की यह विशेषता है कि प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रकरण पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिन परिवादों की ग्रहण कर लिया जाता है अथवा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाता है तो परिवाद को एक प्रति संलग्न करते हुए संबंधित प्राधिकारी को प्रारूप 'छः' में नोटिस भेजा जाता है। ऐसे नोटिस में न्यायपीठ के आदेशानुसार वह समय विनिर्विष्ट किया जाता है जिसके भीतर जानकारी या रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाती है।[12]

4.2.7 आदेशों का अभिलेख:

आयोग के समस्त आदेश निर्धारित पत्रक में अभिलिखित किए जाते हैं। लम्बे आदेश होने की स्थिति में प्रथक आदेश पत्रकों पर अभिलिखित किया जाता है। साथ ही अदिश पत्रांक के संबंधित स्तम्भ में आदेश की स्थिति तथा पृष्ठों की संख्या प्रविष्ठ की जाती है। इस दृष्टि से ऐसे समस्या प्रकरण जिनमें आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अन्तर्गत अविलम्ब कार्यवाही की जानी है। न्यायपीठ का निजी सचिव

पत्रावली को तुरन्त रजिस्ट्रार को पहुंचाता है। रजिस्ट्रार ऐसे समस्त प्रकरणों को फैक्स, टेलीफोन, स्पीडपोस्ट या तार द्वारा न्यायपीठ के निर्देश की सूचना देते हुए चाही गई सूचना या रिपोर्ट आयोग के निर्धारित समय के पूर्व प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

रजिस्ट्रार अपेक्षित कार्यवाही पूरी करने के पश्चात् पत्रावली या निर्देश की आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित अनुभाग को भेजता है। इस प्रकार न्यायपीठ के निर्णय की पत्रावलियां तत्परता से कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को भेजी जाती है और उनके निर्देश तत्परता से पूरे करने होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में समस्त कार्यवाही तत्परता से करनी अपेक्षित है और रजिस्ट्रार का यह दायित्व है कि प्रत्येक कार्य को सही स्वरूप में लागू करने की कार्यवाही पूरी करनी आवश्यक है। प्रत्येक न्यायपीठ की कार्यवाही तत्परता से करना सचिवालय का दायित्व है, जहां समस्त प्रक्रिया सही स्वरूप में तथा समय पर करनी आवश्यक है।

आयोग सचिवालय में प्रत्येक जिले का प्रारूप 'ज' के अनुसार प्रथक रजिस्टर बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रकरण संबंधी सूचना मंगाने व प्राप्त होने का विवरण अंकित किया जाता है। प्रत्येक सूचना की प्रक्रिया पर उसे संबंधित जिले में रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि करनी आवश्यक है जिससे संबंधित पत्रावली व प्रकरण सहित प्रत्येक सूचना की प्राप्ति व प्रेषित करने की सूचना तुरन्त पता की जा सके और उसकी प्रविष्टि संबंधित पत्रावलियों करके संबंधित न्यायपीठ के समक्ष निर्धारित समय से पूर्व प्रस्तुत करनी आवश्यक है।[13]

4.2.5 सारांश तैयार करना

आयोग द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट या सूचना प्राप्त होने पर उप रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित पत्रावली पर प्रारूप '6' में सारांश रूप में एक विस्तृत टिप्पणी तैयार की जाती है, जिसमें आयोग की संबंधित न्यायपीठ द्वारा चाही गई सूचना की पूर्वता व समस्त प्रकरणों का समावेश किया गया है। ऐसी रिपोर्ट से तैयार कर पत्रावली रजिस्ट्रार व सचिव के माध्यम से संबंधित न्यायपीठ को प्रस्तुत की जाती है।

न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्देश व सूचना के अवलोकन के पश्चात् प्रकरण की कार्यवाही पूर्ण मानकर उसे समाप्त कर सकता है अथवा कोई सिफारिश करता है। यदि प्रकरण को समाप्त करने के आदेश प्रदान किए गए हैं तो पत्रावली निर्णित मानकर विधि प्रकोष्ठ को भेज दी जाती है।

यदि संबंधित न्यायपीठ प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करता है तो उस पर वांछित प्रक्रिया निर्देश के अनुसार की जाती है और पत्रावली पर आवश्यक कार्यवाही करने की प्रक्रिया उप रजिस्ट्रार द्वारा जारी रखी जाती है। ऐसे विषय में प्राप्त रिपोर्ट प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने का आधार मानकर न्यायपीठ निर्देश प्रदान करती है, जिसकी पालना उप–रजिस्ट्रार स्तर पर की जाकर पालना की निर्धारित दिनांक को न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इस स्थिति में पत्रावली पर कार्यवाही जारी रहती है।[14]

4.2.6 सम्मन जारी करने की प्रक्रियाः

किसी स्वीकृत प्रकरण पर न्यायपीठ, खण्डपीठ या पूर्ण न्यायपीठ द्वारा परीक्षण के आधार पर यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को व्यक्तिशः सुनवाई या के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक माना जाता तो न्यायपीठ प्रयोजन उपादर्शित करते हुए प्रारूप 'झ' के अनुसार सम्मन जारी करने के निर्देश प्रदान करती है। इसमें परिवाद प्रस्तुतकर्ता व्यक्ति द्वारा जिस व्यक्ति के विरूद्ध मानवाधिकार हनन के आरोप लगाए है उस परिवादी या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, जैसा न्यायपीठ उचित समझे, व्यक्तिशः सुनवाई के लिए निर्धारित दिन व समय पर सम्मन भेजकर बुलाती है। इसके अतिरिक्त यदि न्यायपीठ किसी ऐसे अन्य व्यक्तियों को सम्मन भेजर बुला सकती है। जिसको आयोग की राय से प्रकरण के समुचित निपटारे के लिए सुना जाना आवश्यक माना जाता है।

आयोग की न्यायपीठ किसी भी ऐसे व्यक्ति के सम्मान भेजकर बुला सकती है जो आयोग द्वारा अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षण करने के लिए सम्मन भेजकर बुला सकती है, जिसका उल्लेख परिवाद में किया गया है। आयोग की न्यायपीठ उस व्यक्ति को भी

सम्मन भेज कर बुलाती है जिसके आचरण की जांच करनी आवश्यक समझी जावे। इसके साथ–साथ आयोग की न्यायपीठ ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मन भेजकर बुलाती है। जिसकी प्रतिष्ठा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की आशंका है। आयोग ने ऐसी सभी व्यवस्थाऐं की है जिनको सुनने के पश्चात् ही न्यायपीठ समुचित निर्णय करे तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जिससे किसी व्यक्ति की अकारण गरिमा प्रभावित हों।

आयोग किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति को आयोग की न्यायपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी सम्मन जारी करता है, जिसकी उपस्थिति आगामी सुनवाई के दिन आवश्यक मानी जावे। ऐसे व्यक्ति को उपसंज्ञान के लिए सम्मन जारी किए जाते हैं और निर्धारित दिन को पत्रावली न्यायपीठ के समक्ष रखी जाती है जिस पर व्यक्ति के उपस्थित होने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। साथ ही उपस्थित न होने की स्थिति में न्यायपीठ द्वारा समुचित निर्देश प्रदान किया जाता है जिस पर आदेश की पालना आयोग के सचिवालय द्वारा की जाती है।[15]

4.3 आयोग की न्यायिक कार्यप्रणालीः

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (1994 का अधिनियम संख्या 10) की धारा–29 के साथ छत 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यप्रणाली के विनियमों का परिचालन करता है। इसके अध्यक्ष व चार सदस्य पृथक–पृथक न्यायपीठ, खण्डपीठ व पूर्ण न्यायपीठ बनाकर न्यायिक प्रक्रिया सम्पादित करने के लिए अधिकृत किए गए है। आयोग की कार्यप्रणाली के संचालन के लिए सचिव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी का स्तर प्रदान किया है तथा निदेशक अन्वेषण के रूप में महानिरीक्षक परीक्षक को लगाया गया है। भारत सरकार के 1993 अधिनियम के अन्तर्गत गठन करने के उपरान्त इसका दायित्व राज्य में मानवाधिकार के हनन संबंधी समस्त प्रकरणों को सम्पादित करना है।

अधिनियम के अन्तर्गत अध्यक्ष के आयोग की कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है और आयोग का सचिवालय निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप कार्य सम्पादित करता है। निदेशक अन्वेषण के रूप में महानिरीक्षक पुलिस का व्यवस्थापन करके राज्य सरकार द्वारा पुर्नसंलग्न से वांछित जांच व अन्वेषण कराने की व्यवस्था है। इसके साथ ये आयोग राज्य सरकार के किसी अधिकारी को आवश्यक दायित्व सौंप सकता है। इस व्यवस्था के अतिरिक्त अपने अन्वेषण खण्ड द्वारा अथवा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सहमति से किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण के लिए किसी अधिकारी या अधिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। वह अधिकारी आयोग द्वारा प्रदत्त प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने के लिए (अभितीत किया गया है। उस अधिकारी को अभिकरण के निर्देश के साथ–साथ अन्वेषण संबंधी पत्रादि की प्रति का उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस व्यवस्था से अधिकृत व्यक्ति अभिकरण संबंधित विषयवस्तु के अन्तर्गत अन्वेषण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यदि अधिकृत व्यक्ति या अभिकरण द्वारा रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होती तो ऐसा प्रकरण आयोग के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर आगामी निर्देश प्राप्त किए जाते हैं।

4.3.1 आयोग की अभिशंषा तथा अनुवर्ती कार्यवाही:

वांछित जांच रिपोर्ट या सूचना प्राप्त होने पर संबंधित न्यायपीठ प्रकरण पर विचार करने के पश्चात् कोई अभिशंषा के साथ सरकारी विभाग या प्राधिकारी को भेजकर निर्धारित कार्यवाही करने तथा टिप्पणी एकमात्र या अधिक निर्धारित समय में मांगने के निर्देश प्रदान करती है। संबंधित न्यायपीठ द्वारा अभिशंषा किए जाने के सात दिन के भीतर संबंधित कार्यवाही आयोग के सचिवालय द्वारा की जानी अपेक्षित है। न्यायपीठ द्वारा की गई अभिशंषा सरकार के किसी प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष या प्राधिकरण को भेजती है। यह कार्य संबंधित न्यायपीठ स्पष्ट अंकित

कर देती है अथवा आयोग के सचिव को पत्रावली व अभिशंषा से ज्ञात कर स्वयं करनी पड़ती है।

आयोग द्वारा वांछित सूचना या टिप्पणी संबंधित विभाग या प्राधिकारी से निर्धारित समय में प्राप्त नहीं हो तो प्रकरण की निर्धारित तिथि के आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में निर्देश प्राप्त कर आगामी कार्यवाही की जाती है। यदि निर्धारित समयावधि में विभाग या प्राधिकारी से टिप्पणी प्राप्त हो जाती है तो आयोग की न्यायपीठ के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाता है। प्राप्त टिप्पणी द्वारा उपयोग की अभिशंषा पूर्णतः स्वीकार की जा सकती अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है और कई स्थितियों में पूरी तरह अस्वीकार कर दिया जाता है। कई बार टिप्पणी में यह दर्शाता है कि आयोग की अभिशंषा पर निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा जिसका स्पष्टीकरण किया जाता है। इस सभी स्थितियों में टिप्पणी पर संक्षिप्त नोट बनाकर संबंधित खण्डपीठ को प्रस्तुत किया जाता है।

आयोग की संबंधित न्यायपीठ द्वारा की गई अभिशंषा के क्रम में विभागीय टिप्पणी का अवलोकन करने के पश्चात् उचित निर्णय लिया जाता है। कई बार आयोग समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रकरणों या किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर स्वप्रेरणा से प्रकरण तैयार कर उसकी कार्यवाही की जाती है। इस विषय में पूरी प्रक्रिया वही रहती है जो परिवाद प्राप्त होने पर आयोग द्वारा आमंत्रण की जाती है। स्वप्रेरणा से कार्यवाही करना न्यायिक प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अंग है और आयोग में इस प्रकार के प्रकरणों को आरम्भ करना उपयुक्त माना गया है। इस प्रकार बहुत से परिवाद जनहित को दृष्टिगत रखकर आरंभ किए जाते हैं, जिन पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4.3.2 आयोग के समक्ष व्यक्तिशः सुनवाई

आयोग के समक्ष प्रस्तुत परिवादों का स्वप्रेरणा से सृजित परिवाद पर यह अनुभव किए जाने पर कि परिवादी या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्तियों को सुना जाना आवश्यक है। यह व्यवस्था इस दृष्टि से की गई है कि कई बार परिवाद में याचिकाकर्ता एकतरफा दृष्टिकोण अपना कर स्थिति दर्शाता

है जबकि उसके अन्य पक्ष सार्थक व महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसा अनुभव करने पर आयोग की संबंधित न्यायपीठ प्रकरण के समुचित निस्तारण की दृष्टि से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार किसी परिवाद में आवश्यकता होने पर वांछित अभिलेख मंगा सकता है अथवा साक्षियों को बुलाकर उनके विचार भी जान सकता है। परिवाद पर निर्णय लेने के क्रम में आयोग की न्यायपीठ किसी भी व्यक्ति के आचरण की जांच कर सकती जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित होने की संभावना है।

आयोग की न्यायपीठ ऐसी सभी स्थितियों का आंकलन करने के पश्चात् अपने आधार के समर्थन में साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर प्रदान कर सकता है और उसकी सुनवाई का अवसर प्रदान करता है। बहुत से प्रकरणों में किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित स्थिति को पूरी तरह से सत्य भी नहीं माना जा सकता जब तक कि उससे प्रभावित व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर की जावे और आयोग की खण्डपीठ याचिकाकर्ता के विचार से पूरी तरह सहमत हो जावे। कई बार याचिकाकर्ता दुर्भावनावश भी ऐसे प्रकरण आयोग में प्रेषित कर देते हैं तथा सरकारी तौर पर इनमें सत्यता प्रतीत नहीं होती। इन स्थितियों की दृष्टि के लिए आयोग की न्यायपीठ अभिलेख या परिवादी को व्यक्तिगत बुलावा सुनवाई करती है।[18]

4.3.3 जांच रिपोर्ट का प्रकाशनः

आयोग के समस्त आदेश एवं निर्देश आदेश पत्रांक में अभिव्यक्ति किए जाते हैं। प्रायः लम्बे आदेश प्रथक पत्राकों पर अभिलिखित किए जाते हैं तथा आदेश पत्रांक के संबंधित स्तम्भ में आदेश की तारीख तथा पृष्ठों की संख्या की प्रविष्ट की जाती है। ऐसे प्रकरण जिनमें आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हो उसे संबंधित व्यक्तियों व संस्था तक पहुंचाने के लिए फैक्स, टैलीफोन, स्पीड़–पोस्ट, तार आदि द्वारा प्रेषित किया जाता है। इस विषय व जांच पूरी होने के पश्चात् जब आयोग आदेश जारी कर देता है तब आयोग के रजिस्ट्रार प्रकरण संख्या, परिवादी का नाम, संबंधित सरकारी विभाग

के प्राधिकारी का नाम और अन्तिम आदेश व दिनांक जैसी प्रविष्टियों के साथ अधिनियम की धारा 18 (6) में निर्विष्ट जांच रिपोर्ट की प्रति परिशीलन के लिए आयोग के पुस्तकालय को उपलब्ध कराता है।

धारा 18 (66) के अनुसार आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टिप्पणी सहित अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशें संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही को प्रकाशित करता है। इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को आयोग के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाती है। इस पूरे दस्तावेज के दो सैट आयोग के पुस्तकालय में उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी या उसके प्रतिनिधि तथा राज्य सरकार व संबंधित प्राधिकरण की निर्दिष्ट आदेश की प्रति निशुःलक भेजी जाती है। सामान्यतया सभी सूचनाऐं आयोग द्वारा साधारण डाक से प्रेषित की जाती है।[19]

4.3.4 पुनरावलोकनः

किसी भी पक्षकार को आयोग के आदेश या कार्यवाही के पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। आयोग द्वारा पारित आदेश या कार्यवाही के पुनरावलोकन या उपान्तरण चाहने हेतु प्राप्त आवेदन को पत्रावली के साथ संबंधित न्यायपीठ को प्रस्तुत किया जाता है और न्यायपीठ उसके औचित्य को दृष्टिगत रखकर प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही करती है। आयोग की न्यायपीठों द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित किए गए समस्या प्रकरणों को अभिलेख रजिस्टर प्रारूप 'ज' की प्रतिष्ठ पूर्व करने के पश्चात् अभिलेख अनुभाग को प्रेषित कर दिया जाता है। अभिलेख अनुभाग में पत्रावलियां इस उदेश्य से रोकी जाती है क्योंकि इस पर कोई पत्र आदेश के बारे में अपने आवेदन प्रस्तुत करते हैं जिनके अन्तर्गत प्रकरण के पत्रावली सहित विचार करना आवश्यक हो जाता है।

अभिलेखों के प्रतिधारण की अवधि सामान्यतया दो वर्ष रखी गई है। यह अवधि अन्तिम रूप से प्रकरण के निस्तारण की अवधि से लागू होती है। इस अवधि के पश्चात् प्रकरण को रखने की कोई आवश्यकता नहीं होने से ऐसी सभी प्रकरणों

को नष्ट किया जाता है। नष्ट करने से पूर्व आयोग के सचिव से आदेश प्राप्त किया जाते हैं जो अभिलेखों की महला को दृष्टिगत रखकर उचित निर्णय प्रदान करते हैं। इसके पूर्व रजिस्टर प्रारूप 'ज' में सूचना को प्रतिपादित किया जाता है। अभिलेखपाल अन्तिम आदेश के दो वर्ष पश्चातवर्ती अवधि की समस्या पत्रावलियों रजिस्टर प्रारूप 'ज' में दिनांक का आंकलन करके प्रत्येक पत्रावलियों को नष्ट करने के आदेश प्रदान कर देता है।

इस अवधि में यदि परिवाद करने वाला व्यक्ति आयोग से मांग करता है तो उसके मूल दस्तावेज नष्ट किए जाने के पूर्व उसे वापस कर दिए जाते हैं। पत्रावलियों के नष्ट करने का कार्य प्रत्येक वर्ष के अगस्त माह में किया जाता है, जिसमें विगत दो वर्षों की पत्रावलियां नष्ट कर दी जाती हैं। वैसे रजिस्टर व कम्प्यूटर पर समस्त सूचना बनाए रखी जा रही है। इस के पूरी प्रक्रिया के गहन अध्ययन व समीक्षा करने के उपरान्त राजस्थान मानवाधिकार आयोग में प्राप्त पत्र व उनके निस्तारण की पूरी प्रक्रिया को देखकर उस संस्था के गठन के औचितय तथा मानवाधिकार के संरक्षण की स्थिति के आंकलन की स्थिति के बारे में भी विचार किया जाना आवश्यक है।[20]

4.4 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की महिला अत्याचार व उत्पीड़न रोकने में भूमिकाः

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 तथा धारा 21 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग गठन करने व उसकी कार्य प्रक्रिया निर्धारण के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 के अन्तर्गत किया गया है। इससे पूर्व राज्य सरकार द्वारा 18.1.1999 को जारी अधिसूचना द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया तथा आयोग ने मार्च 2000 से कार्य आरंभ किया तथा इसने कार्यसंचालन की प्रक्रिया जनवरी 2001 में जारी की गई। राजस्थान सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन रोकने के संबंध में आदेश बनाने की

कार्यवाही भारत सरकार के अधिनियम 1993 में जारी करने के सात वर्षों बाद आरंभ की थी यह दर्शाता है कि सरकार ने छः वर्ष का समय निर्णय लेने में लगा दिया।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का महत्व 1993 के भारत सरकार के अधिनियम से प्रकट होता है जिसके अन्तर्गत आयोग को प्रदत्त शक्तियों से प्रकट होता है। आयोग को प्रदत्त शक्तियों से यह स्पष्ट है की वह स्व–प्रेरणा से अथवा पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विचार करता है, जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया अथवा किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार हनन रोकने की उपेक्षा की गईं ऐसे प्रकरणों पर आयोग विचार करने में सक्षम है। आयोग द्वारा प्रकरण की शिकायतों की जांच करता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन पाए जाने पर सूचना प्राप्त कर यह सुनिश्चित करता है कि याचिका सही है अथवा दुराग्रह पूर्ण है। इसी प्रकार लोक सेवक ऐसे कृत्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार है या अपना दायित्व निभाने की उपेक्षा की गई है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को केवल सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रत्येक जिले में पृथक मानवाधिकार न्यायालय स्थापित कर दिए हैं इसीलिए आयोग प्राप्त शिकायतों पर यह सुनिश्चित करता है कि प्रकरण में वर्णित तथ्य सही हैं और इस आधार पर संबंधित जिले के मानवाधिकार न्यायालय में प्रकरण अग्रेषित कर देता है। इसी प्रकार आयोग किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण में जहां मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी कार्यवाही की जाती है, उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप कर सकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत संबंधित न्यायालय को प्रकरण भेजकर उसकी स्थिति भी दृष्टिगत रखने के निर्देश दे सकता है।

किसी प्रकरण में राज्य सरकार को सूचना देने के अधीन राज्य सरकार के नियंत्रण की किसी जेल या अन्य संस्था, जहां उपचार, सुधार या संरक्षण हेतु व्यक्ति को विरुद्ध किया गया अथवा रखा गया है। उस संस्था में निवास करने वाले व्यक्तियों की जीवन दशाओं का अध्ययन करने व उस पर सिफारिश करने के लिए

निरीक्षण करने का भी प्रावधान है। इस प्रसंग में यदि राज्य सरकार स्वयं आयोग से निवेदन करती है कि किसी जेल, महिला सुधार गृह, निर्धारित गृह, बाल अपराधी गृह में आवासियों की स्थिति का आंकलन कर अपनी अभिशंषा प्रस्तुत करे जिस पर राज्य स्तर पर उचित निर्णय लिया जा सके। इस कार्य के लिए आयोग द्वारा उस संस्था को अध्यक्ष या सदस्यों के आगमन की सूचना देनी होती है।

राज्य सरकार आयोग से प्राप्त सिफारिशों को अक्षरतः मानने के लिए बाध्य नहीं है तथा आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेती है। इसी प्रकार आयोग के पास किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत प्राप्त होती है जिसमें कारागार, महिला सदन, महिला सुधारगृह, निराश्रित गृह, बाल अपराध गुट में अव्यवस्थाओं या दृष्कृत्यों को रोकने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों पर इन संस्थाओं के निरीक्षण करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग को एक महत्वपूर्ण संस्था का स्तर प्रदान नहीं किया है। यह दर्शाता है कि आयोग इन स्थलों पर राज्य सरकार की अनुमति मिलने के पश्चात् ही प्रवेश कर सकती है।

राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या वर्तमान में प्रवृत्त किसी कानून द्वारा अथवा उसके अधीन प्रवाहित सुरक्षाओं का पुनरावलोकन करता है तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रदान करता है। यह प्रक्रिया राज्य सरकार के अनुरोध पर की जाती है तथा आयोग किसी प्रकरण के अन्तर्गत प्राप्त प्रसंग में ऐसी कार्यवाही के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करता है तथा प्रेषित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह राज्य सरकार के लिए बाध्यता नहीं है। राज्य सरकार प्रायः ऐसी सिफारिशें केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने के लिए आधार बनाने के लिए मंगाती है, जिसका विधिवत परीक्षण कर केन्द्र सरकार को निवेदन करती है।

उग्रवाद के कृत्यों सहित मानवाधिकारों के उपयोग में बाधक कारकों पर राज्य सरकार के अनुरोध पर पुर्नरावलोकन करता है तथा इन स्थितियों से बचने या सुरक्षित रहने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने की सिफारिशें भेजता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान व प्रोन्नत करने की दिशा में भी वांछित कार्यवाही को संभावित करता है। इसमें मानवाधिकारों के सुचारू उपयोग में बाधाओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से अनुसंधान भी कराता है। सामान्यतया आयोग में लगे अध्यक्ष व सदस्यगण मानवाधिकारों की विशेषज्ञता के कारण ही चयनित किए जाते हैं, इसलिए इनके सुझाव मंगाकर उस दिशा में आगामी प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं।

आयोग के दायित्वों में मानवाधिकारों की जानकारी देने, इस विषय में समाज के विभिन्न उपेक्षित वर्गों यथा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा समाज के उपेक्षित वर्गों की साक्षरता के लिए प्रचार प्रसार करने प्रचार मंत्रों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने, सेमीनार व अन्य उपयुक्त माध्यमों द्वारा मानवाधिकारों की जानकारी और उनके संरक्षण के बारे में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी पहुंचाने का भी कार्य सौंपा गया है। इसके लिए आयोग के बजट में प्रचार प्रसार आदि के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों व महिलाओं के उत्पीड़न व शोषण रोकने के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं व महिला संगठनों प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं, जिससे समस्त जानकारी महिलाओं व भिन्न वर्गों तक पहुंच सके।

इस प्रकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अग्रणी संस्था है जहां प्राप्त शिकायतों व समस्याओं के बारे में तथ्यों की जानकारी करके संबंधित समस्याओं के आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित करता है। आयोग के अन्तर्गत गठित न्यायपीठ समस्त प्रकरण पर विचार कर यह निर्धारित करती हैं कि प्रकरण में मानवाधिकार का हनन किया गया है और ऐसे प्रकरणों को मानवाधिकार न्यायालयों व सरकार के विभागों को प्रेषित कर टिप्पणी मंगाकर दिशा निर्धारित करती है। न्यायाधीशों के आदेश राज्य सरकार व उसकी संस्थानों के लिए सुझाव स्वरूप होते हैं जिन पर टिप्पणी या सूचना मंगाकर आगामी कार्यवाही की अभिशंषा करती है।[21]

4.4.4 आयोग में निहित जांच संबंधी शक्तियाँ

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत किसी शिकायत की जांच करने के लिए आयोग को सिविल प्रोसीजर कोड़ 1908 के अन्तर्गत शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं जिनमें किसी परिवाद में गवाहों की सम्मन जारी करके निर्धारित दिनांक को उपस्थित होने, उपस्थिति हेतु बाध्य करने तथा शपथ दिलवाकर बयान देने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। परिवाद में किसी दस्तावेज का पता लगाने व संबंधित संस्था या व्यक्ति से उसे मंगाने के लिए नोटिस भेजकर जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी गवाह को शपथ पत्र देकर बयान देने के लिए भी न्यायालय को अधिकृत किया गया है। किसी परिवाद में आवश्यकता पड़ने पर किसी न्यायालय या कार्यालय से सरकारी अभिलेख या उसकी प्रति की मांग कर सकता है। गवाहियों व दस्तावेजों की जांच हेतु किसी कमीशन को अधिकृत कर सकता है।

आयोग में अन्वेषण कार्य के लिए महानिरीक्षक पुर्नवास के स्तर के अधिकारी को निदेशक अन्वेषक बनाया गया है। मानवाधिकार हनन के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच करने के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है अथवा किसी अभिकरण की सेवाऐं प्राप्त कर सकता है। महानिरीक्षक पुर्नवास जांच के प्रकरणों को पुर्नवास विभाग के जिला व निम्न स्तर के अधिकारियों को भेजकर रिपोर्ट मांगते हैं तथा आयोग में इस रिपोर्ट के आधार पर जांच का परीक्षण किया जाता है। आयोग अधिकांश अन्वेषण प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार के पुर्नसंरक्षण या सरकारी विभागों पर निर्भर करता है, जिसमें राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों के हनन की शिकायत की गई है।[22]

4.2.2 आयोग की स्वायत्तता

आयोग के स्वरूप में स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया है जो भारत सरकार के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है। इसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के आदेश से की जानी है, जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री की

अध्यक्षता में एक सीमित गठित की गई है जिसमें विधान सभा के अध्यक्ष राज्य के गृहमंत्री विपक्ष दल के नता मिलकर अध्यक्ष व सदस्यों के चयन की सिफारिश राज्यपाल से करते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल आदेश में उल्लेखित होता है। जिससे पूर्व उन्हें हटाया नहीं जा सकता। भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत गठित आयोग एक सांविधानिक गारन्टी प्राप्त संस्था है जिसके कार्य संचालन की प्रक्रिया आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई है।

इसमें स्वीकृत अधिकारियों का पदस्थापन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके दायित्व तथा कार्यनिष्पादन की विधि आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। आयोग को वित्तीय स्वतंत्रता भी प्राप्त है जिसका बजट राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है और सभी व्यय अध्यक्ष की अनुममति से किए जाते हैं। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा स्वायतता प्रदान करने का कार्य किया गया है तथा राज्य सरकार के अधीन संस्था होने के नाते इसमें सभी कृत्य आदेश व सिफारिश के स्वरूप में होते हैं। अधिनियम के अन्तर्गत अध्यक्ष को आयोग के अन्तर्गत सभी प्रक्रिया निर्धारण व सम्पादन का अधिकार है, किन्तु इसकी सीमाएँ अधिनियम में वर्णित क्षेत्रों तक ही सीमित है।[23]

4.4.5 शिकायतों की जांच की प्रक्रिया

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती है। इनमें सबसे पहला कार्य यह देखना है कि प्राप्त आवेदन आयोग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत और मानवाधिकार हनन की स्पष्ट शिकायत की गई है। छदम् नाम व बिना पते की शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करके उन्हें निरस्त कर दिया जाता है तथा आवेदनकर्ता को कारण बताते हुए इसकी सूचना प्रदान की जाती है। जिन शिकायतों को उपयुक्त मानते हुए आगामी कार्यवाही के लिए स्वीकृत किया जाता है उनकी जांच के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग या अभिकरण से रिपोर्ट मंगाई जाती है और शिकायत की सत्यता जाने पर आगामी कार्यवाही संबंधित न्यायपीठ द्वारा की जाती है।

जिन शिकायत प्रकरणों पर राज्य सरकार के विभागों या अभिकरणों से रिपोर्ट मंगाई जाती है उन्हें शिकायत की प्रति भेजकर रिपोर्ट या सूचना प्रेषित करने के लिए निर्धारित तिथि तक सूचना भेजने हेतु निवेदन किया जाता है और रिपोर्ट या सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही संबंधित न्यायपीठ द्वारा की जाती है, जिसमें रिपोर्ट के आधार पर शिकायत की सत्यता का परीक्षण न्यायपीठ द्वारा किया जाता है। प्रक्रिया के अन्तर्गत रिपोर्ट मंगाने के निर्णय से आदेश जारी करने तक की प्रक्रिया संबंधित न्यायपीठ द्वारा ली जाती है तथा सचिव सहित आयोग का पूरा सचिवालय प्रकरणों के संधारण का कार्य करता है। प्रत्येक प्रकरण पर समस्त निर्णय अध्यक्ष या संबंधित न्यायपीठ द्वारा किये जाते हैं।

मानवाधिकार हनन संबंधी शिकायतों की जांच हेतु आयोग की संबंधित न्यायपीठ द्वारा राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष अथवा अन्य किसी अभिकरण या संगठन को शिकायत की प्रति भेजकर निर्धारित समय में सूचना प्राप्त नहीं होती तो संबंधित संस्था को स्मरण पत्र भेजकर सूचना शीघ्र भिजवाने के निर्देश प्रदान करता है। इसके पश्चात् भी सूचना प्राप्त नहीं होने पर आयोग की न्यायपीठ अपने स्तर पर ही जांच की कार्यवाही आरंभ कर देती हैं। यदि संबंधित विभाग या संस्था से रिपोर्ट या सूचना प्राप्त हो जाती है और आयोग सूचना से सन्तुष्ट होने पर यह निष्कर्ष निकालता है कि जांच की आवश्यकता नहीं है तो शिकायत वर्ग को सूचना उपलब्ध करा दी जाती है।

यदि विभाग या अधिकरण यह सूचित करता है कि अपेक्षित जांच आरंभ कर दी गई है तो आयोग अपने स्तर पर जांच जारी नहीं रखकर शिकायतकर्ता को ऐसी सूचना भेज देता है। आयोग की न्यायपीठ द्वारा मानवाधिकार हनन संबंधी प्रकरण पर जांच पूरी होने के पश्चात आयोग को यह ज्ञात होता है कि किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का हनन किया गया है अथवा उसने ऐसे हनन को रोकने की कार्यवाही नही की है। इन स्थितियों में आयोग संबंधित अधिकारी या अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन या अन्य उचित कार्यवाही की अनुशंषा करता है। राज्य सरकार ऐसे प्रकरणों पर मुख्य दोष के आधार पर विचार करके समुचित निर्णय लेती है किन्तु आयोग अपनी अभिशंषा भेजकर अपना दायित्व पूर्ण मान लेता है।

आयोग उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देशों, आदेशों अथवा रिट के लिए अनुरोध करने में सक्षम है। मानवाधिकार न्यायालयों की प्रत्येक जिले में स्थापना करने का निर्णय इसी प्रकार के अनुरोध के आधार पर किया गया है। आयोग पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवारजनों की राज्य सरकार या प्राधिकारी से अन्तरिम सहायता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आयोग तक अनुशंषा करने वाली संस्था के रूप में ही अपना दायित्व का निर्वाह करने के लिए सक्षम है। इनके उपरान्त भी आयोग से नागरिकों को अपेक्षाएँ हैं जो निरन्तर बढ़ते प्रकरणों से परिलक्षित होता है। जनतांत्रिक व्यवस्था में प्रचार तंत्र की बड़ी प्रभावी भूमिका बन गई है तथा कई मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में सरकार तत्काल कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य हो जाती है।[24]

4.4.6 मानवाधिकार आयोग के कार्यकलापों की दिशाः

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकलापों की दिशा व सफलता उसकी कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है और गंभीर प्रयास व दृढ़ निश्चय से मानवाधिकार हनन रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास सफल भी होते हैं। सामान्यतया आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानवाधिकार आते हैं, जिनमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित हैं। आयोग ने हिरासत में हुई मृत्यु, बलात्कार, उत्पीड़न, पुलिस और जेल व्यवस्थायें ढांचागत सुधार, सुधार गृहों मानसिक अस्पतालों की स्थितियां सुधारने तथा मानवीय व्यवहार किए जाने की दिशा में सार्थक पहल की है। समाज के सबसे अधिक कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों वांछित सुविधाऐं प्रदान करने की स्थितियां सम्मिलित है।

राज्य सरकार ने 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने से राज्य सरकार ने इन बालक–बालिकाओं को आवश्यक रूप से विद्यालय में लाने के प्रयास आरंभ किए गए हैं। बालक–बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा व गरीब रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्राओं को साइकिल या बस द्वारा विद्यालय जाने की निःशुल्क यात्रा जैसी व्यवस्था की गई

है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि समस्त बालक–बालिकाओं को आवश्यक सुविधाऐं निश्चित रूप से जारी रहे। माताओं व बच्चों के कल्याण हेतु सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होना भी सुनिश्चित किया गया है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की सुनिश्चित प्राप्त के लिए भी आयोग प्रयत्नशील रहा है।

समानता व न्याय का हनन, नागरिकों के विरूद्ध अत्याचार, विस्थापितों की समस्याऐं भूख से मृत्यु, बाल श्रम समाप्त करने, वेश्यावृत्ति, महिलाओं के अधिकारों अपंगों व धार्मिक असहिष्णुता के प्रसंगों पर भी आयोग ने तत्परता दिखाई हैं। महिला अत्याचारों, शोषण, उत्पीड़न जैसी घटनाओं के लिए कठोर कानून बनाए गए है परन्तु अनका तत्परता से पालन सुनिश्चित करने में भी आयोग की भूमिका अग्रणी रही है। सामान्यतया सरकार ने सभी मानवाधिकारों के लिए सुदृढ़ न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था की है। इन सब प्रयासों के उपरान्त भी समाज में बहुत सी विसंगति विसंगतियाँ भी बढ़ी है तथा मानवाधिकारों का हनन भी बढ़ा है। इसमें समाज के अराजक तत्वों का भी बड़ा हाथ रहता है जो मानवाधिकारों का हनन करना सामान्य स्थिति ही मानते हैं।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तत्परता से जांच करके संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया जाता है। आयोग की केवल सिविल प्रोसीजर कोड़ के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त होने से अपने स्तर पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है परन्तु प्रचलित प्रणाली आयोग में कार्यरत अध्यक्ष व सदस्यों की भूमिका ही प्रभावी उपायों के लिए सापेक्ष कार्यवाही कर सकता है और लिखित शिकायत व आयोग के नाम से प्राप्त होने वाले आदेश सरकार की तत्परता से कार्यवाही करने के लिए प्रेषित करते हैं।[25]

4.5 मानवाधिकार हनन के कारकः

मानवाधिकारों का हनन रोकने के लिए सरकार जितनी तत्परता से कानून बनाती है किन्तु मानवाधिकार हनन के अपराध भी उसी गति से बढ़ रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन, समाज के सम्पन्न वर्ग, राजनेता वर्ग, अधिकारी व

कर्मचारी वर्ग का विशेष रूप से हाथ रहता है। इसके लिए सामाजिक व्यवस्था का भी योगदान रहता है। समाज के बहुत बड़े वर्ग को मानव अधिकारों की भी जानकारी नहीं है तथा साक्षरता की कमी भी इसके लिए उत्तरदायी है। समाज में कुछ ईमानदार व कर्मठ व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संगठन मानवाधिकार के संबंध में सार्थक भूमिका निभाते हैं किन्तु सबसे बड़ा योगदान प्रचारतंत्र का है जो किसी भी मानवाधिकार हनन की पूरी सूचना तत्परता से प्रस्तुत करता है।

4.5.4 मानवाधिकार हनन व पुलिस

पुलिस संगठन की भूमिका कानून व व्यवस्था बनाए रखने की होती है, जिसके विविध स्वरूप है क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से शहर व ग्रामीण क्षेत्र, रेल, बसें, यातायात व्यवस्था सभी स्थानों पर पुलिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है और इन्हें विभिन्न प्रकार के दायित्व भी सौंपे जाते हैं। अपराध रोकने के लिए पुलिस को सर्तकता, अन्वेषण संगठन व गोपनीय सूचनाओं द्वारा अपराधियों के बारे में विभिन्न सूचनाऐं प्राप्त होती है तथा बहुत से प्रकरणों में आपराधिक कृत्य होने के पहले ही ऐसे गिरोहों को पकड़ लिया जाता है। आतंकवाद के बढ़ने के साथ ही पुलिस का दायित्व भी बढ़ गया है क्योंकि भीड़ भरे क्षेत्रों में अपराधी तत्व बम या अन्य कार्यों जैसे सुरंग बिछाना आदि के माध्यम से नरसंहार करते हैं।

इन स्थितियों को प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण भी किया गया है और आवश्यक उपकरण व वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। सूचना प्राद्योगिकी विका0स के कारण आतंकवादियों को विस्फोटक सामग्री साथ न लेकर चलने के बदले स्थानीय खरीद व विशेषज्ञता द्वारा उसी स्थल पर इन्हें बनाकर नरसंहार किया जाता है। इस कार्य के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग किया जाता है और विस्फोट से पूर्व ही मुख्यकर्ता उस स्थान से सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। पुलिस तंत्र की इन सभी स्थितियों पर निगाह रखनी

आवश्यक है। प्रायः घटना घटित होने के पश्चात् ही आवश्यक व्यवस्थाऐं की जाती है, जहां मुख्य ध्येय घायलों को घटना स्थल से हटाना और व्यवस्था स्थापित करना रहता है।

पुलिस द्वारा अपराधी पकड़ने के पश्चात् उनसे गिरोह के सदस्य, विभिन्न स्थलों पर किए गए आपराधिक कृत्य आदि का पता लगाने में बल प्रयोग भी किया जाता है। इसका उदेश्य गिरोह के सभी सदस्यों की जानकारी प्राप्त करना है। क्योंकि गंभीर अपराधी अपने गिरोह के सदस्यों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचा देते हैं। पकड़े गए अपराधी से बल प्रयोग करके बहुत सी जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है परन्तु गंभीर अपराधी अपने संगठन व व्यक्तियों के बारे में आसानी से सूचना नहीं देते और जानकारी प्राप्त करने में बल प्रयोग से कई बार अपराधी की मृत्यु हो जाती है। इससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। यातना देने वाले पुलिसकर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आपराधिक कृत्य की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है।[26]

किसी महिला या लड़की को अपराध के मामले में पकड़कर पुलिस स्टेशन लाने व पूछताछ करने के दौरान बलात्कार या सामूहिक बलात्कार की घटनाऐं भी प्रकाश में आती है। सामान्यतया किसी महिला या लड़की को पुलिस स्टेशन पर रखने के लिए महिला पुलिस की उपस्थिति आवश्यक है और वही उसकी तलाशी ले सकती है परन्तु आपराधिक कृत्य प्रकाश में आने पर ज्ञात होता है कि विभागीय आदेशों की भी अवहेलना की जाती है ऐसी स्थिति में पुलिस कर्मी के प्रति आपराधिक प्रकरण आंरभ हो जाता है और निलंबित कर दिया जाता है। पीडित पक्ष को डराधमका कर बयान बदलने के लिए भी बाध्य किया जाता है, जिससे ऐसे व्यक्ति साफ बच जाते हैं। बहुत सी महिलाऐं व लड़कियां बदनामी के डर से ऐसे दुष्कृत्यों को उजागर नहीं करती है।

पुलिस बल के साथ सामान्य समस्या यह भी है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ते ही राजनेता का टेलीफोन आ जाता है कि पकड़ा गया व्यक्ति उनका परिचित है और अपराधी नहीं। ऐसी स्थिति में बहुत से अपराध करने वाले खुले

घूमते हैं और उनकी हिम्मत बड़े अपराध करने के बाद भी निडर बने रहने की होती है। पुलिस तंत्र के कानून व्यवस्था बनाए रखने व अपराधी तत्वों की पकड़ में कई बाधाऐं आती हैं तथा बहुत से अधिकारी व कर्मचारी राजनीतिक संरक्षण में भी कार्य करते हैं। इस प्रकार यह समस्या इतनी आसान नहीं होती है तथा कानून व्यवस्था व आपराधिक कृत्यों की वृद्धि के लिए बहुत सी स्थितियां जिम्मेदार हैं। इन सभी स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस स्टेशन पर हुए दुष्कृत्यों व मृत्यु को गंभीर अपराध माना जाता है।

कई आपराधिक कृत्यों में गैर अपराधी को पकड़कर उसके विरूद्ध मामला दर्ज कर दिया जाता है और उसे अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। कई स्थितियों में अनजान व्यक्तियों को भी सजा मिल जाती क्योंकि पुलिस ऐसे मामलें में अपराधियों को गवाह के रूप में भी प्रयोग में लाती है। इन सभी स्थितियों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार की बड़ी भूमिका रहती है। पुलिस के बड़े अधिकारी तक कई प्रकरणों में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिनके पीछे प्रचारतंत्र पक्के सबूत रखकर ऐसे लोगों के बचाव के रास्ते पूरी तरह बन्द कर देते हैं। इसलिए मानवाधिकार हनन में पुलिस तंत्र की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो सार्थक व निरर्थक दिशाओं में कार्यरत रहती है।[27]

4.5.5 मानवाधिकार व जेल प्रशासनः

कारागार में रखे जाने वाले विचाराधीन अपराधी व सजा प्राप्त कैदी दोनों की भूमिका संदेह के घेरे में आ जाती है जहां कारागाह में मोबाईल, शराब, सिगरेट व पिस्तौल तक पहुंचाना समाचार पत्रों से प्रकट होता है। इन सभी स्थितियों के लिए कारागार प्रशासन की संदिग्ध भूमिका पाई जाती है। सामान्यतया जेल में बन्द अपराधी व विचाराधीन कैदियो से मिलने वालों को जेल प्रशासन अनुमति प्रदान करता है और प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जांच परख के पश्चात् ही मिलने दिया जाता है। कारागार स्थित कई अपराधी इतने निर्भीक होते हैं कि जेल के भीतर से ही अपने गिरोह के लोगों को निर्देश प्रदान करते हैं तथा कई व्यक्तियों को धमकी

देकर धन भी वसूलते हैं। कई बार जेल में दो परस्पर गुटों के मध्य झगड़ा, मृत्यु तक पहुंच जाता है और इसके पश्चात् ऐसे कृत्य प्रकाश में आते हैं।

जेल से भाग निकलने की घटनाऐं भी प्रायः प्रकाशित होती रहती है, जिनके लिए जेल में सुरंग खोदने के औजार व कूदने के लिए व्यवस्थाऐं तक कर ली जाती हैं। इन सभी स्थितियों से यह स्पष्ट है कि जेल के भीतर रहने वाले अपराधी व विचाराधीन कैदी अत्यधिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं जो जेल प्रशासन की मिली भगत से ही संभव होता है तथा कई कैदियों की हत्या कर देना मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन दर्शाता है। कई कैदियों के गंभीर यातनाऐं दी जाती है और कारागार में नागरिक सुविधाओं का प्रायः अभाव रहता है। इन सभी स्थितियों के लिए राजनीतिक प्रश्न व भ्रष्टाचार उत्तरदायी है क्योंकि इन दोनों स्थितियों पर नियंत्रण तभी संभव है जब प्रशासन तंत्र पूरी तरह व्यवस्थित रहे।[28]

4.5.6 समाज का प्रमुख सम्पन्न वर्गः

समाज के सम्पन्न वर्ग का एक वर्ग धन के बल पर शोषण उत्पीड़न का कार्य करता है। इसमें वस्तुओं में मिलावट, कमजोर वर्ग का शोषण व महिलाओं के साथ दुष्कृत्य करता है। प्रायः ऐसे सभी कार्य मानवाधिकार के हनन की श्रेणी में आते हैं परन्तु धन व वैभव के बल पर ऐसे बहुत से कार्यों को सम्पादित किया जाता है। इससे तस्कारी व अपराधियों को प्रश्रय भी सम्मिलित है। गरीब वर्ग के बच्चों को विभिन्न कार्यों में लगाकर कार्य कराए जाते हैं, जिसमें जोखिम भरे कार्य भी सम्मिलित हैं। राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त कर ऐसे बहुत से व्यक्ति अवैध खनन, तस्करी, वन्य पशुओं का बध व समान के लोगों को मिलावटी वस्तुऐं बेचकर उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं।

कुछ व्यक्ति लड़कियों व महिलाऐं लाकर देह व्यापार के कार्य भी करते पाए जाते हैं। इन अनैतिक कार्यों से धन अर्जित कर अधिक सम्पन्न बनते हैं और पकड़े जाने की आशंका में धन देकर बच जाते हैं। इसमें राशन की वस्तुओं को बाजार में बिक्री कर निम्न वर्ग की सुविधाऐं समाप्त कर देते हैं। शहरी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें मिलावटी वस्तुऐं, नशीले पदार्थ, आदि बिक्री के

लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति धनी परिवार के बच्चों को नशीले पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। जिनकी संगति में गरीब छात्र घर से धन जुटाने या चोरी करके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। इस प्रकार की स्थितियां कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति व भ्रष्टाचार के कारण पनपती हैं।29

4.5.7 राजनीतिक वर्ग व मानवाधिकारः

देश व प्रदेश से राजनीतिक वर्ग एक ऐसे स्वरूप में उभरा है जो सत्ता के करीब पहुंचने व सुविधाऐं प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक वर्ग स्थानान्तरण कराने, ठेके दिलाने, खानों के पट्टे दिलाने, राशन की दुकानें आवंटित कराने, लोगों के नैतिक व अनैतिक कार्य कराने के बल पर अपना हिस्सा वसूल करता है। मंत्री व उनसे संबंद्ध व्यक्ति अनेक ऐसे कार्य करते हैं जिनसे कमीशन व धन अर्जन के साधन बनते हैं। चुनाव लड़ने में अत्यधिक धन खर्चकर मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत सी वस्तुऐं जैसे कपड़े, शराब, आदि वितरित कराते हैं। चुनाव जीतने के पश्चात् मतदाताओं के हितों की रक्षा के बदले अपने स्वार्थ सिद्धि के प्रयास करते हैं।

उद्योग धंधों के लिए गरीबों की भूमि सरकारी धन से खरीदकर उद्योग पतियों को अधिक मूल्य पर बेचकर धन अर्जन करने के तरीके समाचार पत्रों में काफी चर्चित रहे। इसी प्रकार आवासीय भूमि को व्यावसायिक भूमि में बदलने पर अपार धन अर्जित करके कृत्य भी उजागर हुए हैं। राजनीतिक वर्ग अधिकांश मामलों में मध्यस्थ का कार्य करते हैं और धनी व सम्पन्न व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार के कार्य कराकर धन बसूलने के तरीके भी अपनाए जाते हैं। यह वर्ग मानवाधिकारों के हनन की चिन्ता न करते हुए गरीबों को हटाकर विशाल व्यावसायिक केन्द्र बनवा देने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे कृत्यों में सरकार व प्रशासन में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती और उन्हें विस्थापित कर दूर बसा दिया जाता है।

राजनीतिक वर्ग प्रायः बड़े कार्य करने में सार्थकता मानता है जिसमें अधिक धन अर्जन किया जा सके। इसमें गरीब किसानों के लिए बीज व खाद बाजार में बेच दिए जाते हैं जिन पर सरकार सहायता प्रदान कर सस्ते मूल्य में वस्तुऐं बेचती

हैं जाती है परन्तु गरीब किसानों को बाजार से महंगे मूल्य पर खरीद कर खेती करनी पड़ती है। इन कारणों से गरीबों को दी जाने वाली सहायता का कोई औचित्य भी नहीं रहता। इसमें एक और सरकार बड़ी मात्रा में सहायता खर्च वहन करती है और उस वर्ग को लाभ नहीं मिल पाता जिनको ऐसी सुविधाऐं पहुंचाना आवश्यक है। ऐसे अनेक कार्य गरीबों के नाम पर चलते हैं जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते और अनेक समस्याओं का सामना करते हैं।[30]

4.5.8 सरकारी क्षेत्र द्वारा मानवाधिकारों का हननः

सरकारी तंत्र प्रायः राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश में कार्य करता है और कई बार सरकारी नियम व प्रक्रियाऐं भी नजरन्दाज कर दी जाती है। मंत्री बनने के बाद यह प्रयास रहता है कि उसे अच्छा विभाग मिले जिसमें अधिकाधिक लाभ के कार्य किए जा सकें। जो अधिकारीगण मंत्री के चाहे अनुसार कार्य करते हैं वे लोग उत्कृष्ट श्रेणी के व्यक्ति माने जाते हैं और उन्हें मंत्री के इच्छित कार्य करने से अपने हितों को साधने के अवसर भी मिल जाते हैं। सरकार में कार्य निष्पादन के लिए नियम व प्रक्रियाऐं बनी होती है, जिनका पालन करना नौकरशाही के लिए आवश्यक होता है। प्रायः नौकाशाह मंत्री को कार्य बताते हैं जिनको सम्पादित करके मंत्री को निजी लाभ प्राप्त हो सकता है।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह स्थिति बहुत ही संकटकारी है, जिसमें राजकीय हित व जनहित को तिलांजली देकर मंत्री हित देखा जाता है। कई बार मंत्री आगे पार्टीजनों को लाभ पहुंचाने लिए ऐसे कार्य कराना चाहते हैं जो नियम विरूद्ध होते हैं और अधिकारी मंत्री के हितों को पूरा करने के साथ अपने भी हित साधते हैं। ऐसे प्रकरण न्यायालय में पहुंचने या महालेखाकार द्वारा प्रकाश में लाये जाने पर उन पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है और कई स्थितियों में न्यायालयों के स्पष्ट आदेशों की पालना कई वर्षों तक टाली जाती है। इस प्रकार भ्रष्टाचार व नियमों की अनदेखी करके एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाया जाता है और गरीब व असहाय व्यक्तियों के हितों की क्रूरतापूर्वक रोक दिया जाता है।[31]

इस प्रकार मानवाधिकार के हनन के बहुत से प्रसंग निरन्तर जारी रहते हैं तथा वे ही मामले प्रकाश में आते हैं जिसमें संगीन मामला बन जाता है, जो हत्या या बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित होता है। जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रकरण प्रायः उजागर नहीं हो पाते। जन सामान्य के मानवाधिकारों का हनन निरन्तर होता रहता है और निम्न व अपेक्षित वर्ग प्रायः ऐसी स्थितियों का आदि बन जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंचने वाले परिवादों पर आदेश व निर्देश जारी होते हैं परन्तु अन्तिम निर्णय सरकार के पास सुरक्षित रहता है। इस व्यवस्था में हर स्तर पर पत्र की कार्यवाही पूरी कर दायित्व का पूरा होना मान लिया जाता है।

4.6 राजस्थान मानवाधिकार आयोग व मानवाधिकार संरक्षणः

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जिस स्वरूप में बनाया गया है तथा उसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार का गठन किया गया है, उसमें आयोग से मानवाधिकार हनन रोकने व पूर्ण संरक्षण प्रदान करने की अपेक्षा करना उचित नहीं है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अपने स्वीकृत स्वरूप में मानवाधिकार हनन की शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करता है और राज्य सरकार को अपने निर्णय से अवगत करा देता है। राज्य सरकार के स्तर पर भी यथासंभव कार्यवाही की जाती है परन्तु जिस गति से मानवाधिकारों का हनन होता रहता है वह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। यहां समस्या मानवाधिकारों के संबंध में जन सामान्य को पूरी जानकारी सुलभ कराने की तथा जागरूकता विकसित करने की है।

सभी प्रकार के अधिकार दिए नहीं जाते परन्तु मानव समाज को उन्हें प्राप्त करने के भरसक प्रयास करने आवश्यक है। इसके लिए मानवाधिकार हनन होने वाले वर्ग को संगठित होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। सरकार ने समाज के उपेक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाऐं, अपंग व असहाय वर्ग की बहुत सी सुविधाऐं प्रदान की है जिससे वे लोग अपना सामाजिक व आर्थिक उत्थान कर सकें। समस्या इन वर्गों के उदासीनता से संबंधित अधिक है। क्योंकि ये

लोग अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्हीं के संपन्न लोग सभी अधिकारों व सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

यही स्थिति प्रायः प्रत्येक श्रेणी के मानवाधिकारों के संबंध में सही उत्तरदायी है क्योंकि समान का बड़ा वर्ग अशिक्षित है और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण मानवाधिकार संरक्षण में सबसे बडी समस्या एक बड़े वर्ग की है जो जागरूकता के विभिन्न उपायों के अन्तर्गत नहीं आ पाता है और जब तक यह वर्ग अपने अधिकारों के लिए प्रयत्नशील नहीं होता तब तक यही स्थिति बनी रहती रहनी निश्चित है। राजस्थान के साथ बहुत सी समस्याऐं विरासत में मिली है जिसमें समान का बहुत बड़ा वर्ग किसी भी साधन से जागरूक किए जाने के प्रयासों की परिधि में नहीं आ रहा है। जब तक यह वर्ग स्वयं आगे बढ़कर अपने अधिकारों के प्रति उद्यत नहीं होता, उसका भला होना संभव नहीं है।

सरकार नागरिकों के अधिकार प्रदान करती है और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा तंत्र स्थापित करती है परन्तु सारे प्रयास असंतुलन हो रहे हैं क्योंकि मानवाधिकारों से वंचित एक बड़ा वर्ग कोई प्रयास करने के लिए तत्पर नहीं है। सरकार का उदेश्य अधिकार प्रदान करना है और उनके संरक्षण के लिए पूरा तंत्र स्थापित करना है परन्तु समाज के अधिसंख्य लोग गरीबी व अज्ञानता से बाहर नहीं निकल पाते तो यह दोष उस वर्ग का है जो अपने विकास के लिए स्वयं तत्पर नहीं है। आज राजस्थान महिला साक्षरता में अन्तिम पायदान पर है इसलिए भारत सरकार व राज्य सरकार के सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। अधिकार व अधिकारिता की समस्याऐं यहीं से आरंभ होती है और यही आकर समाप्त हो जाती है।

राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंचने वाली शिकायतों का निस्तारण आयोग के अधिकार क्षेत्र सीमा में किया जाता है परन्तु अशिक्षित व जागरूकता से वंचित वर्ग कोई शिकायत भेजने की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति में सबसे बड़ी समस्या इस वर्ग को जागरूक करने व उसके सभी श्रेणियों के अन्तर्गत उपलब्ध मानव अधिकारों के बारे में बताने की है। इसके साथ ही शिक्षित वर्ग में एक उदासीनता व्याप्त है कि सरकार को पत्र लिखने से कोई लाभ नहीं होता है। बहुत

बड़े शिक्षित वर्ग के गंभीर स्थिति जैसे किसी व्यक्ति की निर्मम हत्या कर देना, बलात्कार होना अथवा उपद्रव में जनहानि जैसे मामलों पर प्रसार माध्यमों के द्वारा ही घटनाऐं प्रकाश में लाई जाती हैं।

ऐसे मामले गंभीर मानवाधिकार हनन से संबंधित होते हैं और अधिकांश स्थितियों में प्रसार माध्यम से ही ज्ञात होते हैं। ऐसे मामलों में सरकार व प्रशासन तत्परता से कार्यवाही कर दोषियों का पता लगाने व गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आरंभ करती है। बहुत से मानवाधिकारों का हनन इसलिए होता है कि पीड़ित वर्ग इसकी कोई शिकायत नहीं करता तथा अपने मानवाधिकारों का महत्व नहीं समझता। जब कोई स्वयंसेवी संगठन ऐसे लोगों का नेतृत्व करता है तो लोग एकजुट हो जाते हैं और ऐसी संस्था या संगठन के हटने पर यथास्थिति पुनः बन जाती है। इसलिए समाज का बड़ा वर्ग स्वयं संगठित होकर अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आगे नहीं आता।

वर्तमान में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां तक व्यक्ति साक्षर नहीं हो परन्तु वह व्यक्ति स्वयं लोगों की समस्याओं के निराकरण व मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। संसाधनों का दुरूप्योग व भ्रष्टाचार भी इसीलिए पनपता है कि लोग अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं आते। इस चक्र को तोड़ना बहुत कठिन कार्य है। जिसका उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति या वर्ग को उठाना आवश्यक है। वर्तमान में मानवाधिकार हनन के असंख्य प्रकरण हैं जो परिवार, समाज से प्रदेश भर में व्याप्त है परन्तु संगठित होकर उनके बारे में प्रयास करके तो इन्हें पाया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. बजवा श्री एस. (2003) भारत में मानवाधिकार पृष्ठ–5
2. जाखड़ द्वितीय (2008) मानवाधिकार पृ. 1–4
3. राज्य मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001
4. नेता जी.पी. व शर्मा के0के. (2009) मानवाधिकार सिद्धान्त एवं व्यवहार।
5. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ए. 280–295
6. राज्य मानवाधिकार की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001 का अनुच्छेद 9
7. राज्य मानवाधिकार की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001 का अनुच्छेद 10 व 11
8. राज्य मानवाधिकार की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001 का अनुच्छेद 12
9. राज्य मानवाधिकार की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001 का अनुच्छेद 13
10. राज्य मानवाधिकार की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001 का अनुच्छेद 14
11. राज्य मानवाधिकार की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001 का अनुच्छेद 15
12. राज्य मानवाधिकार की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001 का अनुच्छेद 16
13. राज्य मानवाधिकार की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001 का अनुच्छेद 17 व 18
14. राज्य मानवाधिकार की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001 का अनुच्छेद 19
15. राज्य मानवाधिकार की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001 का अनुच्छेद 20
16. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 14 के अनुसार तथा राज्य मानवाधिकार आयोग का अनुच्छेद 21
17. राज्य मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना 18.1.2001 के अनुच्छेद 22 से 24
18. राजस्थान मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना के अनुच्छेद 25
19. राजस्थान मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना के अनुच्छेद 26 व 27
20. राजस्थान मानवाधिकार आयोग अधिसूचना का अनुच्छेद 28–31

21. मिश्रा महेन्द्र कुमार (2008) भारत में मानवाधिकार पृ. 65–79

22. उपरोक्त

23. उपरोक्त

24. उपरोक्त

25. जाखड द्वितीय (2008) मानवाधिकार और संगठन पृ. 49–58

26. उपरोक्त

27. उपरोक्त

28. पाण्डेय बी.के. (2009) भारतीय संस्कृति एवं मानवाधिकार पृ. 191–193

29. उपरोक्त

30. जाखड़ दिलीप (2008) मानवाधिकार और संगठन पृ. 49–58

31. उपरोक्त

❖❖❖

पंचम् अध्याय

राजस्थान राज्य महिला आयोगः कार्य एवं भूमिका

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, जिसमें पुरूष व महिला में कोई भेदभाव नहीं रखते हुए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण व बेगार के विरूद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान किए गए हैं। संवैधानिक दृष्टि से भारतीय महिलाओं को विश्व के कई देशों की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं परन्तु महिलाओं में अशिक्षा व जागरूकता के अभाव में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जाग्रत नहीं है। इन्हीं कारणों से महिलाओं के अधिकारों का अधिकांशतया हनन देखा जाता है।

परिवार व समाज में निर्णय लेने का अधिकार पुरूष वर्ग को है तथा महिलाओं की राय बहुत साधारण विषयों में ली जाती है। इसी प्रकार कामकाजी महिलाओं को छोड़कर शेष महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है जबकि वे परिवार के लिए पुरूष की तुलना में अधिक समय काम करती है परन्तु उनका अधिकांश कार्य अनार्थिक होता है। संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के होते हुए भी महिलाओं को परिवार व समाज में गौण स्थान दिया जाता है। विभिन्न कारणों से महिला जन्य अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण व विभिन्न प्रकार के शोषण, उत्पीड़न, दुराचारों को रोकने और अपराधों के दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए कठोर नियम बनाए गए।

बहुत से महिला जन्य अपराध ऐसे है जिनके कारण वह स्वयं को पतित व असहाय मानने लगती है तथा समाज भी उसे हेय दृष्टि से देखता है। नारी का में स्वतंत्रता व आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है, पुरूष वर्ग अधिक बर्बर और पाशविक प्रवृति का होता जा रहा है। उसकी दृष्टि में मासूम बालिका से लेकर वृद्धा तक मात्र महिला है। इस कारण महिला को पुरूष पाराविकता का शिकार बनाया जाता

है। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण व अपराधों के संबंध में त्वरित कार्यवाही के उदेश्य से देश में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया गया जिसका मुख्य उदेश्य महिलाओं के जीवन स्तर को ऊँचा करना है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया।

5.1 राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए 23 अप्रैल 1999 को राज्य विधान सभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसके पारित होने पर 15 मई, 1999 घारा 3 के अन्तर्गत आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्य व सदस्य सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इनमें अध्यक्ष के लिए महिलाओं व उनके अधिकारों के प्रति समर्पित होना आवश्यक माना गया है। अध्यक्ष का पद सदस्यों व सदस्य सचिव के उच्च्य होने से प्रबंधकीय क्षमता का होना उचित माना गया है।

सदस्यों के रूप में चयनित महिलाओं को विधि एवं विधापन, व्यवसाय संघ, आयोग व संस्था जो नियोजन में महिलाओं की वृद्धि हेतु समर्पित हो। साथ ही महिला स्वैच्छिक संगठनों, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में दक्षता रखने वाली होनी चाहिए। सदस्य सचिव को सामाजिक चेतना, संगठनात्मक क्षेत्रों में दक्षता, राज्य संघ का अधिकारी होना आवश्यक है। अध्यक्ष, सदस्य व सदस्य सचिव सभी महिला वर्ग से ही चयनित किए जाते हैं, जिससे वे पीड़ित महिलाओं की समस्या को प्रभावी रूप से समझ सके और सुव्यवस्थित रूप से कार्य कर सके। अप्रैल 2009 से अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाने लगी हैं।

कार्य की महत्ता व सहयेाग की दृष्टि से राज्य सरकार के अतिरिक्त इसी सेफ, यू.एन.एफ.पी.ए. एवं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय सहयोग से क्रमशः सुरक्षित मातृत्व इकाई, परिवार परामर्श केन्द्र एवं परिवार परामर्श समन्वय केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष तीन सदस्य व एक सदस्य

सचिव राज्य महिला संगठन के भाग है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के पंजीयक सह विशेषाधिकारी, एक उपसचिव राजस्थान प्रशासनिक सेवा से तथा सहायक स्टाफ लगाया गया है। सहायक स्टाफ में एक निजी सचिव, एक वरिष्ठ निजी सहायक, एक निजी सहायक, तीन आंशुलिपिक, एक लेखाकार, एक वरिष्ठ लिपिक, आठ कनिष्ठ लिपिक, ग्यारह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।

यूनीसेफ की से संचालित सुरक्षित मातृत्व इकाई में एक समन्वयक, एक कम्प्यूटर आपरेटर व एक सहायक के पद सृजित हैं। यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र में एक परामर्श दाता पद स्वीकृत एवं कार्यरत है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के परिवार परामर्श केन्द्र में दो परामर्शदाता के पद स्वीकृत हैं। आयोग के अध्ययन को राज्यमंत्री का स्तर स्वीकृत किया गया है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रखा जाता है, जिनकी पुर्ननियुक्त भी राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। अध्यक्ष या सदस्य अवधि के पूर्व भी त्यागपत्र दे सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा इन्हें हटाने पर प्रकरण की सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है।[2]

5.1.1 आयोग के कार्य कलापः

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 11 में आयोग द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यकलापों की दर्शाया गया है। इसके अनुसार महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले सभी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर जांच परख के उपरान्त ऐसे प्रकरण के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को अभिशंषा करना भी सम्मिलित है। ऐसी समस्या शिकायतों पर आयोग के स्तर पर जांच करके राज्य सरकार को उचित व प्रस्तावित कार्यवाही की सिफारिश करने के साथ संबंधित प्रकरण को पूर्ण हुआ मान लिया जाता है। सरकार संबंधित प्रकरण पर वांछित कार्यवाही करके आयोग के सूचित करती है तो उसकी प्रविष्टि संबंधित पत्रावली व रिकार्ड में कर ली जाती है।

वर्तमान में लागू विधियों और उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अभिशंषा राज्य सरकार को करना, जिसमें

संबंधित अधिनियमों व उनके क्रियान्वयन द्वारा महिलाओं को होने वाली समस्याओं को प्रभावी रूप से रोका जा सके। प्राप्त शिकायतों व सुझावों के अनुसार अधिनियमों के क्रियान्वयन के द्वारा महिलाओं की बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके अधिकारों को सुरक्षित व संरक्षित करने में समस्याऐं उत्पन्न होती है और महिलाओं को परेशान किया जाता है। इस प्रकार की समस्याऐं नियमों व कानून के गलत आश्य निकालने से हुई, जो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी में जानबूझकर समस्याऐं उत्पन्न की, इसकी बारीकी से जांच करने पर ही समस्या का सही आंकलन किया जाता है। संबंधित प्रकरण व भविष्य में ऐसे समस्याओं को रोकने के सुझाव देना आवश्यक है, जिससे दोषियों को दण्ड मिले व उनकी पुर्नरावृति भविष्य में नहीं हो।

राज्य की लोक सेवाओं तथा राज्य के उपक्रमों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए महिलाओं के साथ होने वाले सभी भेदभावों को रोकने के लिए राज्य सरकार को समुचित उपाय करने की अभिशंषा करना जिससे वर्तमान समस्या का निराकरण हो सके तथा भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कल्याणकारी उपायों की सरकार को अनुशंषा करना, महिलाओं को शिक्षा, सेवाओं तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के उदेश्य से सकारात्मक योजनाओं के लिए सरकार को सुझाव देना, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में तुलनात्मक अध्ययन द्वारा महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों की गति प्रदान होने की दशा में भी कार्य किए जाते हैं।

आयोग को महिला अधिकारों के हनन को रोकने की प्रभावी भूमिका का निर्वाहन नहीं करने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यकारी करने के लिए सरकार को सिफारिश करना भी, दायित्वों में सम्मिलित है। इस संबंध में पीड़ित महिला या उसके लिए किसी व्यक्ति की शिकायत में लोक सेवकों की भूमिका होने व संरक्षण नहीं प्रदान करने की जांच करने के बाद बनने वाली स्थिति पर हो राज्य महिला आयोग राज्य सरकार को सिफारिशें भेजता है। महिलाओं के

साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न व के प्रसंग कार्य स्थल, रेल या बस प्रवास के दौरान तथा बाजारों आदि में होते है जिसमें अभिरक्षा का दायित्व उस अधिकारी, कर्मचारी या पुलिस बल का होता है। जो उस स्थल व समीपवर्ती क्षेत्र में तैनात है।

जेल, पुलिस स्टेशन, महिला संस्थान या अभिरक्षा स्थलों पर कैदियों या विचाराधीन प्रकरणों के अधीन रखे जाने वाले स्थलों पर होने वाले अत्याचारों, आवश्यक सुविधाओं के अभाव की शिकायत आने पर आयोग के अध्यक्ष या सदस्य उन स्थलों की निगरानी करने के लिए भी सक्षम है जिसके लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। शिकायतों की स्थितियों के सही पाने पर राज्य सरकार को इनकी रोकथाम निराकरण व सुविधा प्रदान के लिए अनुशंषा की जाती है। सभी अधिरक्षा स्थलों पर किसी प्रकार के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, दुराचरण की शिकायतें मिलने पर आयोग की अध्यक्ष या सदस्य स्थितियों का आंकलन करने के लिए स्वयं जाते हैं और शिकायत के तथ्यों का आंकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजती है।

महिलाओं के उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, यौन शोषण व बलात्कार आदि के गंभीर नृशंस प्रकरणों की सूचना प्रसारित होने पर महिला आयोग का दल पीड़ित के पास पहुंचकर स्थिति का आंकलन करके सरकार को तथ्य परक रिपोर्ट भेजता है, जिससे प्रशासन अपराधियों को शीघ्र पकड़कर न्यायिक प्रक्रिया आरंभ करें। ऐसे गंभीर मामलों पर परिवारजनों के साथ समाज व पूरी जनता का आक्रोश भड़क उठता है, जिसमें कानून–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे प्रकरणों पर लोग पीड़ित को आर्थिक सहायता, मानसिक संबल और अपराधियों को तत्परता से पकड़कर न्यायिक कार्यवाही आरंभ करने की अपेक्षा करते हैं। कई गंभीर मामलों में जन आक्रोश स्थान विशेष तक सीमित न रहकर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तथा महिला आयोग की तत्परता व प्रशासनिक सूझ–बूझ से स्थिति को नियंत्रण में करना संभव हो पाता है।[3]

5.1.2 राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य महिला आयोग अपनी निवार्सित कार्यप्रणाली के अनुसार समय–समय पर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें व सुझाव भेजता रहता है। इसी क्रम में आयोग के वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राज्य सरकार भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। रिपोर्ट में वर्णित विभिन्न विषयों व प्रकरणों की अभिशंषा को भी सम्मिलित किया जाता है। राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती किन्तु प्रस्तावित कार्यवाही व सिफारिशों के स्वीकार या अस्वीकार करने के कारण बताते हुए वार्षिक प्राप्ति प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखना आवश्यक है। विधानसभा में प्रायः इन सभी प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की जाती है किन्तु कई आवश्यक प्रकरण सदस्य उठा सकते हैं।[4]

5.1.3 राज्य महिला आयोग की शक्तियाँ

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 10 में आयोग की शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसके अन्तर्गत धारा 10 के खण्ड (1) के अन्तर्गत आयोग को किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। आयोग को प्राप्त शिकायत के अनुसार यह प्रकट होता है कि संबंधित प्रकरण में महिला के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है अथवा मामले में आगामी जांच कर तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है। इन स्थितियों में आयोग संबंधित प्रकरण में राज्य सरकार से अभियोजन आरंभ करने की अभिशंषा करता है। राज्य सरकार ऐसे प्रकरण में अन्वेषण की सिफारिशों पर तीन माह में उस प्रकरण पर निश्चय करने व आयोग को इसकी सूचना देने के लिए प्रतिबद्व है।[5]

अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्व होने वाले प्रकरण में आयोग को जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार अन्वेषण पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि वर्णित व्यक्ति ने महिला के प्रति दण्डनीय अपराध किया है, आयोग के संबंधित व्यक्ति के प्रति अभियोजन आरंभ करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। महिलाओं के विरूद्व अत्याचार, हिंसा,

व उत्पीड़न की अनेक घटनाओं पर अंकुश लगा पाने व प्रभावी रूप से अपने महत्वपूर्ण दायित्वों को सम्पादित कर पाने की दृष्टि से अधिनियम में प्रदत्त शक्तियां अत्यन्त प्रभावी व महत्वपूर्ण है। समाज में महिलाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव को दूर करने के लिए अपने दायित्व के निर्वाह में सहायक सिद्ध हुई है और महिलाओं में आयोग के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है जो निरन्तर बढ़ती शिकायतों से स्पष्ट है।

अभियोजन आरंभ करने की शक्ति प्रदान किए जाने से आयोग की भूमिका काफी प्रभावी बन गई है तथा राजस्थान के अतिरिक्त केरल राज्य में इस प्रकार की शक्तियां प्रदत्त हैं। इन शक्तियों की प्रदान करने के पीछे राजस्थान सरकार, विधान सभा व जनता की महिला अधिकारों के पति संवेदनशील होना परिलक्षित होता है। यही कारण है कि राज्य महिला आयोग में शिकायतों व अभियोजन प्रकरणों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि महिलाऐं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी है तथा सभी प्रकार के शोषण व उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज उठाने लगी है। सामान्यतया आयोग के अभियोजन प्रकरणों में वकीलों की भूमिका स्वीकार नहीं की जाती है फिर भी वकीलों की उपस्थिति बढ़ने से अभियोजन प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई है।

5.1.4 राज्य सरकार को परामर्शः

राजस्थान राज्य महिला आयोग राज्य सरकार के द्वारा निर्मित व विधान सभा से अनुमोदित अधिनियम द्वारा स्थापित की गई है तथा यह संस्था महिला जन्य आपराधिक कृत्यों, महिलाओं की समस्याओं, उनके सामाजिक, आर्थिक व सर्वोमुखी उत्थान से संबंधित प्रकरणों पर निरन्तर साक्षात्कार होता है। इन दृष्टियों से यह संस्था राज्य सरकार को निवार्सित सुझाव व समस्याओं से अवगत कराती रहती है। कई बार राज्य सरकार महिलाओं से सम्बन्धित विषयों पर महिला आयोग से परामर्श करती है। क्योंकि संस्था इन विषयों पर निरन्तर संपर्क में रहने से विशेषज्ञ संस्था बन गई है। राज्य महिला आयोग के सुझाव व परामर्श राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय लेने व कानून बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं।[7]

5.1.5 राज्य की महिला नीति का प्रतिवेदनः

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000 में राजस्थान राज्य की महिला नीति की घोषणा की गई थी, जिसकी संरचना में राजस्थान राज्य महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके पश्चात् राजस्थान राज्य महिला आयोग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हैं जिसमें राज्य महिला आयोग महिला नामित समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर राज्य सरकार को अभिशंषा करता है और महिला एवं बाल विकास विभाग उन सुझावों का क्रियान्वयन करने का दायित्व निर्वाह करता है। नीति–गत मामलों में निर्णय राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जिनकी समीक्षा व विधिक स्थितियों का परीक्षण राज्य के विधि विभाग द्वारा किया जाता है।

महिलाओं के संबंध में भारत सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करता है जिनको राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। सामान्यतया केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को अपना अंशदान मिलना होता है और इस विषयक निर्णय लेकर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाते हैं। योजनाऐं स्वीकृत होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग उन योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित क्षेत्रों व जिलों में करता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं व छः वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार प्रदान करना, स्वास्थ्य के लिए मुफ्त दवाइयां देना, परिवार नियोजन के संबंध में सुझाव देना आदि कार्य संचालित किए जाते हैं।[8]

5.2 राजस्थान राज्य महिला आयोग का कार्य क्षेत्रः

राज्य महिला आयोग राजस्थान प्रदेश में महिलाओं पर हुए अत्याचार, दुराचार, असमानता, शोषण, उत्पीड़न आदि विषयों से संबंधित प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही करता है। सामान्यतया महिलाओं द्वारा स्वयं या उनके द्वारा लिखित रूप से आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती है परन्तु अशिक्षा के कारण यदि महिला स्वयं आकर मौखिक शिकायत करती है अथवा टेलीफोन द्वारा ऐसी कोई शिकायत करती है, महिला आयोग उन शिकायतों को भी स्वीकार कर प्रक्रिया

का भाग बना लेता है। समाचार पत्रों या अन्य प्रचार माध्यमों से उठाए गए महिला अत्याचार के प्रकरण प्रसंज्ञान के रूप में भी आरंभ किए जाते हैं। लिखित रूप से प्राप्त होने वाली शिकायतें राजस्थान राज्य महिला आयोग को संबंधित होनी आवश्यक है।

राज्य महिला आयोग को बहुत सी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है जो प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है, अथवा राज्य सरकार के किसी भी विभाग को प्रेषित शिकायत की प्रति जैसे प्रकरण प्राथमिक रूप से ही निरस्त कर दिए जाते हैं। आयोग में महिला उत्पीड़न संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रकरण जैसे दहेज मांगना, दहेज के कारण उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, कार्य स्थल पर यौन शोषण, रोजगार में भेदभाव, जमीन जायदाद में महिला को हिस्सा नहीं देना, उत्तराधिकार, द्विविवाह पति द्वारा अभिजन संबंधियों द्वारा यौन शोषण आदि विषयों से संबंधित शिकायती परिवाद स्वीकार किए जाते हैं। सभी प्राप्त परिवाद पहले अधिकृत अधिकारी द्वारा जांच किए जाते हैं और विचारणीय प्रकरणों की शिकायतें रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं।[9]

5.2.1 राज्य महिला आयोग की कार्यवाही प्रक्रिया

राजस्थान राज्य महिला आयोग में प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों की ग्राह्यता की जांच पंजीयक एवं विशेषाधिकारी द्वारा की जाती है, जो राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा से संबंधित होने से आयोग में शिकायतों की ग्राह्यता के बारे में जांच करते है। जिन शिकायतों को ग्रहण करने योग्य नहीं माना जाता उन्हें निरस्त करने कारण दर्शाते हुए शिकायतकर्ता को वापस भेज दिया जाता है। ग्रहण करने योग्य प्रकरणो को जिलेवार रजिस्टरों में प्रविष्टि करके आदेशार्थ पंजीयक एवं विशेषाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिनके द्वारा प्रत्येक शिकायत पर संबंधित विभाग को पत्र भेजकर कार्यवाही करने के लिए पत्र प्रेषित किया जाता है।

जिन प्रकरणों में मामले पुलिस द्वारा दर्ज कर लिए जाते हैं उन्हें संबंधित जिले के पुलिस अधिकारी को तत्परता से जांच कार्य करने के लिए निर्देश प्रदान किये जाते हैं तथा पुलिस को तीन माह में कार्यवाही की सूचना राज्य महिला

आयोग को प्रेषित करनी आवश्यक है। जिन प्रकरणों पर कार्यवाही धीमी गति से चल रही है, जिनके विभिन्न कारण दर्शाए जाते हैं, एसे प्रकरणों की शीघ्रता से निस्तारण कर न्यायिक प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं कई प्रकरणों में आपराधी छिपे होने के कारण पकड़े नहीं जाते हैं जो आयोग की ओर से निर्धारित समय में ऐसे व्यक्तियों को तलाश कर कार्यवाही आरंभ करने की स्थिति दर्शाई जाती है। कई प्रकरणों में पुलिस प्रभावशाली व्यक्तियों को विभिन्न कारणों से गिरफ्तार नहीं कर पाती है, ऐसे मामलों में निरन्तर स्मरण कराया जाता है।

ऐसी शिकायतें जिनमें किसी अधिकारी द्वारा महिला का उत्पीड़न किया गया है, उन प्रकरणों पर शिकायत के प्रति राज्य सरकार को भेजकर कार्यवाही करने की अनुशंषा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की तीन माह में कार्यवाही की जानकारी देने की बाध्यता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ऐसे प्रकरणों को निरन्तर स्मरण कराता है और राज्य सरकार भी पूर्ण कार्यवाही न हो पाने की स्थिति में अन्तिम सूचना अवश्य भेजती है। राज्य सरकार द्वारा अधिकारी के मामले में अभियोजन की स्वीकृति देने का मामला मुख्यमंत्री की अनुमति ऐसे आरंभ किया जाता है अतः कई मामलों में विलम्ब होना स्वाभाविक है। सरकार द्वारा पूर्ण कार्यवाही की सूचना मिलने तक आयोग इन प्रकरणों पर स्मरण कराता है।

कामकाजी महिलाओं के कार्य स्थल पर यौनशोषण या उत्पीड़न के बचाव के संबंध में उच्चतम न्यायालय के 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य संबंधी परिवाद में दिए गए दिशा–निर्देशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा अधिनियम बनाकर समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों व निजी संस्थानों में भी इस प्रकार के निर्देश प्रभावी किए गए है, जिनमें प्रत्येक स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपराध की श्रेणी में लाने का विवरण दर्शाया गया है तथा एक अधिकारी को ऐसे प्रकरणों पर कार्यवाही तत्परता से करने के निर्देश प्रदान किए जाते है। संबंधित विभाग में शिकायत की सत्यता की जांच करके संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर आपराधिक कार्यवाही आंरभ कर दी जाती है।

गंभीर अपराधों के मामले में आयोग के अध्यक्ष या सदस्य घटना स्थल पर जाकर प्रकरण की जांच करते हैं और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक व प्राधिक अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच जाते है और आयोग के अध्यक्ष या सदस्य मौके पर अपने विचार उन्हें बताकर तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश देते हैं। घटना स्थल पर तत्परता से पहुंचने पर पीड़ित परिवार व समुदाय को आश्वस्त करते हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त प्रयास भी करते हैं। ऐसे प्रकरणों में प्रशासन व पुलिस की तत्परता से कार्यवाही करने पर स्थिति को बिगड़ने से रोका जाता है और जन व धन हानि के बचाव का कार्य किया जाता है।

कई परिवादों में आयोग यह अनुभव करता है कि प्रकरण को सुलझाया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों पर संबंधित पक्षकारों को आयोग व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए निश्चित दिन आने के निर्देश प्रदान करता है। दोनों या अधिक पक्षकारों से प्रथक–प्रथक चर्चाकर पक्षकारों को राहत प्रदान करने की कार्यवाही करता है। आयोग का मत है कि प्रारंभिक स्तर पर बहुत से मामले परस्पर बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं और सभी पक्ष सन्तुष्ट होकर चले जाते हैं। इस व्यवस्था से विभिन्न प्रकार के गतिरोध व गंभीर विवाद बनने से रोका जाना एक अच्छी पहल है। सामन्यतया विवादित पक्ष महिला पदाधिकारियों की बात ध्यान से सुनते हैं और विवाद समाप्त करने के लिए सहमत भी हो जाते हैं।

राजस्थान राज्य महिला आयोग को महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से कार्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए चार प्रकोष्ठ बनाए हैं जिनमें सुरक्षित मातृत्व इकाई, परिवार परामर्श केन्द्र, व्यक्तिगत सुनवाई प्रकोष्ठ तथा शिकायत शाखा गठित की है। यह व्यवस्था निर्विष्ट कार्य के व्यवस्थित रूप से निष्पादन की दृष्टि से अपनाई गई है। इनमें प्राप्त व ग्रहण योग्य शिकायतें संबंधित प्रक्रिया के लिए निर्धारित स्थल पर पहुंचाया जाता है जहां स्थापित पदाधिकारी विभिन्न श्रेणियों के प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही करते हैं। इनमें यूनीसेफ व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्थापित पदाधिकारी भी अपने निदिष्ट कार्य का निर्वाह करते हैं।[10]

5.2.2 सुरक्षित मातृत्व इकाई

राजस्थान राज्य में लैंगिक समानता, सामाजिक, समानता व महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्यस्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग ने यूनीसेफ के सहयोग से सुरक्षित मातृत्व इकाई का संचालन किया है। इस इकाई के माध्यम से लैंगिक समानता के साथ सुरक्षित मातृत्व, सामाजिक समानता व महिला शक्तीकरण आदि विषयों पर कार्यवाही संचालन कर रहा है। इसके अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं आमुखीकरण से संबंधित कार्यशालाओं, महिला जन सुनवाई जन संवाद, सम्मेलन एवं प्रलेखन कार्य किए जाते हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं में उनकी समस्याओं के संबंध में जागरूकता सृजित की जाती है।

राज्य महिला आयोग के कार्यक्षेत्र व निर्देशों के अनुसार सुरक्षित मातृत्व इकाई राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशासन, विभिन्न विभाग से स्वयंसेवी संगठनों से समन्वय करती है। इन सभी को महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता व सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए उत्प्रेरित करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बहुत सी उत्पीड़ित महिलाएं राज्य महिला आयोग व उनके कार्यकलापों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करती है। इस माध्यम से महिलाओं में यह जागरूकता आती है कि वे अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याऐं स्वयं या अन्य किसी माध्यम से आयोग तक पहुंचा सकती है जिनपर समस्याओं के निराकरण के लिए सार्थक प्रयास किए जाते हैं।[11]

5.2.3 महिला जन सुनवाई

यह प्रक्रिया सुरक्षित मातृत्व इकाई द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें महिला आयोग के पदाधिकारी निश्चित दिन व समय पर किसी जिले में जाकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन करता है। इसमें उत्पीड़ित महिलाओं को यथासंभव तुरन्त राहत पहुंचाई जाती है। यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 15 (i) के अनुसार महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में उनकी पीड़ा सुनकर निदान करने की प्रक्रिया का

भाग है। जनसुनवाई का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से पूरे जिले व शहरों में भी प्रचारित किया जाता है जिससे परिवार व समाज द्वारा पीड़ित महिलाऐं उपस्थित होकर अपनी समस्या का निदान करावें।

जन सुनवाई के लिए संबंधित जिले की महिलाऐं भाग लेती हैं तथा राजस्थान राज्य महिला आयोग की पदाधिकारी महिलाऐं होने से परस्पर संवाद में किसी प्रकार की झिझक नहीं रहती। सभी उपस्थित महिलाऐं अपनी समस्या का विवरण देती है। जिससे आयोग को ऐसी महिलाओं की समस्याऐं जानने का अवसर भी मिलता है जो आयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती तथा जो जयपुर स्थित आयोग कार्यालय पहुंच पाने में असमर्थ रहती हैं। इस प्रक्रिया में महिलाओं में अपनी बात स्पष्ट रूप से बताने की स्थिति बनती है तथा उनमें आत्मबल की वृद्धि होती है। पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता के उद्देश्य से यूनीसेफ द्वारा प्रदत्त राशि से धन प्रदान करने की व्यवस्था है।

कई पीड़ित महिलाओं को थोड़ी धनराशि से भी काफी राहत मिलती है और उन्हें यह आभास होता है कि उनकी समस्याओं से सहानुभूति रखने वाले पदाधिकारी स्वयं पहुंचकर उन्हें कुछ संभव सहायता देते हैं और समस्याओं के निदान के लिए शिकायत संबंधित विभागों को प्रदान कर निश्चित समय में रिपोर्ट मंगाई जाती है। इस जन सुनवाई व्यवस्था से सभी महिलाओं की सभी समस्याओं का निदान संभव नहीं हो पाता किन्तु एक सकारात्मक प्रयास से राहत दिलाने की व्यवस्था की जाती है। जन सुनवाई प्रक्रिया से तुरन्त निर्णय करने व संबंधित जिला अधिकारियों को शिकायतें भेजकर उन समस्याओं के निराकरण से पीड़ित महिलाओं को एक आश्वासन मिलता है।

जिस स्थान पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उनकी सूचना निम्न स्तर पर आयोजनकर्ता संस्था को पूर्व में ही भेज दी जाती है। सामान्यतया ऐसे शिविरों में आयोजन स्वयंसेवी संस्था या जिला महिला विकास अभिकरण द्वारा पीड़ित महिलाओं का पंजीकरण किया जाता है। जन सुनवाई के दिन पीड़ित महिला को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी समस्या सुनी जाती है।

तथा स्थल पर उपस्थित संबंधित अधिकारी को तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। जन सुनवाई के अवसर पर प्राप्त सभी प्रकरणों की यथासंभव सुनवाई कर कार्यक्रम स्थल पर ही निस्तारित करने के प्रयास किए जाते हैं। इनमें कुछ प्रकरण ऐसे भी होते हैं, जिन पर जांच की जानी आवश्यक होती है जिसके लिए निर्धारित समय में कार्यवाही करके आयोग को सूचित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

निस्तारण योग्य प्रकरण पर आयोग द्वारा निगरानी करके पीड़िता को न्याय दिलाया जाता है। जन सुनवाई के अवसर पर पीड़ित महिला की बात सुनकर तत्काल समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं और ऐसे प्रकरण कुछ ही होते हैं जिन पर तत्काल निर्णय लेना संभव होता है। इस प्रणाली से महिलाओं में जागरूकता विकसित होती है और वे अन्य पीड़ित महिलाओं को आयोग कार्यालय जाकर अपनी समस्या का निदान पाने के लिए प्रेरित करती हैं अथवा अपनी शिकायत डाक द्वारा भेजकर प्रतीक्षा करती है। जिला स्तर तक भी आयोग के पदाधिकारियों का पहुंचकर जन सुनवाई करना सार्थक प्रयास है। उसमें जिन प्रकरणों का उसी स्थल पर निस्तारण होने से पीड़ित महिलाओं को संबल मिलता है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक प्रयास भी माना गया है।[12]

5.2.4 जिला स्तरीय महिला जागरूकता शिविर

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 11 (XV) में जिला स्तर पर महिला जागरूकता शिविर आयोजन करने का भी प्रावधान किया गया है। शिविर में संदर्भ व्यक्ति के रूप में जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारी, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यगण तथा समाजसेवियों की भागीदारी की जाती है। शिविर में पत्र–वार चर्चा, चेतना गीत, नाटक व सामूहिक चर्चा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं को महिलाओं के अधिकार एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाती है, जिससे वे अपने कार्य क्षेत्र की महिलाओं तक संबंधित जानकारी पहुंचाकर उन्हें जागरूक कर सकें। इस कार्य के

लिए महिला एवं बाल विकास से संबंध आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाऐं जागरूकता के लिए माध्यम बनाई गई हैं।

इस बारे में स्थानीय महिला कार्यकर्ता कितना गंभीरता से कार्य निष्पादित करती है यह उनकी कार्यक्रम में दी गई जानकारी को पूरी तरह समझने और ग्रामीण व शहरी महिलाओं तक वांछित सूचना उसी रूप में पहुंचाने पर निर्भर करता है। यह एक सार्थक प्रयास है जिसके द्वारा धीरे–धीरे संबंधित महिलाओं को जागरूकता मिल सकती है और वे अपने अधिकारी व संरक्षण उपायों को अपनाकर अपना हित सोच सकती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता को कारगर बनाने के लिए लिखित पम्पलेट या पोस्टर कारगर सिद्ध हो सकते हैं जिससे पढ़े लिखे लोग भी इन जानकारियों को परस्पर समझें। इससे सही व पूरी जानकारी जन सुलाभ होना संभव है।[13]

5.2.5 परिवार परामर्श केन्द्रः

महिला उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, शोषण आदि की घटनाऐं परिवार से प्रारंभ होती है, जिसमें सर्वप्रथम स्थिति गर्भधारण कर चुकी महिला को भ्रूण का लिंग परीक्षण चोरी छिपे कराने व कन्याभ्रूण होने पर उसे समापन के लिए बाध्य करने से आरंभ होता है। दूसरी प्रकार का उत्पीड़न दहेज जनित कारणों से होता है जहां विवाह के बाद विवाहित महिला को कम दहेज लाने के लिए परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और अपने परिजनों से निरन्तर दहेज की मांग करते रहने से संबंधित होता है। विवाहित महिला का नए परिवार में प्रवेश व सामंजस्य स्थापित कर पाना बहुत जटिल व कठिन कार्य है, जहां प्रत्येक सदस्य की प्रथक–प्रथक अपेक्षाऐं होती हैं।

भावनात्मक व व्यावहारिक स्तर में परिवार की वृद्ध महिला व पुरूष अधिकतर सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और नववधु को परिवार के तरीकों या व्यवहार की जानकारी प्रदान कर उसका पालन करने की अपेक्षा करते हैं। अन्य वरिष्ठ सदस्य बात–बात पर ताने मारकर व समस्याएं उत्पन्न कर नए सदस्य के लिए निरन्तर वातावरण बिगाड़ने का कार्य करते हैं। कुछ लड़कियां भी विवाहित परिवार में विभिन्न कारणों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पातीं जिसमें कुछ समस्याऐं बनते

बनते अग्ररूप धारण कर लेती हैं। परिवार परामर्श केन्द्र में परिवारजनों की समस्याऐं उकने अनेक निदान के प्रयास किए जाते हैं। इस दृष्टि से सबसे प्रमुख विषय सामंजस्य स्थापित करने की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है।

व्यक्तिगत स्तर पर आत्मकेन्द्रित व स्वार्थी दृष्टिकोंण तथा परिवार व समाज के स्तर पर अपेक्षाओं के कारण शारीरिक व मानसिक समस्याऐं बढ़ती है। कई सामान्य दिखने वाले व्यक्ति भी भावनात्मक व व्यावहारिक स्तर पर अनेक प्रकार की विषमताऐं व तनाव उत्पन्न कर देते हैं। समाज का कोई भी वर्ग विभिन्न प्रकार की सामाजिक व भावनात्मक समस्याओं से अछूता नहीं रहता। ऐसे विभिन्न कारणों से महिलाओं की स्थिति जटिल व तनावग्रस्त बन जाती है। बहुत सी स्थितियों में महिला सही दिशा में व सकारात्मक प्रयास करने की स्थिति के बदले भ्रमित हो जाती है तथा परिवार या समाज उसे वांछित सहारा नहीं दे पाता, जो उसके लिए अत्यधिक अपेक्षित है।

ऐसी महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए परिवार परामर्श की भूमिका को उपयोगी माना गया है, जिनमें महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना आदि समस्याओं से राहत दिलाई जा सके। परिवार परामर्श केन्द्र व्यवस्था का आरंभ सितम्बर 2004 में किया गया था। वर्तमान में यह केन्द्र भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सहायता से संचालित है। जिसमें परामर्शदाता का पद भी सृजित किया गया है। आयोग में प्राप्त शिकायत प्रकरणों में ऐसे संभावित प्रकरणों को परिवार परामर्श केन्द्र के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है, जिसमें परिवारजनों की बुलाकर उनसे चर्चा की जाती है। आयोग का विचार है कि इस व्यवस्था से प्रकरण हल करने से बहुत से परिवार टूटने से बच सकते हैं।

परिवार परामर्श केन्द्र पीड़ित महिलाओं को भावनात्मक व व्यावहारिक पक्ष के साथ कानूनी पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए उचित परामर्श व उपचारात्मक सहायता द्वारा उनके व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में स्वरूप व गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही परिवार जनों को पारिवारिक व कानूनी समस्याओं को बताते हुए सामंजस्य स्थापित करने के सुझाव भी दिए जाते हैं। इस

केन्द्र द्वारा आयोग में आने वाली पीड़ित व आर्थिक दृष्टि से कानूनी महिलाओं को विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जानी है। इस केन्द्र का उद्देश्य परिवार में स्वस्थ वातावरण के पुनः निर्माण की दिशा में सार्थक प्रयास आरंभ करने की प्रेरणा भी दी जाती है।[14]

5.2.6 व्यक्तिगत सुनवाई प्रकोष्ठः

इस प्रकोष्ठ की स्थापना टूटे हुए परिवारों को पुनः बसाने की दिशा में सार्थक प्रयास करने के उदेश्य से की गई है। आयोग के इस प्रकोष्ठ द्वारा वैवाहिक जीवन व पारिवारिक समस्याओं संबंधी शिकायतों पर दोनों पक्षों को सम्मन जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन व समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। ये प्रकरण राजस्थान राज्य महिला आयोग की पूर्व पीठ द्वारा सुने जाते हैं जिसमें परिवार के दोनों पक्षों की सुनवाई कर उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे कई प्रकरणों में आयोग द्वारा पति व ऐसे परिवार विघटन से बच जाते हैं।

व्यक्तिगत सुनवाई प्रकोष्ठ द्वारा पीड़ित महिलाओं को तुरन्त न्याय दिलाया जाता है। महिलाओं के कार्य स्थल पर उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, सभी धन की सुपुर्दगी, घरेलू हिंसा तथा दो विवाह वाले मामलों में दोनों पक्षों में आपसी समझाइश द्वारा समाधान निकाला जाता है। आयोग की सुनवाई पीठ द्वारा पीड़ित महिलाओं को अनेक पति तथा पति के परिवाजनों से भरण–पोषण की राशि व स्त्रीधन भी शीघ्र कार्यवाही कर दिलाया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा औसत 40 प्रकरणों की सक्रियता से निस्तारण कर पीड़ित महिला को न्याय दिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त लगभग 40 प्रकरण विचाराधीन रहते हैं क्योंकि पीड़ित महिला के पति व परिजन समझाइश के बाद भी काफी समय लगा देते हैं।[15]

5.2.7 शिकायत शाखाः

यह प्रकोष्ठ आयोग से प्राप्त होने वाले सभी पत्रों को स्वीकार करता है जिसमें अधिकांश शिकायतें होती है और कुछ पत्र आयोग द्वारा सरकार या अन्य विभागों को भेजे गए प्रकरणों की रिपोर्ट से संबंधित होते हैं। विचाराधीन प्रकरणों में

डाक द्वारा प्राप्त शिकायतें, व्यक्तिगत रूप से आई महिलाओं की शिकायतें तथा आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेकर वर्ग किए गए प्रकरण सम्मिलित होते हैं। ऐसी शिकायतों के निस्तारण में पुलिस प्रशासन, सरकार के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों व अन्य संस्थाओं के सहयोग से कार्य निष्पादन किया जाता है। ग्रहण करने योग्य सभी प्रकरण आयोग में पंजीकृत किए जाते हैं। सभी प्रकार के प्रकरणों को सर्वप्रथम जिलेवार छांटा जाता है और इसके पश्चात् उनकी प्रकृति के अनुसार श्रेणीबद्व किया जाता है।

जो शिकायत प्रकरण सरकार के विभागों व संगठनों से संबंधित होते हैं उनके सक्षम अधिकारी को समस्या के शीघ्र समाधान हेतु निर्देशित किया जाता है। जिन प्रकरणों पर आयोग के विभिन्न प्रकोष्ठों द्वारा कार्यवाही की जाती है उनकी प्रक्रिया के विश्लेषण से विदित है कि लगभग पुराने निर्णयाधीन प्रकरणों को मिलाकर लगभग आधे मामलों का एक वर्ष में निस्तारण हो पाता है। इसके लिए लम्बी जांच प्रक्रिया व विभागों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही से संबंधित प्रकरणों का होना है।

वर्ष 2010–2011 में व्यक्तिगत सुनवाई के कुछ 50 प्रकरणों में से 25 का निस्तारण सफलतापूर्वक कर दिया गया व 25 पर कार्यवाही जारी थी। इसी प्रकार विगत वर्ष की लम्बित व वर्ष में प्राप्त 1403 शिकायतों में से 623 पर कार्यवाही पूरी कर 50 प्रकरणों में से जयपुर जिले के 82 प्रतिशत प्रकरण थे जबकि शिकायत प्रकरण द्वारा 1403 में से जयपुर जिले के 26.66 प्रतिशत प्रकरण थे। इसके पश्चात् भरतपुर के 4.85 प्रतिशत प्रकरण थे। श्रेणीवार प्रकरणों में 3.63 प्रतिशत प्रकरण महिला अपहरण के थे, 19.03 प्रतिशत दहेज संबंधित क्रूरता से संबंधित, 4.42 प्रतिशत महिला हत्या के, 1.07 प्रतिशत दहेज हत्या के तथा 10.48 प्रतिशत बलात्कार से संबंधित थे।

इसके अतिरिक्त 7.13 प्रतिशत धमकी के, 1.78 प्रतिशत भरण पोषण भत्तो के, 0.57 प्रतिशत हत्या के प्रयास के, 23.95 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक कृत्य संबंधी 9.13 प्रतिशत भूमि व संपति विवाद में महिला के हिस्से संबंधी, 7.43 प्रतिशत विविध श्रेणियों के मामले शिकायत के रूप में दर्ज थे। कुछ 0.71 प्रतिशत प्रकरण हिंसा, कार्य पर यौन उत्पीड़न, सेवा में बदनीयती से स्थानान्तरण व अन्य

यौन उत्पीड़न संबंधी थे। इस से यह इस दिशा की ओर संकेत करता है कि राजस्थान में महिला जनित अपराध दर्ज कराए गए उनमें से हिंसा, दहेज संबंधी क्रूरता बलात्कार, धमकी से संबंधित थे। इससे यह तथ्य भी प्रकट होता है कि महिला जन्य अपराधों में से आयोग के पास दर्ज हाने वाले प्रकरण सामान्यतया आधे से भी कम होते हैं।

5.2.8 आयोग द्वारा निस्तारित कुछ उल्लेखनीय प्रकरणः

राजस्थान राज्य महिला आयोग कुछ सफल प्रकरणों का विवरण देते हुए अपनी प्रगति को दर्शाता है, जिसमें परिवार परामर्श केन्द्र तथा व्यक्तिगत सुनवाई के प्रकरण सम्मिलित हैं। इनका विवरण देकर आयोग के पदाधिकारियों के प्रयास व महिलाओं के परिवार टूटने से बचाने के प्रयास सम्मिलित है। आयोग यह भी दर्शाता है कि जिन परिवार टूटने के प्रकरणों को उनके प्रयास से सफल दाम्पत्य जीवन में परिवर्तित कर दिया उनकी अपने स्त्रोतों से समयावधि से समीक्षा भी करता है, जिससे उनके द्वारा किए गए प्रयासों के की जानकारी मिल सके और पुनः मतभेद होने या परिवार टूटने की जानकारी मिल सके। यह व्यवस्था इसलिए आवश्यक समझी गई कि विवादों से टूटे परिवार एक समझबूझ व सामंजस्य स्थापित करने का परिचय भी देते हैं।

एक प्रेम विवाह के प्रकरण में लाडली पिता के परिवार को छोड़कर विवाह कर पति के साथ रहने लगी परन्तु कुछ समय में ही उसे यह अनुभव हो गया कि उसका प्रयास गलत रहा और पति उसकी स्थिति का लाभ उठाकर उत्पीड़न करने लगा। स्थिति बिगड़ने पर पति अपनी पत्नि को पिता के घर जाने के लिए बाध्य किया। यह स्थिति पत्नी के लिए अत्यन्त कष्टदायी साबित हुई क्योंकि उसका परिवार भी उसे रखने के लिए इच्छुक नहीं था। पत्नी की लिखित शिकायत पर आयोग में पति व पत्नि को सम्मन भेजकर बुलाया गया जहां समझाने के प्रयास सार्थक रहे और पति पुराने प्रकरण को भुलाकर पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार हो गया। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पति व पत्नि साथ–साथ रह रहे थे।

एक महिला ने आयोग में शिकायत की कि जिस संस्थान में वह कार्यरत है, उसके उच्चाधिकारी ने उससे अनुचित मांग की जो उसके द्वारा पूरा करना संभव नहीं था। इस स्थिति में उसका संस्थान में कार्य करना भी मुश्किल हो रहा था।

इसलिए महिला ने आयोग में शिकायत की। आयोग द्वारा दोनों को सम्मन देकर उपस्थित होने के निर्देश पर आयोग द्वारा दोनों पक्षों को समझाया गया तथा अधिकारी व महिला कर्मी के मध्य वैमस्य समाप्त करने में सफलता मिल गई। इससे महिला की समस्या का हल हो गया और आयोग के सार्थक प्रयास द्वारा पीड़िता को राहत प्रदान की गई।

एक विवाहित महिला ने आयोग में लिखित शिकायत भेजी कि उसके पति के माता–पिता उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं जिस कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और पति के धर में उसका रहना मुश्किल हो गया है। आयोग ने दोनों पक्षों को सम्मन द्वारा बुलाया गया जहां स्थिति भी गंभीरता व कानूनी स्थिति से पति व उसके माता–पिता को अवगत कराकर सामंजस्य बनाकर रहने के लिए प्रेरित किया। इससे पति व उसके माता–पिता पत्नी को घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। शिकायत के अनुसार पति व उसके माता–पिता से को घर में पूरा राशन लाने व पत्नि को भूखा नहीं रखने के लिए भी लिखित में आश्वासन लिया। इस परिवार का जीवन स्वच्छ वातावरण में जारी रहा।

आयोग की लिखित शिकायत द्वारा महिला ने याचना की कि शादी के बाद से उसके पति ने उससे मारपीट शुरू कर दी तथा दूसरा विवाह करने की धमकी देता है। शारीरिक यातना से उसका पति के साथ रहना कष्टदायी हो रहा है, जिससे राहत दिलाए जाने का अनुरोध किया गया था। इस शिकायत पर आयोग ने पति व पत्नी को पृथक–पृथक सम्मन भेजकर आयोग के कार्यालय में नियत दिन आने के निर्देश दिए। आयोग के पदाधिकारियों ने पति को स्पष्ट किया कि पत्नी का उत्पीड़न व दूसरी शादी की धमकी गंभीर अपराध है। जिससे सजा होने पर उसकी नौकरी भी छूट जायेगी। पति ने अपनी गलती स्वीकर कर स्वस्थ वातावरण बनाने व प्रताड़ित या शारीरिक यातना न देने का लिखित आश्वासन दिया। परिवार शांति पूर्वक जीवन यापन करने लगा जो निरन्तर जारी रहा।

विवाहित महिला की शिकायत पर आयोग ने सम्पन भेजकर पति व उसके माता–पिता को बुलाकर निर्देश दिए कि उनके द्वारा पुत्र की पत्नी को मरना व प्रताड़ित करना गंभीर अपराध है, जिसकी शिकायत उनके पास लिखित में दर्ज है।

इस प्रकरण पर समझाने व कानूनी स्थिति स्पष्ट करने पर पति व उसके माता–पिता अपने व्यवहार में परिवर्तन करने व भविष्य में कोई समस्या नहीं आने देने के आश्वासन पर घर लौट गए। सभी सफल प्रकरणों में आयोग समयावधि से पारिवारिक स्थिति की समीक्षा कराता है, जिससे उनके प्रयास का दूरगामी प्रभाव का आंकलन किया जा सके।[18]

5.3 देश में महिला अपराधों की स्थितिः

महिला जन्य अपराध एक निरन्तर व वृद्धिपरक प्रक्रिया बन गई है। इसके लिए परिवार, समान, राज्य सभी उत्तरदायी है किन्तु सबसे अधिक समस्या अपराध की पूरी जानकारी प्राप्त होना है जो सामान्यतया बहुत से महिला जन्य अपराधों में दर्ज नहीं कराई जाती। इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नेशनल क्रिमिनल रिकार्ड ब्यूरो की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 से 2012 के अपराधिक मामले व महिला जन्य आपराधिक मामलों की स्थिति सारिणी 5.1 में दर्शायी गई है।

सारिणी 5.1

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की कुल दण्डनीय अपराधों में स्थिति

वर्ष	इण्डियन पैनल कोड़ के अनुसार कुल अपराध	महिलाओं के विरूद्ध अपराध	आई.पी.सी.	महिला अपराधों का कुल अपराधों से प्रतिशत
2008	2093379	186617	––	8.9
2009	2121345	203804	––	9.2
2010	2224831	213585	––	9.6
2011	2325575	219142	––	9.4
2012	2387188	244270	––	10.2

स्रोतः इण्डियन क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

यह स्थिति दर्शाती है कि कुल अपराधों में महिलाओं के विरूद्ध अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं जो आनुपतिक रूप से व संख्या रूप से स्पष्ट है। सामान्यतया सामान्य अपराधों में भी महिलाओं को आधात पहुंचता है, जिसमें हत्या, डकैती, धोखाधड़ी के मामले प्रमुख रूप से आते हैं परन्तु महिला जन्य अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत वर्णित प्रकरण तथा विशेष व स्थानीय कानून के अन्तर्गत श्रेणीबद्व किए जाने वाले सभी अपराध ऐसे कृत्य है जो महिलाओं के प्रति निहित कारणों से किए जाते हैं। भारतीय दण्ड संहिता में सम्मिलित महिला जन्य अपराध बलात्कार भारतीय दण्डसंहिता सेक्शन 376, अपहरण तथा विभिन्न कारणों से बलात हरण भारतीय दण्ड संहिता सेक्शन 363 व 373, दहेज जनित क्रूरता, हत्या तथा हत्या के प्रयास भारतीय दण्ड संहिता सेक्शन 302/304 बी, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न भारतीय दण्ड संहिता सेक्शन 498 ए, नारी की शालीनता भंग करने के क्रूर कृत्य भारतीय दण्ड संहिता सेक्शन 354 है।[18]

इसके अतिरिक्त महिला को अपमानित करने के कृत्य भारतीय दण्ड संहिता सेक्शन 509 तथा 21 वर्ष या कम आयु की विदेशी लड़की को भारत में रखना भारतीय दण्ड संहिता सेक्शन 366–बी सम्मिलित है। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत वर्णित इन सात महिला जन्य अपराधों के अतिरिक्त विशिष्ट व स्थानीय कानून के अन्तर्गत चार श्रेणियों के अपराध भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत माने गए हैं। इनमें व्याभिचार निरोधक कानून 1956, दहेज निषेघ कानून 1961, महिलाओं के प्रति अभद्र कार्य निवारण कानून 1986 तथा सती निवारक कानून 1987 वर्गीकृत है। इन श्रेणियों में देश में महिला के विरूद्ध अत्याचारों का विवरण सारिणी 5.2 में दर्शाया गया है।[19]

सारणी 5.2

भारत में महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार की स्थिति 2008–12

अपराध शीर्षक	2008	2009	2010	2011	2012
1. बलात्कार	21467	21397	22172	24206	24923
2. अपहरण	22939	25741	29795	35565	38262
3. दहेज हत्या	8172	8383	8391	8618	8233
4. पति व परिवार द्वारा कूरता	81344	89546	94041	99135	166527
5. महिला के विरूद्ध अत्याचार	40143	38771	40613	42068	45351
6. महिला का अपमान	12214	11009	9961	8570	9173
7. विदेशी से महिला का रूकाव	67	48	36	80	59
योग भारतीयदण्ड संहिता– महिला अत्याचार	**186616**	**194835**	**205009**	**219142**	**232528**
8. सती निवारक	1	0	0	1	0
9. व्यभिचार निरोधक	2659	2474	2499	2435	2563
10. महिला से निकृष्ट व्यवहार	1025	845	895	953	141
11. दहेज निवारक	5555	5650	5182	6619	9038
योग विशेष व स्थानीय कानून महिला अत्याचार	**9240**	**8969**	**8576**	**9508**	**11742**
कुल योग	**195856**	**203804**	**213585**	**228650**	**244270**

स्रोत– नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, ग्रह मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट 2012

5.3.1 अपराधों का राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों का आंकलन

यह स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 2008 से 2009 में 4.05 प्रतिशत महिलाओं के प्रति अपराधों की वृद्धि हुई है जो आगामी तीन वर्षों में क्रमशः 4.80, 7.05 व 6.83 प्रतिशत रही। 2008 से 2012 की अवधि में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में 24–72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2012 में सर्वाधिक 43.61 प्रतिशत महिला जन्य अपराध पति व परिजनों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता के मामले रहे। इस दृष्टि से सभी श्रेणियों के अपराध महिला के विरूद्ध घटित हुए जो समाज के व्यवहार व आपराधिक कृत्यों की ओर झुकाव को दर्शाता है। अपराधों में देश में राजस्थान की स्थिति सारिणी 5.3 में दर्शायी गई है।

सारिणी 5.3

महिला साक्षरता महिला अनुपात व महिला अपराधों में राजस्थान 2012

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	साक्षरता दर 2011	महिला जनसंख्या 2011	कुल से प्रतिशत	महिला अपराध 2012	कुल से प्रतिशत	अपराध दर
1. आंध्रप्रदेश	59.74	42155652	7.19	28171	11.53	66.05
2. अरूणाचल प्रदेश	5957	662379	0.11	201	0.08	33.67
3. असम	67.27	15214345	2.59	13544	5.54	89.54
4. बिहार	53.33	49619290	8.46	11229	4.60	23.41
5. छत्तीसगढ़	60.59	12712281	2.17	4228	1.73	34.38
6. गोआ	81.84	717012	0.12	200	0.08	23.01.
7. गुजरात	70.73	28901346	4.93	9561	3.91	33.55
8. हरियाणा	66.77	11847951	2.02	6002	2.46	50.31
9. हिमाचल प्रदेश	76.60	3382617	0.58	912	0.37	27.13
10. जम्मू कश्मीर	58.01	5883356	1.00	3328	1.36	58.60
11. झारखण्ड	56.21	16034550	2.73	4536	1.86	29.16
12. करर्नाटक	68.13	30072962	5.13	10366	4.24	34.92
13. केरल	91.98	17366387	2.96	10930	4.47	61.21
14. मध्यप्रदेश	60.02	34984645	5.96	16832	6.89	47.75
15. महाराष्ट्र	75.48	54011575	9.21	16353	6.69	29.87
16. मणिपुर	73.17	1351992	0.23	304	0.12	24.64
17. मेघालय	73.78	1471339	0.25	255	0.10	19.38
18. मिजोरम	89.40	538675	0.09	199	0.08	40.20
19. नागालैण्ड	76.69	954895	0.16	51	0.02	4.70
20. उड़ीसा	64.36	20745680	3.54	11988	4.91	58.79
21. पंजाब	71.34	13069417	2.23	3238	1.32	24.98
22. राजस्थान	52.66	33000926	5.63	21106	8.61	63.75
23. सिक्किम	76.43	286027	0.05	68	0.03	23.29
24. तमिलनाडू	73.86	35980087	6.13	7192	2.94	21.23
25. त्रिपुरा	83.15	1799165	0.31	1559	0.64	86.95
26. अरूणाचल प्रदेश	70.70	4962574	0.85	1067	0.44	21.50
27. उत्तरप्रदेश	59.26	94985062	16.19	23569	9.65	24.25
28. पश्चिम बंगाल	71.16	44420347	7.57	30942	12.67	70.30
29. अण्डमान–निकोबार	81.84	177614	0.03	49	0.02	20.08
30. चण्डीगढ़	81.38	474404	0.08	241	0.10	37.60
31. दादरा नगर हवेली	65.93	149675	0.02	16	0	9.30
32. दमनद्वीप	79.59	92811	0.01	11	0	11.22
33. देहली	50.93	7776825	1.33	5959	2.44	69.75
34. लक्ष्यद्वीप	88.25	31323	0.01	2	0	5.13
35. पाण्डुचेरी	81.22	633979	0.11	61	0.02	8.87
भारत	**65.46**	**586469174**	**100**	**244270**	**100**	**41.74**

स्त्रोतः भारती की जनगणना 2011 तथा नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो 2012

उपरोक्त सारिणी में प्रत्येक राज्य की साक्षरता दर, महिला जनसंख्या तथा देश की कुल महिला जनसंख्या में संबंधित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की महिला जनसंख्या का कुल महिला जनसंख्या से प्रतिशत निकाला गया है। इसी प्रकार महिला जन्य अपराधों में कुल देश की महिला अपराधों से प्रतिशत भी निकाला गया है। इस गणना का कारण एक तुलनात्मक स्थिति बनाना है जिससे महिला जनसंख्या व महिलाओं के प्रति अपराधों की स्थिति का सही आंकलन किया जा सके। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों में महिला जन्य अपराधों का महिला की वर्ष 2012 की अनुमानित जनसंख्या से लिंग इन्डेक्स के आधार पर इसका परीक्षण किया है। इस दृष्टि से जो तुलनात्मक स्थिति बनती है वह विभिन्न पक्षों की जानकारी उपलब्ध कराती है।

इसमें 2011 की महिला साक्षरता के आधार पर महिला जन्य अपराधों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकट होता है कि साक्षरता दर व महिलाओं के प्रति अपराधों में कोई सामंजस्य या सह संबंध नहीं है। इसमें राजस्थान राज्य महिला साक्षरता दर अन्तिम स्तर पर स्थित है जो दर्शाता है कि राज्य में महिला जन्य अपराध देश के इसी श्रेणी के कुल अपराध में 8.61 प्रतिशत है जबकि महिला जनसंख्या देश की कुल महिला जनसंख्या का 5.63 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर का महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में संबंध नहीं होने का एक प्रमुख कारण साक्षरता की कमी है। यह स्थिति इसलिए उपयुक्त नहीं प्रतीत होती कि महिलाओं में साक्षरता व जागरूकता के उपरान्त भी उनके प्रति अपराध बढ़ रहे हैं।

देश का केरल राज्य भी महिला साक्षरता में सर्वोच्च स्थान पर है जहां की दसवर्षीय जनसंख्या वृद्धि 4.86 प्रतिशत रही जबकि देश की इसी अवधि की जनसंख्या वृद्धि 17.74 प्रतिशत रही। महिला जन्य अपराधों के कारण महिलाऐं न होकर पुरूष वर्ग है जो विभिन्न प्रकार के अत्याचार करता है, जिससे महिला का बच पाना भी कई स्थितियों में संभव नहीं हो पाता। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश का कुल महिला जन्य अपराधों से प्रतिशत व कुछ प्रतिशत महिला जनसंख्या का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा,

पश्चिम बंगाल, चण्ड़ीगढ़, दिल्ली में महिला जनसंख्या की तुलना में महिलाओं के विरूद्ध अपराध अधिक हैं।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में असम स्थान सर्वोपरि है जहां अपराध दर 89.54 है। इसके बाद त्रिपुरा में 86.90, पश्चिम बंगाल में 70.30, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 69.75, आंध्रप्रदेश में 66.05, राजस्थान में 63.75 है। इस प्रकार देश के राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में राजस्थान की अपराध दर छठे स्थान पर है। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में प्रतिशत अपराध में पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक 12.67 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 11.53 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 9.65 प्रतिशत के पश्चात् राजस्थान में 8.61 प्रतिशत होने से राज्य का कुल महिला जन्य अपराधों में चौथा स्थान आता है। इस प्रकार राजस्थान का दोनों दृष्टियों में से देश में चौथा या छठा स्थान रहना महिला जन्य अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है।

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का विश्लेषण करे हुए यह भी दर्शाया गया है कि वर्ष 2012 में कुल महिला जन्य अपराध वर्ष 2011 की तुलना में 6.8 प्रतिशत बढ़े तथा 2008, 2012 की अवधि में 24.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में भारतीय दण्ड महिला के अन्तर्गत आने वाली अपराध 95.2 प्रतिशत रहे, जबकि विशेष व स्थानीय कानूनों के अपराधों में 4.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसमें केवल भारतीय दण्ड संहिता में वर्गीकृत महिलाओं के विरूद्ध अपराध वर्ष 2008 में 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 10.2 प्रतिशत हो गए। यह स्थिति अति संवेदनशील अपराधों की बढ़ती प्रवृति को दर्शाती है। यह प्रवृति कानूनी—व्यवस्था की गिरती स्थिति तथा पुरूष मानसिकता के अत्यधिक विकृत होने की स्थिति दर्शाती है।

5.3.2 श्रेणीवार गंभीर अपराधों का विश्लेषणः

बलात्कार के अपराधों की स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 2008 की तुलना में 2009 में इस श्रेणी के अपराधों में 0.03 प्रतिशत की कमी आई परन्तु आगामी वर्षों में ऐसे अपराध निरन्तर बढ़े। वर्ष 2009 की तुलना में 2010 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि

हुई जो वर्ष 2010 से 2011 में बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में 3.0 प्रतिशत बलात्कार के मामले में वृद्धि हुई। बलात्कार के अपराध सर्वाधिक 3425 मध्यप्रदेश में घटित हुए जो कुल अपराधों में 13.7 प्रतिशत थे। दूसरी ओर मिजोरम राज्य में बलात्कार के मामले 20.8 प्रतिशत रहे जो राष्ट्रीय आयोग 4.3 की तुलना में सर्वाधिक रहे।

गंभीर व नृशंस श्रेणी के बलात्कार के कुल 392 प्रकरण 2012 में घटित हुए जो गत वर्ष 267 मामले से 46.8 प्रतिशत अधिक थे। इनमें सर्वाधिक नृशंस श्रेणी के बलात्कार प्रकरण महाराष्ट्र में 77 थे जो कुल प्रकरणों के 19.6 प्रतिशत थे। बलात्कार से पीडित प्रकरणों में वर्ष 2012 में घटित 24923 मामलों में 3125 मामलों बलात्कार पीड़ित लड़कियां 14 वर्ष से कम आयु की थी जो कुल बलात्कार प्रकरणों की 12.5 प्रतिशत थी। 14 से 18 वर्ष की बालिकाएं 5957 बलात्कार से पीड़ित हुई जो कुल बलात्कार प्रकरणों की 23.9 प्रतिशत थी। 18 से 30 वर्ष की युवतियां 12511 थी जो कुल बलात्कार की घटनाओं की 50.2 प्रतिशत थी। 3185 पीड़ित महिलाएं 30–50 आयु वर्ग की थी जो कुल प्रकरणों की 12.8 प्रतिशत थी। 135 महिलाऐं 50 वर्ष से अधिक आयु की थी जो बलात्कार की शिकार बनीं।

कुल 24.470 मामलों में बलात्कार पीड़ित महिलाओं व लड़कियों के परिचित व्यक्ति ही अपराधी थे, जबकि 393 व्यक्ति परिवार के निकट रिश्तेदार थे। इन बलात्कार प्रकरणों में 8484 या 34.7 प्रतिशत पड़ौसी थे तथा 1585 या 6.5 प्रतिशत करीबी रिश्तेदार थे, जिनके ऊपर परिवार व पीडित महिला ने विश्वास किया था। अपहरण व किसी उदेश्य से बलपूर्वक लड़की या महिला को उठा ले जाने के 38262 मामले कुल महिला जन्य अपराधों के 6.5 प्रतिशत थे। ऐसे प्रकरण गत वर्ष की तुलना में 7.6 प्रतिशत बढ़े थे। वर्ष 2012 के अपहरण आदि के प्रकरण 7910 थे जो कुछ संबंधित श्रेणी के अपराधों को 22.2 प्रतिशत थे जबकि सर्वाधिक 25.3 प्रतिशत अपराध दिल्ली में घटित हुए थे, जो राष्ट्रीय स्तर की 6.5 औसत से बहुत अधिक थे।

दहेज हत्या के मामले 8233 दर्ज किए गए जो कुछ महिला जन्य अपराधों के 1.4 प्रतिशत थे। इस श्रेणीके अपराध गत वर्ष की तुलना में 4.5 प्रतिशत दर्ज कराये गये थे। इनमें से उत्तर प्रदेश में 2244 व बिहार से 1275 प्रकरण घटित हुए थे। इस श्रेणी के अपराधों की राष्ट्रीय दर 1.4 की तुलना में अपराध दर 2.7 रही जो वर्ष की सर्वाधिक थी। पति व उसके परिवारजनों द्वारा क्रूरतापूर्वक सताए जाने के 106527 प्रकरण वर्ष 2012 में घटित हुए जो अपराध दर के 18.2 प्रतिशत थे। गत वर्ष की तुलना में इस श्रेणी के अपराधों में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इनमें से पश्चिमी बंगाल में 19865 प्रकरण घटित हुए जो कुल वार्षिक अपराधों के 18.7 प्रतिशत थे। आंध्रप्रदेश में 13389 या 12.6 प्रतिशत तथा राजस्थान में 13312 या 12. 5 प्रतिशत प्रकरण इस श्रेणी के अन्तर्गत वर्ष में घटित हुए थें

महिला के प्रति पति व परिवार जनों द्वारा गंभीर क्रूरता की अपराध दर सर्वाधिक 47.8 त्रिपुरा में पाई गई जो राष्ट्रीय औसत 18.2 की तुलना में बहुत अधिक थी। महिला की अस्मिता भंग करने के क्रूर कृत्यों की संख्या वर्ष 2012 में 45351 पायी गई जो इस श्रेणी की अपराध दर 7.7 दर्शाती है। इस श्रेणी के अपराधों में गत वर्ष की तुलना में 5.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। इस श्रेणी के सर्वाधिक 6655 अपराध मध्यप्रदेश में घटित हुए जो ऐसे कुल अपराधों के 14.7 प्रतिशत थे। राष्ट्रीय अपराध दर 7.7 की तुलना में केरल में अपराध दर सर्वाधिक 20.9 पाई गई।

महिला की अस्मिता को बदनाम करने के 9173 प्रकरण वर्ष 2012 में दर्ज किए गए जो अपराध दर के 1.6 प्रतिशत थे। इस श्रेणी के अपराधों में गत वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस श्रेणी के अपराध आंध्र प्रदेश में 3714 या 40.5 प्रतिशत थे तथा महाराष्ट में 1294 या 14.1 प्रतिशत थे। इस श्रेणी के राष्ट्रीय आपराध दर 1.6 की तुलना में आंध्र प्रदेश 8.7 अपराध दर पायी गई जो इस श्रेणी में सर्वाधिक थी। विदेशी महिला के दुराचारी गतिविधियों हेतु भारत लाने के कुल 56 मामलों में कर्नाटक में 32 व पश्चिमी बंगाल में 12 प्रकरण दर्ज किए गए जो इस श्रेणी के अपराधों का 74.6 प्रतिशत थे। ये सभी प्रकरण पुरूष वर्ग की बर्बरता पूर्ण कार्यवाहियों को दर्शाते हैं।

वेश्यावृति के 2563 प्रकरण वर्ष 2012 में दर्ज किए गए जो गत वर्ष की तुलना में 5.2 प्रतिशत बढत्रे। इनमें से 500 प्रकरण तमिलनाडू व 472 प्रकरण आंध्रदेश में पकड़े गए जो इस श्रेणी के कुल अपराधों के क्रमशः 19.5 व 18.4 प्रतिशत थे। इस श्रेणी के अपराध दर 0.2 की तुलना में सर्वाधिक 4.6 गोवा में पाई गई। महिलाओं की गन्दी तस्वीर तैयार करने के 141 प्रकरणों में से 44 प्रतिशत प्रकरण राजस्थान में पाए गए। इस वर्ष दहेज के लिए विवाहित महिला पर कूरतापूर्ण अपराध के 9038 मामले में से आंध्रप्रदेश 2511 व उडीसा में 1487 प्रकरण दर्ज किए गए जो इसी श्रेणी के कुल अपराधों का 27.8 व 16.5 प्रतिशत है। गत वर्ष की तुलना में इस प्रकार के अपराध 36.5 प्रतिशत बढ़े।

महिलाओं के विरूद्ध वर्ष 2012 में दर्ज कुल 244270 अपराधों में से मेट्रोपोलिसन शहरों में 36622 अपराध दर्ज किए गए जो कुल अपराधों के 15 प्रतिशत है जबकि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 शहर हैं। इन शहरों में से दिल्ली में 5194 या 14.2 प्रतिशत, बंगलौर में 2263 या 6.2 प्रतिशत, कोलकाता में 2073 या 5.7 प्रतिशत है, हैदराबाद में 1899 या 5.2 प्रतिशत और विजयवाडा में 1898 अथवा 5.2 प्रतिशत प्रकरण दर्ज किए गए। अपराध दर विजयवाडा, कोटा, जयपुर में इन्दौर में क्रमशः 256.4, 130.2, 106.3 98.1 व 88.8 थी जबकि बड़े शहरों की औसत अपराध दर 47.8 थी। देहली में घटित महिला जन्य अपराधों में 19.3 प्रतिशत बलात्कार, 23.1 प्रतिशत अपराध व जबरन ले जाने, 14.6 प्रतिशत दहेज हत्या तथा 109 प्रतिशत महिला की अस्मिता बिगाड़ने के प्रकरण पाये गये।

विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत अपराधों की श्रेणी के महानगरों के 1170 अपराधों में से चेन्नई, बेंगलौर, हैदराबाद न मुम्बई में 16.5 प्रतिशत अपराध घटित हुए। इसी प्रकार वेश्यावृत्ति के 639 अपराधों में से 10 प्रतिशत मामले देहली में दर्ज किए गए। इसी प्रकार महिला की अस्मिता विकृत करने के 50 प्रतिशत मामले जयपुर व जोधपुर में दर्ज किए गए। दहेज अत्याचार के 63.2 प्रतिशत प्रकरण बेगलौर शहर में दर्ज किये गए। देश में शहरी जनसंख्या 31.16 प्रतिशत है जबतकि 53 महानगरों में ही अपराधों की संख्या 15 प्रतिशत है। सामान्यतया ग्रामीण

क्षेत्रों की तुलना में शहरी श्रेणी में महिलाओं के प्रति सभी श्रेणियों के अपराध अधिक पाए गए हैं।[21]

5.4 राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराधों की स्थिति

राजस्थान राज्य में विपरीत भौगोलिक व पर्यावरण व स्थितियों, जल की कमी, अकाल की निरन्तर समस्या आदि के उपरान्त भी महिला जन्य अपराधों की दिशा में तेजी से वृद्धि हो रही है। क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जो देश के 10.41 क्षेत्र पर आच्छादित है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में देश की 5.67 प्रतिशत जनता निवास करती है परन्तु जल संसाधन की दृष्टि से देश का कुल एक प्रतिशत से भी कम जल राज्य में उपलब्ध है। इसकी विपरीत स्थितियों के साथ राज्य में मैदानी क्षेत्रों में गर्मी व सर्दी का तापमान सर्वाधिक रहता है जो शून्य से भी नीचे गिर जाता है और गर्मी में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व देश के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा स्त्री पुरूष अनुपात की दृष्टि से देश में प्रति 1000 पुरूष 940 महिलाओं की तुलना में राजस्थान में 926 महिलाऐं हैं।[22]

राजस्थान में वर्ष 2013 में विगत वर्ष की तुलना में अपराध दर में 14.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य में कुल पंजीबद्व अपराध 1,96,224 दर्ज किए गए, जिनमें 3285 बलात्कार व 1573 हत्या के मामले दर्ज किए गए जो विगत वर्ष 2012 की तुलना में 14.79 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में महिलाओं के विरुद्ध 29150 मामले दर्ज किए गए जो वर्ष 2012 के 21975 अपराधों से 32.65 प्रतिशत बढ़ हैं। यह आंकड़े राजस्थान विधानसभा में 11 जुलाई 2014 को राजस्थान पुलिस विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन पर आधारित है। दहेज के कारण हत्या के मामले 453 रहे जो वर्ष 2012 के 478 अपराधों की तुलना में 5.52 प्रतिशत घटे है।

राज्य में 2013 की अवधि में 1573 हत्या के मामले, 59 डैकती के मामले अपहरण के 3285 मामले बलात्कार के, 28928 मामले चोरी के, 1065 मामले लूटमार के, 1662 मामले हत्या के प्रयास के, 542 मामले आपसी झगड़े व अन्य हिंसा के

तथा 14341 मामले विविध श्रेणी के दर्ज किये गए। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 29100 प्रकरणों में से 98.00 प्रतिशत में न्यायालय चल रहे है या चार्जशीट दाखिल की गई। जबकि विचाराधीन मामले 9.41 प्रतिशत थे। कुल आपराधिक महिला प्रकरणों में से 44.73 प्रतिशत झूंठे पाए गए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अपराधों के 8116 मामले दर्ज हुए जो गत वर्ष से 4.13 प्रतिशत अधिक हैं।

अनुसूचित जाति व जनजाति के विरूद्ध अपराधों में से 97 हत्या, 83 मामले गंभीर चोटें, 377 प्रकरण बलात्कार और 7392 विविध प्रकरण थे। इसी प्रकार आर्म लाइसेंस के 5304 दर्ज मामले में 5431 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 308 राइफलें, 689 रिवाल्वर तथा 2265 कारतूस बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त तेजधार के हथियार भी बरामद किए गए। मानव अधिकार आयोग से प्राप्त प्रकरणों में से राज्य भर में 271 मामलों को सुलह कराकर समाप्त कर दिए गए है।[23]

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में राजस्थान तीन अधिकतम अपराध कर्ता राज्यों में सम्मिलित है इसके अन्तर्गत राज्य की 40 महिलाओं से अधिक प्रतिदिन घरेलू हिंसा के मामले दर्ज कराती है तथा प्रत्येक 24 घंटे में लगभग दस मामले बलात्कार के दर्ज कराए जाते हैं तथा 48 घंटे में औसतन तीन महिलाओं की दहेज हत्या की जाती है। राजस्थान उन तीन राज्यों में सम्मिलित है जहां देश में महिलाओं के विरूद्ध सर्वाधिक मामले दर्ज कराए जाते हैं जिनमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अपहरण, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसे अपराध किए जाते हैं। नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम जानकारी के अनुसार बलात्कार जैसी घटनाऐं बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और निर्भीक रूप से की जाती है। इस श्रेणी के अपराधों में राजस्थान का स्थान देश में मध्यप्रदेश के बाद आता है। इसके अनुसार

लड़कियों व महिलाओं के विरूद्ध समाज का पुरूष वर्ग बिना किसी डर–भय के गंभीर अपराध करने में प्रवृत है।

वर्ष 2013 में महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों में अधिकतम अपराध की दृष्टि से राजस्थान दूसरा स्थान रहा। इस वर्ष मध्यप्रदेश में सर्वाधिक 4335 मामले व राजस्थान में 3285 मामले दर्ज किए गए। लड़कियों व महिलाओं के अपहरण में उत्तरप्रदेश व असम के पश्चात् राजस्थान का तीसरा स्थान रहा। इसी प्रकार दहेज हत्या के मामले में राजस्थान का देश के राज्यों में चौथा स्थान रहा जहां उत्तर प्रदेश में 2335 दहेज हत्या के मामले बिहार में 1182 मामले मध्यप्रदेश में 776 मामले व राजस्थान में 453 दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए। घरेलू हिंसा में राजस्थान का स्थान दूसरा रहा जहां पश्चिमी बंगाल में 18116 मामले दर्ज किए गए वहीं राजस्थान में 15094 मामले रजिस्टर में दर्ज किए गए। राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की निरन्तर व तेजी से वृद्धि एक गंभीर चिन्ता का विषय है।

इस विषय में राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मत है कि राज्य में महिला जन्य अपराधों की तुरन्त शिकायत दर्ज करने से अपराधों की संख्या बढ़ी हुई प्रतीत होती है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सभी पुलिस स्टेशनों को तुरन्त अपराध दर्ज करने के निर्देश प्रदान किए हैं। पूर्व में ऐसे पुलिस स्टेशन पर प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व प्रारंभिक जांच में शिकायत की सत्यता की जांच करने के उपरान्त ही अपराध दर्ज किए जाते थे। अब पूर्व प्रणाली में शिथिलता करके शिकायतकर्ता के पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत करते ही ऐसे अपराधों की प्राथमिकी दर्ज कर ली जाती है। इस व्यवस्था से बहुत सी गलत व द्वेषपूर्ण भावना से रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाती है।

जयपुर शहर में बलात्कार की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है जहां वर्ष 2013 में 192 बलात्कार की शिकायतें दर्ज कराई गई। महानगरों में दिल्ली व मुम्बई के पश्चात् जयपुर शहर का तीसरा स्थान है जहां दिल्ली में 1441 बलात्कार के

प्रकरण दर्ज हुए और मुम्बई में 391 मामलों की शिकायत दर्ज कराई गई। इस प्रकार महिलाओं के विरूद्ध निरन्तर बढ़ते अपराध चिन्ता के विषय हैं क्योंकि महिलाऐं उसी समाज का अभिन्न अंग हैं जहां पुरुषवर्ग स्थापित है। इस दृष्टि से घर, पडौसी, रिश्तेदार, मित्र व कार्यालय, परिवहन साधन सभी स्थल ऐसे अपराधों से अछूते नहीं रहे है। इस दृष्टि से महिला का जीवन बहुत ही संकट ग्रस्त स्थिति की और बढ़ रहा है।

राज्य सरकार तथा भारत सरकार पुलिस प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है और वाहन, नवीनतम अस्त्र, बायरलेस व संचार तंत्र को विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 की अवधि में राजस्थान के 150.52 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए गए जिसमें केन्द्रीय गैर योजना प्रावधान 31.65 करोड़ रूपये, राज्य गैर योजना प्रावधान 22.10 करोड़ रूपये, केन्द्रीय योजना राशि 58.06 करोड़ रूपये तथा राज्य सरकार का अंशदान 38.71 करोड़ रूपये था। अतः अपराधों की वृद्धि के साथ पुलिस तंत्र को सुदृढ़ बनाने की कार्यवाही निरन्तर जारी है। अपराधों की संख्या में वृद्धि को बेरोजगारी, सुरक्षा तंत्र की कमियां और अपराधी तत्वों की निर्भीकता इसके बड़े कारण हैं।[24]

5.5 राजस्थान में कुल अपराधों की तुलनात्मक स्थिति

राजस्थान में बढ़ते अपराधों की तुलनात्मक स्थिति का नवीनतम आंकलन करने की दृष्टि से वर्ष 2014 में जनवरी से अप्रैल तक चार महिनों में तुलनात्मक आंकलन के लिए वर्ष 2012 व 2013 में कुल अपराधों की स्थिति वर्ष के कुल अपराधों की दृष्टि से एक तिहाई अवधि होती है और वर्ष 2012 व 2013 के चार महिनों वर्ष के कुल अपराधों की तुलना में क्रमशः 32.4 तथा 30.9 प्रतिशत अपराध दर्ज किये गये थे। इस तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य नवीनतम स्थिति का विभिन्न श्रेणी के अपराधों का आंकलन करना है।

सारिणी 5.4

वर्षवार कुल अपराधों की तुलनात्मक स्थिति जनवरी–अप्रैल

अपराध शीर्षक	2012 कुल		2013		2014	
	दर्ज अपराध	कुल से प्रतिशत	दर्ज अपराध	कुल प्रतिशत	वर्ग अपराध	कुल प्रतिशत
1. हत्या	424	0.77	446	074	451	0.68
2. हत्या का प्रयास	470	0.86	475	0.78	534	0.81
3. डकैती	7	0.01	15	0.02	14	0.02
4. लूट	213	0.39	307	0.51	456	0.69
5. अपहरण	1075	1.96	1507	2.49	1847	2.81
6. बलात्कार	607	1.11	1021	1.69	1195	1.81
7. बलवा	200	0.37	158	0.26	184	0.28
8. नकबजनी	1563	2.85	1805	2.98	2139	3.25
9. चोरी	7128	13.01	8522	14.07	9863	14.98
10.आप अपराध	43096	78.67	46311	76.46	49166	74.67
योग	**54783**	**100.00**	**60567**	**100**	**65849**	**100.00**

स्त्रोत : आइम्स ऑफ इण्डिया 2 जुलाई 2014 रिपोर्ट

तुलनात्मक दृष्टि से जनवरी–अप्रेल की चार वर्ष की अवधि में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधों में 2012 से 2013 सै 2014 की इसी अवधि में अपराधों की संख्या में 8.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स्थिति अपराधों में तेजी से बढ़ने की स्थिति दर्शाती है। इसमें चोरी, नकबजनी, बलात्कार, व्यापतरण, अपहरण अपराधों में वृद्धिपरक झुकाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ये अपराध तीनों बर्षों की चार माह की अवधि है जो लगभग वर्ष के एक तिहाई लेने के समीप है जैसा कि वार्षिक अपराधों की संख्या से परिलक्षित होता है। कुल ये निरन्तर वृद्धि होना अच्छा संकेत नहीं है परन्तु सामान्यतया हमें विकास की पुर्वत्ति के साथ जोड़कर देखा

जाता है। अपराधों में वृद्धि सपाज की पाशविकता व दुराचारी प्रवृति के साथ भौतिक वाद के बढ़ते प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है।

पुलिस विभाग का यह स्पष्टीकरण कि अपराधों की संख्या में वृद्धि का एक प्रमुख कारण अपराध को तुरन्त दर्ज करने के निर्देश है तथा जिस व्यक्ति को कोई शिकायत होती है वह पुलिस स्टेशन पर आकर अपनी पीड़ा दर्शाता है और शिकायत दर्ज करने के अनुरोध के तुरन्त स्वीकार कर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। इसमें कई बार दुर्भावना कारण भी झूंठी शिकायत दर्ज की गयी है, जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को परेशान करना होता है। आज भी जनसामान्य में यह भावना व भय व्याप्त है कि पुलिस के आने व किसी मामलों में पूंछताछ करने से व्यक्ति भयभीत या अपमानित महसूस करता है। आस–पास के वातारण में उसकी छवि धूमिल होती है। इस दृष्टि से पुलिस की छवि में सुधार होना व उसके निर्देश मिलना एक अच्छी शुरूआत है।[25]

5.6 राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की तुलनात्मक स्थितिः

महिलाओं के विविध श्रेणी के उत्पीड़न के मामले भी समाज व परिवार के पुरूष प्रधान व्यवस्था के कारण बढ़ते हैं इनमें कई बार घर व समाज की महिलाएं भी सक्रिय योगदान करती है। महिलाओं के विरूद्ध सामान्य से क्रूरतम अपराध तक किए जाते हैं, जिसे विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सभी महिला अपराध भारतीय दण्ड संहिता व विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत रोकथाम की व्यवस्था की गई है और सही साबित होने पर सजा का प्रावधान है जो प्रत्येक श्रेणी के अपराधों के लिए पृथक–पृथक निर्धारित किए गए हैं। महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों के लिए प्राथमिकी तुरन्त दर्ज कर छानबीन करने से इनकी सत्यता का भी पता लगता है।

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में तीन वर्ष के अप्रैल तक चार माह की तुलनात्मक स्थिति दर्शाती है कि यह वर्ष में हुए अपराधें की एक स्थितिपरक जानकारी है। और नवीनतम अवधि तक करने की दृष्टि से जनवरी से

अप्रेल तक चार माह का समय लिया गया है जिससे वर्ष 2014 की जानकारी भी सम्मिलित कर ली जावे। इसमें केवल भारतीय दण्डसंहिता के अन्तर्गत घटित अपराधों की सूचना ही दर्शायी गई है जो सारिणी 5.5 में अंकित है।

सारिणी 5.5

राजस्थान में महिला अत्याचार की जनवरी अप्रेल की तुलनात्मक स्थिति 2012–14

क्र. सं.	शीर्षक	वर्ष 2012		वर्ष 2013		वर्ष 2014	
		अपराध दर्ज	कुल से प्रतिशत	अपराध दर्ज	कुल से प्रतिशत	अपराध दर्ज	कुल से प्रतिशत
1.	दहेज मृत्यु	137	1.95	129	1.45	127	1.26
2.	दहेज आत्म हत्या का दुष्प्रेरणा	38	0.54	54	0.61	48	0.47
3.	महिला उत्पीड़न	4267	60.91	4533	50.90	4745	46.86
4.	बलात्कार	607	8.67	1021	11.46	1195	11.80
5.	छेड़छाड़	752	10.74	1417	15.91	2081	20.55
6.	व्यपहरण अंतहरण	895	12.78	1298	14.58	1459	14.41
7.	अन्य	309	4.41	453	5.09	471	4.65
	योग	**7005**	**100.00**	**8905**	**100.00**	**10126**	**100.00**

महिलाओं के प्रति अत्याचार संबंधी प्रकरण वर्ष 2012 में 21975 व 2013 से 29150 दर्शाए गए, जिनमें से वर्ष 2012 में जनवरी–अप्रेल की चार माह की अवधि के अपराध क्रमशः 31.88 प्रतिशत व 30.55 प्रतिशत है, जो लगभग एक तिहाई अपराध के करीब हैं। सारिणी में अंकित चार महिनों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 2012 से 2013 में 27.12 प्रतिशत तथा 2013 से 2014 में 13.71 प्रतिशत अपराध बढ़े है। श्रेणीवार अपराधों में बलात्कार के मामलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई तथा छेड़छाड़ के मामले भी इसी गति से निरन्तर बढ़े। लड़कियों व महिलाओं के अपहरण व व्यपहरण के माले भी तीव्र गति से बढ़े। संख्या की दृष्टि से महिला

उत्पीड़न के मामले रहे जो कुल अपराधों में 60.91 से 46.86 प्रतिशत तक रहे परन्तु संख्या में निरन्तर बढ़ रहे है।

सारिणी में वर्णित सभी मामले भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्शाए गए हैं जो अत्यन्त गंभीर व पाशविकता पूर्व स्थिति के कारण घटित हुए चाहे वे परिवार की चार दीवारी में घटित हुए या अन्य स्थानों पर सम्पादित किए गए। लड़कियों व महिलाओं के बारे में यह स्थिति सामान्य है कि वे घरेलू हिंसा के मामले अपनी सहनशक्ति तक बरदाश्त करती है परन्तु स्थिति अत्यन्त कलेशकारी होने पर ही अपने को बताती है। बलात्कार व छेड़छाड़ के मामले प्रायः बाहरी परिप्रेक्ष्य में घटित होते हैं और अधिकांश स्थितियों में जानकार व्यक्तियों द्वारा ही किए जाते हैं। अपहरण व व्यपहरण के मामले दोनों स्थितियों से संबंधित है जिसमें परिचित व परिचित व अपरिचित दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं।

घरेलू हिंसा व अत्याचार के मामले मुख्यरूप से विवाह के पश्चात् आरंभ होते हैं। जब पति के परिवार जन दहेज को लेकर विवाहिता को ताने व उलाहना देना आरंभ कर देते हैं। इसमें यदि लड़की के माता–पिता सम्पन्न होते हैं और उसका पति बेरोजगार होता है अथवा कुछ सुविधाऐं जैसे मोटर साइकिल आदि लाने के लिए महिला के घर वालों पर दबाव डालता है तो समस्या विकराल रूप लेने लगती है। कई स्थितियों से उसका पति का परिवारजन एक के बाद करने लगते दूसरी मांग हैं। परिवार में विवाहिता का जीवन विघटित होने लगता है। अवसाद के वातारण में उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है और काम में गलतियाँ होने लगती हैं। इस स्थिति में पति या परिवारजन मारपीट व उत्पीड़ित करते हैं। कई मामलों में विवाहिता के एक या अधिक लड़कियां होने से परिवार ताने मारता है और उत्पीड़न करता है।

कई स्थिति में लड़की का पैत्रक परिवार इतना संपन्न नहीं होता कि उससे पति या सास–ससुर की विभिन्न मांगें पूरी कर सके। विवाहिता इसमें अपनी मजबूरी बता कर दहेज के सामान लाने से मना करती है। और परिवार जन उसे शारीरिक

व मानसिक उत्पीड़न करते हैं। दहेज हत्या या हत्या के प्रयास दोनों ही ऐसे कृत्यों की चरम स्थितियां है जहां विवाहिता पति के घर को छोड़ने के लिए व तैयार हो जाती है। या मार डाली जाती है। इन दोनों स्थितियों में पुलिस केस बनाकर न्यायिक प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। पति व पत्नी के बीच मनमुटाव व अत्याचार आदि प्रारंभिक स्तर पर समाधान से रूक जाते हैं और कई बार कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर स्थिति संभाल ली जाती है।

छेड़छाड़ अपहरण व बलात्कार की घटनाऐं अधिकांशतया बाहरी परिवेश में घटित होती है। छेड़छाड़ के मामले विद्यालय का कॉलेज जाते समय,घर जाते समय या अन्य कार्यवश जाते समय किए जाते हैं, जिससे परिचित व अपरिचित दोनों श्रेणियों के लोग होते हैं। इसमें लड़कियां महिला स्थिति को एक सीमा तक सहन करती है परन्तु अपने परिवार जनों या साथी लड़कियों को बताती है। कुछ स्थिति में सुधार हो जाता है जबकि अन्य स्थितियों में तेजाब डालकर चेहरा विकृत करने जेसे कृत्य किए जाते हैं। इन स्थितियों में समाज की प्रतिक्रिया लड़कियां महिला के चरित्र को लेकर उठाये जाते और कई सारणियों में दोषियों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।

अपहरण व व्यपहरण के प्रकरण भी जानकार या अनजान व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, जिनका प्रथक–प्रथक उदेश्य होता है। कई मामलों में परिचित या रिश्तेदार लड़की या महिला के किसी रिश्तेदार से मिलने, धार्मिक यात्रा या धूमने के लिए साथ बढ़ा जाते हैं। इसके पश्चात् उसके परिजनों को टेलीफोन आदि से पैसे मांगने या मारने की धमकी देते हैं। कुछ स्थितियों में विवाह का झांसा देकर ले जाते हैं और कुछ समय बाद उसे छोड़कर गायब भी हो जाते हैं। कुछ स्थितियों में पैदल या साइकिल से चलते हुए लड़की या महिला का अपहरण कर लिया जाता है और अनेक प्रकार की प्रताड़ना व यातनाएं दी जाती हैं। अपहरण से छूटकर स्वयं या पुलिस के माध्यम से लाने पर लड़की या महिला की छवि खराब हो जाती है।

बलात्कार के प्रकरण परिचित व अपरिचित दोनों प्रकार के पुरूषों द्वारा किए जाते हैं इसमें रिश्तेदार द्वारा परिचित या पडौसी द्वारा बलात्कार किया जाना एक प्रकार का विश्वासघात है और अनजान व्यक्तियों द्वारा ऐसे कृत्य और भी यातना पूर्ण होता है इसमें सामूहिक बलात्कार की स्थिति भी बन जाती है यहां एक से अधिक व्यक्ति इस कृत्य में सम्मिलित हो जाते हैं। इस श्रेणी के सभी अपराध लड़की या महिला की छवि बिगाड़ देते हैं जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी आघात लगता है और लड़की सामान्य जीवन नहीं जी पाती। कई स्थितियों में ऐसी लड़की को दूसरे स्थान पर अध्ययन या सेवा के लिए भेज दिया जाता है।

छेड़छाड़, अपहरण व बलात्कार जैसी घटनाऐं घटित होने पर ही प्रकाश में आती है जिन पर कोई बदलाव लाना संभव नहीं होगा परन्तु बाद में पुलिस केस के दौरान लड़की या महिला को बहुत शर्मनाक स्थिति से गुजरना पड़ता है जहां वकील ऐसे प्रश्न पूंछते है जो महिला को अपमानित व लज्जित करने के कारण बनते हैं। इन सभी स्थितियों की शिकार लड़कियों व महिलाएं बहुत कम स्थितियों में अपने को संभला पाती है और नियमित जीवन आरंभ करने में भी समस्या उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी समस्या स्वयं की निगाह में गिर जाना होता है जहां दृश्य आंखों से ओझल नहीं हो पाते। कई मामलों में सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धन राशि प्रदान की जाती है। परन्तु वह भी उसमें बहुत सहायक नहीं बन पाती।

5.7 महिलाओं पर अत्याचार व राजस्थान महिला आयोगः

राजस्थान महिला आयोग का गठन महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने व परिवारों को विघटन से बचाने के उदेश्य से किया गया है। आयोग जन सुनवाई परिवार परामर्श केन्द्र व व्यक्तिगत सुनवाई द्वारा बहुत से मामलों को हल करने का प्रयत्न करता है। इसमें मुख्य कार्य परिवारों की विघटना से रोकना है। सामान्यतया ये सुधारात्मक प्रधान है। जिनमें प्रारंभिक स्तर पर रोकना परिवार को पुनः जोड़ने की दृष्टि से सार्थक प्रयास है। महिलाओं पर हुए अत्याचारों के मामले

भारतीय आपराधिक संहिता के अन्तर्गत न्यायालय में चलते हैं क्योंकि प्रत्येक श्रेणी के अपराध में अपराधकर्ता को सजा का प्रावधान और आरोप साबित हो जाने पर सजा भी सुनाई जाती हैं ।

राजस्थान महिला आयोग के सिविल न्यायालय वाले अधिकार प्राप्त होने के कारण शिकायतों में अपराधकर्ताओं को सम्मन द्वारा बुलाने के अधिकार प्राप्त है। इस माध्यम से अपराधकर्ताओं को अपनी कार्यवाहियों में सुधार करने व भविष्य में अच्छा व्यवहार करने के आश्वासन पर घर भेज दिया जाता है। अपराध कर्ताओं को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी व उनके कृत्यों के लिए विभिन्न श्रेणी के अपराधों के सजा के प्रावधानों से अवगत कराकर सुधारात्मक कदम उठाने व व्यवहार में परिवर्तन लाने, परिवार में स्वस्थ वातावरण बनाने व भविष्य में ऐसी गलतियां पुनः न दोहराने की चेतावनी देकर भेज दिया जाता है। इसमें कई मामलों में परिवार के विघटन को रोकने में सहायता मिलती है।

जन सुनवाई, जागरूकता शिविर, परिवार परामर्श केन्द्र तथा व्यक्तिगत सुनवाई जैसे कार्यों से जनचेतना जाग्रत करने व प्रारंभिक स्तर पर परिवार के मामले सुलझाने के प्रयास सार्थक प्रयास है। इन माध्यमों से प्रायः सुधारात्मक कदम उठाये जाते हैं जब परिवार की स्थितियों को विघटन से रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त जागरूकता के प्रयासों से महिलाओं में अधिकारों जानकारी प्राप्त होती है। आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के लिए जिला स्तर के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च स्तर तक न्याय व्यवस्था स्थापित है और अपराधों में सजा दिलाने का कार्य इसी प्रणाली द्वारा किया जाता है। महिला आयोग के सदस्य व अध्यक्ष गंभीर महिला अपराधों पर पीडित परिवार के पास जाकर संवेदना व्यक्त करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया तेजी से आरंभ करने की व्यवस्था करते हैं।

महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों में शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था महिला आयोग तत्परता से करता है, जिसमें प्रारंभिक स्तर के पारिवारिक मामले अधिक आते हैं जिनके सार्थक प्रयासों से कई परिवार विघटन से बच जाते हैं। इस

व्यवस्था द्वारा न्यायालयों को भी राहत मिलती है क्योंकि सुधार करना भी समस्या रोकने का कारगर तरीका है। यह भी निश्चित है कि राजस्थान में सभी प्रकार के महिला जन अपराधों में तेजी आई है, जो संख्या व क्रूरता में निरन्तर बढ़े हैं। यह अत्यन्त चिन्ताजनक स्थिति है जहां राजस्थान महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में दूसरी से पांचवी स्थिति तक पहुंचाया गया है। इसे समस्या की गंभीरता माना जाता है।

पुलिस का यह मत है कि पुलिस स्टेशन पर पहुंचते ही अपराध दर्ज करने के निर्देशों के कारण महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध बढ़े हैं परन्तु यह भी सत्य है कि जागरूकता के अभाव में बहुत श्रेणियों के अपराधों को महिलायें चुपचाप सहन करती हैं क्योंकि उन्हें ऐसे मामलों की गंभीरता व सजा की जानकारी नहीं होती। अपराधों के साथ–साथ उनकी गंभीरता व तीव्रता भी बढ़ रही है। बलात्कार के मामलों में लोग पीड़ित लड़कियां महिला की हत्या कर देते हैं जिससे सबूत ही नहीं रहे। इसके साथ–साथ जातीय पंचायतों की भूमिका अत्यन्त विवादास्पद बन रही है जो अपराध न दर्ज करने के निर्देश तक देते हैं और अपराधियों को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं।

ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार पुलिस में अपराध दर्ज नहीं करा सकता क्योंकि ऐसा करने पर कुल परिवार को समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। पुलिस व न्यायालय शिकायत आने पर ही उनकी प्रक्रिया आरंभ करते हैं। जिन मामलों में अपराध दर्ज नहीं किए जाते या दर्ज करने से रोका जाता है उन प्रकरणों पर पुलिस व न्यायालय कार्यवाही नहीं करते। राज्य सरकार का राजनीतिक वर्ग वोट बैंक घटने से ऐसी जातीय पंचायतों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करता यह अच्छी स्थितियों का संकेत नहीं देता। यदि सरकार अपराध की सूचना समाचार पत्रों से मिलने के पश्चात् भी किसी पक्ष द्वारा भय दिखाकर न्याय के लिए नहीं जाने देती तो यह स्थिति व्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं है।

कई मामलों में न्यायालय मामले दर्ज कराने की शुरूआत करते हैं, जो प्रसंधान के माध्यम से संभव है परन्तु इस स्थितियों से गवाह को नहीं आने देते, पीड़ित परिवार को धमकियां देना और पीड़ित लड़की महिला के लिए सहानुभूति व्यक्त करना कैसे कार्य छोड़कर उनका मजाक उड़ाना जैसी निकृष्ट कार्यवाहियां की जाती है। इन सभी स्थितियों के पीड़ित महिला या लड़की के राहत प्रदान की जानी आवश्यक है। कानूनों का पालन कराने और महिलाओं के अधिकारों के हनन कर संबंधित व्यक्ति के आर्थिक सहायता प्रदान करना ही जनता के भयमुक्त वातावरण प्रदान कर सकता है और महिलाएं अपने को सुरक्षित अनुभव कर सकेंगी।

संदर्भ सूची

1. लवानियां एम.एम. (2007) भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र 166–173
2. राज्य महिला आयोग अधिनियम धारा 3
3. राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 11
4. राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्राप्ति प्रतिवेदन 2010–2011 पृ. 4
5. राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 10
6. राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 12
7. राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11–पृ.5
8. राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 पृ.5
9. राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 पृ.7
10. राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 पृ.7
11. राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 पृ.7
12. राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 पृ.8–9
13. राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 पृ.10
14. राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 पृ.10–11
15. राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 पृ.11
16. राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 पृ.12–17
17. राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 पृ.13–14
18. भारत सरकार (2012) नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट 2012

19. भारत सरकार (2012) नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट 2012

20. भारत सरकार (2012) नेश्नल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो।

21. भारत सरकार (2012) नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट

22. भारत सरकार (2011) भारत की जनगणना 2011

23. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की 13 जुलाई 2014

24. टाइम्स ऑफ इण्डिया का जुलाई दो, 2014

25. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की विज्ञप्ति 13 जुलाई 2014 व टाइम्स ऑफ इण्डिया 2.7.2014

26. राजस्थान महिला आयोग प्राप्ति प्रतिवेदन 2010—11

❖❖❖

षष्टम–अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

मानवाधिकार की को राज्य संस्था की उत्पत्ति से माना जाता है क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता मानव के सुरक्षित रहकर सर्वागीण विकास करने की है, जिसकी संभावना शान्ति व सुरक्षा के वातावरण में ही संभव है। इसमें अधिकार कुछ करने या रखने की स्वतंत्रता में निहित है। विश्व स्तर पर मानवाधिकार की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्व के पश्चात् अनुभव की गई क्योंकि इस युद्व में बड़ी संख्या में मनुष्यों को निर्ममता पूर्वक समाप्त किया गया था। कैदियों व तक को गंभीर यातनाएं दी गई थी तथा जापान के हिरोशिमा व नागासाकी द्वीपों पर अणु बम गिराए गए थे, जहां बहुत समय तक विकृत मानव शिशु उत्पन्न होते थे।

संयुक्त राष्ट्र संघ में दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार का चार्टर महा सभा में घोषित किया गया। भारत भी स्वतंत्रता के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया और भारत की संविधान सभा ने मूल अधिकारों के रूप में ऐसे अधिकार देश के नागरिकों को प्रदान किए। है समय–समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न मानवाधिकर जोड़ते हुए और भारत द्वारा सदस्य देश के रूप में इन पर हस्ताक्षर करने से ये भी देश में लागू किये गए। इन मानवाधिकारों में जीवन का अधिकार, यातना के विरूद्व अधिकार, दासता के विरूद्व अधिकार, स्वतंत्रता व सुरक्षा का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, विचार अन्तरात्मा व धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक अधिकारों की श्रेणी में वर्गीकृत किये गए हैं।

राजनीतिक श्रेणी के मानवाधिकारों में अपनी राय बनाने का अधिकार शान्तिपूर्वक समूह बनाने का अधिकार, समान विचारधारा के लोगों द्वारा समूह या संगठन बनाने का अधिकार, मतदान, निर्वाचित होने व लोक सेवा में चुने जाने के अधिकार सम्मिलित हैं। आर्थिक अधिकारों के अन्तर्गत किसी व्यवसाय को चलाने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार,न्यायपूर्ण कार्य का अधिकार तथा श्रमिक

संगठन बनाने के अधिकार रखे गए हैं। सामाजिक अधिकारों में सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमे का अधिकार, उचित जीवन स्तर अधिकार शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार निहित हैं। सांस्कृतिक अधिकारो में सांस्कृतिक गतिविधियो में भाग लेने का अधिकार, वैज्ञानिक प्रगति का लाभ उठाने का अधिकार व साहित्यिक रचना के अधिकार प्रदत्त हैं।

समय–समय पर आवश्यकतानुसार कई मानवाधिकार जोडे या स्पष्ट किए गए जिनमें महिलाओं के अधिकार, विकास का अधिकार तथा पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार विशेष महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ–साथ क्षतिपूर्ति का अधिकार के साथ प्राकृतिक आपदाओं में हुई जन व धनहानि की क्षति पूर्ति भी सम्मिलित की गई। सूचना का अधिकार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है,जिसके अन्तर्गत सरकार व सरकार द्वारा पोषित संगठनो में सूचना प्राप्त करने का अधिकार जोड़ा गया। रोजगार प्राप्त करने व भूख तथा कुपोषण की समाप्ति का अधिकार विभिन्न स्वरूपों के अन्तर्गत जोड़ा गया। वर्तमान युग में मानवाधिकार सभ्य समाज की आधारशिला है। मानवाधिकारों की रक्षा व प्रवर्तन आवश्यक है, जिससे मानव मात्र की गरिमा को बनाए रखा जा सके।

मानवाधिकार एक जटिल अवधारणा है तथा इसकी अवधारणा के विशिष्ट लक्षण हैं। इन सभी श्रेणियों के मानवाधिकारों को सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोगों के मानव अधिकार सुनिश्चित रूप से प्राप्त करें इसकी भी व्यवस्था की गई है। मानवाधिकारों के विशिष्ट तत्वों के अनुसार ये अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। परिवार, समाज और राज्य में व्यक्ति का विशिष्ट महत्व है क्योंकि ये सभी संस्थाएं व्यक्ति के होने से ही स्थापित रह सकती हैं। मानवाधिकारों की रक्षा करना देश का दायित्व है तथा कल्याणकारी व्यवस्था राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार, प्रशासनिक तंत्र व न्याय व्यवस्था है जिनका मानवाधिकारों की दृष्टि से पृथक–पृथक दायित्व हैं।

मानवाधिकारों की निर्बाध उपलब्धि के लिए देश का स्थायित्व व शान्ति व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। जिन देशों में स्थायित्व है और प्रजातांत्रिक

व्यवस्था लागू है, उन्हीं देशों के नागरिक इन मानवाधिकारों का उपयोग कर पाते हैं। इसके समाज में सम्पन्न व विपन्न, धनी व निर्धन, शक्ति सम्पन्न व शक्तिहीन,जागरूक व अन्यमनस्क जैसे विभिन्न वर्ग बने हैं जो मानवाधिकारों के उपयोग व दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस दृष्टि से स्वयं के मानवाधिकारों के उपयेाग के साथ यह भी आवश्यक है कि दूसरे के मानवाधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जाए। सभी लोगों को समस्त मानवाधिकार प्राप्त होना एक आदर्श स्थिति है, जो व्यावहारिक स्वरूप में दृष्टि गोचर नहीं होता।

6.1 सारांशः

भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तृव्य और नागरिक अधिकारों में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जैसे विभिन्न तत्व समय समय पर समाहित किये गए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को प्रदान किये गए हैं, जिनकी उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रशासनिक तंत्र है, जो ऐसे सभी प्रयास करता है जिससे नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सके। इसके लिए स्वतंत्र न्याय पालिका स्थापित है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को सुनता है और उल्लंघन कर्ता को सजा प्रदान करता है। मूल अधिकारों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में सभी मानवाधिकारों को अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है और उनकी सुनिश्चित अनुपालना की व्यवस्था की गई है।

मौलिक अधिकारो के अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक सिद्वान्तों के अन्र्त गत शिक्षा व स्वास्थ्य सेवायें, जल आपूर्ति, यातायात व्यवस्था, भोजन, मकान आदि की सुनिश्चित उपलब्धि के प्रयास किये गए हैं। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार व सूचना का अधिकार प्रदान कर नागरिकों को यह अधिकारिता भी प्रदान की गई है कि सरकार व उसके पोषित संगठनों से आवश्यक सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित रहे। पुलिस संगठन द्वारा अभिरक्षा में कियेगए अपराधों के निदान की व्यवस्था भी की गई है तथा महिला को पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए तथा पूछताछ के लिए महिला

पुलिस की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इसी प्रकार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को रोजगार में लगाने को अपराध माना गया।

मौलिक अधिकारों की संविधान में स्पष्ट व्याख्या किए जाने व इनके उल्लंघन होने पर नागरिक को न्यायालय से शिकायत कर उनके उल्लंघन कर्ता को सजा दिलाने व उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। इन सारी व्यवस्थाओं के रहते हुए भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू किया गया जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने के निर्देश प्रदान किए गए। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करने के लिए 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई तथा आयोग का गठन मार्च 2000 में किया गया। इस प्रकार आयोग के गठन से राज्य सरकार को छ : वर्ष का समय लगा।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 2001 से लागू किया गया। इसके अन्तर्गत अध्यक्ष व दो सदस्य न्यायिक सेवा के सेवानिवृत न्यायाधीशों व दो सदस्य ऐसे व्यक्ति हों जो मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का कानूनी व व्यवहारिक ज्ञान रखते हों। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता के गठित समिति में विधान सभा अध्यक्ष, गृह मंत्री व विपक्ष के नेता मिलकर तय किये गये नामों की सूची की सिफारिश राज्यपाल को भेजते हैं जिनके द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं। आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सचिव के दायित्व का निर्वाह करता है। आयोग का प्रमुख भारतीय प्रशासनिक सेवा से पदस्थापित किया जाता है तथा अन्वेषण कार्य के लिए महा निरीक्षक पुलिस का पदस्थापन किया जाता है।

राजस्थान मानवाधिकार आयोग किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर अथवा स्व प्रेरणा से मानवाधिकारों के उल्लंघन या उसमें अपशमन को रोकने तथा किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने की उपेक्षा की जांच करता है। किसी न्यायालय में लम्बित मानवाधिकारों के उल्लंघन के अभिकथन वाली कार्य वाही में

उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी जेल, उपचार सुधार व संरक्षण गृह में कैदियों या विचाराधीन अभ्यर्थियों की जीवन दशाओं के अध्ययन के लिए राज्य सरकार की अनुमति से निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट व सुझाव राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है। आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु संविधान या कानूनों द्वारा प्रावहित सुरक्षाओं का पुनरावलोकन कर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें भेजने को भी अधिकृत है।

मानवाधिकार हनन की शिकायतों पर आयोग गवाहों को सम्मन भेजकर उन्हें उपस्थिति देने व शपथ पत्र पर गवाही देने के लिए बाध्य भी कर सकता है। राज्य सरकार को किसी नियम से वांछित दस्तावेज मंगाकर शिकायत की जांच करता है। शिकायत सही पाए जाने पर उस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सरकार से सिफारिश करता है। आयोग की मांग पर वांछित दस्तावेज, सूचना आदि निर्धारित अवधि में आवश्यक सूचना भेजना प्रत्येक विभाग, संस्था व संगठन के लिए आवश्यक है। आयोग को प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए प्रत्येक प्रकरण के वर्गीकरण के अनुसार एकल न्यायपीठ, खण्ड न्यायपीठ या पूर्ण न्यायपीठों द्वारा कार्यवाही करते हैं। जांच के निष्कर्षो के अनुरूप सरकारी कार्यवाही या शिकायत पर जांच करने व निर्धारित समय में रिपोर्ट भेजने हेतु निर्देश प्रदान करता है।

आयोग के कार्य क्षेत्र में मानवाधिकार के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के हनन, हिरासत में हुई मौत, बलात्कार, उत्पीडन, पुलिस व जेल में ढांचागत सुधार, सुधार गृह, मानसिक चिकित्सालय की स्थितियो में सुधार व मानवीय सुविधाओं के सन्तोषजनक होने को निरीक्षण करने के भी अधिकार प्राप्त हैं। आयोग को प्राप्त मानवाधिकार हनन की शिकायतों की सम्पुष्टि होने पर सरकार को अपनी अनुशंसा भेजने का अधिकार प्राप्त है। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को आवश्यक व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, गरिमा पूर्ण जीवन व्यतीत करने,

माताओं व बच्चों हेतु प्राथमिक सुविधाएं सुनिश्चित करने, पेय जल, खाद्यान्न राशन पर उपलब्ध कराने में कमियों पर राज्य सरकार को शिकायत भेजता है।

इसी प्रकार समानता व न्याय के हनन, नागरिकों पर अत्याचार, विस्थापितों की समस्याएं, भूख से मृत्यु, बाल श्रमिकों का शोषण, बाल वेश्यावृति, महिलाओं, अपंगों के अधिकारों की सुरक्षा, धार्मिक असहिष्णुता तथा अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में शिकायतों पर भी ध्यान केन्द्रित करता है। मानवाधिकार आयोग शिकायतों से सन्तुष्ट होने पर भी स्वयं को ही कार्यवाही करने व निर्धारित सजा देने के लिए अधिकृत नहीं है बल्कि ऐसी समस्त शिकायतों की जांच कर मानवाधिकार संरक्षण के लिए राज्य सरकार को पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही राज्य के सक्षम अधिकारी को भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने की सिफारिश तक ही सीमित है।

इसी प्रकार महिलाओं के अधिकारो की रक्षा के लिए राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन मई 1999 में किया गया। इस आयेाग में सभी महिला पदाधिकारी नामित की जाती है। आयोग में अध्यक्ष, तीन सदस्य व एक सदस्य सचिव होती है जिनमें से एक अनुसूचित जाति या जनजाति तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग से नामित की जाती है। इन महिला पदाधिकारिओं की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें विधान सभा अध्यक्ष, गृह मंत्री व विरोधी दल के नेता सम्मिलित हैं। आयोग के कार्य संचालन के लिए उप सचिव राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं तथा पंजीयक सह विशेषाधिकारी राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा से संबंधित होते हैं।

इसके अतिरिक्त यूनसेफ व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से सुरक्षित मातृत्व इकाई, परिवार व परामर्श केन्द्र एवं परिवार परामर्श समन्वय केन्द्र भी बनाये गए है।। आयोग के सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करने तथा अभियोजन आरंभ करने की सिफारिश करता है। आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित सिफारिशों पर तीन माह में कार्यवाही कर सूचना देने की भी प्रतिबद्वता की गई है

इससे राज्य सरकार के विभाग भी सिफारिशों को गंभीरता से लेते हैं। अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आयोग को महिलाओं के विरूद्व अनुचित व्यवहार की जांच का अधिकार है तथा धारा– 13 द्वारा अन्वेषण में दण्डनीय अपराध पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्व अभियोजन की अनुशंसा करता है।

प्राप्त शिकायतों के आधार पर आयोग पुलिस को तत्परता से जांच करने के निर्देश दे सकती है, अधिकारियों द्वारा महिला उत्पीड़न के प्रकरण निश्चित अवधि में पूरा करने के निर्देश देती है तथा कामकाजी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीडन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार समुचित प्रावधानों की सुनिश्चितता के लिए विभागों को निर्देश देती है। महिला जनित गंभीर व नृशंस अपराधों के बारे में घटना स्थल पर जाकर परिजनों को ढाढस भी बंधाती है और सत्यता की जांच करती है। सुरक्षित मातृत्व इकाई के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण आमुखीकरण से संबंधित कार्यशाला, जन सुनवाई, जनसंवाद सम्मेलन व प्रलेखन कार्य भी किया जाता है। इसके अन्तर्गत राज्य व जिला इकाईयों तथा गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से जागरूकता व महिला सशक्तिकरण के कार्य कराए जाते हैं।

महिला जन सुनवाई के लिए किसी जिले में जिला महिला विकास अभिकरण या स्वयंसेवी संगठन के सहयोग से आयोजन किया जाता है जिसमें पीडित महिलाओं का पंजीकरण किया जाता है। इन महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से आयोग की अध्यक्ष व सदस्यों को बुलाकर समस्या सुनी जाती है तथा स्थान पर उपस्थित जिला अधिकारियों को तत्काल निर्देशित कर कार्यवाही करने की व्यवस्था की जाती है। कई प्रकरणो में जांच में समय लगता है तथा जांच की जाकर महिला को न्याय दिलाया जाता है। जन सुनवाई में विभिन्न पीड़ित महिलाओं को तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के प्रभावी उपाय निर्देश देने से महिलाओं में आत्मबल की वृद्वि होती है। इससे महिलाओं में जागरूकता व महिला सशक्ति करण को बढ़ावा मिलता है।

परिवार परामर्श केन्द्र के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को भावनात्मक व व्यावहारिक पक्षों के साथ–साथ कानूनी पक्षों को दृष्टिगत रखकर उचित परामर्श व उपचारों पूर्ण सहायता द्वारा महिलाओं को व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में स्वस्थ समायोजन व गुणात्मक बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं तथा परिवारों के विघटन को रोकने के उपाय भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पीड़ित व असहाय महिलाओं को विधिक साहयता भी प्रदान की जाती हैं। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाकर समस्याएं जानना व समझकर उनका निदान करके पारिवारिक विघटन को रोकने का प्रयास भी किया जाता है। यहां उत्पीडन, दहेज प्रताडना, स्त्रीधन सुपुर्दगी घरेलू हिंसा व द्विविवाह के मामलों पर समझौता कराया जाता है।

राजस्थान मानवाधिकार आयोग व राज्य महिला आयोग के गठन के पीछे यह उद्‌देश्य था कि मानवाधिकार हनन के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो तथा महिलाओं के विरूद्व सभी श्रेणियों के अत्याचारों को रोका जा सके। इन दोनों आयोगों के गठन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित व संसद में अनुमोदित अधि नियमों में ऐसी शक्तियां प्रदान नहीं की गई जिससे ये आयोग अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सके। इससे शक्तियां व दायित्व केवल शिकायतों को राज्य सरकार को भेजने तक की कार्यवाही का उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरा होना मान लिया जाता है। यह भी सही है कि मानवाधिकारों के हनन के लिए राज्य में जिला स्तर पर पृथक न्यायालय स्थापित किये गए हैं। जिन्हें मानवाधिकार हनन की शिकायतें भिजवाते ही राज्य मानवाधिकार का उत्तरदायित्व पूरा होना आयोग की निष्क्रियता को दर्शाता है।

महिलाओं के साथ परिवार, समाज व बाहरी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। इनमें राज्य महिला आयोग अत्याचार, उत्पीडन व परिवार विघटन के प्रकरण ही प्रायः स्वीकार करता है। जो दुष्कृत्य घटित हो चुके हैं, उनके बारे में न्यायालय में ही कार्यवाही संभव है क्योंकि सभी श्रेणी के महिला अत्याचार गंभीर आपराधिक कृत्य है जिनके बारे में राजस्थान महिला आयोग को सुनवाई या

सजा देने के अधिकार प्रदत्त नहीं होने से इन प्रकरणो पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। न्याय प्रक्रिया अत्यन्त पेचीदा और समय साध्य है क्योंकि अपराधि घटित होना और महिला की सहमति होना ऐसे संवेदनशील विषय है जिन पर सहमति या असहमति से ले जाना व दुष्कृत्य करना साबित करना दुष्कर कार्य है।

महिलाओं के विरूद्व सभी प्रकार के अपराध घटित होने के अन्य कारण भी हैं जिन्हें भी दृष्टिगत रखा जाना समस्या की पेचीदगी तक पहुंचना व साबित करना पडता है। अपराधकर्ता व्यक्ति के वकील बहुत सी ऐसी स्थितियां बनाकर प्रकरणों को इतना जटिल कर देते हैं, जहां घटना व उसके अन्तर्निहित कारण ही बदल जाते हैं। इसी प्रकार गवाहों को तोडना व घटना स्थल की स्थिति को परि वर्तित करना भी इसी कम के अन्य तथ्य हैं जिन्हें बताकर या छिपाकर स्थिति को अपराधकर्ता के पक्ष में लाने के प्रयास किए जाते हैं। घरेलू परिवेश में होने वाले अपराधों में अत्याचार व उत्पीडन की घटनाएं साबित कर पाना विवादित महिला के लिए कठिन होता है क्योंकि उसके पक्ष में कोई गवाह नहीं होता है।

मानवाधिकार हनन के प्रकरण इतने जटिल बना दिए जाते हैं, जिसमें प्राचीन विरासत, वर्ण व्यवस्था, सबल व विपन्न, गरीब व अमीर, शक्तिवान व निशक्त तथा जाति व्यवस्था भी उत्तरदायी हैं,जिनमें महिलाओं को प्रतिदिन बहुत सी स्थितियो से सामंजस्य व समन्वय स्थापित करना संभव नहीं हो पाता है। समाज के उच्च वर्ग सम्पन्न, राजनीतिक सत्ता के करीबी व अधिकारीगण अपने परिवेश में लोगों के नागरिक अधिकारों को अवरोध स्थापित करने में अपनी सम्पन्नता व शक्ति मानते हैं। यह स्थिति राजशाही, अंग्रेजी शासन व मुगल साम्राज्य काल में बहुत अधिक थी और वर्तमान में भी समाप्त नहीं हो पाई है। कानून बनाने से स्थितियां अभी तक बदल नहीं पा रही है।

आदिवासी समाज में सभी प्रकार के झगडे, उत्पीडन, अत्याचार के मामले अभी उनकी जातीय पंचायत में ही निपटाए जाते हैं तथा अत्याचार व उत्पीडन के मामले पुलिस या न्यायालय में नहीं ले जाए जाते। हत्या व क्रूरतम व्यवहार के

मामले ही पुलिस तक पहुंचते हैं जहां कोई गवाह नहीं मिलने से पुलिस तंत्र को बहुत प्रयास करके अपराधी का पता चल पाता है। आदिवासियों के प्रति क्रूरतापूर्ण कृत्य, अत्याचार, बेगार, शेाषण व व्यभिचार की घटनाएं आज भी सामान्य रूप से जारी है जिनके लिए गैर आदिवासियों के कृत्यों के लिए सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन कर अत्याचारी से बदला लेने का कार्य करते हैं। आदिवासियों के मध्य होने वाले सभी कृत्य जातीय पंचायत निपटाती है, जिसके विरूद्व पीड़ित पक्ष न्यायालय या पुलिस के पास नहीं पहुंचता।

अब अन्य जातियों की पंचायतें भी इस क्षेत्र में सक्रिय हो गई हैं तथा निम्न वर्ग की महिलाओं से किये गए बलात्कार व अन्य गंभीर अपराध भी जाति पंचायत स्तर के रूप में होकर अपराधकर्ताओं को चेतावनी देकर छोड देती है। पीडित महिला व उसका परिवार पुलिस व न्यायालय में नहीं जाने दिया जाता और ऐसा करने पर उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाता और परिवार को कई प्रकार की धमकियां व यातनाएं मिलती रहती है। इन स्थितियो में मानवाधिकार व महिला अधिकारों का संरक्षण केवल कानूनी व प्रशासनिक स्तर व न्याय व्यवस्था स्थापित करने तक ही सीमित है। समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी मानवाधिकारों के हनन से पीडित है जिसकी कोई आवाज नहीं है।

6.2 **निष्कर्ष** :

मानवाधिकारों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अप्रेल 1945 में सेन फ्रांसिस्को में तत्कालीन विश्व की चार महाशक्तियो।–अमेरिका, इंगलैण्ड, सोवियत संघ व फ्रांस ने मिलकर मानवाधिकारों के संबंध में एक ड्राफ्ट चार्टर तैयार कर संयुक्त राष्ट्र संघ से अभ्यामोदन कराया, जिसके अन्तर्गत 16 फरवरी 1946 को मानवा– धिकार आयोग की स्थापना की गई। दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार आयोग के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई। भारत भी इसके हस्ताक्षरकर्ता देशो में था और भारत के संविधान के भाग तीन में मूल अधिकारों के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति पर एक

आयोग का भी गठन किया गया, जिसने महिला अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कार्य जारी रखा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के बारे में नये नए प्रकरण जुडते गए ओर भारत के हस्ताक्षरकर्ता देश होने के नाते सभी प्रावधान भारतीय मानवाधिकारों में भी जोडे गए। इनमें महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिकार, विकास व पर्यावरण का अधिकार प्राकृतिक आपदाओं के पीडितों को क्षतिपूर्ति के अधिकार भूख व कुपोषण दूर करने के लिए सुविधाओं का सृजन, रोजगार का अधिकार आदि विभिन्न स्वरूपों में जोड़े गए। विकासशील देश होने के नाते भारत विकसित देशों की भांति सभी मानवाधिकारों के लिए समान व्यवस्था नहीं कर पाया है, परन्तु इस दिशा में सार्थक प्रयास अवश्य किये गए हैं। इस दृष्टि से प्राकृतिक आपदा पर राहत कार्य आरंभ कर भूख व रोजगार द्वारा जीवन की सुरक्षा प्रदान की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होने के नाते भारत में विधि प्रवर्तन अधिकारी हेतु बनी आचरण संहिता लागू होती है जिनमें राज्य की पुलिस के अलावा केन्द्रीय पुलिस संगठन भी इस सीमा में आते हैं। इससे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपवाद स्वरूप ही बल का प्रयोग करें, जो गिरफ्तारी के दौरान आवश्यक हो। इसी प्रकार आग्नेयास्त्रों का प्रयोग बहुत आवश्यक होने पर ही किया जावे। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बल प्रयोग नहीं किया जावे तथा अमानवीय कृत्य नहीं किये जावें। इसी क्रम में कैदियों व विचाराधीन व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पुलिस व जेल प्रशासन को सौंपी गई है। इन स्थितियो में मृत्यु होने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से अपराध की कार्यवाही की जाती है।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को उसका कारण बताना आवश्यक है तथा चौबीस घण्टे के भीतर न्यायिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आगामी हिरासत की कार्यवाही न्यायालय के आदेश से ही जारी रहती है। मृत्युदण्ड केवल गंभीरतम अपराधों में ही दिया जाना आवश्यक माना गया तथा दण्डित व्यक्ति द्वारा क्षमादान या दण्ड में कमी करने की याचना का अधिकार प्रदान किया गया है। मृत्यु दण्ड 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति व गर्भवती महिला पर

लागू नहीं होती है। न्यायालय के आदेश से अभियुक्तों को जेल में पृथक वातावरण में रखा जायेगा जो कैदियों से भिन्न होता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मानवा–धिकार के अक्षरशः लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह देश की सार्व भौतिकता के विपरीत होता है।

विधि आयोग की अनुशंसा पर दण्ड प्रक्रिया संहिता अर्थात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड को पुनः तैयार किया गया। इसमें मानव अधिकारों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। इसमें गिरफ्तारी के प्रतिशोध करने पर पुलिस को बल प्रयोग का अधिकार दिया गया है परन्तु इसमें यह सावधानी रखनी आवश्यक है कि अभियुक्त की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी के बाद उस स्थान की तलाशी के लिए स्त्री को सुरक्षित रूप से हटा देना चाहिए। गिरफ्तारी हेतु ऐसा आधार उपयुक्त है जिसमें अभियुक्त भाग नहीं पावें। गिरफ्तार करने पर व्यक्ति को इसका आधार व कारण बताना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त तलाशी लेने में पुलिस को कोई रोक नहीं है, परन्तु कोई वस्तु जब्त करने पर उसकी रसीद देनी आवश्यक है।

गिरफ्तार व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष डॉक्टरी परीक्षण की मांग करने पर ऐसा परीक्षण कराना आवश्यक है। बिना कारण गिरफ्तार करने पर उसे तुरन्त मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन इंचार्ज के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तलाशी वारंट के द्वारा दो गवाहों की उपस्थिति में तलाशी ली जा सकती है। किसी महिला की तलाशी के लिए महिला पुलिस या थाना महिला द्वारा यह कार्य किया जा सकता है, जो पुलिस की उपस्थिति में कराया जाता है। रिपोर्टो में गवाहों को हस्ताक्षर होने आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं दण्ड प्रक्रिया संहिता में पुलिस ज्यादतियों को रोकने के लिए की गई है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कुछ उपबंध जोड़े गए हैं क्योंकि यह कानून ब्रिटिश प्रशासन द्वारा बनाया गया था। इसमें 330 में अपराध स्वीकार कराने, अपराध की सूचना देने या सम्पति बरामदगी व उसकी स्थिति बताने पर बल प्रयोग की पुष्टि होने पर पुलिस को सात से दस वर्ष की

सजा का प्रावधान किया गया है। मानवाधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महासभा में पारित होने पर देश में उन व्यवस्थाओं को लागू करने के उपाय किये गये हैं : जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन पुलिस अभिरक्षा में सख्ती से रोका जाये जहां इन प्रावधानों का अधिकतम दुरूपयोग किया जाता है।

विश्व स्तर की भांति भारत व राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग का गठन किया गया परन्तु इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे ये आयोग अपने स्तर पर ठोस कार्यवाही कर मानवा धिकारों की सुनिश्चित बहाली बनाए रखे और उल्लंघन करने वालों को सजा दे सके। ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था के अभाव में मानवाधिकार आयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यदि यह आयोग व्यक्तियों की शिकायतो से सन्तुष्ट हो जाता है तो उसे केवल राज्य सरकार को शिकायत भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश देना इसका स्थायी निराकरण नहीं है। इस कारण राजस्थान मानवाधिकार आयोग को गठन का कोई औचित्य नहीं है।

यदि भारत सरकार केवल संयुक्त राष्ट्र संघ को यह दर्शाना चाहती है कि उन्होने मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया है तो इसे पूर्ण माना जा सकता है। इसी प्रकार महिलाओं को मानवाधिकार प्रदान किये गये हैं तथा उनकी विशेष स्थितियों के कारण उनके विरूद्व होने वाले अत्याचारों व उत्पीडन को रोका जा सके। इनमें परिवार में महिला का उत्पीडन, दहेज अत्याचार, दहेज हत्या तथा अमानवीय व्यवहार आदि स्थितियां प्रमुख है। महिला के गर्भ के लिंग की जानकारी व कन्या होने पर गर्भ समापन दण्डनीय अपराध होने पर भी इसे रोकना कठिन कार्य है क्योंकि बहुत से क्लीनिक अन्य प्रकार की जांच के रूप में लिंग परीक्षण करते हैं और डॉक्टर गर्भ समापन के लिए व्यवस्था कर देते हैं। इसी प्रकार से बलात्कार व यौन उत्पीडन के बहुत से मामले बढ रहे हैं जिसमें धारावाहिक सिनेमा आदि की भूमिका कही जाती है। इस बारे में महिला को विभिन्न प्रकार की सलाह दी जाती है परन्तु इन अपराधों को रोकने की व्यवस्था नहीं की गई।

कानून की दृष्टि से देश में वे सभी उपाय किये गए हैं जो महिलाओं को समानता प्रदान करने, उनके उत्पीडन आदि रोकने, उनकी गरिमा को भंग करने, बलात्कार आदि सभी प्रकार के उत्पीडन में कठोर दंड की सजा है। इन सभी व्यवस्थाओं के उपरान्त भी महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार निरन्तर बढ रहे हैं इन सभी स्थितियो का कारण पुलिस सेवा द्वारा कानून व व्यवस्था का भली प्रकार नियंत्रण नहीं कर पाना तथा राजनीतिक प्रशासन द्वारा इस प्रकार के उपायो के लिये दृढ इच्छा शक्ति का अभाव ही कहा जा सकता है। यदि प्रदेश में पुरूष व महिला सुरक्षित नहीं है तो सरकार का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ पुलिस प्रशासन तथा कानून व्यवस्था को निरीक्षण करने की सरकार की क्षमता आवश्यक है।

राजस्थान में महिला आयोग का गठन किया गया है जो राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप बताया गया है किन्तु इस आयोग को भी ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किये गये, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर सके। देश में हर समस्या के निदान के लिए कानून बनाया गया है परन्तु उसके कियान्वयन का तरीका ही दोषपूर्ण है, इसलिए कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुए या हो सकते हैं। महिलाओं के विरूद्व परिवार, समाज या कही भी यदि जीवन या महिला होने की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित की जा सकती तो कठोर कानून बनाने और एक अधिकृत महिला आयोग स्थापित कर वे उद्देश्य पूरे नहीं किए जा सकते हैं जो एक महिला सरकार व देश से अपेक्षा करती है।

राजस्थान में महिला आयोग के गठन को लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं परन्तु आयोग एक भी ऐसा कार्य नहीं सम्पादित कर सका जिसमें महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण होना माना जावे। इसका कारण महिला आयोग को एक अलंकरण संस्था के रूप में सुशोभित किया गया है। महिला आयोग को जांच करने के विस्तृत व सन्तोषजनक अधिकार व शक्तियां तो प्रदान की गई है परन्तु सजा देने का कोई अधिकार न दिए जाने के कारण यह एक अलंकरण संस्था बन कर रह गई है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य भी यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें किसी शिकायत की

जांच से पूरी तरह सन्तुष्ट होने पर भी उसे राज्य सरकार को भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रावधान करके आयोग को कागजी संस्था रख दिया गया है।

महिला आयोग के स्वरूप, गठन व उद्देश्य व उसे दी जाने वाली शक्तियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मतभेद व्याप्त है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं उत्पीडन की घटनाओं के लिए किसी सशक्त संस्था की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था की गई है और कार्यरूप देकर अधिनियम बनाया गया। यह संस्था वर्तमान स्वरूप में महिलाओ के विरूद्व होने वाले सभी प्रकार के अपराधों को रोकने की स्थिति में नही है। महिला प्रकरणो के अपराधी यह भलीभांति जानते हैं कि अपराध साबित होने पर अपराधी को खोजने व अन्तिम रूप से सजा देने तक की प्रक्रिया इतनी लम्बी है और इसमें भी बहुत सी खामियां है, जिससे अपराधी विभिन्न स्थितियों का लाभ उठाकर बच जाते हैं।

राज्य की मानवाधिकार व महिलाओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्वता इसी बात से प्रकट होती है कि केन्द्रीय स्तर पर अधिनियम लागू होने के छः वर्ष या बाद राजस्थान में मानवाधिकार आयोग व महिला आयोग के गठन की दिशा में कार्य किया गया। ये दोनो आयोग अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर इन आयोगों को वांछित शक्तियां होने की सोच ही नहीं बनी। यह अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि केरल की भांति राजस्थान में जांच पूरी होने पर अभियोजन प्रक्रिया आरंभ करने व जिलो में जाकर सुनवाई के दौरान पीडित महिलाओं को मामूली आर्थिक सहायता स्वीकार करने की स्थिति बन गई परन्तु ये उपाय उन समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं माने जा सकते।

महिला की समाज में मर्यादित जीवन जीने की स्थिति रही है जो विवाह, घर परिवार संतति, सबके प्रति विशेष अनुस्क व आस्थावान रही है। इन स्थितियो में पुरूष समाज की मानसिक विकृति और अहंकार की भावना ने उसे भौतिक भोग शोषण अत्याचार के कारण उसका वांछित सम्मान व स्नेह प्राप्त नहीं हुआ,

जिसकी वह परिवार और समाज से अपेक्षा करती है। नारी को पत्नी, जननी और माता की भूमिकाओं का निर्वाह करने के उपरान्त भी उसे स्वच्छन्द भोग की वस्तु ही समझा गया यही पत्नी, उसके उत्पीडन व अत्याचारों का कारण बना। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय नारी का जीवन बहुत ही दुखद स्थितियो में बीता जब मुगलों के आक्रमण पर राजा व सैनिक राज परिवार व सैनिकों की पत्नियां भी जौहर करने लगी।

इसके पश्चात मुगल साम्राज्य में सैनिक लडकियों व महिलाओं को जबरन उठा ले जाते तथा उनका धर्म परिवर्तन कर विवाह कर लेते। ऐसी महिलाएं जिस उत्पीडन व दुखद स्थिति में जीवन व्यतीत करती उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिला और वे पढ कर उच्च स्थान प्राप्त करने लगी और आर्थिक दृष्टि से भी आत्म निर्भर होने लगी। विज्ञान, टैक्नोलोजी, सूचना तंत्र व शिक्षा के अवसर मिलने से महिलाओं में आत्म विश्वास जागा और वे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करने लगी बहुत सी स्थितियो में महिलाओं की शिक्षा, खेलकूद में दक्षता, उनकी नौकरी आदि से पुरूष समाज में ईर्ष्या की भावना पनपी।

महिलाओं के उत्पीडन के बहुत से मामले इस कारण घटित होते हैं कि विवाहित महिला अपने पति की तुलना में अधिक शिक्षित होती है और विवाह के पूर्व या पश्चातवर्ती समय में अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद प्राप्त करने में सक्षम हो जाती है। इस कारण पुरूष अहंकार परिवार में एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें महिला को कई प्रकार के उलाहनो से शुरू होकर विभिन्न स्वरूपो में प्रकट होते हैं। इसके विपरीत पति पर आश्रित महिला को परिवार में बहुत प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पडता है और यहीं से अत्याचारों की शुरू आत होती है। परिवार का वातावरण दूषित करने में पति की माता व बहिन की बडी भूमिका रहती है जो विवाहित के पैतृक परिवार से निरन्तर धन व सुविधाओं की मांग करते रहते हैं।

हिन्दू समाज में महिलाओं की स्थिति प्राय : निन्न मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग में काफी दयनीय रही है, जिनमें अशिक्षा व अधिकारों की जागरूकता के अभाव में विभिन्न प्रकार के उत्पीडन की समस्याएं बढी है। मध्य वर्ग व उच्च वर्ग में भी कुछ स्थितियो में महिलाओं का जीवन सुखद नहीं रह पाता, जिसमें पुरूष व स्त्री के अहंकार, स्वच्छन्द आचरण और मनमुटाव होने पर झूठे मामले दर्ज कराकर विवाद खडे किए जाते हैं। महिलाओं के विरूद्व अत्याचारों के कठोर कानून होने से झूठे मुकदमे लगाकर परेशान करना व मामले समाप्त करने के लिए धन की मांग करना भी वर्तमान परम्परा का भाग बन गया है। इस कारण न्यायालयो में चलने वाले सभी मामले महिलाओं के प्रति दुरागृह पूर्ण न होकर किन्हीं विशिष्ट कारणो से घड़े जाते हैं जिसमें वकीलों की महती भूमिका होती है।

हिन्दू समाज के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों में भी महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है जिन्हें गरीबी के साथ साथ अन्य बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत से मामलों में करूणा जनक रही है। पुरूषों ने प्राचीन अरबी कानूनो को छोडकर भारतीय दण्ड संहिता का पालन कर लिया है, जिससे अपराधों को छिपाया जा सके। नारी पुरूष समान की सुविधा का प्रश्न है, वहां भारतीय दण्ड संहिता में मुस्लिम विधि का सहारा लेते हैं, जहां पुनः विवाह करना जीवित महिलाओं के मामलो में अपराध है परन्तु ऐसे मामलों में मुस्लिम पुरूष मुस्लिम विधि से अनुशासित होकर दूसरा विवाह कर लेता है परन्तु महिला के मामलो में कठोर व्यवस्था बनाए रखना चाहता है।

शाहबानो के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय सम्मत निर्णय दिया था परन्तु भारत की संसद में संशोधन करके उस कानून की उप धारा को निरस्त कर दिया जिसमें मुस्लिम धर्मगुरूओं व राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका रही जो वोट की राजनीति से सही व्यवस्था बनाए रखना नहीं चाहते हैं। राजस्थान में महिलाओं को सामूहिक बलात्कार, निर्वस्त्र करके महिला को घुमाना, निमर्म हत्याऐं डाकिन बताकर उसे क्रूरतापूर्ण तरीके से मार डालना व अन्य कुकृत्य आम घटनाएं हो गई है जो प्रदेश को पृथक पृथक क्षेत्रों में घटित होकर समाचार पत्रों द्वारा प्रसारित होकर

जन आक्रोश बढ़ाती हैं। थोडे समय प्रदर्शन व अखबारो की सुर्खियां बनकर ये घटनाएं दब जाती है और फिर नए अत्याचार या दुष्कृत्य होने पर पुनः जनता में रोष फैलता है।

वर्तमान में एक समस्या काफी विकराल स्वरूप ले रही है, जिसकी एक पृष्ठभूमि अनुसूचित जन जातियों की जातीय पंचायत से उद्गमित हुई है। इन लोगों में एक विशिष्ट प्रवृति अनुसूचित जन जाति के भीतर केन्द्रित रहने की प्रवृति है तथा अपने सभी विवाद जातीय पंचायत में सुलझाए जाते रहे हैं। इनके पीछे यह भावना थी कि ये लोग बाहरी समाज से दूर रहे और पुलिस व न्यायालय में भी नहीं ाजाते। इस व्यवस्था से उत्तर प्रदेश व हरियाणा में जातीय पंचायतों ने ऐसे निर्णय लेने आरंभ किए जिनमें बलात्कार जैसे गंभीर दुष्कृत्यो के बाद भी जातीय पंचायत ने उन्हें डांटकर छोड दिया। इसके साथ ही पीडित महिला व उसके परिवार पर यह दबाव डाला जाता रहा कि वे जातीय पंचायत के निर्णय के विरूद्व पुलिस व न्यायालय की ओर नहीं बढे।

कुछ लोगों ने पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया तो जाति पंचायत ने उनको जाति से बाहर कर रहना दुष्कर कर दिया जिससे वे लोग असुरक्षित सा अनुभव करने लगे व घरबार छोडकर अन्यत्र चले गए जहां सुरक्षित जीवन बिता सकें। ऐसी घटनाएं राजस्थान में भी होने लगी है। समस्या यह है कि राज्य सरकार व प्रशासन अखबारो में प्रकाशित होने के बाद भी कार्यवाही इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें गरीब व असहाय लोगों के बदले अपने वोट बैंक की चिन्ता है। इस कारण कुछ नाममात्र की खाना पूर्ति करके मामले समाप्त कर दिए जाते हैं। पुलिस व्यवस्था के अनुसार शिकायत दर्ज होने पर ही आगामी कार्यवाही की जाती है। ऐसे मामलों में राज्य मानवाधिकार आयोग व राज्य महिला आयोग को प्रसंज्ञान दर्ज करने का अधिकार है।

राजस्थान में अभी तक सामन्तवादी सोच विद्यमान है तथा उच्च प्रशास निक पदों पर उच्च जातियों के अधिकारीगण स्थापित है। आरक्षण के कारण अनुसूचित जातियों व जन जातियों के अधिकारी भी कार्यरत है परन्तु महत्वपूर्ण पदों पर उच्च

जातियों के अधिकारी ही रखे जाने की परम्परा रही है। साक्षरता के अभाव में जन चेतना का अभाव देखा गया है तथा महिला शिक्षा आज भी बहुत कम है, विशेषकर उच्च व व्यावसायिक शिक्षा में आरक्षण के उपरान्त भी पिछडे वर्गो की लडकियां व महिलाएं नई आपत्ति या उनकी उपस्थिति सम्पन्न परिवारों तक ही सीमित है। प्रदेश की राजनीति में जातिवाद व भ्रष्टाचार अत्यधिक व्याप्त है तथा प्रशासन में पारदर्शिता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। इन कारणो से दलित महिलाओं के साथ सभी प्रकार के अत्याचार की घटनाएं बढ रही है।

राजस्थान में अभी तक सामाजिक विषमताएं, असमानताएं,अमीरी गरीबी, शहरी ग्रामीण, अगडे–पिछडे, ओद्योगिक प्रोद्योगिक, कृषक व मजदूर वर्ग वर्तमान आधारों पर विभाजित हैं। राजनीतिक दल इस प्रकार की अनेक विषमताओ को प्रश्रय देते हैं कि और अपने हित साधने के लिए कई बार वर्ग संघर्ष तक करा देते हैं। महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है परन्तु यह सामाजिक चेतना नहीं बढा सका है। समाज में अभी तक परम्परावादी, पंथवादी व साम्प्रंदायिकतावादी तत्वों की भरमार है जो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उग्र हिंसा व उपद्रव कराने में व्यस्त रहते हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा में आरक्षण व सेवाओं में आरक्षण जैसी सुविधाएं मिलने से कुछ आशाएं बन रही हैं।

इन सभी समस्याओं से अधिक बडी व।सकटपूर्ण स्थिति प्रायोजित आतंकवाद की है जो पडौसी देशों द्वारा फैलाई जा रही है। इस समस्या से राजस्थान भी प्रभावित हुआ है, जहां भीड वाले क्षेत्रो में बम रखकर निरपराध लोगों की हत्याएं की गई है तथा साम्प्रदायिक सदभाव बिगाडने का प्रयास किया गया। आतंकवादी तत्व उच्च शिक्षा प्राप्त भी है जो स्थानीय स्तर पर ही बम तैयार कर विध्वंसक कार्य करते हैं। इसमें स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया जाता है और मुख्य अपराधी ऐसे विस्फोटों से पूर्व ही स्थान छोडकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उपद्रवकारी तत्व नए नए रास्तों से पड़ौसी देश की सेना के सहयोग से फर्जी दस्तावेजों व दूसरे देशों के पासपोर्ट के आधार पर देश में प्रवेश करने में भी सफल हो जाते हैं।

पुलिस व अर्द्व सैन्य बलों को ऐसे तत्वों से जनता को सुरक्षित रखने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण व नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है तथा गोपनीय सूत्रों से आतंकवादियों के उद्देश्यों को जानकर उन्हीं जीवित पकडने तथा भीषण नरसंहार से बचाने के प्रयास भी किए जाते हैं। पुलिस तंत्र के साथ भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं है।। इन बलों में बहुत से लोग विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगाए जाते हैं तथा मंत्रियों व अधिकारियों के पास भी इनको लगाया जाता हे जो इनके दायित्व में नहीं आता। एक सामान्य पुलिस कर्मी को इतने सारे दायित्व संभालने पड़ते हैं। ओर कई अवसरों पर लम्बे समय तक कार्य करना पडता है। बहुत से मामलों में पारिवारिक समस्याओं के लिए भी अवकाश नहीं मिलने से कर्मचारी को मानसिक आघात पहुंचता है जो विभिन्न स्वरूपों में प्रकट भी हो जाता है।

इन सभी स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों व महिलाओं के अत्या चारों के विरूद्व संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से सभी आवश्यक कानून बनाने तथा इनके संरक्षण के लिए उपयोग बनाने पर भी मानवाधिकारों का उल्लंघन व महिलाओं के प्रति अत्याचार, कू्रता, दुराचार आदि रोकने में असफलता को प्रभावी नियंत्रण का अभाव ही माना जा सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता व भारतीय दण्ड संहिता पूरे देश में लागू होती है परन्तु किसी राज्य में स्थितियां नियंत्रण में रहत है और कहीं महिलाएं घर से बाहर निकलने में ही असुरक्षित अनुभव करती है। ये दो भिन्न भिन्न स्थितियां प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण होना व इसका अभाव दर्शाता है। इन दोनों स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में मानवाधिकारों व महिला अधिकारों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है जो इस श्रेणियों के निरन्तर बढने वाले अपराधों से प्रकट होता है।

6.3 मानवाधिकारों व महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के उपाय

मानवाधिकारों की सुनिश्चित उपलब्धता शान्ति व व्यवस्था के वातावरण में ही संभव है। युद्वरत देश तथा सैनिक नियंत्रण के देशों में मानवाधिकार संभव नहीं है। अर्थात उनकी उपलब्धि सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। भारत में इस दृष्टि

से सामान्यतया वातावरण शान्ति व व्यवस्थापूर्ण है और कभी कभी आतंकवादियों के दुष्कृत्यों से बहुत से निरपराधी मारे जाते हैं। इसी प्रकार से साम्प्रदायिक देशों की स्थिति में जीवन व सम्पति की सुरक्षा कठिन हो जाती है। इन कुछ स्थितियों को छोड़कर मानवाधिकार देशवासियों को प्रदत्त है। देश के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं और उनके संरक्षण के लिए प्रशासन व पुलिस तंत्र स्थापित है। मानव अधिकारों के उल्लंघन व अतिक्रमण के मामले पुलिस के माध्यम से न्यायालय में चलाये जाते हैं।

राजस्थान राज्य में मानव अधिकारों की सुनिश्चित उपलब्धि का दायित्व सरकार, प्रशासन व पुलिस तंत्र का है जो इनकी प्रभावी उपलब्धि के लिए स्वतन्त्र व स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। सामान्यतया मानवाधिकारों की सुनिश्चित उपलब्धि के लिए राज्य सरकार सदैव प्रयत्नशील रहती है और किसी घटना की आशंका या घटित होने की जानकारी मिलते ही प्रशासन तंत्र तत्परता से कार्यवाही कर स्थिति को नियंत्रण में लाता है और अपराधियों के विरूद्व कार्यवाही आरंभ की जाती है। किसी उपद्रव, साम्प्रदायिक दंगे व नृशंस हत्या के मामलो में जन हानि होने पर पीडित पक्ष के लोग स्थिति नियंत्रण न करने व अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा मृतकों व सम्पत्ति की हानि पर सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं।

कई स्थितियो में जनरोष इतना व्यापक हो जाता है कि वे सरकारी सम्पति को हानि पहुंचाने व प्रशासन की निष्क्रियता के लिए रोष व्यक्त करने के साथ मृतकों की घटना स्थल से तब तक हटाने के लिये तैयार नहीं होते जब तक मंत्री या सरकारी अधिकारी उनकी सभी मांगें स्वीकार नहीं कर लेता है। जनता में संगठन व दुर्घटना के लिए आन्दोलन का उग्र स्वरूप होना उनकी जागरूकता व रोष व्यक्त करने का तरीका यह दर्शाता है कि किसी मानवाधिकार के उल्लंघन पर दोषियों को सजा व पीडितों को मुआवजा मिलना आवश्यक है और तभी जन आक्रोश शान्त होता है। सड़क पर चलते वाहन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भीड इकटठा होकर लापरवाही में हुई घटना पर रोष व्यक्त करते हैं।

किसी अधिकारी या मंत्री के आश्वासन पर जन आक्रोश शान्त होता है परन्तु पुलिस व न्यायिक प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लग जाता है। इसके साथ ही अपराधकर्ता वर्ग सत्ताधारी राजनीतिक दल का या प्रभावशाली व्यक्ति होने पर प्रकरण में न्याय नहीं दिला पाता है मानवाधिकार हनन के नृशंस व क्रूर कृत्यों के अतिरिक्त सामान्य स्थितियो में लोग अधिक गंभीरता नहीं दिखाते तथा इसे व्यक्ति गत प्रकरण मानकर अनदेखी करते हैं ? मानवाधिकारों के हनन के बहुत से मामले जानकारी के अभाव में सामान्य स्थिति मानकर स्वीकार कर लिए जाते हैं। किसी गरीब परिवार के धनी व्यक्ति से ऋण लेने पर परिवार के एक व्यक्ति को बेगार पर रखना ब्याज मुक्ति का प्रचलन बहुत समय से जारी रहने से लोग इसे अपराध नहीं मानते हैं। बच्चों के काम करने पर किसी प्रकार का रोष या जन आक्रोश नहीं देखा जाता।

महिलाओं के विरूद्व अत्याचार, उत्पीडन व हिंसक घटनाएं सामान्य समस्याएं बन गई है। परिवार में विवाहित महिला के विरूद्व अत्याचार व उत्पीडन को समाज सामान्य घरेलू स्थितियां मानता है परन्तु विवाहित महिला का जीवन कुण्ठित हो जाता है तथा उसकी मानसिक शान्ति भंग हो जाती है। बाहरी परिवेश में छेडछाड, कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन तथा बलात्कार की घटनाएं प्रकाश में आने पर उन पर अपराधियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही करने के लिए आवाजें उठाई जाती है। समाज के स्वस्थ वातावरण के निर्माण में ऐसी सभी स्थितियां बाधक हैं तथा महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण की दिशा में बने कानून व प्रशासनिक व्यवस्था अपर्याप्त होती प्रतीत होती है। महिला जन्य अपराध सभ्य समाज के लिए कलंक है तथा इनके कारगर रोकथाम की आवश्यकता दर्शायी जाती है।

विगत वर्षो में राजस्थान में मानवाधिकारों के हनन के प्रसंग तेजी से बढ़े हैं जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की 13 जुलाई 2014 की बैठक के अनुसार पुलिस विभाग में दर्ज कराए गए प्रकरणो में वर्ष 2013 में 1,94,224 अपराधों के प्रकरण दर्ज किये गऐ हैं जो विगत वर्ष 2012 की तुलना में 14.79 प्रतिशत बढे हैं। इनमें 1573 प्रकरण हत्या के, 59 मामले डकैती के, 4986 प्रकरण व्यपहरण व अपहरण के

3285 मामले बलात्कार के, 28928 मामले चोरी के, 1065 अपराध लूटमार के तथा 1662 प्रकरण हत्या के प्रयास के, मुठभेड व अन्य हिंसक अपराध के 542 मामले तथा 1,48, 341 विविध प्रकार के आपराधिक कृत्य थे। अनुसूचित जातियों व जन जातियों के विरूद्व 8116 प्रकरण दर्ज किये गए जो विगत वर्ष की तुलना में 4.13 प्रतिशत अधिक थे।

वर्ष 2013 में महिलाओं के विरूद्व 29, 150 आपराधिक प्रकरण दज्र किये गए जिसमें से 44.73 प्रतिशत मामले जांच में झूठे पाये गए। आर्म्स एक्ट में 5304 प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें 308 राइफलों, 689 रिवाल्वर व 2265 जीवित कारतूस जब्त किये गये तथा 5431 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मानवा धिकार हनन के 441 प्रकरणो में से राज्य पुलिस ने 271 मामलो में सुलह करा कर समाप्त कर दिये तथाशेष प्रकरण जांच व न्यायालय में दर्ज कराये गए। केन्द्र व राज्य सरकारों ने पुलिस के आधुनिकीकरण व आधुनिक अस्त्रास्त्र खरीद के लिए 150.52 करोड रूपये वर्ष 2013– 14 में स्वीकृत किये गये। महिलाओं के विरूद्व वर्ष 2013 में घटित अपराधाो में राज्यो में तुलनात्मकस्थिति के अनुसार राजस्थान का स्थान विभिन्न श्रेणी के अपराधो में दूसरे से लेकर पांचवें स्थान पर रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। बलात्कार के मामलो में राजस्थान का स्थान दूसरा है जहां मध्य प्रदेश में 4335 प्रकरण व राजस्थान में 3285 प्रकरण दर्ज किये गये। दहेज मृत्यु में राजस्थान का स्थान चौथा था जहां उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश के पश्चात 453 दहेज हत्या के मामले घटित हुए। घरेलू हिंसा में राजस्थान का स्थान दूसरा था जहां पश्चिम बंगाल में 18116 व राजस्थान में 15094 प्रकरण दर्ज किये गये। महिलाओं के विरूद्व अपराधो में राजस्थान का स्थान आंध्र प्रदेश, व उत्तर प्रदेश के बाद आता है जहां वर्ष 2013 में क्रमश : 32809, 32546 तथा 29150 प्रकरण दर्ज कराये गए।

मानवाधिकारों का हनन व महिलाओं के विरूद्व बढते अपराधो की तेजी से वृद्वि व बहुत से झूठे प्रकरण दर्ज कराये जाने से यह स्थिति बनती है कि इन अपराधो में राज्य प्रशासन पुलिस तंत्र के प्रयास वांछित गति से प्रभावी नहीं रहे हैं।

इसके बहुत से कारण माने गये हैं जो आपराधिक कृत्यों के अध्ययन व विश्लेषण से परिलक्षित हुए हैं। इनमें पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियें का मत है कि राज्य में प्रत्येक शिकायत को दर्ज करने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। पहले शिकायत के प्रकरण की पूरी छानबीन किए जाने के पश्चात इसे दर्ज किया जाता था परन्तु अब पुलिस स्टेशन पर आकर प्रत्येक शिकायतकर्ता की शिकायत को दर्ज किया जाता है। इसके पक्ष में पुलिस विभाग का कथन यह पुष्टि करता है कि जांच के पश्चात महिलाओं के विरूद्व दर्ज शिकायतो में से 44.73 प्रतिशत झूठे पाये गये।

दूसरी स्थिति यह दर्शाती है कि लगभग सभी श्रेणी के महिला जन्य अपराधों में सीमित मामले ही दर्ज कराए जाते हैं। बहुत से आपराधिक प्रकरण लडकी, महिला और उसका परिवार पुलिस में दर्ज नहीं कराता क्योंकि इससे उनके परिवार की बदनामी होती है। लडकियां व महिलाएं प्रायः विभिन्न प्रकार की यातना सहकर उन्हें परिवार से भी नहीं कहती और स्वयं बर्दाश्त करती रहती है। बलात्कार के बहुत से मामले लडकी, महिला व परिवारजन दर्ज नहीं कराते। कई प्रकरण पुरूष व महिला के मध्य परस्पर सहमति से जारी रहते हैं परन्तु ज्ञात होने पर या देखे जाने पर उसे बलात्कार का प्रकरण बना दिया जाता है। इन सभी अपराधों के पीछे मानवीय दृष्टिकोण कार्य करते हैं, जहां अपराधी की पृष्ठभूमि ज्ञात करना भी कठिन होता है।

मानवाधिकार हनन के सभी प्रकरण पीड़ित व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक संताप के कारण उठते हैं तथा ऐसे प्रकरण तब बहुत ही संवेदनशील बन जाते हैं जब वे किसी लड़की या महिला के साथ घटित होती है। सामान्यतया प्रत्येक अपराध के संभावित कृत्य के पीछे पुलिस बल नहीं लगाया जा सकता तथा बहुत से मानवाधिकारों का हनन लोग आदतन स्वीकार कर लेते हैं जो विगत कई शताब्दियों से चलते आए हैं। इन सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव दिये गए जो वर्तमान शोध प्रबन्ध की विवेचना व विश्लेषण के अन्तर्गत उभर कर सामने आए हैं। मानवाधिकार हनन के प्रकरण बढ़ने की प्रवृति मूलतया सरकार प्रशासनिक तंत्र व पुलिस व्यवस्था की निष्क्रियता या अनदेखी मानी जाती है।

इस दृष्टि से शोध प्रबंध के अन्तर्गत उभरकर आए सुझाव व्यावहारिक हैं तथा लागू किए जाने योग्य हैं। ये सुझाव उन समस्याओं के निदान में कारगर सिद्व होने की पूर्ण प्रतिबद्वता रखते हैं और इन्हें लागू करने से नागरिक अपने अमूल्य अधिकारों के प्रति जागरूक होकर ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिकार प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वयं आगू बढना आवश्यक है तथा अधिकारों के प्राप्त करने के पीछे वही समस्त तत्व विद्यमान रहते हैं और रहने चाहिए। इसके साथ ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है और उपयेाग में लाकर सर्वनोमुखी विकास किया जा सकता है। इन्हें मूर्त रूप देने से पूर्व समाज के विभिन्न वर्गो के विचार जानकर ही इन्हें उपयोगी माना गया है।

6.3.1 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी सुझाव :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मार्च 2000 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21 के अन्तर्गत किया गया है। इस आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत मानवाधिकार हनन की शिकायतों पर गवाहों को सम्मन जारी कर बुलाया जाता हे। इस प्रकार की शिकायतों पर किसी न्यायालय या सरकारी विभाग से आवश्यक सूचना या अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकती है और शिकायत को सही पाए जाने पर उसे राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया जाता है। वहां ऐसे मामलो का परीक्षण कर यदि सरकारी अधिकारियों का हाथ पाया जाता है तो उनके विरूद्व विभागीय जांच या न्यायालय को प्रकरण भेज दिया जाता है।

इस दृष्टि से राज्य मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए गठित करना बताया गया है परन्तु इस आयोग को केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले अधिकारों से वंचित करने के कारण इसका मानवाधिकारों का संरक्षण करने व हनन को रोकने की दिशा में कोई महत्व नहीं बन सका। इस आयोग के गठन से न्यायिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी अध्यक्ष व सदस्य बनाए जाते हैं और शेष दो सदस्य ऐसे

व्यक्तियों को चुना जाता है जो मानवाधिकार के संबंध में जानकारी रखते हों। यदि आयोग को आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधिकार प्रदान किए जाऐं तो इसमें वर्तमान न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता जो उन सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते थे।

वर्तमान स्वरूप में आयोग शिकायतेां को जांच के पश्चात सही पाए जाने पर भी कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं बनाया गया, तो ऐसा आयोग मानवाधि कारों का संरक्षण व हनन रोकने की कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। इसलिए यह केवल नाममात्र की संस्था बनकर रह गया है, जिसका मानवाधिकारों के हनन की प्रभावी ढंग से रोक पाने में कोई भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता। संभवतया राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में अपराध प्रक्रिया संहिता के अधिकार प्रदान नहीं करके तथा मानवाधिकारों के हनन को प्रभावी ढंग से रोक पाने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करके केवल नाम मात्र की संस्था बनाना ही उद्देश्य रखना प्रतीत होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के हनन की शिकायतों के नियंत्रण की दृष्टि से आयोग गठन की अनिवार्यता को पूरा करना व यह प्रदर्शित करना कि ऐसा आयोग देश व राज्यों के स्तर पर गठित कर दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था रखने की पृष्ठभूमि प्रशासनिक तंत्र की समस्त प्रदत्त शक्तियों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देने के उद्देश्य से यह नाममात्र का आयोग गठित किया देश का उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय मानवाधिकार हनने के प्रकरण गंभीरता से लेते हैं तथा केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारियों को दोषी पाए जाने पर सजा भी देते हैं। केन्द्रीय सरकार मानवाधिकार आयोग को समस्त शक्तियां प्रदान करने से बचना चाहती है और केवल इसका गठन एक अलंकरण संस्था के रूप में करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता जिसका उल्लेख अधिनियम में किया गया है। इन सभी स्थितियों को दृष्टिगत रखकर यह सुझाव दिया जाता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को संशोधन कर अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता के सभी अधिकार प्रदान किये जावे जिससे राजस्थान मानवाधिकार आयोग

एक सक्षम भूमिका का निर्वाह करते हुए मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में प्रभावी उपाय कर सके जिसके लिए इसका गठन किया गया है। संशोधित प्रावधानों को जोडकर आयोग राज्य सरकार द्वारा मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में हुई सभी प्रकार की अनियमितता व उल्लंघनों को प्रभावी रूप से रोकने तथा ऐसे कृत्यों में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति दण्डात्मक निर्णय भी देना संभव होगा, प्रस्तावित है।

राजस्थान और देश में बढ रहे मानव अधिकारों का उल्लंघन प्रभावी रूप से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि सरकार अपने अधिकारियों के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं कर सकती क्योंकि अधिकारियों को मौखिक आदेशों का कोई महत्व नहीं रह जाता। मानवाधिकार हनन के मामले राजनीतिक संरक्षण में अधिकारियों विशेष कर पुलिस अधिकारियेां के माध्यम से कारित किए जाते हैं और शिकायतें राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंचने पर भी राज्य सरकार को भेज दिये जाते हैं, जहां कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती कयोंकि राजनैतिक संरक्षण में होने से ऐसे मामले किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिए जाते हें या केवल चेतावनी देकर छोड़ दिये जाते हैं। इसलिए भारत सरकार को मानवाधिकारों के संरक्षण व अधिकारों के हनन को सुनिश्चित रूप से रोकने के लिए अधिनियम में संशोधन कर अपराध दल प्रक्रिया संहिता के सभी अधिकार प्रदान करते हुए आयोग के पुर्नगठन करने की आवश्यकता है जहां कार्यरत न्यायाधीशों की नियुक्ति करके सभी मामलों को परीक्षण कर दण्ड देने की कार्यवाही की जावे। इस प्रकार के अपराधों की समीक्षा राज्य के उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। इस व्यवस्था से मानवाधिकार हनन के सभी मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा तथा दोषियों को दण्ड दिए जाने से अपराधों की संख्या में निश्चित रूप से कमी आयेगी।

6.3.2 राजस्थान राज्य महिला आयोग के पुनर्गठन के सुझाव :

महिलाओं के विरूद्व अत्याचार, उत्पीडन व यौन शोषण तथा बलात्कार जैसे दुष्कृत्यों को रोकने की दृष्टि से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में

किया गया था। राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन राज्य विधान सभा में पारित अधिनियम के अन्तर्गत मई 1999 में किया गया, जिसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें विधान सभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विरोधी दल के नेता सम्मिलित हैं। इस आयोग में न्यायिक सेवा का कोई अधिकारी सम्मिलित नहीं है तथा अध्यक्ष व सदस्य महिलाएं होती हैं। इस आयोग को सिविल न्यायालय के अधिकार प्रदान किए गए जिसमें सम्मन द्वारा गवाहों को बुलाकर शिकायत की जांच की जाती है तथा प्रकरण को राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाता है।

आयोग में कार्य संचालन के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को उप सचिव तथा न्यायिक सेवा के अधिकारी को पंजीयक सह विशेषाधिकारी नियुक्त किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए न्यायिक सेवा की महिला नहीं रखने से पंजीयक के रूप में कार्यरत न्यायिक सेवा के अधिकारी की सहायता ली जाती है जो कानूनी प्रकरणो के विषय में सलाह देता है। इस आयोग को अपराधिक दण्ड संहिता के अन्तर्गत अधिकार प्रदत्त नहीं किए जाने से प्राय : पारिवारिक विवादों को समझा बुझाकर परिवार जोडने, जन सुनवाई करके अधिकारी को निर्देश देने व परिवारों को टूटने से बचाने के लिए समझौता कराने जैसे कार्य सम्पादित किए जाते हैं।

इन स्थितियों के कारण राजस्थान महिला आयोग महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों को रोकने व महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने से निहित उद्‌देश्यों की पूर्ति कर पाने में प्रभावी भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता है। महिला अत्याचारो में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधों में बलात्कार, अपहरण व व्यपहरण, दहेज प्रथा व दहेज हत्या का प्रयास महिला की अस्मिता को आघात पहुंचाना, महिला का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, महिलाओं के प्रति अत्याचार व क्रूरतापूर्ण कृत्य, विदेशी लडकी को यौनाचारों के लिए लाने जैसे अपराध सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त विशेष व स्थानीय कानून के

अन्तर्गत अपराधो में वेश्यावृति,दहेज विरोधी कानून, महिलाओं के अश्लीलता प्रदर्शन तथा सती जैसे अपराधों के विरूद्व प्रकरण आते हैं।

ये सभी प्रकरण आपराधिक अधिकार प्राप्त जिला स्तर से उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज कराए जाते हैं। इन सभी प्रकरणो को महिला आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर रखा गया है। इसलिए राज्य महिला आयोग महिलाओं के विरूद्व होने वाले अपराध व महिला अधिकारों का हनन रोकने में कोई कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। इस आयोग को जिले में जाकर पीडित महिलाओं की शिकायतें सुनने व पारिवारिक विवादो में समझाकर वापिस घर भेजने के दायित्व ही प्रदत्त किये गऐ हैं। राजस्थान में महिलाओं के प्रति अत्याचार बहुत तेजी से बढ रहे हैं और इन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य महिला आयोग को भारतीय दण्ड संहिता के सभी अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे महिला अपराधों का शीघ्र निस्तारण किया जावे व दोषियों को सजा दिलाई जावे।

राज्य महिला आयोग को महिला उत्पीडन आदि अपराध रोकने व उन्हें प्रभावी रूप से संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार के अधिनियमों में संशोधन करके भारतीय दण्ड संहिता व अन्य अपराधों के विरुद्ध करने के अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है। जिला स्तर पर स्थापित न्यायिक प्रणाली में ऐसे मामलों के निर्णय में लम्बा समय लगता है जिससे पीडित महिला को कोई न्याय नहीं मिल पाता। बलात्कार जेसे दुष्कृत्यों को यदि पांच दस वर्षो में सजा भी मिल जाती हे तो पीडित महिला की बदनामी व क्षतिपूर्ति का कोई ठोस प्रबंध नहीं बन पाता। इसलिए महिला आयोग को भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सभी अपराधों को सुनने व निर्णय करने के अधिकार प्रदान किए जाने आवश्यक है।

ऐसी स्थिति मे आयोग की समस्त पदाधिकारी महिला रखे जाने के साथ वे न्यायिक सेवा से संबंधित होनी आवश्यक है, जिससे वे उन अधिकारों व शक्तियों के अन्तर्गत अपराधों को सुनने व निर्णय देने में सक्षम हों। राज्य महिला आयोग के दायरे में सभी महिला अत्याचार, उत्पीडन आदि प्रकरण आने से इन पर शीघ्रता से निर्णय लिये जा सकेंगे और महिलाओं को अनेक वर्षो तक न्यायालय के चक्कर

नहीं लगाने पडेंगे। इसे व्यवस्था का दोष ही मानना चाहिए कि जिस महिला के साथ जिन पुरूषों ने दुष्कृत्य किया है उनके अपराध साबित कराने के लिए महिला को अनेक वर्षो तक न्यायालय जाकर पुनः उत्पीडन का शिकार होना पडे।

महिलाओं के विरूद्व राजस्थान में जिस तेजी से अपराध बढ रहे हैं उन्हें प्रभावी रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है जो तथा संभव है जब पुलिस तंत्र प्रभावी बने तथा घटित अपराधों का तत्परता से निस्तारणं किया जा सके। इस दृष्टि से आपराधिक शक्तियों से युक्त महिला आयोग प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकता है, जहां तत्परता से मामलों के निस्तारण से न्याय व्यवस्था शीघ्र व उद्देश्यपूर्ण बन सकेगी। महिला समाज की सम्माननीय सदस्य है और उसके विरूद्व होने वाले अपराधो में कठोर दण्ड का प्रावधान करके ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने में सहायता मिलेगी।

6.3.3 झूठे अपराधों पर कठोर दण्ड :

राजस्थान में महिलाओं के विरूद्व अपराध तेजी से बढ रहे हैं, जिसका आंकडा पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 की तुलना में 2013 में 9.02 प्रतिशत अपराध बढे। अपराधों की गहनता व तीव्रता का आंकलन इन तथ्यों से ये ज्ञात होगा कि प्रति दिन राज्य में 40 महिलाएं उनके विरूद्व अत्याचारों की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो केवल घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों के बारे में होती है। प्रत्येक 24 घण्टे में राज्य में दस बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं तथा दहेज हत्या में प्रति 48 घंटो में तीन महिलाओं की हत्या की जाती है। पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के अनुसार महिला अपराधों की वृद्वि का कारण तुरन्त रिपोर्ट लिखाने व प्रकरण दर्ज करने के आदेश सभी पुलिस स्टेशनों को दिये गए हैं।

इससे पूर्व यह व्यवस्था थी कि किसी महिला के विरूद्व अत्याचार, दुराचार आदि की शिकायत पर पहले जांच की जाती थी और मामलों की सत्यता पाए जाने पर ही पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज की जाती थी। निश्चित रूप से यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था और महिलाओं के विरूद्व अपराधों पर शीघ्र कार्यवाही आरंभ

करने की दृष्टि से की गई है। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत महिलाओं के उत्पीडन, दुराचार, क्रूरता बलात्कार व हत्या के अपराधो में कठोर सजा के प्रावधान किये गए हैं।

इस कारण झूठे प्रकरण दर्ज करवाकर प्रतिष्ठित व उच्च पदस्थ लोगों को उत्पीडित करने, बदनाम करने और धन ऐंठने के उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। पुलिस जांच में प्रकरण झूठे साबित होने पर निरस्त कर दिए जाते हैं परन्तु दुर्भावना बदनाम करने व अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से दर्ज किये गये मामले न्याया लय तक ले जाने के प्रयास किए जाते हैं। इनमें से अधिकांश प्रकरणों में पुलिस भी दण्डनीय अपराध होने से निरस्त करने में अपने हित साधने में पीछे नहीं रहती इस कार्य में संलग्न महिला पति व उसके परिवार से बदला लेने, उत्पीडन करने तथा धन प्राप्त करने के तरीके तलाशती है। इन सभी प्रकार के कृत्यों के पीछे पति व परिवार जन की इज्जत, दाव पर लग जाती है।

ऐसे कृत्य करने वाली महिला गंभीर अपराध के मामले बनवाकर पति, उसके सास–ससुर, देवर, जेठ व उनकी पत्नी, बहने व उकने पति सभी को अपराध करने वालों की सूची में सम्मिलित कर लेती है, जिससे पूरा परिवार अपराध के कृत्य में फंसने से शीघ्र धन देकर मामला वापिस लेने की लालसा रहती है। झूठे माने गए प्रकरण सभी दुर्भावनावश किए जाते हों ऐसा होना आवश्यक नहीं है। कई प्रकरणो में पुलिस प्रकरण को झूठा बताकर समाप्त करने के बदले पीडित परिवार से धन वसूल करने से पीछे नहीं रहती और शिकायतकर्ता के जांच में झूठा मामला पाया गया जैसे प्रकरण बताकर शान्त कर देती है।

मनुष्य पुलिस केस व प्रतिष्ठा से बचाने के लिए सभी संभव प्रयास करता है और इसके बदले प्रतिष्ठा व स्तर के अनुपात में धन वसूली भी की जाती है। विधि आयोग स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दहेज उत्पीडन के मामले में झूठे प्रकरण बहुत बडी संख्या में बनाए जाते हैं। इसलिए इस दिशा में आवश्यक कानूनी परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों की पृष्ठभूमि में यह सुझाव है कि नारी

उत्पीडन व अत्याचार के प्रकरणो में अपराधकर्ताओं को कडी सजा अवश्य दी जानी चाहिए, परन्तु झूठे मामले दर्ज करने वाली महिलाएं उसके सहयोगियें को कठोर कारावास का प्रावधान भी किया जाना आवश्यक है, जिससे ऐसे गंभीर, क्रूर व निर्मम श्रेणी के झूठे अपराध केस दर्ज कराने वालों को अपराध में वर्णित की आधी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

जब पुलिस स्वीकार करती है कि 44.73 प्रतिशत प्रकरण जांच में झूठे पाये गये, इसका तात्पर्य यह है कि इतनी अधिक संख्या में झूठे मामले केवल इस लिए दर्ज कराए जाते है क्योंकि इसमें महिला को कोई सबूत देना आवश्यक नहीं है ऐसी स्थिति में पुलिस जांच में उसे झूठा बता देना यह दर्शाता है कि झूठे अपराध व प्रकरण गढने में महिला, वकील व पुलिस का समन्वय होने से ही ऐसे केस आरंभ करा दिए जाते हैं। न्याय यदि महिला को मिलना चाहिए तो पुरूष को भी निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इसलिए झूठे आपराधिक मामले बनाने, पुलिस केस दर्ज कराने व न्यायालय पहुंचने पर कानून में निर्धारित सजा की आधी सजा झूठे अपराध दर्ज करने वाले पर भी होना चाहिए। इससे झूठे मामले दर्ज कर सौदेबाजी के प्रकरण समाप्त होंगे और अपराधों की संख्या में कमी आएगी।

6.3.4 प्रसार तंत्र की प्रभावी भूमिका :

संचार माध्यम मानवाधिकारों के हनन की सूचनाऍ घटना स्थल पर पहुंच कर विस्तार से प्रकाशित करते हैं तथा टेलीविजन पर भी प्रसारित कराते हैं। इससे प्रशासन व पुलिस तंत्र भी सक्रिय होता है और राजनेता वर्ग ऐसी घटनाओं की राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। विरोधी राजनेता इन स्थितियो में सरकार की कानून व्यवस्था को निष्क्रिय बताकर सरकार की अकर्मण्यता दर्शाने का प्रयास करते हैं तथा सत्ताधारी वर्ग के लोग प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को तत्काल रूप से घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही के निर्देश प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त घटना के बारे में सत्तारूढ दल पर दबाब देने का प्रयास करता है। अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से पीडित को शीघ्र न्याय दिलाने का प्रयास भी किया जाता है कि सरकार अपराधियों को शीघ्र

गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रकरण आरंभ कराती है जिससे जनभावना विश्वस्त बनी रहे।

प्रसार तंत्र इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है तथा अपराध कर्ताओं के क्रूर कृत्यों को विस्तार से फोटो सहित प्रदर्शित किया जाता है। परिवार जनों से पूरी जानकारी लेकर अपराध के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देकर जनता में सरकार व प्रशासन की निष्क्रियता का प्रदर्शन किया जाता है जिससे लोगों में आक्रोश उत्पन्न होता है तथा वे स्थान–स्थान पर प्रदर्शन करते हैं। आपात काल में समाचार पत्रों व रेडियो टैलीविजन पर सूचनाओं के लिए सेंसर लगा दिया गया था जिससे सीमित सूचना देने की अनुमति मिलती थी। अब संचार माध्यम ऐसी घटनाएं देकर जनता में रोष उत्पन्न करते हैं, जिससे सरकार व प्रशासन की छवि धूमिल होती है। मानव अधिकार हनन के कृत्यों पर विस्तार से जानकारी देकर जागरूकता बढाने व जनमत बनाने का प्रयास किया जाता है।

प्रसार तंत्र द्वारा सूचना प्रकाशन व प्रसारण से जनता में मानवाधिकारों के हनन पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है तथा वे लोग संगठित होकर ऐसे कृत्यों के प्रभावी नियंत्रण की मांग करते हैं। इस प्रकार नृशंस हत्याओ, यातनाएं देकर मारना तथा क्रूरता की पराकाष्ठा से सरकार यह आश्वासन देती है कि मानवाधिकार हनन के कृत्यों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए सख्त विधेयक बनाकर विधान सभा में अनुमोदन कराया जायेगा और घृणित अपराध के मामले में सजा बढाने, क्रूरतापूर्ण कृत्यों पर सभी अपराधियों को शीघ्र पकड कर कडी सजा दिलाने का आश्वासन देते हैं। जन आक्रोश बढने पर सरकार पुलिस प्रशासन को अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश प्रसारित करती है।

ऐसे प्रचार– प्रसार के साथ मीडिया कई बार अपराधकर्ता से धन लेकर हलके ढंग से सूचना प्रसारित की जाती है, जिससे अपराधियों को पुलिस तंत्र द्वारा पुलिस प्रकरण में कई खामियां छोड़दी जाती है जिससे अपराधी बचने में सफल हो जाते हैं। कई बार एक दिन विस्तृत जानकारी देने के पश्चात पूरा प्रसार प्रचार तंत्र मोन हो जाता है, जिससे अपराध के प्रति जन आक्रोश घटने लगता है प्रसार तंत्र

ही मानवाधिकारों के हनन पर क्रूरता व नृशंसता को प्रदर्शित कर जन आक्रोश को बढ़ाता है और वही ऐसी स्थिति कर देता है जब प्रकरण पर हलके ढंग से सूचना दी जाती है। प्रसार तंत्र के ये दोनो स्वरूप बिना कारणों से बनाए जाते हैं जहां एक ओर जन आक्रोश बढाया जाता है और दूसरे दिन इसे बिल्कुल सामान्य रूप लाकर प्रकरण के महत्व को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है।

ये स्थितियां धन या सत्ता के प्रभाव से सृजित की जाती है जिनके माध्यम से सरकार की छवि बनती या बिगडती है। एक बार घटना को अत्यधिक महत्व देकर जब आगामी प्रक्रिया रोकदी जाती है या बहुत हल्का प्रभाव दर्श्राने से यह निश्चित हो जाता है कि घटना की महता को समाप्त कर दिया गया है। ये स्थितियां प्रसार तंत्र की निष्पक्षता पर अंगुलियां उठाती है और उस पर शंका करने लगती है। प्रसार तंत्र की साख उसके पैनेपन से बढ़ती है तथा समाचार को लोप कर देने से उनकी साख पर प्रभाव पडता है। पूरे प्रचार– प्रसार तंत्र से खबर को गायब कर देने से बहुत बडा जन समुदाय शान्त पडने लगता है। इस प्रकार किन्हीं विशेष कारणो से सूचना लुप्त की गई इसका आंकलन हो जाता है।

सामान्यतया प्रसार तंत्र मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में भूमिका का निर्वाह कर देता है परन्तु कई बार विस्तृत सूचना देकर एकदम शान्त हो जाने के पीछे कारणों को ज्ञात करना कठिन कार्य नहीं है। इस स्थिति में स्थिति को भया वह होने से रोक लेने में सफलता मिलती है परन्तु उनका उद्देश्य निष्फल हो जाता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किन्ही विशेष स्थितियों के चलते सूचना को रोकने का प्रयास किया गया है। यह भावना संचार माध्यमों की छवि के अनुकूल नहीं है। इसलिए जनता को किसी सूचना की स्थिति की निरन्तरता को यथावत रखना आवश्यक है। प्रसार तंत्र को मानवाधिकारों का समर्थक माना गया है और यही भूमिका जारी रखना उचित है।

महिलाओं के प्रति क्रूरता, अत्याचार, यातनाएं व बलात्कार जैसी घटनाओं को मीडिया ही जनता के सामने लाता है तथा कई बार जनता को इतना उग्र बना देता है कि सरकार व प्रशासन हिंसा व उपद्रव रोक पाने में असमर्थ दिखाई देते है।

प्रसार तंत्र के इसी स्वरूप में जनता में नृशंस घटनाओं के प्रति रोष फैलता है और शीघ्र कार्यवाही नहीं होने पर सरकार की छवि धूमिल कर देते हैं। इस प्रणाली में सरकार समाचार पत्रों के बडे बडे विज्ञापन व टैलीविजन चैनलों को भी विज्ञापन प्रदान कर सन्तुष्ट करने की कार्यवाही करती है। इन सभी प्रयासों के उपरान्त भी महिलाओं के प्रति अत्याचार व दुराचार के प्रकरण विस्तार से दर्शाए जाते हैं और जन मानस को अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने में सहायक होते हैं।

6.3.5 शीघ्र न्याय के लिए व्यवस्था :

मानवाधिकारों के हनन व महिलाओं के विरूद्व अत्याचारों को शीघ्रता से निस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में कार्यरत राजस्थान मानवा धिकार आयोग व राज्य महिला आयोग अपनी भूमिका का सार्थक निर्वाह नहीं कर पा रहे है, जिसकी अपेक्षा इन आयोगों से जनता करती है। राजस्थान उच्च न्याया लय ने जिला अदालतों ने मानवाधिकारों से संबंधी प्रकरणों पर पृथक न्यायालय बना दिए हैं परन्तु महिलाओं के विरूद्व अत्याचार, उत्पीडन, बलात्कार व यौन उत्पीडन के मामले सामान्य न्यायालयो में ही चलाए जाते हैं, जिनमें अत्यधिक संख्या में प्रकरण होने के कारण न्याय मिलने में बहुत अधिक समय लग जाता है। यौन उत्पीडन, बलात्कार, दहेज हत्या, दहेज हत्या के प्रयास, छेडछाड़ जैसे प्रकरण अधिवक्ताओं द्वारा इस अभद्र रूप से पूछे व जिरह की जाती है, जिससे महिलाओं को आपराधिक पीड़ा अनुभव होती है।

विरोधी पक्ष के वकील द्वारा विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाना व संवेदन शील स्थितियो के बारे में महिलाओं से तर्क करना न्याय व्यवस्था का भाग है और इससे सही व गलत प्रकरण की जानकारी के संबंध में न्यायालय निर्णय लेता है। कई प्रश्न इतने आतंकित करने वाले होते हैं जिन पर महिला सन्तुलन खो बैठती है और इसका लाभ उठाकर अधिवक्ता सही शिकायत को झूठी शिकायत में बदलने की कोशिश भी करते हैं। महिला पक्ष के वकील न्यायाधीश से बहुत से प्रश्न पूछने से रोकने का प्रयास करते हैं परन्तु वकीलों द्वारा उसे न्यायिक प्रक्रिया व अपराधी को बचाने की कई दलीले देकर महिला को अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचाते हैं।

इस दृष्टि से दायर झूठे मुकदमों में महिला इतनी निर्भीकता से अति व्यक्तिगत प्रकरणों का दृष्टान्त देती है कि पुरूष व उसके वकील तक आश्चर्य चकित रह जाते हैं। यह सभी कृत्य न्यायिक व्यवस्था के नाम पर होते हैं और सच्चाई निकालने के नाम पर पूछे जाने की दलीलों दी जाती है। बलात्कार तक के प्रकरणो में बचाव पक्ष के वकील ऐसी स्थितियां दर्शाने का प्रयास करते हैं कि जिससे महिला का मानसिक सन्तुलन बिगड जाता है और सभी प्रश्नों का उत्तर उसे देना ही पडता है। कई स्थितियो में न्यायाधीश व वकील उसे धैर्यपूर्वक उत्तर देने को कहते हैं परन्तु विरोधी वकील निरन्तर ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे महिला सन्तुलन खोकर गलत उतर तक दे जाती है।

इन सभी प्रकरणो में महिला की गरिमा व न्याय के नाम पर अभद्रता की पराकाष्ठा न्यायिक प्रक्रिया के भाग के रूप में न्यायिक प्रक्रिया को लम्बा खींचते हैं और महिला भी पूर्ण उत्पीडन व मानसिक आघात से अधिक पीडाकारी साबित होती है। कई प्रबुद्व न्यायाधीश ऐसे प्रकरणों को बन्द अदालत में सुनते हैं जिससे पीडित महिला को कुछ सांत्वना मिलती है परन्तु वहां भी अपराधी के वकील व अपराधी स्वयं उपस्थित रहकर स्थिति को पेचीदा बनाते हैं और न्याय के बदले अन्याय को बढ़ाते हैं। इस स्थिति में पीडित महिला यह तक सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि बलात्कार जैसे दुष्कृत्य की शिकायत न करके यह पीडा वह स्वयं झेलती रहती तो अधिक अच्छा होता।

इन सभी स्थितियों को न्यायिक प्रक्रिया का भाग मानकर कम या समाप्त नहीं किया जा सकता परन्तु शीघ्र न्याय से पीडित महिला की यातना काफी सीमा तक कम हो जाती है। महिलाओं के विरूद्व अत्याचारों से विरोधी पक्ष को सदस्य व वकील बहुत उग्र व्यवहार करके दबाव बढाने का प्रयास करते हैं, जहां महिला धैर्यपूर्वक संयत रहकर ही अपनी समस्याओं को सही ढंग से प्रस्तुत कर न्याय प्राप्त करने में सफल हो सकती है।शीघ्र न्याय मिलने से महिला हिम्मत बनाए रख सकती है, परन्तु लम्बी अवधि तक प्रकरण जारी रहने से उसकी हिम्मत टूटने

लगती है, जिसका लाभ अपराधी पक्ष को ही मिल जाता है और प्रतिपक्ष गवाहों व महिला पर कई प्रकार से दबाव बढाने में कामयाब हो जाते हैं।

6.3.6 विधिक प्रावधानों में सुधार

महिलाओं के विरूद्व अत्याचारो में कठोर दण्ड के प्रावधान के कारण झूठे मामले दर्ज कराने की स्थिति बन गई है। राजस्थान में महिलाओं के विरूद्व अत्याचारों में 44.73 प्रतिशत मामले झूठे पाये गए जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बहुत सी महिलाएं किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा व आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक स्तर का लाभ उठाकर उसे ब्लेकमेल करने की कार्यवाही करती है। महिला जन्य अपराधो से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का झूठा नाम देकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है और उसे ऐसे कृत्यों में सम्मिलित मानकर परिवार व परिजन भी घृणा करने लगते हैं। महिला द्वारा आरोप लगाने पर सर्वप्रथम पीड़ित पुरूष किसी माध्यम से समझौते का प्रस्ताव भेजता है।

कुछ स्थितियों में महिला समझौता करने व वांछित धन लेकर मामला समाप्त करने के लिए तैयार हो जाती है परन्तु वकील व परिजन उसे अधिक धन की मांग के लिए उकसाते हैं, जिससे स्थिति समझौते के स्थान पर टकराव में बदल जाती है। न्यायिक प्रक्रिया में वकील की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है और बहुत से वकील उन प्रकरणों को शीघ्र निरस्त कराने में सफल होते हैं परन्तु अधिक फीस की मांग करते हैं। पीडित पुरूष व उसके सलाहकार यह दलील देते हैं कि महिला के दबाव में न आकर वकील को अधिक फीस देना बेहतर है और मामला न्यायालय में पहुॅच जाता है।

इसलिए झूठे प्रकरणो में यह व्यवस्था होना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा हनन करके धन ऐंठने की लालसा वाले मामले होने पर शिकायतकर्ता को उतनी ही सजा दी जानी चाहिए जो ऐसे मामलो में अपराध के लिए होती है। इससे यदि झूठी शिकायत पर अपराध की आधी अवधि की सजा रखकर भी झूंठे अपराधों को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। राजस्थान में झूठे अपराध प्रकरण 44.73 प्रतिशत होना यह दर्शाता है कि इस व्यवस्था में सुधार होना आवश्यक है।

वर्ष 2013 में 29150 अपराध प्रकरणों के स्थान पर 16111 प्रकरण ही दर्ज करने योग्य थे। इससे मामलों के निस्तारण में भी शीघ्रता आती है और न्यायालय पर भार कम करने में भी सहायता मिलती है। यदि सभी न्याय प्रकरणों में झूठे मुकदमें जांच कर हटा दिए जायें तो न्यायपालिका का काम काफी आसान हो सकता है।

6.3.7 जातीय पंचायतों की अपराध प्रकरणो में दखल समाप्त :

जातीय पंचायतों ग्रामीण क्षेत्रों तथा कुछ शहरी क्षेत्रों में ऐसे बहुत से निर्णय सुना देती है जो कानून के दायरे से पूरी तरह विपरीत होते हैं। इन जातीय पंचायतों का हौसला इतना बढ गया है कि वे महिलाओं के विरूद्व किये गये सामूहिक बलात्कार के प्रकरणों को अपराधियों को चेतावनी देकर छोड़ देती हैं तथा पीड़ित महिला व उसके परिवार को पुलिस केस नहीं करने की चेतावनी तक दे डालती है। यदि कोई वयस्क लड़का व लड़की परस्पर सहमति से विवाह करते हैं तो लड़के को मार डालने व लड़की की हत्या कर देने तक के कृत्य की कार्यवाही के लिए भी निर्णय देती है।

समाचार पत्रों व टैलीविजन से ऐसी सूचना से प्रसारित होने पर भी राज्य सरकार कोई कानूनी कार्यवाही करने में हिचकिचाती है क्योंकि उन्हें अपने वोट घट जाने की चिन्ता रहती है। देश व राज्य में कानून व्यवस्था सर्वोपरि होने पर भी जातीय पंचायतों के विरूद्व पीडित पक्ष के लोग पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें जीवन का खतरा दिखाई पड़ता है। कई परिवार तो डर से गांव छोड़कर चले जाते हैं। किसी महिला के अभद्र आचरण की शिकायत या डायन होने की आशंका में गांव में नंगा कर घुमाते हैं और कई स्थितियो में हत्या तक कर देते हैं।

ये सभी स्थितियां देश की कानून व्यवस्था के लिए घातक है क्योंकि देश का संविधान व संसद द्वारा बनाए गए कानून ही सर्वोपरि होते हैं। यदि कोई जातीय पंचायत सारी व्यवस्थाओं से हटकर स्वयं संप्रभु बनने की कोशिश करे तो ऐसे तत्वों को सख्ती से निपटकर कानून के घेरे में लाकर सजा देनी चाहिए। राज्य सरकार भी किन्हीं कारणों से ऐसी जातीय पंचायतों पर नियंत्रण नहीं लगाती तो अन्य

जातियों की पंचायतें भी ऐसी भूमिका आरंभ करेगी तो देश व राज्य में स्थापित कानून का शासन ही समाप्त हो जायेगा। इन संस्थाओं से सख्ती से मिलकर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस प्रकरण दर्ज कराकर न्यायिक कार्य वाही करनी चाहिये।

पुलिस किसी आपराधिक कृत्य में तभी कार्यवाही आरंभ करती है जब ऐसी शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा की जाती है। राज्य सरकार को इस दिशा में पहल करके पुलिस में मामला दर्ज कराकर जातीय पंचायतों को हतोत्साहित करना चाहिए। वे पंचायतें अपने जाति के लोगों के उत्थान के लिए कार्यवाही करे तभी तक उनकी भूमिका स्वीकार करनी चाहिए। वर्तमान समस्याऐं व्याप्त है। कानून से ऊपर किसी संस्था को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की हिम्मत तभी बढती है जब सरकार उनके दुष्कृत्यों को मौन रहकर देखती रहती है। इससे न देश या राज्य का भला हो सकता है और पीडित पक्ष की कोई आवाज नहीं रहेगी।

जातीय पंचायतें अपनी सीमा में रहकर कार्य करें तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं हो सकती परन्तु कानून से ऊपर उठकर अपना अस्तित्व दर्शाने की स्थिति सख्ती से कुचल देनी चाहिए। मुस्लिम समाज कें भी धर्मगुरू बहुत से फतवे जारी करते हैं,जो कानून व्यवस्था के दायरे में सीधी दखल होती है। यदि एक समाज कानून तोडकर अपनी व्यवस्थाएं स्थापित करने का प्रयास करेगा तो व्यक्तियों को मानवाधिकार व महिलाओं के संरक्षण के सारे प्रयास निष्फल हो जायेंगे। इसलिए कोई व्यक्ति, संस्था या धर्म देश के कानून से ऊपर नहीं है और किसी भी ऐसे कृत्य को सख्ती से दबा देने से ही देश व प्रदेश का हित है।

6.3.8 रोजगार के अवसरों का सृजन :

अधिकांश आपराधिक कृत्य समाज के ऐसे तत्वों द्वारा किए जाते हैं जो रोजगार न मिल सकने के कारण अपराध जगत से जुड़ गए हैं। सामान्य स्थिति में व्यक्ति कानून की अवहेलना नहीं करना चाहता और शान्ति पूर्वक जीवन बिताने में रूचि रखता है। कुछ बालक अध्ययन अवधि में ही अपराधी तत्वों के साथ मिल जाते हैं और छोटे छोटे अपराध करके बड़े और नृशंस अपराध करने लगते हैं। इन

सभी समस्याओं के निदान के लिए दक्षता प्रशिक्षण व ऋण प्रदान कर लोगों को आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। शिक्षित बेरोजगारो की संख्या भी तेजी से बढ रही है क्योंकि कॉलेज व विश्वविद्यालय तेजी से स्थापित हो रहे हैं।

इस दृष्टि से देश व प्रदेश में रोजगार संचालन की दृष्टि से उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ किये जाने चाहिए जिससे इन पाठयक्रमों को करके रोजगार सुनिश्चित हो सके। नए उद्योग धन्धों के लिए आवश्यक योग्यता वाले पाठ्यक्रम आरंभ करके देश में जनशक्ति उपलब्ध कराई जा सकती है और असंतुलित शिक्षा व रोजगार समस्या से छुटकारा मिल सकगा है। वर्तमान में परंपरागत पाठ्यक्रमों के स्थान पर नई संभावनाओं के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित कर देश व विदेशो में युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना संभव है।

एक अकुशल मजदूर को कुछ माह के प्रशिक्षण के पश्चात भवन निर्माण सडक निर्माण, पर्यटन, परिवहन, संचार क्षेत्रों से जोड़ा जा सकता है। नए उद्योगों, व्यवसायों की संभाव्यता के अनुसार शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करने में युवाओं में कुण्ठा समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो में उपलब्ध संसाधन व विज्ञान प्राद्यौगिकी की सहायता से उपयोगी कार्यक्रम चलाकर गांवो से शहर को पलायन रोकना संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का कुशल उपयोग करके रोजगार के अवसर बढ़ाना संभव है तथा बेकार के ग्रामीण कार्यक्रमों के स्थान पर सार्थक कार्य आरंभ करने से रोजगार के अवसर बढ़ना भी उपयुक्त है।

कुशल श्रमिक अधिक धन कमाकर परिवार की समृद्वि के साथ देश के घरेलू उत्पादन में भी वृद्वि कर सकने में सहायक बनेगा। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों को संसाधन विकास व रोजगार अवसर की दृष्टि से नहीं देखा गया। इसी कारण यह असन्तुलन बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बेकार जमीन को पेड़ लगाकर बडे रोजगार के अवसर सृजित करके पर्यावरण संतुलन भी स्थापित हो सकते हैं। वर्तमान कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर उत्पादन बढाकर देश की उन्नति के मार्ग प्रशस्त किये जा सकते हैं और गांव से शहरों में आना रोका जा सकता है।

इस प्रकार बहुत से छोटे छोटे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जुटाकर के बेरोजगारी की समस्या का हल निकाल पाना संभव है। इसके लिए हर क्षेत्र में सामान्य मजदूर से लेकर शिक्षित व्यक्ति की सही क्षेत्र में क्षमता विकास कर उत्पादन व रोजगार बढाना होगा। बहुत बड़ी राशि ग्रामीण विकास के नाम पर प्रति वर्ष खर्च की जाती है, जिसे सार्थक दिशा देकर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो में रोजगार जुटा कर अपराधों की संख्या में कमी लाना संभव है। शेष बचे अराजक तत्वों को कुशल कानून व्यवस्था से समाज की मुख्य धारा में लाना भी संभव है।

6.3.9 शिक्षा व साक्षरता का प्रसार :

राजस्थान में शिक्षा व साक्षरता की बहुत कमी है जिससे मानवाधिकार व महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के उपायों की जानकारी अधिकांश पुरूषों व महिलाओ तक किसी भी स्त्रोत से पहुंच पाना कठिन कार्य है। 2011 की जन–गणना के अनुसार राजस्थान महिला साक्षरता में सभी राज्यो व केन्द्रशासित प्रदेशों से नीचे है। कुल सात साल में राज्य का स्थान 28 राज्यों व 7 केन्द्रशासित प्रदेशो में 33वें स्थान पर है जिससे नीचे के वार्ड अरूणाचल प्रदेश व बिहार है तथा पुरूष साक्षरता में राज्य का 27 वां स्थान है। इस प्रकार राजस्थान में साक्षरता के प्रयास निष्फल साबित हुए हैं और सम्पूर्ण साक्षरता का स्तर पाने में अभी कई शताब्दियाँ लग जायेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में केवल 13 प्रतिशत आयु वर्ग के छात्र कालेज, व व्यावसायिक पाठयक्रम में प्रवेश पाते हैं तथा शेष अध्ययन बीच में ही छोडकर परिवार के कार्यो में जुट जाते हैं या बेरोजगार रहकर कानून व व्यवस्था की समस्या बढ़ाते हैं या आपराधिक कृत्यों में संलग्न हो जाते हैं।

शिक्षा के अभाव में लोगों को अपने मौलिक अधिकारों व महिलाओं के विरूद्व विभिन्न अपराधो में सजा की जानकारी भी नहीं होती है। अशिक्षित या अल्प शिक्षित महिलाएॅ अपने उत्पीडन, प्रताडना, अत्याचार, यौन शोषण व बलात्कार जैसे दुष्कृत्यों के निराकरण व दुष्कृत्य करने वालों के प्रति पुलिस व न्यायालय पहुंचने में भी जागरूक नहीं है या चुपचाप सारे उत्पीडन व दुष्कृत्य सहती रहती हैं। ऐसी स्थिति में उनके संरक्षण के उपाय और सभी प्रकार के उत्पीडन व दुष्कृत्य की शिकायत भी

नहीं कर पाती। शिक्षा व जागरूकता की कमी से उनका जीवन नरक के समान रहता है या इन विकट परिस्थितियों में वह अपना जीवन समाप्त भी कर लेती है।

शिक्षा के अधिकार से 6–14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश अनिवार्य कर दिया गया है और शिक्षकों को यह दायित्व सौंपा गया है कि गांव या शहर में स्थित विद्यालय के समीपवर्ती क्षेत्र में रहने वाले परिवारों से बालक–बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करे जहां किसी प्रकार का आर्थिक व्यय नहीं करना पडता तथा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इन सभी प्रयासों से सार्थक जन सहयोग से बालक बालिकाएं शिक्षित होकर अपने अधिकारों के संरक्षण के बारे में विचाार कर सकते हैं।

6.3.10 पुरूष स्त्री अनुपात की विसंगति दूर करना :

महिलाओं के विरूद्व अपराधों में वृद्वि का एक कारण पुरूष स्त्री अनुपात में विसंगति होना है। इसमें पुत्र जन्म की लालसा, भ्रूण परीक्षण कराने व कन्या होने पर गर्भ समापन के अधिकांश कृत्य शहरी क्षेत्रों में किए जाते हैं। राजस्थान में स्त्री पुरूष अनुपात देश की तुलना में कम है। देश में एक हजार पुरूषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 940 थी जबकि राजस्थान में यह अनुपात 926 था। शहरी क्षेत्र में भारत व राजस्थान का यह अनुपात क्रमशः 926 व 911 था जबकि ग्रामीण क्षेत्रो में यह अनुपात क्रमश्याः 947 व 932 था। राजस्थान के जिलो में सबसे कम अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 845 महिलाएं प्रति एक हजार पुरूष थी जो 2001 में 827 व 1991 में 795 महिलाएॅ थी।

पुरूष स्त्री अनुपात को सामान्य स्तर पर लाने के लिए भ्रूण जांच कर वैधानिक रूप से प्रतिबंध होने से यह सुविधा चोरी छिपे जारी है और किसी क्लिनिक को इस कृत्य में पकडे जाने पर क्लीनिक बन्द करादी जाती है, जिसे पुन : दूसरे नाम से चालू कर दिया जाता है। इसके लिए पुरूष मानसिकता में भी बदलाव लाना आवश्यक है, जो गर्भवती महिला को कन्या भ्रूण होने पर गर्भ समापान के लिए बाध्य करते हैं। यह कृत्य भी घरेलू अपराध की श्रेणी में आता है

परन्तु अब तक कोई मामला पकडा नहीं गया। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब प्राईवेट क्लीनिक में गर्भ समापन के दौरान महिला की स्थिति बिगडने लगे उस समय क्लीनिक के डॉक्टर सरकारी अस्पताल में मरीज को ले जाने पर दबाव डालते हैं और सरकारी अस्पताल ऐसे गलत मामले को लेने में संकोच करते हैं।

पुराने सामन्ती काल में राज परिवारों व सामन्तों के घर कन्या जन्म को शुभ नहीं माना जाता था और जन्म लेते ही उसकी हत्या करदी जाती थी। इसकी पृष्ठभूमि राजा को पुत्री के विवाह के लिए अन्य राजा के यहां जाना और अपनी हीनता का अनुभव कराना था। इसी मानसिकता से गर्भ समापन के अति' रिक्त कन्या के जन्म होने पर उसे कहीं फैंक देना जैसी बहुत सी घटनाएं प्रकाश में आयी है, जिसमें पुरूष मानसिकता के प्रभाव में महिला को भी स्थिति स्वीकार करनी पड़ती है। महिला जन्य अपराधों के पीछे पुरूष स्त्री अनुपात की विसंगति भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। लड़की को फैंकने वाले प्रकरण जानकारी मिलने पर भी उसे दबाने का प्रयास ही किया जाता है।

6.3.11 महिलाओ द्वारा संगठित प्रतिकार :

उदयपुर जिले के सुन्दरगढ़ कस्बे में महिलाओं ने पुरूषों की शराब की लत छुड़ाने के लिए एक तरीका बनाया, जिसके अन्तर्गत कस्बे में कोई भी व्यक्ति शराब पीकर आता है तो वहां की महिलाएँ सामूहिक रूप से उस पुरूष या ऐसे पुरूषों की पिटाई करके उसका नशा उतार देती हैं। इस प्रकार के प्रयोग महिलाओं के विरूद्व अत्याचार, उत्पीडन जैसे मामलों के बारे में भी सोचा जा सकता है इसके लिए गैर सरकारी महिला संगठन इसकी पहल कर सकती है। तथा एक स्थान पर शुरू होने से संचार तंत्र के प्रभाव से इसकी पुनरावृति हो सकती है। यह किसी एक महिला की समस्या न होकर महिला समाज की समस्या है तथा किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए महिलाओं के संगठित होने से बहुत परिवर्तन आ सकता है।

संगठन में विशाल शक्ति होती है और किसी महिला के प्रति अत्याचार तभी कारित होता है, जब वह महिला बिना प्रतिशोध के उसे स्वीकार करती है। इस

दृष्टि से महिलाओं में जागरूकता लाकर तथा संगठित प्रतिकार करके सभी महिला जन्य समस्याओं को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। जब एक महिला के विरूद्व होने वाले अत्याचार पर सभी महिलाएं प्रतिकार करें व पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर सभी गवाही देकर अपनी एकजुटता का परिचय दें तो महिलाओं के विरूद्व बहुत से अन्याय रोके जा सकते हैं।

❖❖❖

प्राक्कथन

भारत के संविधान के भाग तीन में नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में पारित मानव अधिकारों का समावेश किया गया है। इनमें कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, लोक नियोजन में अवसरों की समानता, वाक् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक व निर्विरोध सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत के किसी राज्य में निवास व बस जाने की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, बलात् श्रम पर रोक, शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रमुख हैं। सूचना का अधिकार 2005 में प्रदान किया गया तथा 6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं को आवश्यक रूप से शिक्षा ग्रहण करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

संविधान द्वारा प्रदत्त सभी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है परन्तु 1993 में मानवाधिकार अधिनियम पारित कर इनके संरक्षण की सुनिश्चित व्यवस्था की गई। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग 1999 में स्थापित किया गया जो मानवाधिकार हनन की सभी शिकायतों की सुनवाई करता है। संविधान में समानता के अधिकार के अन्तर्गत पुरूष व महिलाओं को सभी क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त होने व समान कार्य के लिए समान वेतन या मजदूरी की व्यवस्था की गई है। इसके लिए राजस्थान महिला आयोग का गठन 1999 में किया गया किन्तु कार्य व्यवस्था के लिए नियम 2001 में बनाए गए।

मानवाधिकारों के संरक्षण व महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार, उत्पीड़न आदि के लिए गठित आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग व राजस्थान महिला आयोग की प्राप्त शिकायतों पर सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त है जिसमें संबंधित प्रतिपक्ष या गवाहों को बुलाना संभव है। इन आयोगों को अपराधों के लिए सजा देने का अधिकार नहीं होने से ये दोनों आयोग अपने निहित उदेश्यों की पूर्ति के लिए अपराधों पर नियंत्रण में असमर्थ रहे हैं। दोनों आयोग में प्राप्त शिकायतों की जांच करके राज्य सरकार को प्रेषित कर देते हैं जिससे आयोगों

को शक्ति टीम बना दिया गया है। इस कारण राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण व राज्य महिला आयोग महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों को रोकने में असफल रहे हैं।

राजस्थान में आपराधिक कृत्यों में तेजी से वृद्धि होई है तथा वर्ष 2013 में 1,96,224 अपराधों के प्रकरण दर्ज किए गए जो विगत वर्ष की तुलना में 14.74 प्रतिशत बढ़े हैं। इसी प्रकार महिलाओं के विरूद्ध वर्ष 2013 में 29150 प्रकरण दर्ज किए गए जो गत वर्ष की तुलना में 9.41 प्रतिशत बढ़े हैं। महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों के विषय में दर्शाया गया है कि प्रतिदिन 40 महिलाऐं घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। प्रतिदिन औसतन 10 बलात्कार की घटनाऐं पुलिस थाने में दर्ज कराई जाती है तथा 48 घंटों में तीन महिलाओं की दहेज हत्या के प्रकरण दर्ज कराए जाते हैं। इससे महिलाओं के विरूद्ध बढ़ रहे जघन्य अपराधों की जानकारी मिलती है।

महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों व अपराधों में राजस्थान का स्थान आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पश्चात् तीसरा है। राजस्थान में महिला अपराधों की दर 83.13 प्रतिशत है जो आसाम की 113.93 व त्रिपुरा की 89.75 के बाद तीसरे स्थान पर है। अपराध दर प्रति एक लाख जनसंख्या के आधार पर आंकलित की जाती है। वर्ष 2013 में बलात्कार के 3285 प्रकरण दर्ज किए गये वर्ष 2013 में बलात्कार के 3285 प्रकरण दर्ज किए जिसमें मध्यप्रदेश के 4335 के पश्चात् राजस्थान का दूसरा स्थान हैं महिला अपराध में उत्तरप्रदेश व असम के पश्चात् राज्य का तीसरा स्थान है। दहेज हत्या के 453 प्रकरण राजस्थान में दर्ज किये गये जहाँ राज्य का उत्तप्रदेश के 2335 बिहार के 1185, मध्यप्रदेश के 776 के पश्चात् चौथा स्थान है। घरेलू हिंसा में राज्य का स्थान पश्चिमी बंगाल के बाद दूसरा है जहां क्रमशः 18116 व 15094 मामले दर्ज कराये गए।

राजस्थान में बढ़ते मानवाधिकार हनन व महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के संबंध में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का यह स्पष्टीकरण है कि सभी पुलिस स्टेशनों को तुरन्त शिकायत दर्ज करने के निर्देश प्रदान किए गए

हैं। पहले पुलिस के पास शिकायत आने पर उसकी जांच परख करने के बाद सत्यता होने पर ही रिपोर्ट दर्ज की जाती थी परन्तु अब पुलिस स्टेशन पर शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत दर्ज की जाती है। इस कारण वर्ष 2013 में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराधों में से 44.73 प्रतिशत प्रकरण झूंठे पाए गए। इसका दूसरा पक्ष यह है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में कठोर कारावास की अवधि होने के कारण महिलाऐं बदला लेने व ब्लेकमेल करने के लिए भी शिकायतें दर्ज कराती हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबंध को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुति की दृष्टि से छः अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय अध्ययन का परिचय है, जिसमें अध्ययन का स्वरूप, साहित्य समीक्षा, अध्ययन के उदेश्य, परिकल्पनाऐं तथा अध्ययन पद्धति को निरूपित किया गया। द्वितीय अध्याय मानवाधिकार की अवधारणा व क्रियात्मक विवेचन से संबंधित है जिसमें भारत में मानवाधिकारों के स्वरूप, मानव अधिकारों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि पक्षों के निरूपित किया गया है। तृतीय अध्याय में राजस्थान की विशिष्ट परिस्थितियों में महिला अधिकारों की स्थिति दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणी के अपराधों पर दण्ड प्रावधान की विवेचना की गई है। राजस्थान राज्य के क्षेत्र व जनसंख्या संबंधी विवेचन व विश्लेषण भी इसमें वर्णित है।

चतुर्थ अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग के स्वरूप, उदेश्य वैधानिक व संस्थागत स्वरूप तथा भूमिका के बारे में विवेचना की गई है। इस दृष्टि से राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियों व क्षमताओं के बारे में विस्तृत विवेचना की गई है। पंचम अध्याय में राज्य महिला आयोग के गठन, स्वरूप, महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों के मामलों में आयोग की भूमिका तथा महिला अपराधों की रोकथाम पर आयोग की सक्षमता की भी विश्लेषित किया गया है। षष्टम् अध्याय में अध्ययन के सारांश, निष्कर्ष व सुझावों को उल्लेखित किया गया है। इसमें वर्णित सुझाव मानवाधिकारों व महिलाओं के विरूद्ध रोकथाम में सार्थक भूमिका निर्वाह करने में सक्षम है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में मौलिक स्वरूप बनाए रखने के सार्थक प्रयास किए गए हैं जिसमें सभी उद्वरण आंकड़ों के शोध भी दर्शाए गए हैं जिससे अध्ययन व विश्लेषण की सार्थकता बनाए रखने का प्रयास किया गया है। यह शोध प्रबंध मानवाधिकारों के संरक्षण व महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए किए गये हैं प्रयासों में सापेक्ष भूमिका का निर्वाह कर सके, ऐसा मेरा विनम्र प्रयास है।

इस शोध ग्रन्थ को इस स्वरूप में लाने के लिये मेरे पूजनीय दादाजी श्री दुर्गाशंकर भाटी का एवं मेरे पिताजी श्री सत्य कुमार भाटी, मेरी माताजी श्रीमती सुलोचना भाटी तथा मेरे पति श्री योगेश्वर गढ़वाल का आभार प्रकट करना एवं आर्शीवाद की अपेक्षा में सदैव नही भूल पाउगीं।

प्रस्तुत शोध प्रबंध को अंतिम परिणति तक पहुंचाने में अनेक विद्वजनों का सहयोग रहा है, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना शोधकर्ता का कर्तव्य है।

सर्वप्रथम में शोध प्रबंध की विद्वान निर्देशक श्रीमति अल्पना पारीक के प्रति हार्द्धिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिनका दिग्दर्शन, बहुआयामी सहयोग निरन्तर प्राप्त होता रहा है।

इसके अलावा डॉ. बी.एल. सैनी, श्रीमान् रामस्वरूप मीणा पुस्तकालयध्यक्ष, डॉ. जयराम दायमा, डॉ. सियाराम मीणा आप सभी ने राजकीय महाविद्यालय, बून्दी में मेरे अध्ययन के दौरान सदैव मार्गदर्शन और प्रोत्साहित किया है, के प्रति सदैव कृतज्ञ रहूगीं।

जिन्होनें मुझे सदैव सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया के प्रति सादर कृतज्ञ हूँ।

(**पूजा भाटी**)

संदर्भ ग्रन्थ सूची

ए. एच. राबर्टसन व जे. एस. मेरीलस : ह्यूमन राइट्स इन द वर्ड, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, दिल्ली, 2005,

अरूणा राय : नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 2003 वोल्यूम–1, 2

अंसारी, एम.ए. : महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000

अब्दुल रहीम, पर. वीजापुर : एसेज ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, साउथ एशियन पब्लिसर्स, 1991

अब्दुल रहीम, पर. वीजापुर : द यूनाइटेड नेशन्स एट फिफ्टी, साउथ एशियन पब्लिसर्स, 2004

अरविन्द शर्मा : हिन्दूज्म एण्ड ह्युमन राइट्स –ए कन्सेप्चुअल अप्रोच, ओ. यू. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2004

आईयर, पी. : ह्यूमन राईट्स ऑफ वीमेन, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2006

आर एन त्रिवेदी, भारतीय सरकार एवं राजनीति, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 2001

आर.एस. शर्मा : आसपेक्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्सटीट्यूशन इन एंसियंट इण्डिया, 1959

आशीष दास मोहंती, प्रशांत कुमारः भारत में मानव अधिकार, आईवी हाउस, इण्डिया, 2008

अवस्थी, सुधा : महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, अरिहन्त पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2005

ए. जी. नूरानी : हैण्डबुक ऑफ ह्यूमन राइट्स एण्ड क्रिमिनल जस्टिस इन इण्डिया–द सिस्टम एण्ड प्रोसिजर, नई दिल्ली, ओ. यू. पब्लिकेशन्स, 2006

एल पी शर्माः एंसियंट हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1981

शर्मा, पी.डी. : कम्परेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन्स, सेन्ट्रल बुक डिपो, रिप्रिन्ट 2001

शरण, परमात्माः कम्परेटिव गोवरमेंट एण्ड पोलिटिक्स, मीनाक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1984

बोहरा, भूषण लालः मानवाधिकार और पुलिस बल, शारदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999

भट्ट, उमेश : रिलिजीयस फण्डामेन्टलिज्म एण्ड ह्यूमन राइट्स, विस्टा इन्टरनेशनल पब्लिशर्स हाउस, दिल्ली, 2005

भट्ट, अर्पना, सेन, अर्तीय एण्ड प्रधान, उमा :चाइल्ड गेरिजिज एण्ड द लॉ इन इण्डिया ह्यूमन राइट्स ला नेटवर्क, नई दिल्ली, 2005

चौधरी एच आर : पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इण्डिया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, 1953

चौधरी, देवदत्ता एण्ड त्रिपाठी, एस.एन. : गर्ल चाइल्ड एण्ड ह्यूमन राइट्स, अनमोल प्रकाशन नई दिल्ली, 2005

चतुर्वेदी अरूण व लोढ़ा संजयः भारत में मानव अधिकार, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2006

चतुर्वेदी ललित : मानवाधिकार एवं कर्तव्य, रितु पब्लिकेशन, जयपुर, 2011

चटर्जी, मोहनीः फेमिनिज्म एण्ड वूमेन्स ह्यूमन राइट्स, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2004

धर्मचन्द जैन : भारतीय लोकतंत्र, प्रिंटवेल, जयपुर, 2001, खण्ड–1

डी. ए. ए. कोहली : ह्यूमन राईट्स एण्ड सोशल वर्क'', कनिष्क पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2004

डी. के. पब्लिशिंग : द बुक ऑफ रूल : हाउ द वर्ड इज गवर्न,, 2004

डा. मधु मंजरी दूबेः मानव अधिकार, राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 2004

डा. पुष्पलता तनेजाः मानवाधिकार और बाल पोषण, सत्साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001

डा. पूरणमलः मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और भारत का संविधान, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2003,

डा. प्रदीप त्रिपाठी : मानवाधिकार और भारतीय संविधान–संरक्षण एवं विश्लेशण, राधा पब्लिकेशन्स, नर्द दिल्ली, 2002

डा. डी.पी. खन्नाः रिफॉरमिंग ह्यूमन राईट्स, मानक पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2001

डा. अरूण राय : भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग–गठन, कार्य और भावी परिदृश्य, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1999

डा. आशा कौशिक, मानवाधिकार एवं राज्य : बदलते संदर्भ, उभरते आयाम, पॉइन्टर पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2004

द वर्क ऑफ पब्लिस्ड फॉर एण्ड ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन राइट्स : ए कम्पाईलेसंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, बुकवेल, नई दिल्ली, 2002

दीप कुमार श्रीवास्तवः मानव अधिकार भारत में, अध्ययन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010

इ. डी. खन्ना, डी.डी. कुकःकॉन्फ्लीक्ट रिजोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स एण्ड डेमोक्रेसी, शिप्रा पब्लिकेशन्स, नई इिल्ली, 2003

इ.डी. श्रीवास्तव, डा. गोविन्द नारायणः ह्यूमन राइट्स एण्ड टेरेरिज्म, इण्डियन इंस्टीट्यूट फॉर नान–एलाइन्न्ड स्टडीज, नई दिल्ली, 1994

फॉरसेथ, क्रिस्टोफरा : ह्यूमन राइट्स इन इण्डियाः हिस्टोरिकल, सोशल एण्ड पॉलिटिकल प्रस्पेक्टिव, केन्ब्रीज ला जर्नल, 2002

मिश्रा, ज्योत्सना : वीमेन एण्ड ह्यूमन राइट्स, कल्पज प्रकाशन, दिल्ली, 2000

गहलोत एन.एस.: भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाः दशा व दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2004

गोपालकृष्णनन्, बी. : राईट्स ऑफ चिन्ड्रन, पोइन्टर, पब्लिशर्स, जयपुर, 2004

गुप्ता, मदान, मार्डन गॅवर्नमेंट्सः दि थ्यौरी एण्ड प्रेक्टिस, सेक. एण्ड रिवाईज्ड एडीसन, इलाहाबाद सेन्ट्रल बुक डिपो, 1967, रिप्रिन्ट, 1969.

हरीशचन्द्र शर्मा : भारत में राज्यों की राजनीति, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1973

जयप्रकाश शर्माः भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2000

जीन सेन, अमृतया, इण्डियाः इकॉनोमिक डवलपमेंट एण्ड सोशल अपोर्च्युनिटी, ओ. यू. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1996,

जीन जैक्स कसो : सोशल कॉन्ट्रेक्ट, राष्ट्रपति सनबेल्ट : अमेरिका कांग्रेस की सम्बोधन, 1941

जाखड दिलीप : मानवाधिकार और पुलिस संगठन, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, 2008

जाखड़, दिलीप : मानव अधिकार, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2005

जौहरी जे.सी. : भारतीय राजनीति, विशाल पब्लिकेशंस, जालंधर, 1997

जोशी आर.पी. : मानवाधिकार एवं कर्तव्य, ए.वी. पब्लिकेशन, अजमेर, 2005

जे. एस. वर्मा. : द न्यू यूनिवर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल लॉ पब्लिसर्स, नई दिल्ली, 2004

जे.के. चौपड़ा : भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन, नई दिल्ली, 2010

खण्डेलवाल मानचन्द : महिला सशक्तिकरण, अरिहन्त पब्लिशिंग, 1990

कृष्ण कुमार : प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 1993

कृष्ण दत्त : प्राचीन भारत, अनु बुक्स, शिवाजी रोड़, मेरठ,1990

कृपलानी, श्यामा : वूमेनः कॉनफिलैक्ट फॉर वेसिक राइट्स, आर.बी., एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2005

कमलेश भारद्वाज : प्राचीन भारत में समाज एवं राज्य, पोइन्टर, जयपुर, 1999

कौशिक, आशा : नारी, सशक्तिकरणः विमर्श एवं यथार्थ, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004

कौशिक, आशा : मानवाधिकार और राज्यः बदलते संदर्भ, अभरते आयाम, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004

विमल चंद पाण्डेयः प्राचीन भारम का इतिहास, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ, 1979

राजेन्द्र मोहन भटनागर : भारतीय कांग्रेस का इतिहास, भारतीय कांग्रेस, तब और अब, इण्डियन पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली 2005

कानन पी. सत्य : मानव अधिकार और सामाजिक न्याय का विश्वकोष'' खण्ड– 4, दिल्ली प्रकाशन, 2005

लाम्बा एस.सी. : मानवाधिकार और पिछड़ा वर्ग, आविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2001

एम.पी. आनंद, डॉ. वी.के.,: इन्टरनेशनल लॉ एण्ड ह्यूमन राईट्स'', इलाहाबाद लॉ एजेंसी, 2003

महापत्रा, अरूण राय : नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इण्डियाः फोरमेशन, पकंशनिंग एण्ड फफयूचर प्रोसपैक्ट, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001

महाजन, वी.डी. : रिसेन्ट पोलिटिकल थाट, प्रिमियर पब्लिशिंग कं., नई, दिल्ली, 1953

माइकल फ्रीमेन : ह्यूमन राइट, पॉलिटी प्रेस, यू.के., 2003

माईरॉन वेनर एण्ड जॉन ओसगुड : इलेक्टोरल पोलिटिक्स इन दि इंडियन स्टेट्स, मनोहर बुक्स सर्विसेज, दिल्ली,1975

मौर्य शैलेन्द्र : राजस्थान में महिला विकास– प्रारंभ से आज तक, राजस्थानी साहित्य संस्थान, जोधपुर, 2007

मोहम्मद इ.डी. सबीर : क्वेस्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, रावत पब्लिकेसंस, नई दिल्ली, 2005

मोनसीपुरी, व अन्य : कन्स्ट्रक्टिंग ह्यूमन राइट्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाईजेशन, प्रिंटिंग हॉल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 2004

मसालदान, पी.एन.: स्टडीज इन पोलिटिकल फिलोसफी, हिन्द किताब लि., बम्बई, 1951

मजुमदार बी.बी.: प्रिन्सिपल्स ऑफ पोलिटिकल साइन्स एण्ड गोवरमेंट, मार्डन ब्रदर्स एण्ड कं. लि., कलकत्ता,1949

मनोज कुमार सिन्हा : इंटेरिन इन्टरवेन्सन बाई दी युनाईटेड नेसन्स, नई दिल्ली, मानक पब्लिकेशन्स, 2002

पूरण, मल : मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और भारत का संविधान, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007

मिश्रा मतेन्द्र कुमार : भारत में मानव अधिकार आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2008

नायक पाधी : मानव अधिकार और राश्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिबिंब संरक्षण'', ज्ञान पुस्ते, 2007

नारंग, ए.एस. : इंडियन गोवरमेंट्स एण्ड पोलिटिक्स, गीतांजली पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2005

पाण्डेय विमलेश कुमारः भारतीय संस्कृति एवं मानवाधिकार, शाखा पुस्तकालय, इलाहाबाद, 2009

पद्मनाभ शर्मा : भारत में निर्वाचन राजनीति, सरूप एण्ड संस, दिल्ली, 1993

पचौरी, एस.के. : वीमेन एण्ड ह्यूमन राइट्स, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली, 1999

प्रमोद मिश्रा : ह्यूमन राईट्स रिपोर्टिंग, ईशा बुक, दिल्ली, 2006

प्रो. एन. संजोबा : ह्यूमन राइट्स इन द न्यू मिलेनियम, ए.पी.एच पब्लिकेशन कॉर्पो, नई दिल्ली, 2001

प्रो. आर. पी. जोश : मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर, 2011

प्रसाद राजेन्द्र : मानव अधिकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005

रहमान, कान्त : ह्यूमन राइट्सः कॉनसेप्ट एण्ड इस्यूज कामनवैल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2004

राकेश शर्मा : प्राचीन भारत में सम्प्रभुता का विकास, डिप्टी पब्लिकेशन, दिल्ली, 1990

राव, एम. कोटेश्वरा : इनपॉवरमेन्ट ऑफ वूमेन इन इण्डिया, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2006

रावत, जेनेन्द्र : द स्टेट्स ऑफ दलित एण्ड ह्यूमन राइट्स इन इण्डिया, सुमित इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली, 2005

रोजर मार्टज, ए कम्परेटीव हैण्डबंक टू दी एचिवमेंट्स, इवेन्ट्स, पीपल, ट्रीम्फ एण्ड ट्रेजेडीज ऑफ इवरी प्रेसिडेंट फ्राम जार्ज वासिंगटन टू जार्ज डब्ल्यू बुश, सितंबर 1, 2004

रोनाल्ड डॉवर्किन : टेकिंग राईट्स सीरियसली, यूनिवर्सल बुक ट्रेडर्स, नई दिल्ली, 1996

राजविन्दर मिश्रा : सोसियो–इकोनोमिक डिसपैरेटीज एण्ड वैल्यूएसन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1998

रचना कौशलः महिला और मानव अधिकार भारत में'', दया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000

एस. के. मजूमदार : कन्साइज हिस्टी ऑफ एंसियंट इण्डिया, मुंसीलाल मनोहरलाल प्रा.लि., नई दिल्ली, 1983

सिंह, आर. : मानवाधिकार और महिलाएँ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2006.

सिद्दीकी, फातिमा एवं रंगनाथ, सरला : बीमेन एण्ड ह्यूमन राइट्स ए गाइड फोर शोसल एक्टीविस्ट्स (2 वॉल्यूम), कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2001

सिन्हा विपिन बिहारी : भारत का इतिहास, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001

सिन्हा, एच.एन. : आउटलाइन्स ऑफ पोलिटिकल साइन्स, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, 1969

श्री प्रकाश नारायण नाटाणी : मानवाधिकार एवं कर्तव्य, अविश्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2003

शर्मा, मूलचन्द एण्ड रामचन्द्र, राजू : कॉसटीट्यूसन ह्यूमन राइट्स एण्ड द रोल ऑफ लॉ एशेज इन ऑनर ऑफ सोली जे. सोराबजी, यूनिर्वसल लॉ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2005.

शर्मा, प्रज्ञा : भारतीय समाज में नारी, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001

शर्मा, अरविन्द : हिन्दुज्म एण्ड ह्यूमन राइट्सः ए कन्सेप्चुअल एप्रोच, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2004

सी. बी. पाण्डेय : ए हिस्टी ऑफ एशियंट इण्डिया, विशाल पब्लिकेशंस, जालंधर, 1998

सीतलवाड,एम.सी., दि इंडियन कॉन्सटीट्यूशन, युनिवर्सिटी ऑफ बाम्बे, बाम्बे 1967

साहू, ए. : वीमेन्स लिबरेशन एण्ड ह्यूमन राइट्स, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007

सच्चर, राजेन्द्र जस्टिस, ह्यूमन राइट्स : प्रस्पैक्टिव एण्ड चैलेंज, ज्ञान पब्लिकेशन हाऊस, दिल्ली, 2004

सत्यकेतु विद्यालंकार : भारत का प्राचीन इतिहास, सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 1967

त्रिवेदी आर.एन. एण्ड रॉय, एम.पी.: इंडियन गोवरमेंट्स एण्ड पोलिटिक्स, सेन्ट्रल बुक डिपो, रिप्रिन्ट 1957

तारा भाई एल. : वीमेन्स स्टेडीज इन इण्डिया, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कार्कॅरपोरेशन, नई दिल्ली, 2000

उपेन्द्र बक्सी : द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ओ. यू. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006

उज्ज्वल कुमार सिंहः मानव अधिकार और भाान्ति के विचारों, कानून संस्थानों और संचालन'', 2008

विश्वेश्वर नाथ रेऊ : भारत के प्राचीन राजवंश, पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर 2000

विनोदचन्द्र सिन्हा व रेखा सिन्हाः प्राचीन भारतीय इतिहास एवं राजनीकि चिंतन, राधा पब्लिकेशन, दिल्ली, 1989

विन्सेंट ए स्मिथ : द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, एटलांटिक पब्लिसर्स, नई दिल्ली, 1999

वाडिया, ए.आर.: डेमोक्रेसी एण्ड सोसायटी, लालवानी पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, 1966

यादव डी.एस. : भारत में मानव अधिकार, आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2012

पत्र–पत्रिकाएँ

1. राजस्थान पत्रिका
2. दैनिक भास्कर
3. दैनिक नवज्योति
4. पंजाब केशरी
5. जनसत्ता
6. इकॉनोमिक्स टाईम्स ऑफ इण्डिया
7. इकॉनोमिक्स सर्वे ऑफ इण्डिया
8. द टाइम्स ऑफ इण्डिया
9. योजना
10. सृजन पत्रिका
11. सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय सांख्यिकी पत्रिका
12. राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिका व न्यूजलेटर

अनुक्रमणिका

अध्याय		पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	i-iv
अध्याय प्रथम	परिचयात्मक	1–36
अध्याय द्वितीय	मानवाधिकार का अवधारणात्मक विवेचन	37–76
अध्याय तृतीय	राजस्थान की विशिष्ट स्थितियाँ : महिला अधिकार	77–123
अध्याय चतुर्थ	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग : संगठन एवं भूमिका	124–163
अध्याय पंचम्	राजस्थान राज्य महिला आयोग : कार्य एवं भूमिका	164–207
अध्याय षष्ठम्	निष्कर्ष एवं सुझाव	208–251
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	252–261

: